

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन—2 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष



supreme Audit Institution of India लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ		
	अनुच्छेद	पृष्ठ	
प्राक्कथन		vii	
संक्षिप्त अवलोकन		ix-xiv	
अध्याय 1			
प्रस्तावना			
प्रस्तावना	1.1	1	
बजट प्रोफाइल	1.2	1	
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	2	
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.4	2	
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर	1.5	2-3	
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता	1.6	3	
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.7	4-6	
अध्याय 2			
वित्त विभाग			
जिला योजना स्कीम की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा			
प्रस्तावना	2.1	7	
लेखापरीक्षा का क्षेत्र, नमूनाकरण तथा पद्धति	2.2	7-8	
विकास योजना 'जिला योजना' के अंतर्गत बजट एवं व्यय	2.3	8-9	
स्वीकृत जिला योजना प्रस्तुत करने में विलंब	2.4	9-10	
"जिला योजना" स्कीम के अंतर्गत ₹ 148.81 करोड़ का अनुदान व्यपगत होना	2.5	10-11	
जिला योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों पर किया गया ₹ 5.52 करोड़ का व्यय	2.6	11-12	
अध्रे/अप्रयुक्त कार्य	2.7	13-15	
निविदा के बिना किए गए कार्यों का निष्पादन	2.8	15	
जिला योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के निष्पादन में सामान्य कमियां	2.9	16-17	
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना	2.10	17-18	
जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा त्रैमासिक रूप से कार्यों की निगरानी न करना/कम निगरानी करना	2.11	18-19	

i

विवरण		संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ	
प्रधान कार्यालय को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करना	2.12	19-20	
जिला योजना के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण नहीं	2.13	20-21	
किया गया			
₹ 9.90 लाख के व्यय से साईट पर निर्मित कार्य नहीं पाया गया	2.14	21-22	
निष्कर्ष	2.15	22	
सिफारिशें	2.16	22	
अध्याय 3			
शहरी स्थानीय निकाय विभाग			
नगर निकायों को स्टाम्प शुल्क के हिस्से के रूप में उद्गृहीत नगरपालिका विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	शुल्क के अं	तरण की	
प्रस्तावना	3.1	23-24	
राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई अंतरण की पद्धति	3.2	24	
नगरपालिका उद्ग्रहण का दावा प्रस्तुत करने में विलंब	3.3	25	
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 के दौरान नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण का अंतरण	3.4	25-27	
अप्रैल 2012 से मार्च 2021 के दौरान नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण के लिए त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया	3.5	27-28	
आंतरिक नियंत्रण के मुद्दे जिनके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण का अधिक अंतरण हुआ	3.6	28-29	
नगरपालिका, कुंडली के संबंध में नगरपालिका उद्ग्रहण का आहरण न करना	3.7	29	
निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय को नगरपालिका उद्ग्रहण के हिस्से का अंतरण	3.8	29-30	
नगरपालिका उद्ग्रहण के संग्रहण और अंतरण के लिए लेखांकन प्रक्रिया का रखरखाव	3.9	30-31	
स्टाम्प शुल्क के हिस्से का मिलान न करना	3.10	31-32	
निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा में सीमाएं	3.11	32	
निष्कर्ष	3.12	32	

विवरण		संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ	
अध्याय 4			
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग			
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के कार्यान्वयन	ा की विषय	वेशिष्ट	
अनुपालन लेखापरीक्षा	ı		
प्रस्तावना	4.1	33	
वित्तीय प्रबंधन	4.2	33	
लेखापरीक्षा उद्देश्य और मानदंड	4.3	33-34	
लेखापरीक्षा का दायरा	4.4	34	
लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन पर लेखापरीक्षा परिणाम	4.5	34-39	
निधि प्रबंधन	4.6	39-41	
निगरानी तथा मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा परिणाम	4.7	41-43	
सिफारिशें	4.8	43	
अध्याय 5			
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां			
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग			
₹ 2.76 करोड़ का गबन	5.1	45-47	
स्टॉक और वस्तुसूची प्रबंधन	5.2	48-56	
ठेकेदार को न किए गए कार्य हेतु अनियमित एवं अधिक भुगतान	5.3	56-58	
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)			
अधूरे छोड़े गए कार्यों पर निष्फल व्यय तथा एजेंसी से वसूलनीय राशि	5.4	58-60	
अयोग्य एजेंसी को कार्य का आबंटन तथा बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक	5.5	60-63	
हानि एवं पेनल्टी के उद्गृहण हेतु संविदा के मूल्य के कम निर्धारण के कारण			
₹ 2.15 करोड़ की वसूली न होना			
संविदा समाप्त न होने से ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ	5.6	63-66	
लोक निर्माण विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)			
निविदा आबंटन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताएं	5.7	67-73	

विवरण		संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ	
शहरी स्थानीय निकाय विभाग			
निर्धारित मानदण्डों/प्रक्रियाओं का पालन न करने के परिणामस्वरूप विकास कार्यों के कारण ठेकेदारों को अनियमित भुगतान	5.8	74-77	
स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग			
साईट को अंतिम रूप देने में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण ₹ 3.39 करोड़ की अधिक लागत तथा ₹ 48.89 लाख का निष्फल व्यय	5.9	78-80	
उच्च शिक्षा विभाग			
पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय में अनियमितताओं के कारण ₹ 92.58 लाख का परिहार्य व्यय	5.10	80-82	
खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग			
अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान - ₹ 41.30 करोड़	5.11	83-85	
तकनीकी शिक्षा विभाग			
कैरियर उन्नति योजना के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अस्वीकार्य भुगतान - ₹ 14.75 करोड़	5.12	86-91	
वित्त विभाग			
पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के भुगतान में अनियमितताएं	5.13	91-94	
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग			
भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे तथा दावों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण हानि	5.14	94-96	
वन विभाग			
परिहार्य अतिरिक्त व्यय के साथ राजस्व की हानि	5.15	96-99	
गृह विभाग			
अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों पर अनियमित व्यय	5.16	99-100	
हरियाणा पुलिस आवास निगम			
परिहार्य व्यय	5.17	101-103	

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण		दर्भ
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	एक क्लस्टर के भीतर विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत निकायों के साथ क्लस्टरों का विवरण	1.1	105-108
1.2	बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.6	109
1.3	31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति और कोपू में चर्चा किए जाने हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 2018- 19 और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20 के बकाया अनुच्छेदों का विवरण	1.7.1	110
1.4	उन अनुच्छेदों का विवरण जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2021 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है	1.7.2	111-112
1.5	31 मार्च 2022 तक सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर-सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति और कोपू की सिफारिशों के विवरण	1.7.3	113
2.1	मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय द्वारा निदेशालय को भेजी गई अनुमोदित जिला योजना का विवरण	2.4	114
2.2	"जिला योजना" स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियों और किए गए व्यय का विवरण	2.5	115
2.3	जिला योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों का विवरण	2.6	116-122
2.4	अन्य कार्यों के साथ बदले गए कार्यों की सूची	2.9	123-130
3.1	वित्त विभाग के निर्देशानुसार मांगे जाने वाले बजट के विरूद्ध आबंटित बजट का विवरण		131
5.1	कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा में संवीक्षा किए गए निविदा प्रकरणों का विवरण	5.7	132-133
5.2	स्वीकार्य से कम छूट प्राप्त करने के कारण हानि	5.10	134
5.3	पुस्तकों के गुम होने और अधिक प्रभारित पुस्तकों के कारण अधिक भुगतान दर्शाने वाली विवरणी	5.10	135
5.4	क. श्रेणी-। एवं श्रेणी-॥ के अंतर्गत अंकों का विवरण ख. श्रेणी-॥ के अंतर्गत अंकों का विवरण	5.12	136

परिशिष्ट	विवरण		दर्भ
		अनुच्छेद	पृष्ठ
5.5	ई-पीडीएस पोर्टल के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय सहायता दावों का कम दावा और वितरण का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	5.14 (i)	137
5.6	जब्त लाल चंदन की लकड़ी के कुल मूल्य का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	5.15	138
5.7	जब्त लाल चंदन की लकड़ी के गोदाम के किराए और निगरानी पर किए गए व्यय का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	5.15	139
5.8	अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों, जिन्हें अनियमित रूप से वेतन दिया गया था, की संख्या दर्शाने वाली विवरणी	5.16	140


प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के अंतर्गत क्रियाशील 53 विभागों, 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 37 स्वायत्त निकायों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सिम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2020-21 की अनुवर्ती अविध से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।



संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षण मानकों की अपेक्षा है कि रिपोर्टिंग के लिए भौतिकता स्तर लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वितीय प्रबंधन में सुधार होगा, इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान होगा।

अध्याय 2, 3 और 4 में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं तथा अध्याय 5 में सरकारी विभागों, स्वायत निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

(अनुच्छेद 1.1, पृष्ठ 1)

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

वित्त विभाग

जिला योजना स्कीम

73वं और 74वं संविधान संशोधन अिंवियम के अंतर्गत योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण ने काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। जिला योजना (डीपी) गठित करने का मूल विचार पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों को क्षेत्र योजना तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को शामिल करना था। इस प्रक्रिया से संसाधनों का कुशल उपयोग, विकास से लाभों का समान बंटवारा और स्थानीय निकायों को अिंधिकार देने शामिल था। हरियाणा में वर्ष 2008-09 में, राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए जिला योजना स्कीम शुरू की गई थी। "जिला योजना" राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (डीईएसए), हरियाणा में चल रही विकास योजना है। 2018-19 से 2020-21 तक के प्रगतिशील वर्षों में आबंटित राशि में उल्लेखनीय गिरावट अर्थात् 2018-19 में ₹ 700 करोड़ से 2020-21 में ₹ 200 करोड़ आई है। यह गिरावट विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर आबंटित धनराशि का उपयोग करने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है। जिला योजनाएं तैयार की गईं और काफी विलंब से मुख्यालय को भेजी गईं जिससे कार्य प्रारंभ होने में विलंब हुआ तथा परिणामस्वरूप निधियां व्यपगत हुई। विभिन्न मुख्य योजना एवं विकास अिंधकारियों को उनकी वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना और उस अंतर्निहित उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त और

विवेकाधीन आधार पर निधियां आबंटित की गई थी जिसके लिए निधियों का उपयोग करना अपेक्षित था। निधियों के व्यपगत होने के कारण मुख्य रूप से कार्यों की व्यवहार्यता अध्ययन करने से पहले या बिना निधियों की स्वीकृति के की गई, निधियों को विलंब से जारी करना, अन्य योजना के अंतर्गत पहले से किए गए कार्य, विवादित साईट आदि थे। निगरानी के अभाव के कारण इस योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं होने वाले कार्यों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया है।

(अनुच्छेद २.१, पृष्ठ ७)

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

नगर निकायों को स्टाम्प शुल्क के हिस्से के रूप में उद्गृहीत नगरपालिका शुल्क का अंतरण

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग; नगर निगम, गुरुग्राम, रोहतक, यमुनानगर; हिरयाणा सरकार के वित विभाग और स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के निदेशालय में 2016-21 की अविध के लिए आयोजित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रयोजन नगरपालिका उद्ग्रहण के संबंध में नगर निकायों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, लेखांकन तंत्र, राजस्व विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, संबंधित नगर निकायों और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिरियाणा के कार्यालय के मध्य नगरपालिका उद्ग्रहण की मिलान प्रक्रिया, संबंधित नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (नगर निगमों के प्राथमिक लेखापरीक्षक) में तंत्र की समीक्षा करना था। यह देखा गया है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान नगर निकायों के कारण वर्ष के अंत में बकाया नगरपालिका उद्ग्रहण ₹ 663.35 करोड़ (मार्च 2018 के अंत में) से ₹ 2,178.98 करोड़ (मार्च 2021 के अंत तक) के मध्य था। नगर निकायों को निधियों के हस्तांतरण में विलंब था तथा राज्य सरकार की विभिन्न कार्यक्षमताओं द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रियाओं में कमियां/आंतरिक नियंत्रण का अभाव देखा गया था।

(अनुच्छेद ३.१, पृष्ठ २३)

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का कार्यान्वयन

अनुचित पहचान, गैर-सत्यापन तथा पीएम-िकसान योजना की निगरानी में चूक के कारण राज्य सरकार के पेंशनरों को ₹ 131.40 लाख के लाभ वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, आयकरदाताओं और अयोग्य लाभार्थियों को वितरित की गई राशि की वसूली नहीं हुई, परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ दिए गए, जिन लाभार्थियों के पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें लाभ दिया गया, मृतक लाभार्थियों को लाभ दिया गया, ₹ 420.38 लाख की राशि के प्रशासनिक व्यय की प्राप्ति नहीं हुई, भौतिक सत्यापन हेतु लंबित लाभार्थियों को लाभ जारी किए गए, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना नहीं हुई तथा भौतिक सत्यापन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

(अनुच्छेद ४.1, पृष्ठ ३३)

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 5 में सरकारी विभागों, स्वायत निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

₹ 2.76 करोड़ का गबन

हरियाणा सरकार के ई-वेतन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन में सिस्टम की किमयों तथा खजाना कार्यालय की ओर से लापरवाही के कारण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी के अधिकारियों ने प्राप्तकर्ता कर्मचारियों के यूनीक कोड में हेरफेर किया और ₹ 2.76 करोड़ का गबन किया।

(अनुच्छेद 5.1, पृष्ठ 45)

स्टॉक और वस्तुसूची प्रबंधन

स्टॉक लेनदेन के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया से विचलन था। स्टॉक सस्पेंस के लेखांकन वर्गीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसके कारण कार्य प्रारंभ किए बिना या बंद किए गए कार्यों के लिए व्यय की बुकिंग हुई। ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली का प्रयोक्ता मैनुअल अद्यतन नहीं किया गया था। कोडल प्रावधानों के अनुसार स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। अप्रयुक्त माल लंबे समय से स्टोर में पड़ा था और खराब/स्क्रैप मदों की वास्तविक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका था। अप्रचलित या खराब मदों का निपटान नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद ५.२, पृष्ठ ४८)

ठेकेदार को न किए गए कार्य हेतु अनियमित एवं अधिक भुगतान

कार्यों की मदों को वास्तविक आधार पर दर्ज न करने और गलत ढंग से प्रमाणित करने के कारण, अनियमित अधिक भुगतान के कारण एजेंसी से ₹ 2.53 करोड़ की राशि वसूलनीय थी।

(अनुच्छेद ५.३, पृष्ठ ५६)

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

अध्रे छोड़े गए कार्यों पर निष्फल व्यय तथा एजेंसी से वसूलनीय राशि

दो वर्ष की अविध के बाद अनुबंध को निरस्त करने के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के उत्तरदायी अधिकारियों के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुबंध की समाप्ति के बाद नई निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई न करने के कारण कार्यों पर ₹ 179.25 लाख का व्यय निष्फल हो गया तथा ₹ 12.37 लाख के परिसमापक हानि की वसूली तथा ₹ 40.53 लाख के शेष कार्य की 20 प्रतिशत पेनल्टी अभी भी लंबित है।

(अनुच्छेद ५.४, पृष्ठ ५८)

अयोग्य एजेंसी को कार्य का आबंटन तथा बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि एवं पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु संविदा के मूल्य के कम निर्धारण के कारण ₹ 2.15 करोड़ की वसूली न होना

विभाग ने बोली की शर्तों का उल्लंघन किया, अयोग्य बोलीदाताओं को कार्य सौंपा और किसी भी समय एजेंसी द्वारा निकाले गए पत्थर के मूल्य को ₹ दो करोड़ तक सीमित करने के प्रमुख अभियंता के विशिष्ट आदेशों की अवहेलना की। बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि तथा पेनल्टी की गणना उचित नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ मूल्य के बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि तथा पेनल्टी के संबंध में अन्चित लाभ दिया गया।

(अनुच्छेद ५.५, पृष्ठ ६०)

संविदा समाप्त न होने से ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ

अविवेकपूर्ण समय विस्तार के कारण सोनीपत में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण में असामान्य विलंब तथा परिसमापक हानि की पेनल्टी और ब्याज की हानि के साथ शेष कार्य की पेनल्टी के रूप में संविदा को निरस्त न किए जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(अनुच्छेद ५.६, पृष्ठ ६३)

लोक निर्माण विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

निविदा आबंटन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताएं

निविदा आबंटन समिति ने गैर-पारदर्शी ढंग से कार्य किया और बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता से समझौता करने वाले योग्य बोलीदाताओं को शामिल नहीं किया, विभिन्न निविदाओं में विभिन्न मानकों का इस्तेमाल किया, मानक बोली दस्तावेज में निहित मौजूदा निर्देशों और प्रावधानों के साथ असंगत निर्णय लिया।

(अनुच्छेद ५.७, पृष्ठ ६७)

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

निर्धारित मानदण्डों/प्रक्रियाओं का पालन न करने के परिणामस्वरूप विकास कार्यों के कारण ठेकेदारों को अनियमित भुगतान

प्राक्कलनों के अनुमोदन के बिना निर्धारित ई-निविदा प्रक्रिया की उपेक्षा करके ठेकेदार को कार्यों का आबंटन, ठेकेदार के नाम में मामूली बदलाव से आबंटन की पुनरावृत्ति, लेकिन एक ही टिन नंबर और व्यवसाय का स्थान होने से नगर निगम फरीदाबाद को ₹ 23.80 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इन भुगतानों के विरुद्ध कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उसी ठेकेदार को ₹ 183.83 करोड़ की राशि उचित दस्तावेज के बिना वितरित की गई थी जो कमजोर आंतरिक और वितीय नियंत्रण को दर्शाता है।

(अन्च्छेद ५.८, पृष्ठ ७४)

स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग

साईट को अंतिम रूप देने में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण ₹ 3.39 करोड़ की अधिक लागत तथा ₹ 48.89 लाख का निष्फल व्यय

राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल की स्थापना में तीन वर्ष का विलंब होने के कारण राज्य की सामान्य जनता एवं विद्यार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करने के अलावा राजकोष पर ₹ 3.88 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

(अनुच्छेद ५.९, पृष्ठ ७८)

उच्च शिक्षा विभाग

प्स्तकालय की प्स्तकों के क्रय में अनियमितताओं के कारण ₹ 92.58 लाख का परिहार्य व्यय

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 149 राजकीय कॉलेजों के लिए कम छूट दर पर ₹ चार करोड़ की पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय में अनियमितता के परिणामस्वरूप ₹ 79.96 लाख का परिहार्य व्यय एवं क्रय गतिविधि में लापरवाही के कारण ₹ 12.62 लाख की अतिरिक्त हानि हुई।

(अनुच्छेद ५.१०, पृष्ठ ८०)

खेल एवं य्वा कार्यक्रम विभाग

अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान - ₹ 41.30 करोड़

खिलाड़ियों को नकद पुरस्कारों के वितरण के संबंध में हरियाणा खेल एवं शारीरिक फिटनेस नीति के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप नीति का उल्लंघन हुआ तथा विभाग द्वारा अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद ५.११, पृष्ठ ८३)

तकनीकी शिक्षा विभाग

कैरियर उन्नति योजना के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अस्वीकार्य भुगतान - ₹ 14.75 करोड़

विपथित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली को अपनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के उल्लंघन में कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नित के परिणामस्वरूप ₹ 14.75 करोड़ के वेतन एवं भत्तों का अस्वीकार्य भ्गतान हुआ।

(अनुच्छेद 5.12, पृष्ठ 86)

वित्त विभाग

पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के भुगतान में अनियमितताएं

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के कारण राज्य की संचित निधि में से ₹ 9.56 करोड़ का अधिक/अनियमित भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ खजाना एवं लेखा विभाग की ओर से कमियों को दर्शाता है।

(अनुच्छेद ५.13, पृष्ठ ९१)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे तथा दावों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण हानि

भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे के कारण ₹ 1.20 करोड़ की हानि तथा केंद्रीय सहायता के विलंबित दावों के कारण ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि।

(अनुच्छेद ५.१४, पृष्ठ ९४)

वन विभाग

परिहार्य अतिरिक्त व्यय के साथ राजस्व की हानि

जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निपटान में वन विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ₹ 22.12 करोड़ के राजस्व की हानि हुई और जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी पर ₹ 96.14 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद ५.१५, पृष्ठ ९६)

गृह विभाग

अयोग्य होमगाई स्वयंसेवकों पर अनियमित व्यय

नियमों के उल्लंघन में होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 50 से 58 वर्ष तक बढ़ाने के कमांडेंट जनरल के अनुचित निर्णय के परिणामस्वरूप अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों को ₹ 10.30 करोड़ का अनियमित भ्गतान किया गया।

(अनुच्छेद ५.१६, पृष्ठ ९९)

हरियाणा पुलिस आवास निगम

परिहार्य व्यय

कार्य के आबंटन के 21 दिनों की निर्धारित अविध के भीतर निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल रहने वाले एल1 के स्वीकृति-पत्र को रद्द करने में देरी के कारण 120 दिनों की निविदा वैधता अविध समाप्त हो गई। परिणामतः, एल2 को उसकी बोली से बाध्य नहीं किया जा सका जो कि एल1 से थोड़ा अधिक थी और इसके परिणामस्वरूप नई निविदाएं आमंत्रित करने और उच्च दर पर कार्य के आबंटन के कारण ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद ५.१७, पृष्ठ १०१)

लेखापरीक्षित विभाग कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, वित्त विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह विभाग, हरियाणा पुलिस आवास निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), लोक निर्माण विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग), खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अध्याय-1
प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार के अधीन 53 विभाग, 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा 37 स्वायत निकाय क्रियाशील हैं, जैसा कि *परिशिष्ट 1.1* में वर्णित है। इस प्रतिवेदन में राज्य के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को शामिल किया गया है। अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों की अपेक्षा है कि रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण स्तर लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वितीय प्रबंधन में सुधार होगा, इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान होगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही की व्याख्या करता है। अध्याय 2, 3 और 4 में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं तथा अध्याय 5 में सरकारी विभागों, स्वायत निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

1.2 बजट प्रोफाइल

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा उनके विरूद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे *तालिका 1.1* में दी गई है।

तालिका 1.1: 2016-21 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2016	-17	2017	'-18	2018	-19	2019	9-20	202	0-21
	बजट	वास्तविक								
	अनुमान		अनुमान		अनुमान		अनुमान		अनुमान	
सामान्य सेवाएं	21,663	21,631	24,379	26,699	29,788	28,169	35,358	31,884	37,228	34,734
सामाजिक सेवाएं	29,403	25,473	31,404	28,061	34,176	29,743	36,114	33,726	43,090	36,164
आर्थिक सेवाएं	23,482	20,875	23,752	18,107	20,916	19,022	22,770	19,238	25,020	19,048
सहायता अनुदान एवं अंशदान	248	424	401	390	306	222	0	0	0	0
कुल (1)	74,796	68,403	79,936	73,257	85,186	77,156	94,242	84,848	1,05,338	89,946
पूंजीगत परिव्यय	8,817	6,863	11,122	13,538	15,780	15,306	16,260	17,666	13,201	5,870
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4,729	4,515	1,326	1,395	1,766	756	1,407	1,309	1,213	926
लोक ऋण का भ्गतान	9,677	5,276	9,945	6,339	12,466	17,184	20,257	15,776	22,592	29,498
आकस्मिक निधि	-	80	1	27	-	13		-	-	-
लोक लेखा संवितरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
अंतिम नकद शेष	96,756	29,276	2,04,107	31,171	2,32,569	37,386	1,41,707	42,171	51,356	50,245
कुल (2)	-	5,658	-	4,417	-	2,985	-	3,999	-	3,148
कुल योग (1+2)	1,19,979	51,668	2,26,500	56,887	2,62,581	73,630	1,79,631	80,921	88,362	90,487
पूंजीगत परिव्यय	1,94,775	1,20,071	3,06,436	1,30,144	3,47,767	1,50,786	2,73,873	1,65,769	1,93,700	1,80,433

स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2020-21 के दौरान ₹ 1,93,700 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,80,433 करोड़ था। 2016-17 से 2020-21 की अविध के दौरान राज्य का कुल व्यय विश्व प्रतिशत बढ़कर ₹ 79,781 करोड़ से ₹ 96,742 करोड़ हो गया, जबिक इसी अविध के दौरान राजस्व व्यय 31 प्रतिशत बढ़कर ₹ 68,403 करोड़ से ₹ 89,946 करोड़ हो गया। 2016-17 से 2020-21 की अविध के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का भाग 82 से 93 प्रतिशत के मध्य था जबिक पूंजीगत व्यय छ: से 17 प्रतिशत के मध्य था।

2016-17 से 2020-21 की अविध के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 15.48 प्रतिशत से घटकर 6.01 प्रतिशत हो गई, जबिक राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2016-17 में 10.39 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई और 2020-21 में (-) 0.44 प्रतिशत पर ऋणात्मक हो गई।

1.4 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत निकायों और योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिमों के आकलन से शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों का महत्व/जिटलता, प्राप्त वित्तीय शिक्तयों का स्तर, आंतिरक नियंत्रण, संबंधित हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष/प्रबंधन को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। उत्तर के आधार पर या तो लेखापरीक्षा परिणामों का समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में 2020-21 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शिक्तयां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत 53 विभागों की 235 विभागीय लेखापरीक्षित इकाइयों, धारा 19(1), धारा 19(2) के अंतर्गत 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 18 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत 12 स्वायत निकायों की 24 लेखापरीक्षित इकाइयों की अन्पालन लेखापरीक्षा की गई थी।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अश्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले क्छ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक

राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गितविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण किमयों, जिनका विभागों/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें देना था। विभागों/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छः सप्ताह की समय अविध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 20² अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। 17 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के लिए प्रशासनिक विभागों से उत्तर प्राप्त हुए हैं जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता

सरकारी विभागों/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के आविधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यालयों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं तथा उनके अगले उच्च प्राधिकारियों/प्रबंधनों को प्रतियां भेजी जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को शीघ्रता से दूर करने और चार सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टं संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं।

30 सितंबर 2021 तक राज्य में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के विरुद्ध 9,205 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 25,652 अनुच्छेद लंबित थे, जैसा कि नीचे *तालिका 1.2* में वर्णित है:

तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
2015-16 से पहले	6,211	14,058	67,484.55
2016-17	649	2,109	45,781.86
2017-18	732	2,345	2,92,281.90
2018-19	728	2,683	5,83,276.69
2019-20	584	2,609	1,22,073.63
2020-21	301	1,848	20,163.54
कुल	9,205	25,652	11,31,062.17

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना।

सितंबर 2021 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण *परिशिष्ट 1.2* में दिए गए हैं।

² तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति (कोपू) में चर्चा

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अन्पालन

हरियाणा सरकार, वित विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि ये मामले लोक लेखा समिति (लो.ले.स.)/लोक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा जांच हेतु लिए गए हैं या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अंदर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थीं।

वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर वर्ष 2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति में चर्चा की गई है। वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें 15 अनुच्छेद शामिल थे और वर्ष 2019-20 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें 19 अनुच्छेद शामिल थे, को क्रमशः 5 मार्च 2021 और 22 दिसंबर 2021 को राज्य विधान सभा के समक्ष किया गया था (परिशिष्ट 1.3) और लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति (कोप्) में अभी चर्चा की जानी शेष थी (मार्च 2022)। विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अनुच्छेदों की स्थिति तालिका 1.3 में दी गई है।

तालिका 1.3: 31 मार्च 2022 तक विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लोक लेखा समिति/कोपू में चर्चा किए जाने वाले अनुच्छेदों/कृत कार्रवाई टिप्पणियों का विवरण

क्र.	क्लस्टर	सार्वज	निक क्षेत्र के		ान लेखापरीक्षा
सं.		उपक्रम 2018-2019		प्रतिवेदन 2019-20	
		लेखापरीक्षा	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/	लेखापरीक्षा	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/
		प्रतिवेदन		प्रतिवेदन में	
			जिनकी कृत कार्रवाई	कुल निष्पादन	जिनकी कृत कार्रवाई
		लेखापरीक्षाएं/	टिप्पणियां प्राप्त	लेखापरीक्षाएं/	टिप्पणियां प्राप्त
		अनुच्छेद	नहीं हुईं थीं	अनुच्छेद	नहीं हुईं थीं
1	ऊर्जा और विद्युत	08	01	03	03
2	उद्योग और वाणिज्य	03	03	02	02
3	शहरी विकास	शून्य	शून्य	03	03
4	स्वास्थ्य एवं कल्याण	श्न्य	शून्य	01	01
5	शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार	शून्य	शून्य	02	02
6	वित्त	श्न्य	शून्य	श्न्य	शून्य
7	ग्रामीण विकास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	02	शून्य	06	06
9	जल संसाधन	श्न्य	शून्य	श्न्य	शून्य
10	परिवहन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	लोक निर्माण कार्य	02	01	02	02
13	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	कानून व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	संस्कृति और पर्यटन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	सामान्य प्रशासन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई वसूली के लिए की गई कार्रवाई

24 प्रशासनिक विभागों में ₹ 28,570.81 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के वर्ष 2000-01 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 45 अनुच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षा सिहत) के थे, जहां कार्रवाई नहीं की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में वर्णित है।


1.7.3 लोक उपक्रम समिति (कोपू) तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टी का अन्पालन

लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति (कोपू) की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी। वर्ष 1979-80 से 2021-22 तक की अवधि हेतु लोक लेखा समिति की 16वीं से 82वीं रिपोर्ट में निहित 673 सिफारिशों और वर्ष 1983-84 से 2021-22 के लिए कोपू की 16वीं से 68वीं रिपोर्ट में निहित 232 सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक प्रतीक्षित थी, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में विवरण दिए गए हैं। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में लोक लेखा समिति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (कोपू) की लंबित सिफारिशों का विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: 31 मार्च 2022 तक विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में लोक लेखा समिति /कोप की लंबित सिफारिशों का विवरण

蛃.	कोपू की	कोपू की रिपोर्ट	लोक लेखा	लोक लेखा समिति
सं.	सिफारिशों	,	समिति	की रिपोर्ट
	की		की सिफारिशों	
	संख्या		की संख्या	
1	ऊर्जा और	विद्युत		
	47	35 ^đ , 52 ^đ , 53 ^đ , 57 ^đ ,	2	35 ^{af} , 74 ^{af}
		58 ^đ , 60 ^đ , 61 ^đ , 62 ^đ ,		
		63^{df} , 64^{df} , 65^{df} , 66^{df} ,		
		67 ^{fl} , 68 ^{fl}		
2	उद्योग औ	र वाणिज्य		
	51	41^{fl} , 45^{fl} , 48^{fl} , 49^{fl} ,	15	9^{fl} , 16^{fl} , 22^{fl} , 32^{fl} , 36^{fl} , 50^{fl} , 68^{fl} , 70^{fl} ,
		50^{a} , 52^{a} , 56^{a} , 57^{a} ,		73 ^{af} , 79 ^{af} , 81 ^{af}
		$58^{\hat{a}\hat{i}},\ 60^{\hat{a}\hat{i}},\ 62^{\hat{a}\hat{i}},\ 65^{\hat{a}\hat{i}},$		
		67 ^đ , 68 ^đ		
3	शहरी विक	ास		
	15	47 ^đ , 67 ^đ	119	25^{fl} , 32^{fl} , 36^{fl} , 40^{fl} , 44^{fl} , 48^{fl} , 50^{fl} , 52^{fl} ,
				54 ^{af} , 58 ^{af} , 60 ^{af} , 61 ^{af} , 62 ^{af} , 63 ^{af} , 65 ^{af} , 67 ^{af} ,
				68 ^{fl} , 72 ^{fl} , 73 ^{fl} , 74 ^{fl} , 75 ^{fl} , 79 ^{fl} , 80 ^{fl} , 81 ^{fl} ,
				82 ^{ff}
4	स्वास्थ्य ए	वं कल्याण		
	9	60 ^{đi} , 63 ^{đi} , 64 ^{đi}	99	38 ^{at} , 44 ^{at} , 50 ^{at} , 52 ^{at} , 56 ^{at} , 58 ^{at} , 60 ^{at} , 62 ^{at} ,
				65 ^{at} , 68 ^{at} , 70 ^{at} , 71 ^{at} , 72 ^{at} , 73 ^{at} , 74 ^{at} , 75 ^{at} ,
				77 ^đ , 79 ^đ , 80 ^đ , 81 ^đ , 82 ^đ
5	शिक्षा, कौश	शल विकास और रोजगार		
	-	-	77	34 ^{đi} 48 ^{đi} , 52 ^{đi} , 54 ^{đi} , 56 ^{đi} , 58 ^{đi} , 62 ^{đi} , 66 ^{đi} ,
				70 ^{đi} , 71 ^{đi} , 72 ^{đi} , 73 ^{đi} , 74 ^{đi} , 75 ^{đi} , 77 ^{đi} , 79 ^{đi} ,
				80 ^đ , 81 ^đ , 82 ^đ , 80 ^đ , 77 ^đ , 81 ^đ , 82 ^đ

		->-0-0-1		
新 .	कोपू की	कोपू की रिपोर्ट	लोक लेखा	लोक लेखा समिति
सं.	सिफारिशों		समिति	की रिपोर्ट
	की		की सिफारिशों	
	संख्या		की संख्या	
6	वित्त			
	-	-	14	36 ^{at} , 40 ^{at} , 50 ^{at} , 56 ^{at} , 58 ^{at} , 62 ^{at} , 63 ^{at} , 65 ^{at} ,
				67 ^{đi} , 74 ^{đi} , 80 ^{đi} , 81 ^{đi}
7	ग्रामीण वि	कास		
	-	-	22	44 ^{af} , 50 ^{af} , 61 ^{af} , 65 ^{af} , 67 ^{af} , 68 ^{af} , 70 ^{af} , 73 ^{af} ,
				81 ^{af} , 82 ^{af}
8	कषि, खाद	य और संबद्ध उद्योग		1
	84	16 ^{ff} , 23 ^{ff} , 98 ^{ff} , 48 ^{ff} ,	86	23 ^{fi} , 34 ^{fi} , 36 ^{fi} , 40 ^{fi} , 42 ^{fi} , 52 ^{fi} , 54 ^{fi} , 56 ^{fi} ,
		49 ^{fl} , 50 ^{fl} , 52 ^{fl} , 53 ^{fl} ,		58^{fl} , 60^{fl} , 62^{fl} , 63^{fl} , 65^{fl} , 67^{fl} , 68^{fl} , 71^{fl} ,
		55 ^{ati} , 56 ^{ati} , 57 ^{ati} , 58 ^{ati} ,		72 ⁴ , 75 ⁴ , 77 ⁴ , 79 ⁴ , 80 ⁴ , 81 ⁴ , 82 ⁴
				72 , 73 , 77 , 79 , 80 , 81 , 82
		59 ^{af} , 60 ^{af} , 62 ^{af} , 63 ^{af} ,		
		64 ^{af} , 65 ^{af} , 66 ^{af} , 67 ^{af} ,		
		68 ^{ਥੀ}		
9	जल संसाध			
	3	42 ^đ , 51 ^đ	34	22 ^{at} , 46 ^{at} , 50 ^{at} , 58 ^{at} , 60 ^{at} , 67 ^{at} , 68 ^{at} , 71 ^{at} ,
				72 ^{ati} , 73 ^{ati} , 75 ^{ati} , 80 ^{ati} , 81 ^{ati} , 82 ^{ati}
10	परिवहन			
	-	-	9	50 ^{af} , 74 ^{af} , 75 ^{af} , 80 ^{af} , 81 ^{af} , 82 ^{af}
11	पर्यावरण,	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
	2	58 ^{đi} , 66 ^{đi}	37	56 ^{đi} , 58 ^{đi} , 60 ^{đi} , 63 ^{đi} , 67 ^{đi} , 68 ^{đi} , 72 ^{đi} , 74 ^{đi} ,
				77 ^đ , 79 ^đ , 80 ^đ , 81 ^đ , 82 ^đ
12	लोक निर्मा	ण		
	15	55 ^đ , 57 ^đ , 60 ^đ , 61 ^đ ,	54	38 ^{fl} , 40 ^{fl} , 50 ^{fl} , 52 ^{fl} , 54 ^{fl} , 58 ^{fl} , 60 ^{fl} , 61 ^{fl} ,
		62 ^{af} , 64 ^{af} , 68 ^{af}		62 ^{fl} , 63 ^{fl} , 64 ^{fl} , 68 ^{fl} , 64 ^{fl} , 71 ^{fl} , 72 ^{fl} , 73 ^{fl} ,
		, ,		75 ^{fl} , 77 ^{fl} , 79 ^{fl} , 80 ^{fl} , 82 ^{fl}
13	मचना पौट	। योगिकी और संचार		, . , , , , , , , , , , , , , , , ,
.0	ी	67 ^{fl}	_	_
1.1	कानून व्यव			
14	- "	₄ स्या 60 ^{वीं} , 68 ^{वीं}	20	50 ⁴ , 56 ⁴ , 63 ⁴ , 67 ⁴ , 68 ⁴ , 70 ⁴ , 73 ⁴ , 74 ⁴ ,
	2	00 , 00	20	
		<u> </u>		75 ^{ff} , 77 ^{ff} , 79 ^{ff} , 80 ^{ff} , 82 ^{ff}
15	٠ ، د			
	3	59 ^{वीं} , 62 ^{वीं}	3	60 ^đ , 77 ^đ , 80 ^đ
16	सामान्य प्र	शासन		
	-	-	82	26 ^{af} , 34 ^{af} , 44 ^{af} , 52 ^{af} , 54 ^{af} , 56 ^{af} , 58 ^{af} , 60 ^{af} ,
				61 ^{at} , 63 ^{at} , 64 ^{at} , 65 ^{at} , 68 ^{at} , 70 ^{at} , 72 ^{at} , 73 ^{at} ,
				74 ^{fl} , 75 ^{fl} , 80 ^{fl} , 82 ^{fl}
	232		673	



अध्याय 2

वित्त विभाग

2. जिला योजना स्कीम की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण ने काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। जिला योजना (डीपी) गठित करने का मूल विचार पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों को क्षेत्र योजना तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को शामिल करना था। इस प्रक्रिया से संसाधनों का कुशल उपयोग, विकास से लाओं का समान बंटवारा और स्थानीय निकायों को अधिकार देने शामिल था। हरियाणा में वर्ष 2008-09 में, राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए जिला योजना स्कीम श्रू की गई थी। "जिला योजना" राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (डीईएसए), हरियाणा में चल रही विकास योजना है। इसके दो घटक सामान्य घटक और अन्सूचित जाति उप योजना (अन्सूचित जाति सह योजना) घटक हैं। हरियाणा सरकार के निर्देशों के अन्सार, कुल धनराशि का 40 प्रतिशत अन्सूचित जाति के विकास कार्यों पर और शेष 60 प्रतिशत सामान्य घटक के लिए व्यय किया जाना है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान सभी जिलों में जिला विकास एवं निगरानी समितियों (जिला आपदा प्रबंधन समिति) का गठन किया, ताकि जनहित में जिला योजना निधि का उचित और समय पर उपयोग स्निश्चित किया जा सके। प्रत्येक जिले में समिति की अध्यक्षता जिला जनसंपर्क एवं शिकायत समिति के मंत्री करते हैं। उपाय्क्त (डीसी) समिति के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की अन्पस्थिति में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। "जिला योजना" के अंतर्गत जिलों को आबंटित/जारी किए गए धन के आहरण/जारी करने के लिए मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी (सीपीडीओ) बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) के साथ-साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति को विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार है। जिला आपदा प्रबंधन समिति को राज्य सरकार अर्थात् जिला योजना स्कीम दिशानिर्देश (2016) द्वारा जारी विषय वस्तु पर दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्य करना अपेक्षित है।

2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र, नमूनाकरण तथा पद्धति

2018-19 से 2020-21 की अविध को शामिल करते हुए विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के मध्य आयोजित की गई थी। राज्य के 22 जिलों में से सात जिलों का चयन इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आइडिया) के माध्यम से याद्दछिक (रैंडम) नमूनाकरण द्वारा किया गया था। लेखापरीक्षा कार्य में बजट दस्तावेजों का विश्लेषण, जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के एजेंडे और कार्यवृत से संबंधित अभिलेख, भौतिक और वितीय प्रगित रिपोर्ट, विभाग द्वारा निगरानी, धन प्राप्तियां

अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, ग्रुग्राम, करनाल।

तथा व्यय आदि शामिल थे।


2.3 विकास योजना 'जिला योजना' के अंतर्गत बजट एवं व्यय

योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 हेतु जारी अनुदान, किया गये व्यय तथा व्यपगत अन्दानों का विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1: जारी किए गए अनुदानों, किये गये व्यय और व्यपगत अनुदान का विवरण

वर्ष	जारी अनुदान	व्यय	व्यपगत अनुदान	जारी अनुदान की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			के रूप में व्यपगत अनुदान
2018-19	700.00	399.86	300.14	42.88
2019-20	400.00	236.89	163.11	40.78
2020-21	200.00	108.52	91.48	45.74
कुल	1,300.00	745.27	554.73	42.67

स्रोत: विभाग से एकत्र की गई जानकारी



2018-19 से 2020-21 तक के प्रगतिशील वर्षों में आबंटित राशि में उल्लेखनीय गिरावट अर्थात् 2018-19 में ₹ 700 करोड़ से 2020-21 में ₹ 200 करोड़ आई है। यह गिरावट विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर आबंटित धनराशि का उपयोग करने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है। व्यपगत निधि, जारी किए गए धन के प्रतिशत के रूप में, 2018-19 में 42.88 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 45.74 प्रतिशत हो गई, जिसमें 2019-20 में 40.78 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई।

जिला योजना स्कीम का उद्देश्य संसाधनों के अभिसरण और अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के प्रवर्तन के साथ संतुलित विकास के संदर्भ में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए जिला योजना को मजबूत करना था। इस उद्देश्य के लिए, जिला आपदा प्रबंधन समिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ आधिकारिक सदस्य भी शामिल थे, जिनसे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, बुनियादी ढांचे की स्थिति एवं अंतराल तथा स्थानीय लोगों के लक्ष्यों और विज़न को ध्यान में रखते हुए समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार करने की उम्मीद की गई थी। तथापि, निधियों की नियमित अनुपलब्धता ने विभाग की वांछित उद्देश्यों

को प्राप्त करने की क्षमता से गंभीर रूप से समझौता किया है।

उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग ने बताया (मई 2022) कि वर्ष 2018-19 के लिए जिला योजना स्कीम के अंतर्गत प्रारंभिक बजट आबंटन ₹ 400 करोड़ था। शिवधाम योजना के अंतर्गत विकास कार्यों के निष्पादन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु ₹ 300 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन किया गया। इन ₹ 700 करोड़ में से सभी जिले ₹ 399.86 करोड़ का ही उपयोग कर सके। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में प्रतिबंधित विकास गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन को घटाकर ₹ 200 करोड़ कर दिया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया है कि निधियों के लगातार चूक का आकलन अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग की क्षमता से गंभीर रूप से समझौता करने के लिए किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

योजना

2.4 स्वीकृत जिला योजना प्रस्तुत करने में विलंब

"जिला योजना" दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.4 (अनुलग्नक-"।") में प्रावधान है कि वर्ष के लिए अनुमोदित "जिला योजना" मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों द्वारा निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा (योजना विभाग) को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक प्रस्तुत की जानी थी तथा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा को इन विकास कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बजट जारी करता है।

चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित "जिला योजना" किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय पर अर्थात् प्रत्येक वर्ष के 15 मार्च तक अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग को नहीं भेजी गई थी। यह पाया गया कि सभी सात चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों में वर्ष 2018-19 के दौरान तीन किस्तों में जिला योजना तैयार करने में मनमानी प्रणाली का पालन किया गया था। 2019-20 और 2020-21 के दौरान, सात चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों में से छः ने प्रत्येक वर्ष जिला योजना तैयार की जबिक मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, चरखी दादरी ने कोई जिला योजना तैयार नहीं की जिसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों द्वारा अनुमोदित "जिला योजना" को चयनित जिलों द्वारा भेजने में 74 से 509 दिनों तक विलंब हुआ था (परिशिष्ट 2.1)। एक विशेष मामले में, फरीदाबाद जिले ने 17 माह (509 दिन) की देरी के बाद अगस्त 2021 में वर्ष 2020-21 के लिए जिला योजना भेजी, जिससे 'जिला योजना' प्रस्तुत करने का उद्देश्य निरर्थक हो गया।

आगे, बजट/अनुदान जारी करने से संबंधित अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जिला योजना स्कीम के अंतर्गत अनुदान लेखापरीक्षा कवरेज अविध के लिए 24 से 270 दिनों के विलंब के साथ जारी किए गए थे जैसा कि नीचे

तालिका 2.2 में वर्णित है:

तालिका 2.2: जारी की गई निधि में देरी के विवरण

वर्ष	निर्धारित समय	निधि जारी करने की तिथि	दिनों में देरी
2018-19	30 अप्रैल 2018	(i) 02 जुलाई 2018	63
		(ii) 12 सितंबर 2018	135
		(iii) 25 जनवरी 2019	270
2019-20	30 अप्रैल 2019	(i) 24 मई 2019	24
		(ii) 12 जून 2019	43
2020-21	30 अप्रैल 2020	(i) 18 दिसंबर 2020	232

स्रोत: विभाग से एकत्र की गई जानकारी

यह भी देखा गया था कि अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग ने भी मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों से जिला योजनाओं को अनुमोदित करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित जिला योजना का प्रस्तुतीकरण सिर्फ गैप फिलिंग कार्य के लिए था। आगे, निधियों के विलंब से जारी करने से इस संभावना को सुगम बनाया गया कि निधियों का उपयोग परिकल्पित समय-सीमा के अंदर नहीं किया जा सकता है। इसे लेखापरीक्षा ने पाया था और इसे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.6 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तथापि, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के सभी तीन वर्षों के लिए, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों से अनुमोदित जिला योजनाओं को प्राप्त करने से पहले अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा निधि जारी की गई थी, जिसके लिए कोई लिखित कारण मौजूद नहीं था, जिससे अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रस्तुत करने और बजट जारी करने के मध्य पूर्ण पृथकता को दर्शाता है।

उत्तर में, निदेशक ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को अपनी जिला योजना तैयार करने के लिए गतिविधि चार्ट का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस प्रकार, लेखापरीक्षा अभियुक्तियां बनी हुई हैं कि जिला योजना दिशानिर्देशों की गतिविधि योजनाओं का पालन नहीं किया गया था।

2.5 "जिला योजना" स्कीम के अंतर्गत ₹ 148.81 करोड़ का अनुदान व्यपगत होना

जिला योजनाएं एक दीर्घकालिक दृष्टि पर आधारित होनी चाहिए, जो लोगों की आवश्यकताओं को दर्शाती हो तथा कार्यक्रमों और संसाधनों के अभिसरण के लिए प्रदान करती हो तािक योजना के कार्यान्वयन से इ्ष्टतम परिणाम मिले तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में मदद मिले। जिला विकास एवं निगरानी समितियों (जिला आपदा प्रबंधन समिति) का गठन जिलों में जनहित में जिला योजना निधि के उचित और समय पर उपयोग और निधियों के गैर-उपयोग से बचने के उद्देश्य से किया गया था। आगे, जिला योजना के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय बजट नियंत्रण अधिकारी होने के साथ-साथ "जिला योजना" के अंतर्गत जिले को आबंटित/जारी किए गए निधि के आहरण/जारी करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास 31 मार्च को पड़ी अप्रयुक्त राशि न ही पुनवैधीकरण के लिए उपलब्ध है और न ही अनुगामी वितीय वर्षों में पुन: आबंटन के लिए उपलब्ध है, जो व्यपगत हो गई।

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग में अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न मुख्य योजना एवं विकास अधिकारियों को उनकी वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना और उस अंतर्निहित उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त और विवेकाधीन आधार पर निधियां आबंटित की गई थी जिसके लिए निधियों का उपयोग करना अपेक्षित था।

परिणामस्वरूप, नमूना-जांच किए गए जिलों में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्राप्त ₹ 376.45 करोड़ के अनुदान में से केवल ₹ 227.64 करोड़ का उपयोग किया गया और ₹ 148.81 करोड़ (39.53 प्रतिशत) व्यपगत (पिरिशष्ट 2.2) हो गए। इस व्यपगत राशि का मूल्यांकन अनुमोदित जिला योजनाओं में परिकल्पित अपेक्षित परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए किया गया है। निधियों के व्यपगत होने के कारण मुख्य रूप से कार्यों की व्यवहार्यता अध्ययन करने से पहले या बिना निधियों की स्वीकृति के की गई, निधियों को विलंब से जारी करना, अन्य योजना के अंतर्गत पहले से किए गए कार्य, विवादित साईट आदि थे।

यह इंगित किए जाने पर, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, अंबाला और गुरुग्राम ने बताया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, फतेहाबाद ने बताया कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान कुछ स्वीकृत कार्य संभव नहीं हो पाए/शुरू नहीं किए गए। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी ने बताया कि कोविड-19 के कारण निधि जारी करने में देरी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा खनन कार्य को रोकना निधि के व्यपगत होने के मुख्य कारण थे, जबिक मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फरीदाबाद ने सूचित किया कि मामले की जांच के बाद उत्तर प्रस्तुत जाएगा। एडीसी-सह-मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, करनाल और चरखी दादरी का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग ने सूचित किया (मई 2022) कि विकास कार्यों के प्रस्ताव/मांगें विभिन्न स्रोतों जैसे ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों आदि से प्राप्त हुई थीं, जिन्हें जिला आपदा प्रबंधन समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले इन प्रस्तावों/मांगों को संकलित करने में समय लगा। तथापि, सभी मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को जिला योजना निधि का उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा अभियुक्तियां बनी हुई हैं कि जिला योजना दिशानिर्देशों की गतिविधि प्लानों का पालन नहीं किया गया था।

कार्य से संबंधित मामले

2.6 जिला योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों पर किया गया ₹ 5.52 करोड़ का व्यय

जिला योजना दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 4.5 में प्रावधान था कि दिशानिर्देशों के अनुबंध-॥ में उल्लिखित कार्य "जिला योजना" के अंतर्गत अनुमत थे और अनुबंध-॥ में वर्णित कार्य अनुमेय नहीं थे। दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.1 में प्रावधान था कि जिला आपदा प्रबंधन समिति को राज्य सरकार द्वारा जारी विषय पर दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्य करना था। यदि किसी कार्य की अनुमति पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उसे कार्य प्रारंभ होने से पहले अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा (योजना विभाग) से स्पष्ट किया जाना था।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अविध के लिए मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 128 विकास योजनाओं के विभिन्न कार्यों (पिरिशिष्ट 2.3) पर ₹ 5.52 करोड़ (स्वीकृति राशि ₹ 5.65 करोड़) का व्यय किया गया था, इन्हें इस योजना के अंतर्गत अपात्र पाया गया क्योंकि ये कार्य जिला योजना स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं थे। ये कार्य मुख्य रूप से विभिन्न विद्यालयों में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम, ओपन फिक्स जिम², धार्मिक उद्देश्य हेतु गतिविधियों, खेड़ा कंपाउंड ³ में किए गए निर्माण कार्य, वृद्ध आश्रम⁴ के निर्माण कार्य, सड़कों पर गोल-चक्करों के कार्य आदि से संबंधित हैं। जिलेवार सारांश तथा गैर-अनुमेय कार्यों की संख्या, स्वीकृत धनराशि एवं व्यय की गई वास्तविक राशि तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: चयनित जिलों में 2018-19 से 2020-21 के दौरान किए गए गैर-अनुमेय कार्य

豖.	मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय	
सं.			(राशि ₹ में)		
1	अंबाला	2	16,00,000	15,63,711	
2	भिवानी	49	2,15,70,000	2,16,84,410	
3	फतेहाबाद	65	2,71,75,000	2,66,28,130	
4	फरीदाबाद	05	23,65,000	18,98,000	
5	गुरुगाम	03	24,90,000	22,70,994	
6	करनाल	04	12,84,000	11,75,297	
	कुल	128	5,64,84,000	5,52,20,542	

यह इंगित किए जाने पर, एडीसी-सह-मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला तथा गुरुग्राम के कार्यालय ने बताया (दिसंबर 2021 से जनवरी 2022) कि मामले की जांच की जाएगी और तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा जबिक मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, फतेहाबाद ने बताया (जनवरी 2022) कि निदेशालय से स्पष्टीकरण लिया जाएगा और तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। एडीसी-सह-मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी ने बताया (फरवरी 2022) कि सरकारी स्कूलों के लिए बहु खेल प्रणाली की गतिविधियां सरकारी स्कूलों में प्रवेश/नामांकन बढ़ाने में सहायक हैं तथा छात्रों/लोगों के स्वास्थ्य और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए भी फायदेमंद हैं। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फरीदाबाद ने सूचित किया कि मामले की जांच के बाद उत्तर भेजा जाएगा जबिक एडीसी-सह-मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय करनाल का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को भविष्य में इस संबंध में योजना दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए निर्देशित किया जाएगा।

_

अोपन फिक्स्ड जिम: जिम के उपकरण खुले क्षेत्र जैसे पार्क में लगाए जाते हैं।

खेड़ा कंपाउंड: खेड़ा कंपाउंड भगवान के प्रतीक के रूप में जुड़ा एक खुला क्षेत्र है जो हिरयाणा राज्य के अधिकांश गांवों में बनाया गया है।

वृद्ध आश्रम: वृद्ध आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां बूढ़े लोग एक साथ रहते हैं, इसे अक्सर ट्रस्ट या कुछ लोगों दवारा प्रबंधित किया जाता है।

2.7 अध्रे/अप्रयुक्त कार्य

(i) अधूरे कार्य

जिला योजना दिशानिर्देशों के पैरा 4.7 में प्रावधान है कि जिला विकास एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों को उसी वितीय वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए अन्यथा 31 मार्च को अव्ययित निधियां समाप्त हो जाएगी। आगे, जिला योजना दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 4.9 में प्रावधान है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद, सृजित संपत्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका को निष्पादन एजेंसी द्वारा उसके उचित उपयोग और रखरखाव के लिए दिया जाना था। सृजित संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय संबंधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका अथवा अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा अपने स्तर पर वहन किया जाना था। इस योजना के अंतर्गत कोई आवर्ती व्यय की अन्मित नहीं थी।

चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि तीन इकाइयों में (अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम) जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कार्य प्रारंभ किए गए थे किंतु लेखापरीक्षा की तिथि तक अधूरे रहे। कार्य पूर्ण न होने के कारण विशिष्ट कार्य के निर्माण का उद्देश्य अधूरा रह गया। इस प्रकार, कार्यों पर किए गए व्यय को निष्फल के रूप में निर्धारित किया गया था। अपूर्ण कार्यों का विवरण तालिका 2.4 में निम्नानुसार है:

तालिका 2.4: अपूर्ण कार्य

क्र	खंड/नगर	वर्ष	कार्यों	स्वीकृत	व्यय	स्थिति
सं	परिषद/ग्राम		का नाम	(राशि	₹ में)	
	पंचायत/जिले					
	का नाम					
1	खंड विकास एवं	2018-19	श्मशान घाट,	7,40,000	2,60,602	बाउंड्री वाल की चार
-	पंचायत कार्यालय,		ग्राम-हेराहेरी की			साइड में से केवल तीन
	पटौदी, गुरुग्राम		बाउंड्री वाल			साइड का निर्माण किया
						गया है।
			श्मशान घाट की	8,00,000	5,53,370	बाउंड्री वाल की चार
			शेड और बाउंड्री			साइड में से केवल दो
			वाल, ग्राम-			साइड का निर्माण किया
			गौरियावास			गया है।
			श्मशान घाट की	5,00,000	1,66,315	सिर्फ शेड बनाया गया
			शेड और बाउंड्री			है। बाउंड्री वाल का
			वाल,ग्राम-			निर्माण नहीं किया
			खेटियावास			गया।
2	नगर परिषद	2018-19	अजय के प्लॉट	2,82,000	1,08,664	कार्य प्रारंभ हुआ किंतु
	नारायणगढ़,		के पास स्ट्रीट			पूरा नहीं हुआ
	अंबाला					
3	खंड विकास एवं	2018-19	गांव घरौडा में	5,00,000	3,05,934	बाउंड्री वाल की तीन
	पंचायत कार्यालय,		सामुदायिक केंद्र			साइड में से केवल दो
	बल्लभगढ़,		की बाउंड्री वाल			साइड का निर्माण किया
	फरीदाबाद					गया है
	कुल			28,22,000	13,94,885	

जिला योजना दिशा-निर्देशों (अनुच्छेद 8) में इस संबंध में निदेश प्रदान किए जाने के बावजूद कार्यों के निष्पादन की दिशा में समय पर निगरानी के लिए विभाग द्वारा अपनाए जा रहे किसी तंत्र का लेखापरीक्षा में पता नहीं चला। 17 मई 2022 को अपर मुख्य सचिव, वित्त और योजना विभाग (अपर मुख्य सचिव) के साथ एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की निगरानी के संबंध में निर्देश जारी किए जायेंगे, ताकि जिला योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

(ii) अप्रयुक्त कार्य

जिला योजना दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जिला योजना संबंधित जिले में जमीनी वास्तविकता, संभावनाओं, समस्याओं तथा लोगों की स्थानीय जरूरतों के वास्तविक आकलन पर आधारित होनी चाहिए। स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के संबंध में कार्यों की वास्तविक आवश्यकता को उनकी तात्कालिकता/प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए रखा जाना था।

16 फरवरी 2022 को मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय चरखी दादरी के साथ जिला योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दो कार्य नामतः (i) 2018-19 में किया गया अनुस्चित जाित सह योजना घटक के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र (इंद्रावती) का निर्माण जिसके लिए स्वीकृत राशि ₹ 10 लाख थी जबिक वास्तविक व्यय ₹ 10.07 लाख था तथा (ii) खेड़ीबूरा में हॉल का निर्माण जिसका निर्माण 2018-19 में ₹ 10 लाख की स्वीकृत राशि से किया गया था जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 4.33 लाख था और वह खराब स्थिति में था। दोनों भवन अनुपयोगी और जर्जर हालत में थे। भवन के चारों ओर कोई दीवार नहीं थी, हॉल के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए कोई गेट या बेड़ा नहीं लगाया गया था तथा मुख्य सड़क से भवन में प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया था। लेखापरीक्षा ने मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, चरखी दादरी से प्राक्कलनों तथा भुगतान वाउचरों की प्रतियां मांगीं। तथािप, लेखापरीक्षा को यह उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इन्द्रावती के आंगनबाड़ी केन्द्र में अनुमानित लागत से अधिक व्यय करने के बावजूद भवन के अंदर या बाहर से प्लास्टर नहीं किया गया था और न ही पेंट किया गया था। भवन में खिड़िकयां और दरवाजे भी नहीं लगाए गए थे। दोनों कार्यों पर व्यय निष्फल रहा क्योंकि लेखापरीक्षा को यह सूचित नहीं किया गया था कि क्या भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद लाभार्थी को सौंप दिया गया है।

अप्रयुक्त पूर्ण संरचनाओं को दर्शाने वाले फोटोग्राफ



उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (मई 2022) ने सूचित किया कि निष्पादन एजेंसी द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों में अनुपस्थित तत्वों के बारे में विवरण जिसके कारण संपत्ति का उपयोग नहीं हुआ और इन संपत्तियों को इच्छित लाभार्थियों को सौंपने की स्थिति मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, चरखी दादरी से मांगी जाएगी तथा इन अधूरे कार्यों को प्रयोग में लाने योग्य बनाने के लिए अपेक्षित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.8 निविदा के बिना किए गए कार्यों का निष्पादन

"जिला योजना" दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.1 में प्रावधान था कि निष्पादन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना था कि कार्यों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार विभागीय रूप से निष्पादित किया गया था। लागत प्रभावशीलता, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए योजना/कार्यों को निविदा के माध्यम से विशेष रूप से ₹ पांच लाख से अधिक की लागत वाली योजनाओं/कार्यों के लिए निष्पादित किया जाना था। अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा ₹ पांच लाख की राशि को संशोधित कर ₹ 10 लाख कर दिया गया (फरवरी 2017)।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, कार्यालय मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, गुरुग्राम में यह पाया गया कि ₹ 10 लाख से अधिक राशि के तीन कार्य दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में निविदा प्रक्रिया के बिना किए गए थे जैसा कि नीचे तालिका 2.5 में उल्लिखित है:

तालिका 2.5: निविदा प्रक्रिया के बिना किए गए कार्य

豖.	वर्ष	नगर परिषद/	गांव का	कार्य	अनुमोदित	उपयोग की	स्थिति
सं.		खंड/ग्राम पंचायत	नाम/वार्ड	का नाम	राशि	गई राशि	
		का नाम	नंबर		(₹ में)	(₹ में)	
1.	2019-20	खंड - फारुख नगर	कैंतावास	तालाब का	25,00,000	24,74,336	कार्य प्रगति
				जीर्णोद्धार			पर है
2.		खंड - सोहना	खरोडा	स्कूल में विकास	15,00,000	8,20,759	कार्य प्रगति
				कार्य			पर है
3.		फारुख नगर	जोड़ी खुर्द	जोड़ी खुर्द से मेन	13,00,000	13,00,000	पूर्ण
				रोड तक रास्ता			
		कुल	53,00,000	45,95,095			

उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को इस संबंध में योजना दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

2.9 जिला योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के निष्पादन में सामान्य किमयां

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने जिला योजना प्लान के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में निम्नलिखित मामूली कमियां देखीं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

जिला योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में सामान्य कमियां

豖.	"जिला योजना" दिशानिर्देशों के अनुसार	चयनित जिलों में स्थिति		
त्र. सं.	कार्यों के लिए मानदंड	वयानत जिला न स्थित		
1.	दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 4.9 में बताया गया है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद, सृजित संपतियों को संबंधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका को निष्पादन एजेंसी द्वारा उसके उचित उपयोग और रखरखाव के लिए दिया जाना था। सृजित संपतियों पर किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय संबंधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका अथवा अंतिम-प्रयोक्ताओं द्वारा अपने स्तर पर वहन किया जाना था।	छः मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत 61 नगर परिषद/खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय/एजेंसियों में से यह प्रावधान छः मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय में 57 नगर परिषद/खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में 57 नगर परिषद/खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वत नहीं किया गया था। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को इंगित करने पर अंबाला, गुरुग्राम और फतेहाबाद ने उत्तर दिया कि इस संबंध में संबंधित नगर परिषद/खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय/एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। लेखापरीक्षा ज्ञापन के उत्तर में मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी, चरखी दादरी और करनाल ने बताया कि भविष्य में इस कार्य-प्रणाली का पालन किया जाएगा।		
2.	दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.5 में बताया गया है कि निधियां केवल जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर ही जारी/व्यय की जानी थी। किसी भी कार्य के लिए कार्योत्तर अनुमोदन/स्वीकृति केवल विशेष परिस्थितियों में निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रदान की जानी थी। यदि किसी कार्य को परिवर्तित करना अपेक्षित होता है, तो इसे पूरी तर्गसंगतता तथा वचनबद्धता के साथ कि इस कार्य के निष्पादन के लिए उस जिले के पास पर्याप्त धन उपलब्ध था, के साथ मामले को निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा को संदर्भित करके उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाना था।	सात नमूना जांच किए गए मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों में से पांच में चरखी दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में 124 कार्य (पिरिशिष्ट 2.4) जिनकी स्वीकृत लागत ₹ 594.38 लाख है तथा 2018-19 से 2020-21 के दौरान ₹ 487.97 लाख का व्यय किया गया था, कार्य परिवर्तन बिना तर्गसंगतता और अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग से अनुमोदन के बिना प्रतिस्थापित किया गया। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फतेहाबाद में यह पाया गया कि जिला आपदा प्रबंधन समिति के अनुमोदन के बिना शेड के निर्माण से संबंधित कार्य के निष्पादन का स्थान परिवर्तित कर दिया गया था। इन मामलों में तर्गसंगतता का अभाव प्रावधान को निरर्थक बना देता है। भिवानी और अंबाला में ऐसा कोई मामला नहीं मिला। यह इंगित किए जाने पर मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फतेहाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम ने बताया (दिसंबर 2021 से जनवरी 2022) कि मामले की जांच की जाएगी और तद्नुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय चरखी दादरी तथा करनाल का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।		
3.	दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.5 में बताया गया है कि मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय के साथ-साथ पंचायतों/ नगरपालिकाओं को जिला योजना स्कीम के अंतर्गत निष्पादित वितीय और भौतिक दोनों शर्तों में कार्यों के अपेक्षित विवरण को दर्शाते हुए संपति रजिस्टर का रखरखाव करना था।	सात मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय के अनुरूप 69 पंचायतीं/ नगरपालिकाओं में से तीन मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला, गुरुग्राम और फतेहाबाद की 29 पंचायतों/नगरपालिकाओं द्वारा संपति रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था। इसके अलावा मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फतेहाबाद एवं फरीदाबाद के कार्यालय में संपति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। सात मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय में से शेष पांच में संपित रजिस्टर का रखरखाव किया गया था। अंतिम प्रयोक्ताओं के पास संपित रजिस्टर के अभाव में, कार्यों के वितीय और भौतिक विवरण पर दोहरी जांच सुनिश्चित करने की प्रणाली लागू नहीं की जा सकी। यह इंगित किए जाने पर, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला, गुरुग्राम और फतेहाबाद ने बताया कि इस संबंध में संबंधित नगर परिषद/खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय/एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे, जबिक मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फरीदाबाद ने सूचित किया कि मामले की जांच के बाद उत्तर भैजा जाएगा।		

豖.	"जिला योजना" दिशानिर्देशों के अनुसार	चयनित जिलों में स्थिति
सं.	कार्यों के लिए मानदंड	
4.	अनुच्छेद 7.9 में बताया गया है कि गंदे पानी के निस्तारण के लिए नालों सिहत सीमेंट कंक्रीट की गिलयों या पेवर्स ब्लॉक स्ट्रीट का निर्माण कार्य जन स्वास्थ्य, विद्युत तथा टेलीफोन विभागों से आश्वासन प्राप्त करने के बाद किया जाना था कि पाइप लाइन, वायिरेंग आदि डालने के लिए कम से कम अगले 5 वर्षों में फुटपाथ की खुदाई नही की जाएगी।	लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,901 कार्यों में सात मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय कार्यालयों में गंदे पानी के निस्तारण के लिए सीमेंट कंक्रीट की गलियों/पेवर ब्लॉक की गलियों के साथ नालों का निर्माण कार्य, सात चयनित कार्यालयों में से किसी में भी आश्वासन/प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इन आश्वासनों/ प्रमाणपत्रों के अभाव में अन्य जन उपयोगी विभागों द्वारा खुदाई के परिणामस्वरूप इन कार्यों के नष्ट/क्षितिग्रस्त होने की संभावना है। यह इंगित किए जाने पर, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला, गुरुग्राम और फतेहाबाद ने बताया कि इस संबंध में संबंधित नगर परिषद/खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय/एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी ने बताया कि व्यावहारिक रूप से कई विभागों से अनुमित/अनापित प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना संभव नहीं था। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय करनाल और चरखी दादरी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निष्पादन एजेंसियों के लेखापरीक्षा जापन के उत्तर में बताया कि भविष्य में इस कार्य-प्रणाली का पालन किया जाएगा।
5.	अनुच्छेद 7.11 में बताया गया है कि प्रत्येक साईट पर योजना का नाम और अन्य विवरण दर्शाते हुए साईट पर योजना का साइन बोर्ड लगाया जाना था।	61 नगर परिषदों/खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों/छः चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों की एजेंसियों में से 58 नगर परिषदों/खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों/छः मुख्य योजना एवं विकास कार्यालयों, अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फतेहाबाद और करनाल की एजेंसियों ने सूचित किया कि साइन बोर्ड की स्थापना नहीं की जा रही थी। यह इंगित किए जाने पर अंबाला, फतेहाबाद और गुरुग्राम के मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय ने बताया कि इस संबंध में सभी नगर परिषद/खंड/एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी, करनाल और चरखी दादरी के उत्तर का प्रतीक्षित थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (मई 2022), अपर मुख्य सचिव ने क्रम संख्या 1 और 3 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में बताया कि जिला योजना स्कीम के अंतर्गत पांच वर्ष की अविध के लिए बनाई गई, संपित से संबंधित डेटा 2020-21 से 2017-18 रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में योजना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा कि कार्यकारी एजेंसियां, भविष्य में कार्यों को निष्पादित करते समय ऐसी सामान्य किमियों का ध्यान रखेंगी।

2.10 अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना

जिला योजना दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 7.6 के अनुसार, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को प्रत्येक कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना था, जिस पर उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो, जो कि कार्य पूरा होने के तुरंत बाद कार्यकारी एजेंसी से प्राप्त करने के बाद निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा को बताते हुए प्रस्तुत करना था कि राशि उक्त कार्य के लिए स्वीकृत एवं उपयोग की गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सात चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय में से छः में उपयोगिता प्रमाण-पत्र अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा को प्रस्तुत किए गए थे। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फतेहाबाद में वर्ष 2018-19 की अविधि हेतु ₹ 1,980.64 लाख तथा 2019-20 की अविधि के लिए ₹ 1,121.58 लाख की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग को नहीं भेजा गया था (जनवरी 2022)। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के बिना, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्रदान नहीं कर सकती है कि कार्य पूरा हो गया था और स्वीकृत कार्य के लिए राशि का उपयोग किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2021) मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, फतेहाबाद ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यालय को भेजे जाएंगे और तद्नुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने बताया (मई 2022) कि भविष्य में जिला योजना की समीक्षा प्रत्येक वर्ष दो चरणों में की जाएगी। यदि प्रथम चरण में कार्य प्रगति का मूल्यांकन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो शेष धनराशि को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने के लिए तंत्र तैयार किया जाएगा तथा दूसरी किस्त संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के साथ-साथ निधि के संतोषजनक उपयोग के बाद ही जारी की जाएगी। उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग ने बताया (मई 2022) कि मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, फतेहाबाद को लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए जाएंगे और तद्नुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

निगरानी

2.11 जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा त्रैमासिक रूप से कार्यों की निगरानी न करना/कम निगरानी करना

जिला योजना दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.2 में बताया गया है कि जिला आपदा प्रबंधन समिति को गितविधियों सिहत कारोबार के लेन-देन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करनी थी। आगे, दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.3 में प्रावधान है कि निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा से अनुरोध किया जा सकता है कि वे स्वयं बैठक में भाग लें या अपने प्रतिनिधि को जिला आपदा प्रबंधन सिमिति बैठक में विशेष अतिथिगण के रूप में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त करें। आगे, दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.9 के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन सिमिति को तिमाही बैठक में जिला योजना के अंतर्गत कार्यों/योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करनी थी और तिमाही बैठक के कार्यवृत्त की प्रति निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा को भेजी जानी थी।

चयनित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई भी जिला आपदा प्रबंधन समिति दिशानिर्देशों में प्रदान की गई समय-सारिणी के अनुसार नहीं मिला और न ही निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग और न ही उनके प्रतिनिधि ने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठकों में एक बार भी भाग लिया। तीन वर्षों में होने वाली 12 तिमाही बैठकों के स्थान पर वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय

द्वारा केवल तीन से छः तिमाही बैठकें आयोजित की गईं, जैसा कि तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6: 2018-19 से 2020-21 के दौरान आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठकों के विवरण

豖.	जिला का नाम	2018-19 से 2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या						
सं.		दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाना	आयोजित	कम आयोजित				
1.	अंबाला	12	3	9				
2.	फतेहाबाद	12	5	7				
3.	गुरुग्राम	12	6	6				
4.	फरीदाबाद	12	5	7				
5.	करनाल	12	5	7				
6.	भिवानी	12	5	7				
7.	चरखी दादरी	12	4	8				

स्रोत: विभाग से एकत्र की गई जानकारी

जिला योजना में लाए गए संसाधनों के अभिसरण तथा अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के प्रवर्तन के साथ संतुलित विकास के संदर्भ में श्रेष्ठ परिणामों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए निगरानी के प्रावधानों का महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मूल्यांकन किया गया था। निगरानी की चूकों का प्रत्यक्ष प्रभाव बजट के व्यपगत होने में देखा गया, जैसा कि इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.5 में दर्शाया गया है।

यह इंगित किए जाने पर मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला, फतेहाबाद और गुरुग्राम ने बताया (दिसंबर 2021 से जनवरी 2022) कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी ने बताया कि व्यस्त कार्यक्रम तथा कोविड के कारण त्रैमासिक बैठक की लक्षित संख्या हासिल नहीं की जा सकी। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फरीदाबाद ने सूचित किया कि मामले की जांच कर उत्तर भेजा जाएगा।

उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (मई 2022) ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक नियमित आधार पर आयोजित नहीं की जा सकती क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण लगाए गए प्रतिबंध हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोविड-19 महामारी 2020-21 के दौरान फैली थी किंतु जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा सभी तीन वर्षों में कार्यों की गैर/अल्प निगरानी की गई थी।

2.12 प्रधान कार्यालय को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

जिला योजना दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 8.8 के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में किए गए कार्यों की तिमाही/वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही/वर्ष के 15 दिनों के पश्चात् प्रधान कार्यालय से किसी भी संचार की प्रतीक्षा किए बिना निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा को ऑनलाइन भेजी जानी थी।

चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला ने कोई भौतिक और वितीय प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी थी; मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फतेहाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद ने भेजे जाने से कम संख्या में भौतिक और वितीय प्रगति रिपोर्ट भेजी। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय करनाल, भिवानी और चरखी दादरी ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। प्रगति रिपोर्ट का प्रावधान

किए जा रहे कार्यों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तथ्य यह है कि इस प्रावधान के कार्यान्वयन में किमयों को उजागर करने वाले मुद्दे को संबोधित करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय द्वारा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग को भेजे गए प्रगति रिपोर्ट का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय द्वारा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग को भैजी गई प्रगति रिपोर्टों की संख्या

豖.	जिला	2018-19 से 2020-21 के दौरान भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्टों की संख्या							
सं.	का नाम	दिशा-	निर्देशों	वास्तव	व में	भेजी जाने वाल	ी और वास्तव		
		के अनु	सार देय	भेजी	गई	में भेजी गई व	के मध्य अंतर		
		वार्षिक	त्रैमासिक	वार्षिक	त्रैमासिक	वार्षिक	त्रैमासिक		
1.	अंबाला	3	12	-	-	3	12		
2.	फतेहाबाद	3	12	2	4	1	08		
3.	गुरुग्राम	3	12	3	12	0	0		
4.	फरीदाबाद	3	12	3	0	0	12		
5.	करनाल	3	12	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया					
6.	भिवानी	3	12	-सम-					
7.	चरखी दादरी	3	12			-सम-			

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022) मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला और फतेहाबाद ने बताया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फरीदाबाद ने सूचित किया कि मामले की जांच कर उत्तर भेजा जाएगा। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी, चरखी दादरी और करनाल के उत्तर प्रतीक्षित था।

उत्तर में, निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (मई 2022) ने सूचित किया कि ऑनलाइन व्यय के आधार पर मुख्यालय स्तर पर वित्तीय प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती थी। यह भी सूचित किया गया कि सभी मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को जिला योजना दिशानिर्देशों के निर्धारित प्रारूपों में किए गए कार्यों की तिमाही/वार्षिक भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संबंधित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय ने भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदनों को नियमित रूप से मुख्यालय को प्रस्तुत न करने के तथ्य को स्वीकार किया।

2.13 जिला योजना के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया

'जिला योजना' दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 8.5 में प्रावधान है कि योजना अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार जिला योजना के अंतर्गत निष्पादित विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना था। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय और उपायुक्तों को माह में कम से कम एक बार जिला योजना स्कीम के अंतर्गत निष्पादित विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना था। ये निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा को भेजे जाने थे।

चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय की संवीक्षा अथवा अभिलेखों से पता चला कि

मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला और फतेहाबाद द्वारा विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया था जबिक योजना अधिकारी, गुरुग्राम ने लेखापरीक्षा अविध के दौरान 156 होने वाले निरीक्षणों में से 71 भौतिक निरीक्षण किए थे। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फरीदाबाद द्वारा फरवरी 2021 से भौतिक निरीक्षण किया गया था। तथापि, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी, चरखी दादरी और करनाल ने अपने क्षेत्र निरीक्षण का कोई अभिलेख नहीं रखा था। इस प्रकार लेखापरीक्षा इन कार्यालयों में किए गए क्षेत्रीय दौरों के संबंध में किसी भी कमी पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2021 से फरवरी 2022) मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय अंबाला, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फतेहाबाद, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय गुरुग्राम ने बताया कि हम भविष्य में इस मामले पर ध्यान देंगे जबकि मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय फरीदाबाद ने बताया कि मामले की जांच के बाद उत्तर भेजा जाएगा। मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय भिवानी, चरखी दादरी और करनाल के उत्तर प्रतिक्षित थे।

उत्तर में, निदेशक (अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग) ने सूचित किया (मई 2022) कि योजना के अंतर्गत निष्पादित विकास कार्यों के भौतिक निरीक्षण के संबंध में संबंधित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय से प्रतिवेदन मांगा जा रहा है।

2.14 ₹ 9.90 लाख के व्यय से साईट पर निर्मित कार्य नहीं पाया गया

जिला योजना दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 8.3 के अनुसार, मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय को जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत विकास योजनाओं/कार्यों की नियमित/आवधिक रूप से निगरानी करनी थी।

मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, गुरुग्राम के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान वार्ड नंबर 2 हेलीमंडी में माता मंदिर से मुख्यालय लक्ष्मीनारायण तक सड़क निर्माण के लिए कार्य स्वीकृत किया गया था, जिस पर ₹ 9.90 लाख व्यय किए गए। कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया था (दिसंबर 2021)। संयुक्त निरीक्षण में सचिव, नगर निगम हेलीमंडी ने बताया कि वाटर बाउंड मैकडैम⁵ का कार्य शुरू किया गया था किंतु मामला न्यायालय में चला गया। कार्य का विवरण नीचे तालिका 2.8 में दिया गया है:

तालिका 2.8: साईट पर नहीं पाए गए कार्य के विवरण

नगर निगम	कार्य	कार्य का नाम	संस्वीकृत	व्यय	भुगतान
का नाम	वर्ष		राशि		की स्थिति
नगर निगम, हेलीमंडी	2018-19	वार्ड नंबर 2, हेलीमंडी में माता मंदिर से लक्ष्मीनारायण के घर तक सड़क का निर्माण	₹ 9,90,000	₹ 9,90,000	आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया था

कार्यों का भ्गतान बिना किसी भौतिक सत्यापन के किया गया था। प्रभावी निगरानी तंत्र के

5

वाटर बाउंड मैकडैम: वाटर बाउंड मैकडैम सड़क निर्माण प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का लचीला फुटपाथ है जिसमें आधार और सतह की परत में बारीक़ पत्थर या टूटे हुए चट्टान के टुकड़े होते हैं और सामग्री को यांत्रिक रोलर की मदद से अच्छी तरह से इंटरलॉक किया जाता है। फिर पानी और संघनन के साथ स्क्रीनिंग सामग्री और बाइंडिंग सामग्री (पत्थर का चूरा) की मदद से खाली स्थान को भर दिया जाता है।

अभाव में कार्यों के प्रति भुगतान करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपेक्षित थे, जो नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा किसी अन्य चयनित मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय में ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया था।

यह इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2021) मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय, गुरुग्राम के कार्यालय ने बताया गया कि अब मामला विचाराधीन है तथा न्यायालय के निर्णय के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। विशेष रूप से मांगे जाने पर न्यायालय केस की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2022) कि अपर निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा तथ्यान्वेषी जांच की गई जिसमें पाया गया कि ₹ 9.90 लाख का व्यय किया गया था लेकिन उल्लेखित सड़क का निर्माण नहीं किया गया था।

2.15 निष्कर्ष

- योजनाएं तैयार की गईं तथा काफी विलंब से मुख्यालय को भेजी गईं, जिसके
 परिणामस्वरूप कार्य को प्रारंभ करने में देरी हुई तथा निधियों के व्यपगत में चूक हुई।
- जिला योजना स्कीम के अंतर्गत राशियों का आबंटन एकमुश्त और विवेकाधीन आधार
 पर, अंतर्निहित उद्देश्य की पहचान किए बिना किया गया था।
- निगरानी के अभाव के कारण इस योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं होने वाले कार्यों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया है।
- छ: मुख्य योजना एवं विकास अधिकारियों के अंतर्गत कार्यरत 61 एमसीज/खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों/एजेंसियों में से 57 एमसीज/खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों/एजेंसियों में सृजित संपत्ति संबंधित ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं को नहीं सौंपी गई थी।

2.16 सिफारिशें

सरकार/विभाग सुधार के लिए निम्नलिखित कार्रवाई पर विचार करे:

- इस योजना के माध्यम से वित्त पोषण जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जाए।
- जिला योजनाओं के नियमन एवं प्रस्तुतीकरण हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- सभी नामित अधिकारियों द्वारा फील्ड कार्यालयों के साथ-साथ निदेशालय कार्यालय द्वारा नियमित रूप से कार्यों की निगरानी की जानी चाहिए ताकि अनुमोदित प्राक्कलनों के अनुसार कार्य पूरा करने के अलावा कार्य समय पर पूरा किया जा सके।
- ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जो इस योजना के अंतर्गत अनुमत हों तथा यदि कोई कार्य योजना के अंतर्गत नहीं आता है और उसे निष्पादित करने की आवश्यकता है तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

अध्याय-3 नगर निकायों को स्टाम्प शुल्क के हिस्से के रूप में उद्गृहीत नगरपालिका शुल्क के अंतरण की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

3. नगर निकायों को स्टाम्प शुल्क के हिस्से के रूप में उद्गृहीत नगरपालिका शुल्क के अंतरण की विषय विशिष्ट अन्पालन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

हरियाणा में तीन प्रकार के नगर निकाय हैं। ये हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (एच.एम.सी अधिनियम) द्वारा शासित नगर निगम और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (एच.एम. अधिनियम) के अंतर्गत शासित नगर परिषदें और नगरपालिकाएं हैं। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87 (1) (सी) और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 69 (सी) नगर निकायों को संबंधित नगर निकाय के नगर क्षेत्र के अंदर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लेनदेन पर एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत की दर से शुल्क (बाद में इसे नगरपालिका उद्ग्रहण कहा जाएगा) लगाने में सक्षम बनाती है। इस तरह के स्टाम्प शुल्क को दस्तावेज के पंजीकरण के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर के रूप में रिजस्ट्रार/सब-रिजस्ट्रार द्वारा एकत्र किया जाता है और इसकी सूचना संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजी जाती है।

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग; गुरुग्राम, रोहतक, यमुनानगर के नगर निगमों; हरियाणा सरकार के वित्त विभाग और स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के निदेशालय में 2016-21 की अविध के लिए विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रयोजन नगरपालिका उद्ग्रहण के संबंध में नगर निकायों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, लेखांकन तंत्र, राजस्व विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, संबंधित नगर निकायों और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के कार्यालय के मध्य नगरपालिका उद्ग्रहण की मिलान प्रक्रिया, संबंधित नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (नगर निगमों के प्राथमिक लेखापरीक्षक) में तंत्र की समीक्षा करना था।

3.1.1 कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय को नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित अंतरिम लेखापरीक्षा परिणामों में टिप्पणी की थी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की क्रमशः धारा 87 और धारा 69 को दिनांक 22 अगस्त 2022 की दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया ताकि राज्य सरकार को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की इन धाराओं के अंतर्गत एकत्र की गई राशि को राज्य के निगम के किसी भी क्षेत्र में (हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994) और नगरपालिका के किसी भी क्षेत्र में (हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973) बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है, संबंधित नगरपालिका निकायों के साथ-साथ संबंधित नगरपालिका निकायों की ओर से हरियाणा शहरी मूलभूत संरचना बोर्ड

को अंतरित करने के लिए अधिकृत किया जा सके। संशोधन को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी करने का प्रावधान किया गया है। संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियमों के साथ सरकारी अधिसूचना की विसंगति को दूर करने के लिए संशोधन अपेक्षित था, जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा के निरीक्षण प्रतिवेदनों में दिनांक 02 फरवरी 2022 के निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रकट किया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2 राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई अंतरण की पद्धति

हरियाणा सरकार ने अलग-अलग समय पर नगरपालिका उद्ग्रहण को संबंधित नगर निकायों को अंतरित करने के लिए विभिन्न पद्धितियों, प्रक्रियाओं और लेखांकन प्रक्रियाओं को अपनाया। अप्रैल 2012 से पहले, नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण के हिस्से के भुगतान के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया जाता था और भुगतान वास्तविक आधार पर आधारित था। अप्रैल 2012 से संबंधित नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण के हिस्से का भुगतान वार्षिक बजट में बजटीय प्रावधानों के माध्यम से किया गया था। बजट अनुमान प्रक्रिया में नगर निगमों को भुगतान के लिए लेखा वर्गीकरण शीर्ष "पी-01-15-2217-80-191-96-511" और नगर परिषदों/नगरपालिकाओं के लिए "पी-01-15-2217-80-192-92-512" के अंतर्गत प्रावधान करना शामिल है।

अभिलेखों में नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण के लिए नगर निकायों द्वारा दावा प्रस्तुत करने की अपेक्षित प्रक्रिया के संबंध में कोई लिखित निर्देश नहीं पाए गए। अप्रैल 2012 से मार्च 2021 के दौरान नगरपालिका उद्ग्रहण के लेखांकन एवं अंतरण की प्रणाली को मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के प्रावधान के विपरीत पाया गया और इसे अनियमित माना गया। अप्रैल 2012 से नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण और लेखांकन की प्रक्रिया में परिवर्तन के कारणों को निर्धारित करने/खोजने के प्रयास निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय और वित्त विभाग में प्रासंगिक अभिलेखों तक पहुंच के रूप में क्षेत्र सीमा द्वारा बाधित थे।

यह इंगित किए जाने पर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिरयाणा की सलाह पर (फरवरी 2021) राज्य सरकार ने निर्णय लिया (जून 2021) कि एल.एम.एम.एच. के अनुसार और अप्रैल 2012 से पहले की प्रणाली के समान मासिक आधार पर 'मुख्य शीर्ष 0030-02 (स्टाम्प गैर-न्यायिक) - 901 (स्थानीय निकायों को कटौती) - 99 (स्टाम्प शुल्क का हिस्सा) - 51 (एनए) - 00' के अंतर्गत नगर निकायों/निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अंतरित किया जाएगा।

-

¹ राज्य योजना का भाग 01- पी-01, मांग संख्या-15, प्रमुख शीर्ष- 2217 शहरी विकास, उप-प्रमुख शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष- 191 नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 96 नगर निगमों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान, विस्तृत शीर्ष- 51 नगर निगमों को भुगतान के लिए।

राज्य योजना का भाग 01- पी-01, मांग संख्या-15, प्रमुख शीर्ष- 2217 शहरी विकास, उप-प्रमुख शीर्ष- 80 सामान्य, लघु शीर्ष- 192 नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 92 नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान, विस्तृत शीर्ष- 51 नगर परिषद/नगरपालिका को भगतान के लिए।

3.3 नगरपालिका उद्ग्रहण का दावा प्रस्त्त करने में विलंब

तीन चयनित नगर निगमों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 2016-17 से 2020-2021 के दौरान नगर निगमों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने में 508 दिनों तक का विलंब हुआ था। विलंब के विवरण नीचे *तालिका 3.1* में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: नगरपालिका उद्ग्रहण के दावों को प्रस्त्त करने में विलंब

निगम	2016-2021 के दौरान	नगर निगम द्वारा	नगर निगम	विलंब से प्रस्तुत	दावे प्रस्तुत
का नाम	प्रस्तुत किए जाने वाले	समय पर प्रस्तुत	द्वारा प्रस्तुत नहीं	किए गए दावों	करने में विलंब
	दावों की कुल संख्या	किए गए दावे	किए गए दावे	की संख्या	दिनों में
गुरुग्राम	60	12	27	21	1 से 214
रोहतक	60	22	-	38	2 社 508
यमुनानगर	60	31	3	26	1 से 111

नोट: विलंब की गणना करते समय मासिक बिल जमा करने की अविध को उस महीने के लिए एक महीने के रूप में लिया गया है, जिसके लिए देय है अर्थात् अप्रैल 2019 के लिए, विलंब 1 जून 2019 से लिया गया है।

3.4 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 के दौरान नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण का अंतरण

3.4.1 कार्य-क्षेत्र की सीमा

अप्रैल 2012 से हरियाणा नगर निगम अधिनियम और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहण के अंतरण की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित अभिलेखों को वित्त विभाग और निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था जिसके कारण महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्र सीमित हो गया था। इसके अलावा, इस उद्ग्रहण को नगर निकायों को अंतरित करने के उद्देश्य से वार्षिक बजट तैयार करने के लिए 2012-13 से 2015-16 की अविध से संबंधित अभिलेख भी निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे जिसके कारण कार्य-क्षेत्र सीमित हो गया था।

3.4.2 नगरपालिका उद्ग्रहण का बजट और अंतरण

नगर निगमों/नगर परिषदों/नगरपालिका को आबंटित बजट, नगरपालिका उद्ग्रहण के संबंध में वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार बजट आवश्यकता और नगर निकायों के साथ-साथ निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के 2016-21 के अभिलेखों के अनुसार नगर निकायों को अंतरित राशि के विवरण तालिका 3.2 में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: बजट आबंटन एवं उसके उपयोग में कमी तथा बकाया नगरपालिका उद्ग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त विभाग के अनुदेश के अनुसार अपेक्षित बजट	आबंटित बजट ³	बजट आबंटन में कमी	बजट का वास्तविक उपयोग⁴	का कम उपयोग	नगर निकायों के अनुसार बकाया नगरपालिका उद्ग्रहण (आरंभिक शेष)	नगर निकायों के अनुसार अतिरिक्त देय नगरपालिका उद्ग्रहण	नगर निकायों के अनुसार प्राप्त नगरपालिका उद्ग्रहण	के अनुसार बकाया शेष (अंतिम शेष)	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के अनुसार आहरित राशि
	ए	बी	सी=ए-बी	डी	ई=बी-डी	एफ	जी	एच	(एफ+जी)- एच=आई	जे
2016-17	1,330.05	726.00	604.05	470.2	255.80	752.94	601.82	478.10	,	462.06
2017-18	1,478.48	1,198.60	279.88	990.89	207.71	876.66	775.42	988.73	663.35	983.03
2018-19	1,438.35	878.40	559.95	511.1	367.30	663.35	1,036.75	523.30	1,176.80	579.79
2019-20	2,213.13	878.40	1,334.73	627.45	250.95	1,176.80	1,086.99	601.65	1,662.14	627.45
2020-21	2,748.71	2,009.40	739.31	273.39	1,736.01	1,662.14	732.55	215.71	2,178.98	482.60
कुल	9,208.72	5,690.80	3,517.92	2,873.03	2,817.77			2,807.49		3,134.93

स्रोत: हरियाणा सरकार के बजट दस्तावेज और विनियोग लेखे।

उपर्युक्त तालिका 3.2 कॉलम । से देखा जा सकता है कि वर्ष के अंत में नगर निकायों को देय बकाया नगरपालिका उद्ग्रहण 2016-17 से 2020-21 तक के दौरान ₹ 663.35 करोड़ (मार्च 2018 के अंत में) से ₹ 2,178.98 करोड़ (मार्च 2021 के अंत में) के मध्य था। 31 मार्च 2021 तक, हिरयाणा सरकार ने नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहणों का उचित हिस्सा जारी नहीं किया था।

3.4.3 हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका उद्ग्रहण का प्रतिधारण

हरियाणा सरकार द्वारा नगर निकायों से संबंधित ₹ 2,178.98 करोड़ की राशि (तालिका 3.2) 31 मार्च 2021 तक अपने पास रखी गई थी।

2016-17 से 2020-21 की अविध हेतु लेखापरीक्षा में शामिल संबंधित नगर निकाय के कुल राजस्व की तुलना में देय स्टाम्प शुल्क की राशि का तुलनात्मक विश्लेषण *तालिका 3.3* में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

-

³ संबंधित वर्षों के संशोधित बजट के आंकड़े।

⁴ स्रोतः संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे।

तालिका 3.3: नगर निगम के कुल राजस्व में संचयी नगरपालिका उद्ग्रहण की प्रतिशतता
(₹ करोड़ में)

豖.	नगर	वर्ष	वित्तीय वर्ष के अंत में	वितीय वर्ष हेत्	नगर निगम के कुल राजस्व
सं.	निगम		देय नगरपालिका उद्ग्रहण	कुल राजस्व	में संचयी नगरपालिका
			की संचयी⁵ राशि		उद्ग्रहण की प्रतिशतता
ए	बी	सी	डी	ई	एफ=(डी/ई)∗100
1	गुरुग्राम	2016-17	849.44	731.26	116.20
		2017-18	585.95	1227.46	47.70
		2018-19	952.39	739.13	128.90
		2019-20	1424.80	476.47	299.0
		2020-21	1696.52	466.98	363.30
2.	रोहतक	2016-17	13.60	101.55	13.40
		2017-18	13.52	157.65	8.60
		2018-19	19.57	92.89	21.10
		2019-20	34.94	78.69	44.40
		2020-21	13.99	100.47	13.90
3.	यमुनानगर	2016-17	0	112.11	0.0
		2017-18	0	171.12	0.0
		2018-19	0	105.06	0.0
		2019-20	1.42	171.16	0.8
		2020-21	12.73	166.70	7.6

स्रोत: विभाग के अभिलेख

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त चयनित नगर निगमों में, नगरपालिका उद्ग्रहण की देय राशि सरकार द्वारा संबंधित वर्षों के कुल राजस्व के 0.8 प्रतिशत (नगर निगम, यमुनानगर) से 363.30 प्रतिशत (नगर निगम, गुरुग्राम) के मध्य रखी गई थी। सरकार द्वारा नगरपालिका उद्ग्रहण के प्रतिधारण ने नगर निकायों की समग्र वितीय स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। यदि यह राशि नगर निकायों के पास उद्ग्रहण की अविध में ही उपलब्ध होती, तो इसका उपयोग नगर निकायों को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए किया जा सकता था।

3.5 अप्रैल 2012 से मार्च 2021 के दौरान नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण के लिए बृटिपूर्ण प्रक्रिया

3.5.1 बजट निर्माण और कमियों का विवरण

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश (जुलाई 2012) के अनुसार नगर निगमों और नगरपालिकाओं/परिषदों को नगरपालिका उद्ग्रहण के भुगतान के उद्देश्य से दो नई योजनाएं शुरू की गईं थीं और नगर निकायों को भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत इन योजनाओं को शामिल करने के लिए बजट प्रदान किया जाना था।

(i) प्रक्रिया में इन योजनाओं के लिए नामित बजट नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय को शामिल किया गया और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों की बिक्री के आधार पर राज्य में विभिन्न उपायुक्तों को बजट वितरित करना था।

वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष राशि + चालू वर्ष के लिए देय राशि - चालू वर्ष में प्राप्त राशि = वर्ष के अंत में संचयी राशि। (ii) इन योजनाओं को कवर करने के लिए, संबंधित उपायुक्त (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नगर निकायों को जारी करने के लिए ऑनलाइन बजट आबंटित किया जाना था। तत्पश्चात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों की वास्तविक बिक्री के आधार पर प्रत्येक नगर निकाय को देय वास्तविक राशि का निर्धारण करने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और बिलों को प्रत्येक नगर निकाय को भुगतान के लिए खजाने में प्रस्तुत किया जाएगा। निधियों की कमी के मामले में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके लिए निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय से संपर्क करेगा। इसके बाद, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय स्वयं प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी की बजट स्थिति और ऑनलाइन बजट प्रणाली में उनके द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा करेगा और आगे वितरण करेगा या यदि अपेक्षित हो तो बजट का प्नर्वितरण करेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय में चयनित नगर निगमों (गुरुग्राम, रोहतक और यमुनानगर) की स्थिति के संबंध में उपर्युक्त परिणामों की पुष्टि की गई कि स्टाम्प शुल्क के भाग के रूप में नगरपालिका उद्ग्रहण के लिए वार्षिक बजट तैयार करते समय निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने वित्त विभाग द्वारा यथा निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। नगर निगम, गुरुग्राम के लिए तैयार किए गए बजटीय अनुमान इसकी आवश्यकताओं से कम थे और कमी ₹ 373.62 करोड़ से ₹ 1,254.20 करोड़ के मध्य थी। 2016-17 से 2020-21 के दौरान, नगर निगम, रोहतक के लिए यह कमी ₹ 5.43 करोड़ से ₹ 31.46 करोड़ के मध्य थी और नगर निगम, यमुनानगर के लिए यह कमी ₹ 0.52 करोड़ से ₹ 10.48 करोड़ के मध्य थी। नगर निगम, रोहतक के लिए 2020-21 में ₹ 1.05 करोड़ तथा यमुनानगर के लिए 2017-18 में ₹ 4.67 करोड़ और 2018-19 में ₹ 6.21 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी तैयार किया गया था (परिशिष्ट 3.1)।

इस प्रकार, नगर निकायों में बजट तैयार करने में कोई एकरूपता नहीं थी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण दर्शाया।

(iii) लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान, नगर निकायों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान पिछले वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों में 10 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान के आधार पर निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया गया था। यह उपर्युक्त वर्णित निर्धारित प्रक्रियाओं के विरुद्ध था।

3.6 आंतरिक नियंत्रण के मुद्दे जिनके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण का अधिक अंतरण हुआ

यद्यिप हरियाणा सरकार से नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण का संचयी कुल ₹ 2,178.98 करोड़ था, हरियाणा सरकार से नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण की अनियमित अधिक निकासी के निम्नलिखित उदाहरण भी देखे गए थे।

 स्टाम्प शुल्क के देय हिस्से के विरूद्ध नगर निगम, करनाल ने 31 मार्च 2016 तक नगरपालिका उद्ग्रहण का ₹ 36.71 करोड़ का अतिरिक्त हिस्सा आहरित किया था। नगर निगम, करनाल को 2016-17 में ₹ 13.91 करोड़ के अधिक भुगतान के बावजूद, 2017-18 में ₹ 16.45 करोड़ और 2018-19 में ₹ 5.46 करोड़ जारी किए गए थे। अधिक भुगतान की पूरी राशि को उसके देय हिस्से के विरुद्ध 2019-20 में समायोजित किया गया था। आगे यह देखा गया था कि 2015-16 में अधिक भुगतान के बावजूद, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान स्टाम्प शुल्क के हिस्से को जारी करने के लिए बजट आबंटित किया।

- मार्च 2016 एवं मार्च 2020 में नगर निगम, फरीदाबाद को स्टाम्प शुल्क के अंश का अधिक भ्गतान किया गया था तथा उसे अगले माह समायोजित किया गया था।
- यह आगे अवलोकित किया गया था कि 2019-20 और 2020-21 के दौरान, नगर परिषद, कैथल ने सितंबर 2019 से अप्रैल 2020 की अविध से संबंधित ₹ 4.78 करोड़ के अपने हिस्से के विरूद्ध ₹ 8.65 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की राशि का दावा किया। इसके कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।
- वर्ष 2015-16 के दौरान नगर परिषद, मण्डी डबवाली को ₹ 1.05 करोड़ के स्टाम्प शुल्क के हिस्से का अधिक भुगतान किया गया था और इसे वर्ष 2018-19 के लिए स्टाम्प शुल्क के हिस्से के प्रति समायोजित किया गया था।
- वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान नारायणगढ़, इंद्री, खरखौदा, हथीन, निसिंग, तरावड़ी, पेहोवा, नीलोखेड़ी, घरौंडा, असंध में नगरपालिका को स्टाम्प शुल्क के हिस्से का अधिक भ्गतान किया गया।

उपायुक्तों ने संबंधित सब-रजिस्ट्रारों से सत्यापित कराकर वास्तविक देय राशि के निर्धारण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

3.7 नगरपालिका, कुंडली के संबंध में नगरपालिका उद्ग्रहण का आहरण न करना

नगरपालिका, कुंडली का गठन अक्तूबर 2018 में किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार के कार्यालय के स्तर पर सॉफ्टवेयर में समस्या के कारण इसे नगरपालिका उद्ग्रहण का इसका हिस्सा जारी नहीं किया गया था। इस संबंध में निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने वर्ष 2018 से 2021 तक साफ्टवेयर की समस्या को ठीक करने तथा नगरपालिका, कुंडली में स्टाम्प शुल्क के हिस्से का मिलान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।

3.8 निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय को नगरपालिका उद्ग्रहण के हिस्से का अंतरण

वित्त विभाग ने निर्देश जारी किए (जुलाई 2020) और शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वित्त विभाग के इन निर्देशों पर मार्च 2021 में अनुवर्ती अधिसूचनाएं (दो) जारी की कि नगरपालिका उद्ग्रहण लेनदेन मूल्य के दो प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा तथा दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में से एक प्रतिशत सीधे संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (नगर निकायों) को अंतरित किया जाएगा और नगरपालिका उद्ग्रहण का शेष एक प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सामान्य लेखा में जाएगा।

यह मूल्यांकन किया जाता है कि ये अधिसूचनाएं हरियाणा नगर निगम अधिनियम और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के प्रति असंगत हैं और इसका प्रभाव नगरपालिका उद्ग्रहण के संबंध में प्राप्तियों को, नगरपालिका उद्ग्रहण के 50 प्रतिशत की सीमा तक कम करना जारी रखेगा अर्थात एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क जिसे निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जिसके लिए कोई लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 69 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87 के संबंध में दिनांक 22 अगस्त 2022 की दो अधिसूचनाओं के माध्यम से जारी विधायी संशोधनों (1 अप्रैल 2021 से प्रभावी) द्वारा इस प्रक्रिया को और संशोधित किया गया है। संशोधनों के अनुसार, एकत्रित कुल स्टाम्प शुल्क (दो प्रतिशत) में से एक प्रतिशत नगर निकायों को और शेष एक प्रतिशत हरियाणा शहरी मूलभूत संरचना विकास बोर्ड को भुगतान किया जाएगा। जुलाई 2020 की सरकारी अधिसूचना का समर्थन करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण के लिए विधायी प्रावधानों की अन्पस्थित के कारण, संशोधन (पूर्वव्यापी प्रभाव से) किए गए हैं।

74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243डब्ल्यू ने राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों को शिक्तयां और अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने हेतु अधिकृत किया, जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने और शिक्तयों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने के लिए अपेक्षित हो। इसका मुख्य उद्देश्य एक मजबूत संस्थागत ढांचे के निर्माण के साथ-साथ कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के अंतरण के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना था।

सरकार की अधिसूचना (जुलाई 2020) और संशोधनों (22 अगस्त 2022) के कारण नगरपालिका उद्ग्रहण के संबंध में प्राप्त राशि का अंतरण, संचय और उपयोग एक केंद्रीकृत निधि में हुआ है। इसका नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आकलन किया जाता है क्योंकि निधियां वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध नहीं होती हैं। पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण सौंपे गए कार्यों के सुचारू निष्पादन में बाधा उत्पन्न होगी और नगर निकायों को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में समझौता करने सिहत पूरक बजट/अन्य स्रोतों के माध्यम से वितीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे।

हरियाणा शहरी मूलभूत संरचना विकास बोर्ड को अंतरित निधियां राज्य सरकार के विवेक पर है और इनका उपयोग नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है, जिसके लिए इन्हें एकत्र किया गया है।

विविध

3.9 नगरपालिका उद्ग्रहण के संग्रहण और अंतरण के लिए लेखांकन प्रक्रिया का रखरखाव

पंजाब बजट नियमावली, हरियाणा सरकार के नियम 12.17 और 2.18 में प्रावधान है कि विभागाध्यक्ष को फॉर्म-31 में एक खाता-बही रखनी चाहिए, जो शुरू में आबंटित राशि और पूरक अनुदान और दूसरी तरफ पुनर्विनियोजन द्वारा की गई कटौती को दिखाएगी।

आगे, विभागाध्यक्ष प्रत्येक प्राथमिक एवं द्वितीयक इकाई के अंतर्गत कुल मासिक व्यय का योग करने वाले व्यय का फॉर्म-29 में मासिक लेखा तैयार करेगा। तत्पश्चात विवरण तैयार किया जाएगा और संवितरण अधिकारी के विवरण के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाएगा।

सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में कोई सहायक लेखा नहीं रखा गया है। सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में केवल लेन-देन/पंजीकृत दस्तावेजों के अभिलेख रखे जा रहे हैं। सब-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि ट्रेजरी बिल और वाउचर हेड रजिस्ट्री असिस्टेंट के पास रखे जा रहे हैं और हेड रजिस्ट्री असिस्टेंट शाखा में बिलों का एक साधारण रजिस्टर भी उपलब्ध था। तथापि, कोई अन्य सहायक अभिलेख/लेखा अन्रक्षित नहीं देखा गया था।

3.10 स्टाम्प श्लक के हिस्से का मिलान न करना

पंजाब बजट नियमावली, हरियाणा सरकार के नियम 12.20 में प्रावधान है कि महालेखाकार के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के साथ विभागीय आंकड़ों के मिलान के दो उद्देश्य हैं:

- (i) यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखे कुशल विभागीय वितीय नियंत्रण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त रूप से सटीक हैं; और
- (ii) लेखा कार्यालय, जहां से अंतिम प्रकाशित लेखों को संकलित किया जाता है, में अनुरक्षित लेखाओं की सटीकता स्निश्चित करना।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग ने बजट मिलान दिशा-निर्देश भी जारी किए (सितंबर 2002) और प्रावधान किया कि यह विभाग के हित में है कि उनकी प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार कार्यालय के साथ किया जाए ताकि अधिक व्यय से बचा जा सके और महालेखाकार के लेखों में सरकारी व्यय की उचित बुकिंग की जा सके। विभाग को लेखाओं के मिलान पर मासिक रिपोर्ट वित्त विभाग को प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगमों के लिए शीर्ष पी-01-15-2217-80-191-96-51 और नगरपालिकाओं/परिषदों के लिए पी-01-15-2217-80-192-92-51 के अंतर्गत दो योजनाओं के लिए नगर निगमों/परिषदों/समितियों को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर की बिक्री पर दो प्रतिशत के भुगतान के उद्देश्य के लिए बजट नियंत्रण प्राधिकारी था। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय को उपर्युक्त दो योजनाओं के संबंध में मासिक आधार पर मिलान करना और वित्त विभाग को इसकी रिपोर्ट करना अपेक्षित था।

जैसा कि अनुच्छेद 3.4.2 में तालिका 3.2 में दिया गया है, 2016-17 से 2020-21 की अविध के लिए संबंधित वर्षों के विनियोग लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार, नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण के रूप में कुल ₹ 2,873.03 करोड़ अंतरित किए गए थे। तथापि, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इसी अविध के दौरान नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण के रूप में कुल ₹ 3,143.93 करोड़ अंतरित किए गए थे।

यह अवलोकित किया गया है कि विभाग द्वारा अपेक्षित मिलान नहीं किए गए थे और इसकी

कोई रिपोर्ट वित्त विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार, मिलान के अभाव में विभाग विभागीय आंकड़ों की यथार्थता के लिए स्वयं को आश्वस्त नहीं कर सका।

3.11 निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा में सीमाएं

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग नगर निकायों के वितीय विवरण को प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित नगर निकायों के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार (जनवरी 2022) कि स्टाम्प शुल्क, नगर निगमों/परिषदों/नगरपालिकाओं की आय है। यह श्ल्क राजस्व विभाग द्वारा एकत्र किया जाता है और स्थानीय निकायों (विभाग) को अंतरित किया जाता है। स्थानीय लेखापरीक्षा संबंधित अभिलेख और रजिस्टर में शुल्क की गणना और लेखांकन की जांच करती है। आगे, यह भी अवगत कराया गया था कि स्टाम्प श्ल्क (एम.सी. शेयर) के मिलान के अभिलेख पर राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विधिवत मृहर लगाई गई है और सत्यापित किया गया है। कोई अन्य अभिलेख स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग की लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार में नहीं है जिसके विरूद्ध मिलान किया जा सके। यह देखा गया है कि निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग ने नगरपालिका उद्ग्रहण के निर्धारण, संग्रहण की प्राप्ति और अंतरण के संबंध में अधिदेश सीमा का दावा किया है। लेखापरीक्षा में यह निर्धारित किया गया है कि यह निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग पर निर्भर है कि वह इस मामले के महत्व को देखते हुए आश्वासन प्राप्त करे। यह पद्धिति निर्धारित करना निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग पर निर्भर है और इसमें लेखांकन प्राधिकारियों, वित्त विभाग, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, संबंधित उपायुक्तों जिन्हें इस उद्ग्रहण के अंतरण का कार्य सौंपा गया है और/या राज्य सरकार के प्राथमिक लेखापरीक्षकों से आश्वासन प्राप्त करना शामिल हो सकता है। अप्रैल 2012 से इस उदग्रहण के अंतरण की प्रक्रिया में परिवर्तन हरियाणा नगर निगम अधिनियम और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था और इसके परिणामस्वरूप नगर निकायों को देय राशि से इनकार किया गया तथा और स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा नगर निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में अपने कार्यों में हाइलाइट किया जाने वाला क्षेत्र होना चाहिए था।

3.12 निष्कर्ष

यह देखा गया है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान नगर निकायों के कारण वर्ष के अंत में बकाया नगरपालिका उद्ग्रहण ₹ 663.35 करोड़ (मार्च 2018 के अंत में) से ₹ 2,178.98 करोड़ (मार्च 2021 के अंत तक) के मध्य था। नगर निकायों को निधियों के अंतरण में विलंब था तथा राज्य सरकार की विभिन्न कार्यक्षमताओं द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रियाओं में किमियां/आंतरिक नियंत्रण का अभाव देखा गया था।

कार्यालय अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस (17 मई 2022) में इस मामले पर चर्चा की गई। विभाग ने उत्तर दिया कि विसंगतियों की जांच करने और दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं की कार्रवाई का समन्वय किया जा रहा है।

अध्याय-4 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 4

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के कार्यान्वयन की विषय विशिष्ट अन्पालन लेखापरीक्षा

अनुचित पहचान, गैर-सत्यापन तथा पीएम-िकसान योजना की निगरानी में चूक के कारण राज्य सरकार के पेंशनरों को ₹ 131.40 लाख के लाभ वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, आयकरदाताओं और अयोग्य लाभार्थियों को वितरित की गई राशि की वसूली नहीं हुई, परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ दिए गए, जिन लाभार्थियों के पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें लाभ दिया गया, मृतक लाभार्थियों को लाभ दिया गया, ₹ 420.38 लाख की राशि के प्रशासनिक व्यय की प्राप्ति नहीं हुई, भौतिक सत्यापन हेतु लंबित लाभार्थियों को लाभ जारी किए गए, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना नहीं हुई तथा भौतिक सत्यापन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

प्रारंभिक विवरण और लेखापरीक्षा रणनीति

4.1 प्रस्तावना

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों के लिए आय सहायता तथा जोखिम से राहत प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए आय सहायता प्राप्त होती है।

प्रधानमंत्री-किसान योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें भारत सरकार का 100 प्रतिशत वित्त पोषण है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण माध्यम के अंतर्गत परिचालित है। इस योजना के अंतर्गत, देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को विनिर्दिष्ट अपवर्जन के साथ ₹ 6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता, हर चार माह में ₹ 2,000 की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है।

4.2 वितीय प्रबंधन

पात्र किसानों को प्रत्येक चार माह/त्रैमासिक अर्थात् अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में ₹ 6,000 प्रति वर्ष का वितीय लाभ ₹ 2,000 की तीन किस्तों में जारी किया जाता है। अयोग्य किसानों द्वारा प्राप्त भुगतान या तो बैंक को अथवा राज्य सरकार के माध्यम से वापस किया जा सकता है। राज्य सरकार को ऐसे अयोग्य दावेदारों/प्राप्तकर्ताओं को डेटाबेस से हटाना और उन्हें भविष्य में भुगतान रोकना अपेक्षित है।

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य और मानदंड

लेखापरीक्षा इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि क्या लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन, लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया सहित योजना के वित्तीय प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, रिफंड और योजना के लिए उनके लेखांकन और निगरानी तंत्र के कुशल और प्रभावी प्रणाली स्थापित की गई थी।

लेखापरीक्षा मानदंड योजना के परिचालन दिशा-निर्देश, निधि अंतरण पर दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया योजना से संबंधित रिफंड तंत्र, व्यय की प्रतिपूर्ति, आदि जिला, राज्य और शीर्ष स्तर पर निगरानी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और राज्य और जिला स्तर पर स्थापित परियोजना निगरानी इकाई के निर्देश/निर्णय से प्राप्त किए गए थे।

4.4 लेखापरीक्षा का दायरा

22 जिलों, 140 ब्लॉकों और 7,356 गांवों में से सात जिलों 1, 14 ब्लॉक (प्रत्येक चयनित जिले से दो ब्लॉक) और 84 गांवों (प्रत्येक चयनित खंड से छः गांव) को याद्दिष्ठिक रूप से चुना गया था। 31 मार्च 2021 तक, 19,41,706 लाभार्थियों में से कुल 2,520 लाभार्थियों (प्रत्येक चयनित गांव से 30 लाभार्थी) को राज्य में जनसंख्या वितरण के प्रतिशत को वेटेज देते हुए क्रमशः सामान्य, अन्सूचित जाति और अन्सूचित जनजाति की श्रेणियों में चुना गया था।

4.5 लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन पर लेखापरीक्षा परिणाम

4.5.1 राज्य सरकार के पेंशनरों को संवितरित किए गए अनियमित लाभ र ₹ 131.40 लाख

योजना के संशोधित परिचालनगत दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.1 (बी) iii के अनुसार 'केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी तथा सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालय/स्वायत संस्थाएं तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर) तथा अनुच्छेद 4.1 (बी) iv के अनुसार सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन ₹ 10,000 या इससे अधिक है (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर) योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा के दौरान, ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग प्रणाली (ई-पेंशन) का डेटा (मई 2021) जिसका उपयोग राज्य पेंशनरों को पेंशन लाभ के संवितरण के लिए किया जाता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से प्राप्त किया गया था। प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों के दिसंबर 2020 से मार्च 2021 की तिमाही से संबंधित पहली से सातवीं किस्त से संबंधित डेटा, जिसके लिए निधि अंतरण आदेश पर हस्ताक्षर करके अपलोड किए गए थे, को डाउनलोड किया गया था और आधार संख्या को विशिष्ट विशेषता के रूप में लेते हुए ई-पेंशन पोर्टल के डेटा के साथ मैप किया गया। 1,53,393 पेंशनरों के आंकड़ों में से केवल 87,554 को आधार संख्या के साथ चिहिनत किया गया था। यह पाया गया कि ग्रुप-सी और उससे ऊपर की श्रेणी के कर्मचारियों के 1,251 लाभार्थी राज्य सरकार से पेंशन के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ ले भी रहे थे। उन्हें ₹ 128.60 लाख की राशि की 6,430 किस्तें प्राप्त हुई थीं। यह भी पाया गया कि 400 मामलों में जहां कर्मचारियों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया था, उन्हें ₹ 45.78 लाख की राशि की 2,289 किस्तें प्राप्त हुई थीं।

-

गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, सिरसा, करनाल और पानीपत।

आगे, भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल से एकत्र किए गए ई-पेंशन पोर्टल के डेटा तथा 86,699 पेंशनरों के डेटा को भी बैंक खाता संख्या को विशिष्ट विशेषता के रूप में लेते हुए प्रधानमंत्री किसान के डेटा के साथ मैप किया गया था। यह पाया गया कि 1,895 सामान्य खाता नंबर थे जिनमें ₹ 211.02 लाख की पेंशन और लाभ 10,551 किश्तों में जमा किया गया था। इन मामलों में कर्मचारियों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया था।

यह भी अवलोकित किया गया कि 2,520 चयनित लाभार्थियों में से 25 लाभार्थियों की पहचान पेंशनरों/सरकारी कर्मचारी/सरकारी नौकरी में पति/पत्नी/पेशेवर आदि के रूप में की गई और उन्हें योजना के अंतर्गत ₹ 2.80 लाख का लाभ प्राप्त हुआ।

योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.2 में प्रावधान है कि अपवर्जन के उद्देश्य से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार लाभार्थियों द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर लाभार्थी की पात्रता को प्रमाणित कर सकती है। गलत स्व-घोषणा के मामले में, लाभार्थी हस्तांतरित वितीय लाभ की वसूली और विधि अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार ₹ 131.40 लाख (₹ 128.60 लाख + ₹ 2.80 लाख) की वसूली की प्रक्रिया ग्रुप-सी और ऊपर श्रेणी के कर्मचारियों/अन्य अपात्रों के 1,276 (1,251 + 25) लाभार्थियों के विरुद्ध विस्तृत सत्यापन के बाद शुरू की जा सकती है। आगे, 2,295 (400+1,895) लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में स्व-घोषणा को सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि वे निश्चित पेंशनर हैं और उन्हें योजना के लाभ के रूप में ₹ 256.80 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 3,571 (1,251+400+1,895+25) लाभार्थियों के पुन: सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा 1,857 लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है और पोर्टल पर निष्क्रिय कर दिया गया है। इन लाभार्थियों से वस्त्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि 1,714 लाभार्थियों का पुन: सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

4.5.2 आयकर दाताओं एवं अयोग्य लाभार्थियों को संवितिरित की गई राशि की वस्ली न करना - ₹ 40.65 करोड़

भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री-िकसान योजना के अंतर्गत गलत/अयोग्य लाभार्थियों को क्रेडिट किए गए रिफंड के लिए मानक संचालन प्रक्रिया" विषय पर जारी दिनांक 2 जून 2020 के कार्यालय ज्ञापन एफ.नंबर 1-6/2019-एफ़डब्ल्यूएस के अनुसार यदि राज्य सरकार द्वारा गलत/अयोग्य प्राप्तकर्ता की पहचान की जाती है, तो राज्य सरकार उस व्यक्ति से धनराशि की वसूली करेगी और उस व्यक्ति को पावती देगी।

आगे, योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.1 (बी) v के अनुसार पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

1 जून 2021 को प्रधानमंत्री किसान पोर्टल से निकाले गए आंकड़ों से यह पाया गया कि 3,131 अयोग्य किसानों को ₹ 2,000 के दर से 16,802 किस्तों में ₹ 336.04 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। इन अयोग्य लाभार्थियों में से केवल 51 किसानों ने ₹ 4.14 लाख की 207 किस्तों

को वापस कर दिया था। इसी प्रकार, इस योजना के अंतर्गत आने वाले 38,109 आयकर दाताओं को ₹ 2,000/- की दर से ₹ 3,733.54 लाख की 1,86,677 किस्तें प्राप्त हुई थीं। जिसमें से केवल चार किसानों ने ₹ 0.46 लाख की राशि की 23 किस्तें वापस कर दी थी। इस प्रकार, अयोग्य तथा आयकर दाताओं को ₹ 4,069.58 लाख की राशि जारी की गई है, जिसमें से केवल ₹ 4.60 लाख की वसूली की गई है और ₹ 4,065.00 लाख की राशि की वसूली अभी बाकी है (मई 2021)।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि 246 अयोग्य लाभार्थियों से ₹ 23.94 लाख तथा 1,455 आयकर दाता लाभार्थियों से ₹ 138.02 लाख की वसूली की जा चुकी है। भारत सरकार के सुझाव के अनुसार शेष अयोग्य/आयकर दाता लाभार्थियों से शेष राशि की वसूली बैंकों के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है।

4.5.3 परिवार के एक से अधिक सदस्यों को दिए गए लाभ - ₹ 4.48 लाख

योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3 के अनुसार भूमिधारक किसान के परिवार को "परिवार, जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिनके पास संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेख के अनुसार खेती योग्य भूमि है" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

परिवार मानदंड की परिभाषा का पता लगाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल एक सदस्य योजना के लिए पात्र है, लाभार्थियों के साथ-साथ उनके पति या पत्नी और नाबालिग बच्चों की 'आधार संख्या' आवेदन-पत्र के बिंद् के अन्सार अपेक्षित है।

2,520 चयनित लाभार्थियों में से 39 लाभार्थी अपने पित/पत्नी/नाबालिग बच्चों सिहत योजना के ₹ 4.48 लाख² का लाभ ले रहे थे। आगे, 651 लाभार्थियों ने अपने पित/पत्नी/नाबालिग बच्चों के 'आधार संख्या' का उल्लेख नहीं किया था। अतः उपर्युक्त 39 पिरवारों का पुनः सत्यापन किया जाना चाहिए और योजना की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए 651 लाभार्थियों के पित/पत्नी/नाबालिग बच्चों की आधार संख्या एकत्र की जानी चाहिए।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि 38 लाभार्थियों का लाभ अवरुद्ध/निष्क्रिय/फ्रीज कर दिया गया है तथा पुनः सत्यापन के बाद वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। एक मामले में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

आगे, 651 लाभार्थियों में से, 354 लाभार्थियों की आधार संख्या का उल्लेख किया गया है और आवेदन-पत्र अपडेट किए गए हैं। शेष 297 लाभार्थियों के मामले में पुन: सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

4.5.4 उन लाभार्थियों को लाभ दिया गया जिनके पास कृषि भूमि नहीं है - ₹ 2.82 लाख

यह योजना देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को कृषि योग्य भूमि रखने के लिए आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लाभ की गणना के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 2,520 चयनित लाभार्थियों में से 2,053 आवेदन पत्रों की

_

राशि की गणना पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के बीच प्राप्त न्यूनतम भुगतान को लेकर की गई है।

संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 18 आवेदन प्रपत्रों पर भूमि अभिलेख (खेवट संख्या, खसरा संख्या आदि) का विवरण अंकित नहीं था तथा 42 प्रपत्रों में गलत प्रविष्टियां थीं। तथापि, इन लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ भी मिल रहा था। लाभार्थियों के शेष 1,993 आवेदन पत्रों में उल्लिखित भूमि अभिलेख जमाबंदी द्वारा सत्यापित किया गया है और यह पाया गया है कि 19 लाभार्थियों के पास कृषि भूमि नहीं थी और योजना के अंतर्गत ₹ 2.82 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। इन लाभार्थियों के पास या तो आवासीय/गैर-मुमिकन भूमि थी या वे भूमिहीन थै।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि 18 लाभार्थियों में से नौ पात्र पाए गए तथा तीन लाभार्थी सत्यापन की प्रक्रिया में हैं। छः लाभार्थी अयोग्य पाए गए और निष्क्रिय किए गए; वसूली की प्रक्रिया श्रूरू कर दी गई है।

42 आवेदन पत्रों में से 31 लाभार्थी पात्र पाए गए थे और दो लाभार्थी सत्यापन की प्रक्रिया में हैं। नौ लाभार्थी अयोग्य पाए गए और निष्क्रिय किए गए; वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 19 लाभार्थियों में से दो लाभार्थी सत्यापन की प्रक्रिया में हैं और 17 लाभार्थी अयोग्य पाए गए और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया; वसूली की प्रक्रिया श्रू कर दी गई है।

सिफारिश: अपात्र लाभार्थियों के डाटाबेस पोर्टल पर निष्क्रिय किया जाए तथा अपात्र लाभार्थियों को अनियमित भ्गतान की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

4.5.5 लाओं के संवितरण में विलंब

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹ 6000/- की आय सहायता तीन समान किस्तों में या प्रत्येक चार माह में ₹ 2,000/- की आय सहायता प्रदान की जाती है। लेखापरीक्षा के दौरान, 103 लाभार्थियों की पहचान की गई, जिनको चार से 32 माह की देरी से लाभ जारी किए गए थे। लाभों के विलंबित संवितरण के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि विलंब उनके सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली डाटा का मिलान न होने के कारण था। फील्ड स्टाफ द्वारा इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया है, किंतु लाभार्थियों की धीमी प्रतिक्रिया के कारण ऐसी देरी होती है। आगे, भविष्य में इस प्रकार की देरी से बचने के लिए और कठोर प्रयास किए जाएंगे।

4.5.6 मृतक लाभार्थियों को दिए गए लाभ

2,520 चयनित लाभार्थियों में से 66 मृत लाभार्थियों की पहचान की गई। सभी मृतक लाभार्थियों की स्थिति सक्रिय थी। विभाग ने संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार मृतक लाभार्थी के उत्तराधिकारी को लाभ देने के लिए कोई पहल नहीं की थी।

विभाग ने न तो इन मृत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया और न ही इस संबंध में योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया।

यह भी अवलोकित किया गया कि गुरुग्राम में 9 जुलाई 2021 और फरीदाबाद में 22 जुलाई 2021 को लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित किए जाने के बाद भी तीन मृतक लाभार्थियों

(गुरुग्राम³ में दो और फरीदाबाद⁴ में एक) को अगस्त 2021 में ₹ 0.06 लाख का लाभ जारी किया गया था।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 79 मृत लाभार्थियों में से 13 जीवित एवं पात्र पाए गये, तथापि शेष 66 लाभार्थियों का लाभ रोक दिया गया है। वस्ली/रिफंड के प्रयास भी श्रू कर दिए गए हैं।

4.5.7 आधार सुधार के लंबित होने के कारण लाओं से वंचित होना

योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 10.2 के अनुसार सभी लाभार्थियों से आधार संख्या एकत्र की जाएगी और अगस्त से दिसंबर 2019 की तिमाही से संबंधित सभी किस्तों का भुगतान केवल आधार से जुड़े डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 24,516 मामले (17 जून 2021) अभी भी आधार सुधारने के लिए लंबित हैं और योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थे। महानिदेशक कार्यालय ने कई बार लंबित आधार प्रकरणों में सुधार के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया है किंत् अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि फील्ड स्टाफ द्वारा प्रयास किए गए हैं, 17 जून 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक 4,498 आधार सुधार किए गए हैं। सभी क्षेत्राधिकारियों को भी ऐसे लाभार्थियों से परम अग्रता पर संपर्क कर कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

4.5.8 योजना के अनियमित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को लाभ से वंचित

दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत बचे हुए किसानों को स्वयं को पंजीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पोर्टल पर स्व-पंजीकरण कार्यक्षमता शुरू की गई थी किंतु पंजीकरण प्रक्रिया राज्य की मंजूरी के बाद ही सफलतापूर्वक पूरी की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 31 मई 2021 तक 5,51,094 किसान थे जिन्होंने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर स्व-पंजीकरण करवाया था। इसमें से 3,02,156 किसानों का पंजीकरण स्वीकार किया गया था, 63,771 किसानों का पंजीकरण अस्वीकार कर दिया गया था और 1,85,167 किसानों का पंजीकरण अभी भी सत्यापन के लिए लंबित है जो कुल स्व-पंजीकृत किसानों का 34.00 प्रतिशत है। आगे, यह भी अवलोकित किया गया कि छः जिले (अंबाला, फरीदाबाद, झज्जर, पंचकुला, पानीपत और रेवाड़ी) हैं जहां लगभग 50 प्रतिशत मामले लंबित हैं। इस लंबित पंजीयन को विभाग के पदािधकारियों द्वारा न तो अस्वीकार किया गया है और न ही स्वीकार किया गया है।

प्रधानमंत्री-किसान योजना किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण अग्रणी योजना है जिसमें लाभार्थियों के खाते में लाभ के अंतरण के लिए सटीक लाभार्थी सूची की समयबद्ध

³ यूनिक नंबर - एचआर 126870308 तथा एचआर 256283180.

⁴ यूनिक नंबर - एचआर 116394261.

तैयारी/सुधार सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने 2021 के मई माह में योजना की आठवीं किस्त जारी की है। इस प्रकार, 1,85,167 लाभार्थी अभी भी योजना के लाभ से वंचित थे।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि भू-राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों का सत्यापन न किए जाने के कारण स्व-पंजीकृत किसानों का सत्यापन लंबित था। भारत सरकार ने कुछ राज्यों में धोखाधड़ी की घटनाओं के कारण स्वयं/सीएससी पंजीकृत किसानों के अनुमोदन की प्रक्रिया को रोकने का भी निर्देश दिया (जनवरी 2021)। भारत सरकार ने अब स्वयं/सीएससी पंजीकृत किसानों के मॉड्यूल को खोल दिया है (अक्टूबर 2021) और फील्ड स्टाफ को तदनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

4.5.9 अयोग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा न करना

महानिदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला ने 19 जनवरी 2021 को आयोजित बैठक में भारत सरकार द्वारा निर्देशित योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता के संबंध में उप निदेशकों को 3 मार्च 2021 को निर्देश जारी किए। इसके उद्देश्य के लिए यह अनिवार्य था कि पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम/वार्ड स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशित की जाए। सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से अयोग्य लाभार्थियों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए इसका आकलन किया गया था।

सभी उप निदेशकों को योजना के पात्र लाभार्थियों की सूची को ग्राम/वार्ड स्तर पर प्रकाशित करना अपेक्षित था। सूची प्रकाशित करने हेतु ग्राम स्तर पर सरपंच और वार्ड स्तर पर पटवारी/पार्षद से भी सत्यापित किया जाना अपेक्षित था। इसे 10 फरवरी 2021 से पहले पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एक भी जिले ने ग्राम/वार्ड स्तर पर की गई सामाजिक लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। विभाग सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति एवं परिणाम प्रदान करने में असमर्थ था। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हरियाणा राज्य में 3,131 अयोग्य लाभार्थी हैं, जिन्होंने योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है, जिनमें से 1,222 लाभार्थियों को दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान जारी सातवीं किस्त तक लाभ प्राप्त हुआ है।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि प्रारंभ में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा की जा रही थी परंतु प्रतिवेदनों को समेकित नहीं किया गया था। अब क्षेत्रीय कार्यालयों ने सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को समेकित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया है। यह अवलोकित किया गया है कि 20,204 लाभार्थी अयोग्य/मृतक पाए गए और उनके खातों को निष्क्रिय कर दिया गया है।

4.6. निधि प्रबंधन

4.6.1 प्रशासनिक व्यय की प्राप्ति न होना - ₹ 420.38 लाख

योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 8 के अनुसार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में केंद्रीय स्तर पर परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की जाएगी। इस परियोजना

निगरानी इकाई को योजना की समग्र निगरानी की जिम्मेदारी और इसका नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। परियोजना निगरानी इकाई प्रचार अभियान (सूचना, शिक्षा और संचार) भी चलाएगा। केंद्रीय स्तर पर परियोजना निगरानी इकाई की तर्ज पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर समर्पित परियोजना निगरानी इकाई स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। लाभार्थियों को अंतरित किस्तों की राशि के लिए 0.125 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को उनके परियोजना निगरानी इकाई पर व्यय को कवर करने के लिए अंतरित किया जा सकता है, यदि स्थापित हो और स्टेशनरी की खरीद, क्षेत्र सत्यापन, निर्धारित प्रारूपों को भरना, उनका प्रमाणीकरण तथा इसे अपलोड करने के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन, प्रचार आदि क्षेत्र के लिए होने वाली लागत सहित अन्य संबंधित प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उस लेखे का विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक प्रभार जमा किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देय प्रशासनिक प्रभार भारत सरकार द्वारा कार्य की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग को विभाग को दसवीं किस्त तक देय ₹ 420.38 लाख के कुल प्रशासनिक व्यय के विरूद्ध मात्र ₹ 70.50 लाख प्राप्त हुए (15 जून 2021)। अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि विभाग ने संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रधानमंत्री किसान योजना से कई बार प्रशासनिक खर्चों का दावा किया था, किंतु मार्च 2022 तक सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली के व्यय अग्रिम अंतरण मॉड्यूल के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं करने के कारण इसे जारी नहीं किया गया था।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार जारी निधियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड करने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने का कार्य विभाग दवारा किया जाता है।

4.6.2 सार्वजिनक वितीय प्रबंधन प्रणाली अस्वीकृति के कारण लाओं से वंचित होना

संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 10.4 के अनुसार, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को देय राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाना है। सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का उपयोग करते हुए विभाग के मान्यता प्राप्त बैंक और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रायोजक बैंक के माध्यम से, गंतव्य बैंकों में रखे गए लाभार्थियों के खाते में राशि प्रवाहित होगी। लाभार्थी के विवरण की शुद्धता, लाभार्थी के गलत/अध्रे बैंक विवरण के मामले में त्वरित समाधान राज्य सरकारों द्वारा लाभार्थी के खाते में समय पर भगतान के लिए स्निश्चित किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 26,464 लाभार्थी (19 अक्तूबर 2021) सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली अस्वीकृति के कारण लाभों से वंचित थे। सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली अस्वीकृति बैंक खाता संख्या, आईएफएससी तथा लाभार्थियों के बैंक खाते के प्रकार में त्रुटि के कारण होती है। इस संबंध में, लाभार्थियों के बैंकिंग विवरण में सुधार के लिए क्षेत्र के पदाधिकारियों को कई पत्र जारी किए गए थे किंतु सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली अस्वीकृति के 26,464 मामले अभी भी सुधार के लिए लंबित थे। लाभार्थियों के आंकड़ों की शुद्धता राज्य सरकार की

जिम्मेदारी है। इस प्रकार, योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 26,464 लाभार्थी लाभ से वंचित रहे।

आगे, 2,520 नमूना जांच किए गए लाभार्थियों में से 45 लाभार्थियों को सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली सत्यापन लंबित होने के कारण लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था।

उत्तर (15 दिसंबर 2021) में विभाग ने बताया कि फील्ड स्टाफ द्वारा प्रयास किए गए हैं और 10 दिसंबर 2021 तक 5,184 सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली डाटा सुधारे गए हैं। लाभार्थियों की धीमी प्रतिक्रिया के कारण शेष मामलों में सुधार अभी भी लंबित है। सभी क्षेत्राधिकारियों को भी ऐसे लाभार्थियों से परम अग्रता पर संपर्क कर कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

4.6.3 भौतिक सत्यापन हेत् लंबित लाभार्थियों को जारी लाभ - ₹ 8.84 लाख

योजना के लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए 17 सितंबर 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिपत्र जारी होने की तारीख से दो माह के अंदर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी थी। भौतिक सत्यापन के लिए प्रदान की गई लाभार्थियों की सूची में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन न करने से भविष्य में बहुत से भुगतान नहीं होंगे।

भौतिक सत्यापन की स्टेटस रिपोर्ट (6 अक्तूबर 2021) में बताया गया है कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 82,005 और 1,58,232 लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन के लिए याद्दिछक रूप से चुना गया था। 2020-21 के दौरान, 82,005 में से 70,413 लाभार्थियों का सत्यापन किया गया था तथा 3,223 लाभार्थियों को अयोग्य/मृतक पाया गया था, जो सत्यापित लाभार्थियों का 4.58 प्रतिशत है। इसी प्रकार, 2021-22 के दौरान 1,58,232 में से 29,040 लाभार्थियों का सत्यापन किया गया था और 629 लाभार्थी अयोग्य/मृतक पाए गए थे, जो सत्यापित लाभार्थियों का 2.17 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चयनित नमूने में, 190 लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन के लिए चुना गया था, जिसमें से वर्ष 2020-21 के 21 लाभार्थियों को ₹ 2.12 लाख का लाभ प्राप्त हुआ और वर्ष 2021-22 के 169 लाभार्थियों को ₹ 6.72 लाख का लाभ प्राप्त हुआ जो कि मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधान के विरुद्ध था। चूंकि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए अयोग्यता/मृतक प्रतिशत क्रमशः 4.58 प्रतिशत और 2.17 प्रतिशत है, इसलिए इस बात से मना नहीं किया जा सकता है कि अयोग्य/मृतक लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन सूची में अधिसूचित होने के बाद लाभ प्राप्त हुआ है।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि उपर्युक्त 190 लाभार्थियों (लेखापरीक्षा के दौरान नमूने हेतु चयनित) के लाभ रोक दिये गए हैं किंतु विभाग ने चयनित नमूने के अतिरिक्त भौतिक सत्यापन हेतु लंबित लाभार्थियों पर कार्यवाही नहीं की।

4.7 निगरानी तथा मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा परिणाम

4.7.1 परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना न करना

योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 8 के अनुसार, केंद्रीय स्तर पर परियोजना

निगरानी इकाई की स्थापना कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की जाएगी। इस परियोजना निगरानी इकाई को योजना की समग्र निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तथा अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा की जाएगी। परियोजना निगरानी इकाई प्रचार अभियान (सूचना, शिक्षा और संचार-आईईसी) भी चलाएगी। केंद्रीय स्तर पर परियोजना निगरानी इकाई की तर्ज पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर समर्पित परियोजना निगरानी इकाइयां स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। लाभार्थियों को अंतरित किस्तों की राशि का 0.125 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को उनके परियोजना निगरानी इकाई पर व्यय को सम्मिलित करने, यदि स्थापित हो तथा अन्य संबंधित प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए स्टेशनरी की खरीद, क्षेत्र सत्यापन के लिए व्यय की जाने वाली लागत सहित निर्धारित प्रारूपों को भरना, उनका प्रमाणीकरण और इसे अपलोड करना और साथ ही क्षेत्र के पदाधिकारियों के लिए प्रोत्साहन, प्रचार आदि के लिए अंतरित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने 16 जून 2021 तक योजना की समग्र निगरानी के लिए समर्पित परियोजना निगरानी इकाई स्थापित नहीं की है। योजना के शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री किसान योजना का कार्य परियोजना निगरानी इकाई को सौंपा गया था, जिसे माह जनवरी 2019 में विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों के लिए स्थापित किया गया था। विभाग के परियोजना निगरानी इकाई में कार्यरत कर्मचारी सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर हैं जो किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का कार्य करते हैं। परियोजना निगरानी इकाई पर कार्य का अधिक बोझ होने के कारण, प्रधानमंत्री किसान योजना के कार्य पर निगरानी की अनदेखी के परिणामस्वरूप स्व-पंजीकृत किसानों का सत्यापन लंबित होना, आयकर दाताओं और अयोग्य किसानों से वसूली न होना, प्रशासनिक व्यय की प्राप्ति न होना, शिकायतों के निपटान में देरी, लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन में देरी, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों की गैर-संतृप्ति और सुधार के लिए लंबित लाभार्थियों के कार्य लंबित हुए। यदि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान के लिए समर्पित परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना की होती तो उपर्युक्त किसयों को आसानी से ठीक किया जा सकता था।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने बताया कि समर्पित परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना माह अक्तूबर 2021 में की गई है।

4.7.2 भौतिक सत्यापन के लक्ष्य की प्राप्ति न होना

योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 10.5 के अनुसार "वर्ष के दौरान पात्रता के लिए लगभग पांच प्रतिशत लाभार्थियों की जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए"। आगे, 17 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा वार्षिक पांच प्रतिशत भौतिक सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निदेशालय कार्यालय ने इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को कई अनुस्मारक जारी किए हैं, किंतु यह वर्ष 2020-21 के लिए अभी तक पूरा नहीं किया गया था। चूंकि कुल 82,005 लाभार्थियों को याद्दिछक (रैंडम) रूप से चुना गया था और भारत सरकार द्वारा विभाग को प्रदान किया गया था। 10 जून 2021 तक 65,470 लाभार्थियों का सत्यापन

पूरा हो चुका था, जिनमें से 2,390 लाभार्थी अयोग्य थे। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किसी भी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। 16,535 लाभार्थी अभी भी सत्यापन के लिए लंबित हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 22 जिलों में से केवल आठ जिलों ने पंजीकृत लाभार्थियों का अनिवार्य पांच प्रतिशत भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है। तथापि, उप-निदेशक कृषि विभाग रोहतक के कार्यालय ने 3,832 लाभार्थियों में से केवल एक लाभार्थी का सत्यापन किया है। उप-निदेशक कृषि विभाग अंबाला, भिवानी, सिरसा, सोनीपत के कार्यालयों में बहुत ज्यादा देरी पाई गई। भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए भौतिक सत्यापन के लिए चयनित लाभार्थियों की सूची भी प्रदान की है, किंतु विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इसकी पहल नहीं की गई थी। यदि विभाग ने योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रावधान (पांच प्रतिशत भौतिक सत्यापन) को कार्यान्वत किया होता तो अयोग्य लाभार्थियों का पहले ही पता लगाया जा सकता था।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने भौतिक सत्यापन के लक्ष्य को पूर्ण करने में विलंब को स्वीकार किया तथा बताया कि शीघ्र ही प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

4.7.3 हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रणाली विकसित न करना


हितधारकों की फीडबैक सेवाओं में सुधार तथा योजना के मूल्यांकन में सहायक होती है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने योजना के कार्यान्वयन के दौरान योजना के हितधारकों अर्थात् लाभार्थियों, बैंकों और भूमि अभिलेख विभाग से फीडबैक प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी।

उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि भारत सरकार से हितधारकों की फीडबैक के लिए प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर लिंक डालने का अनुरोध किया जा रहा है।

4.8 सिफारिशें

लेखापरीक्षा परिणामों के आलोक में, विभाग निम्नलिखित पर विचार करे:

- अयोग्य लाभार्थियों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से और समय पर भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए;
- मृत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए;
- परिवार में एक से अधिक लाभार्थी की पहचान के लिए पति/पत्नी/नाबालिग बच्चों की आधार संख्या डेटाबेस में दर्ज की जानी चाहिए; तथा
- शिकायतों को समय पर और श्रेणीबद्ध ढंग से निपटाया जाना चाहिए।
 उत्तर में (15 दिसंबर 2021), विभाग ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।



अध्याय 5

अन्पालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

5.1 ₹ 2.76 करोड़ का गबन

हरियाणा सरकार के ई-वेतन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन में सिस्टम की किमयों तथा खजाना कार्यालय की ओर से लापरवाही के कारण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी के अधिकारियों ने प्राप्तकर्ता कर्मचारियों के यूनीक कोड में हेरफेर किया और ₹ 2.76 करोड़ का गबन किया।

हिरियाणा सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मासिक आधार पर वेतन बिल तैयार करने के बोझ को कम करने और खजाना संचालन की दक्षता में सुधार के लिए सभी सरकारी विभागों में ई-वेतन की अवधारणा प्रारंभ की (अगस्त 2011)। प्रत्येक कर्मचारी को उसके संबंधित बैंक को उसके वेतन तथा अन्य देय राशि के अंतरण के लिए छ: वर्णों का एक यूनीक कोड दिया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता का यूनीक कोड कहा जाता है। आगे निर्देशों के अनुसार (24 जनवरी 2012), प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड का आबंटन ऑनलाइन किया गया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी किसी भी प्राप्तकर्ता को प्राप्तकर्ता का यूनीक कोड आबंटित करने के लिए ई-वेतन मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। ई-वेतन पोर्टल पर, कर्मचारी लॉगिन सुविधा है जिसे प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड के साथ प्रयोक्ता नाम और पासवर्ड के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। कर्मचारी के पास प्रोफाइल को एडिट करने, पासवर्ड बदलने और प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड को लॉक-अनलॉक करने के तीन विकल्प हैं। प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड को लॉक-अनलॉक करने के तीन विकल्प हैं। प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड को लॉक-अनलॉक करते हुए, कर्मचारी अपने यूनीक कोड को लॉक कर सकता है और भविष्य में यदि कोई प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड में अपना विवरण बदलना चाहता है, तो उसे पहले प्रयोक्ता से अपने यूनीक कोड विवरण को अनलॉक करने के लिए अनुरोध करना होगा, तब तक उसका विवरण परिवर्तन योग्य नहीं होगा।

बिलों को पारित करने के लिए दो-तरफा प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है जिसमें डीलेंग लिपिक को 'मेकर' कहा जाता है जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी से मंजूरी प्राप्त करता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को 'चेकर' कहा जाता है जो बदले में विशेष यूनीक कोड वाले कर्मचारी को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए मंजूरी के विवरण के बारे में स्वयं को संतुष्ट करता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी से संबंधित चयनित खजाना वाउचरों की नमूना-जांच के दौरान (सितंबर 2021) यह पाया गया कि ई-वेतन मॉड्यूल के माध्यम से सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने के बजाय लिपिक ने मैनुअल फाइल बनाई और भुगतान के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त की। इन संस्वीकृतियों को डीलिंग लिपिक द्वारा ई-वेतन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन पर अपलोड किया गया था, जिनकी बाद में चेकर अर्थात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। इसे भुगतान के लिए खजाना

में ऑनलाइन भेजा गया था। खजाना अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली) सृजित किया और डीलिंग लिपिक ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त किए तथा आदाताओं को भुगतान जारी करने के लिए इसे संबंधित बैंक को भेज दिया।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में नवंबर 2020 से अगस्त 2021 तक की अविधि से संबंधित खजाना वाउचरों की नमूना-जांच से पता चला कि पांच मामलों में, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण का एक से अधिक भुगतान तथा एक मामले में सामान्य भविष्य निधि का भुगतान कई खातों में किया गया था। यह देखा गया था कि ये भुगतान दो अनिधिकृत खातों में किए गए थे तथा निम्नलिखित प्रणालीगत किमयों के कारण ₹ 54.27 लाख का संदिग्ध गबन हुआ:

- 1. भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली के बावजूद, सेवानिवृत्त व्यक्ति को किसी भी भुगतान के लिए अनुमोदन तथा उसके विरुद्ध स्वीकृति को भौतिक रूप से प्रसंस्करित किया जाना जारी है, जिसके कारण सेवानिवृत्त व्यक्ति के छुट्टी नकदीकरण के एकल भुगतान के लिए एकल/एकाधिक स्वीकृतियां अपलोड करना संभव हो गया है।
- 2. लाभार्थी के किसी औपचारिक अनुरोध के बिना खाता संख्या बदल दी गई थी। आगे, मृत्यु के मामले में, मृतक के नाम को हटाने की प्रक्रिया, और सभी बकाया के लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए नया यूनिक कोड बनाना, इस मामले में नहीं किया गया था और बैंक खाता संख्या बदलकर हेरफेर किया गया था।
- 3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी भुगतान आदेशों पर यह झूठा अनुमोदन देने की सीमा तक उत्तरदायी था कि बैंक खाता, राशि और उल्लिखित व्यक्तियों के विवरण सही थे। बिना सतर्कता जांच के ही खजाना कार्यालय से बिल पास करा दिए गए।
- 4. इसके अलावा, स्चना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन में भी प्रणालीगत कमी थी क्योंकि एप्लिकेशन ने एक बैंक खाता नंबर के लिए एक से अधिक प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड और एक से अधिक प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड के लिए एक बैंक खाता नंबर के उपयोग की अनुमति दी थी।
- 5. यह भी देखा गया था कि केवल मेकर और चेकर ही दो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेतन बिल, चिकित्सा बिल, सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान बिल, सामान्य भविष्य निधि नॉन-िरफंडेबल एडवांस आदि जैसे स्थापना संबंधी बिलों में हेराफेरी की। इस प्रकार, मंडलीय गठन एवं खजाना के स्तर पर आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरी/आंतरिक नियंत्रणों की कमी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2021) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच की गई थी (नवंबर 2021)। यह पुष्टि की गई थी कि लिपिक ने फरवरी 2021 से सितंबर 2021 के दौरान अपने रिश्तेदारों के दो बैंक खातों में ₹ 2.76 करोड़ की राशि के कुल 81 लेन-देन अपने रिश्तेदारों के खाता नंबरों के साथ बैंक खाता नंबरों को

बदलकर/प्रतिस्थापित कर सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के आदाता के यूनिक कोड के विरुद्ध किए। जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रक्रियात्मक कमियों को भी प्रकट किया गया जिसके कारण कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चरखी दादरी के स्तर पर कपटपूर्ण भुगतान हुए।

- लिपिक के पास ई-वेतन पोर्टल के मेकर और चेकर का आईडी एवं पासवर्ड था। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड, ई-बिलिंग के साथ-साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग (डोंगल के माध्यम से) दोषी कर्मचारी अर्थात् जन स्वास्थ्य मंडल के लिपिक द्वारा किया जा रहा था। चूंकि एक ही व्यक्ति द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों का उपयोग किया जा रहा था इसलिए दोषी कर्मचारी ने लाभार्थियों के बैंक खातों को अपने रिश्तेदारों के खातों से बदल दिया। उसी अपराधी व्यक्ति को खजाना में मैसेंजर का कार्य तथा वेतन एवं अन्य स्थापना बिल तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने लिपिक द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने की अनुमित दी जिसके कारण कर्मचारियों के प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड में डेटा का परिवर्तन हुआ।
- खजाना कार्यालय भी कुछ बकाया वेतन एवं छुट्टी नकदीकरण बकाया बिलों में संस्वीकृति, बकाया प्रमाण-पत्र, देय एवं आहरित विवरण की जांच करने में विफल रहा।
- अन्य प्रक्रियागत चूकें यह थीं कि कार्यालय में सृजित बिलों की प्रविष्टि करने के लिए कोई बिल रजिस्टर नहीं बनाया गया था, खजाना को बिल सौंपने के लिए कोई टोकन रजिस्टर नहीं रखा गया था और कार्यालय में बिलों की कोई कार्यालय प्रति नहीं रखी गई थी। साथ ही, किसी भी कैशब्क का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार ई-वेतन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशनों में प्रणाली की कमियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने तथा खजाना कार्यालय की ओर से लापरवाही के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी के अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्राप्तकर्ता के यूनीक कोड में हेरफेर किया तथा ₹ 2.76 करोड़ का गबन किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (29 अप्रैल 2022) अपर मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि मामला सतर्कता के पास भेजा गया है और राशि की वस्ली के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस संबंध में दो अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट भी की गई है। अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि प्रणाली/ई-वेतन एप्लिकेशन में सुधार के लिए सिफारिशों को वित्त विभाग के पास भी भेजा गया है और इस संबंध में निर्णय अभी प्रतीक्षित है।

5.2 स्टॉक और वस्त्सूची प्रबंधन

स्टॉक लेनदेन के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया से विचलन था। स्टॉक उचंत के लेखांकन वर्गीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसके कारण कार्य प्रारंभ किए बिना या बंद किए गए कार्यों के लिए व्यय की बुकिंग हुई। ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली का प्रयोक्ता मैनुअल अद्यतन नहीं किया गया था। कोडल प्रावधानों के अनुसार स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। अप्रयुक्त माल लंबे समय से स्टोर में पड़ा था और बेकार/स्क्रैप मदों की वास्तविक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका था। अप्रचलित या बेकार मदों का निपटान नहीं किया गया था।

5.2.1 प्रस्तावना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तथा शहरी क्षेत्रों में प्रभावी सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग केंद्रीय रूप से पाइपों, फिटिंग, ब्लीचिंग पाउडर, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड आदि जैसी स्टॉक की मदों की खरीद करता है। प्रमुख अभियंता के कार्यालय में सामग्री प्रबंधन विंग मंडलीय संरचनाओं द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं को समेकित करने तथा महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान को वार्षिक दर अनुबंध पर इनकी व्यवस्था करने के लिए समेकित आवश्यकताओं को पृष्ठांकित करने के लिए उत्तरदायी है। वार्षिक दर अनुबंधों के विरुद्ध सामग्री प्रबंधन विंग द्वारा आपूर्ति आदेश दिए जाते हैं और आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके स्थान पर मंडलीय संरचनाओं को स्टॉक की मदें सुपुर्द की जाती हैं। संपूर्ण राज्य में 38 स्टोर (दिसंबर 2021 तक) हैं, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता कार्यकारी अभियंता द्वारा की जाती है। 7 दिसंबर 2021 को विभाग के पास ₹ 233.49 करोड़ की कुल स्टॉक की वस्तुसूची थी (जिसमें से ₹ 34.03 करोड़ उचंत शीर्ष के अंतर्गत था)।

5.2.2 स्टॉक के लेन-देन के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्र एवं राज्य सरकार के लिए समान लेखा सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इनमें अन्य के अलावा, सरकारी लेखांकन नियम, 1990 तथा प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची शामिल है। सिद्धांतों के अनुसार निर्माण कार्य विभागों द्वारा सामग्री (स्टॉक) की प्राप्ति से संबंधित लेन-देन में कार्य हेतु जारी, कार्य से स्टोर पर वापसी तथा लेखांकन इकाई के अंदर अंतर इकाई हस्तांतरण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- (i) प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार संबंधित राजस्व/पूंजीगत प्रमुख शीर्ष के लघु शीर्ष उचंत के अंतर्गत उप-शीर्ष स्टॉक के अंतर्गत डेबिट प्रविष्टि के माध्यम से परिसंपत्ति के रूप में खरीदी गई सामग्री की खरीद और वर्गीकरण। उचंत संचयिता के अंतर्गत स्टॉक का यह वर्गीकरण स्टॉक उचंत के रूप में जाना जाता है।
- (ii) स्टॉक उचंत को क्रेडिट किया जाता है और संबंधित कार्य के खाते में कार्य करने के लिए सामग्री के हस्तांतरण पर डेबिट किया जाता है।

- (iii) कार्यों के निष्पादन के दौरान सामग्री की प्राप्ति, भंडारण तथा उपयोग की निगरानी के लिए साइट पर सामग्री रजिस्टर रखा जाता है।
- (iv) संबंधित कार्य के लेखांकन वर्गीकरण को क्रेडिट करके और स्टॉक उचंत को डेबिट करके अधिशेष सामग्री को स्टोर में वापस कर दिया जाता है।

स्टॉक-उचंत के अंतर्गत सामग्री की खरीद के लिए ऐसे लेखांकन वर्गीकरण के अंतर्गत बजट के प्रावधान की आवश्यकता होती है।

5.2.3 निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया से विपथन के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडलों में पाई गई अनियमितताएं

वित्तीय वर्ष 2015-16 से, राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्टॉक-उचंत के अंतर्गत बजटीय आबंटन करना बंद कर दिया। स्टॉक-उचंत के अंतर्गत बजट के अभाव में स्टॉक की खरीद को कार्यों के लेखांकन वर्गीकरण के अंतर्गत सीधे वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जुलाई 2014 से सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की ई-बिलिंग प्रणाली (मॉइ्यूल) कार्यान्वित की। ई-बिलिंग प्रणाली में विभाग ने स्टॉक-उचंत से संबंधित लेखांकन वर्गीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, स्टॉक के लेन-देन के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने स्टॉक के लेन-देन के लिए वैकल्पिक लेखांकन प्रक्रिया तैयार नहीं की थी। कार्यों के लेखांकन वर्गीकरण के अंतर्गत सामग्री की खरीद के व्यय को सीधे दर्ज करके, किमयों जैसे वास्तविक उपयोग के बिना कार्य पर उपयोग किए गए स्टॉक को दर्शाना, लंबे समय तक कार्यों पर अप्रयुक्त स्टॉक, अन्य कार्यों के लिए स्टॉक के हस्तांतरण में लेखा-बहियों में कोई लेन-देन नहीं दर्शाता है, आदि देखे गए।

प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा के कार्यालय सिहत चार¹ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडलों की अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में स्टॉक के उपयोग की जांच की गई थी। अन्य पांच² मंडलों की भी जनवरी 2021 माह में नमूना-जांच की गई थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया था:

5.2.3.1 पाइपों की खरीद और कार्य आरंभ किए बिना कार्यों के लिए व्यय की बुकिंग

यह देखा गया था कि महाग्राम योजना के अंतर्गत दो कार्यों में ₹ 3.06 करोड़ मूल्य के डक्टाइल आयरन पाइप खरीदे गए और कार्यों को वास्तविक रूप से प्रारंभ किए बिना निर्माण कार्यों के लिए बुक किया गया था जैसा कि नीचे तालिका 5.2.1 में दर्शाया गया है:

-

⁽i) सिरसा संख्या 2, (ii) सोहना, (iii) सोनीपत संख्या 2 और (iv) तोशाम।

^{2 (}i) अंबाला कैंट, (ii) कैथल संख्या 1, (iii) कुरुक्षेत्र, (iv) नारायणगढ़ और (v) यमुनानगर संख्या 2.

तालिका 5.2.1: कार्यों को वास्तविक रूप से प्रारंभ किए बिना कार्यों के लिए व्यय की बुकिंग

क्र. सं.	मंडल और कार्य का नाम	अनुमानित राशि	कार्य हेतु पाइपों	जारी किए गए/ जारी किए	बुक किए गए पाइपों	जनवरी 2021 तक कार्य की
		₹ लाख में	की बुकिंग	नहीं गए	का मूल्य	स्थिति
			की तिथि	पाइप	₹ लाख में	
1	सोहना: जलापूर्ति योजना	917.60	नवंबर 2018	अभी तक (मार्च	156.98	कार्य ठेकेदार को
	का विस्तार जिला	(31ੀ (317)		2022) जारी नहीं		आबंटित नहीं
	गुरुग्राम (महाग्राम योजना			किया गया		किया गया
	के अंतर्गत)					
2	नारायणगदः जलापूर्ति	567.51	मार्च 2020	ठेकेदार को 9,380	149.36	कार्य अगस्त
	योजना का विस्तार	(जनवरी 2019)		मीटर में से 1,520		2021 में ठेकेदार
	बिलासपुर (महाग्राम			मीटर पाइप जारी		को आबंटित किया
	योजना के अंतर्गत)			किए गए थे		गया था।
		र ुल			306.34	

इस प्रकार, स्टॉक उचंत का रख-रखाव न करने के कारण पाइप की खरीद सीधे निर्माण कार्यों के लिए बुक की गई थी। एकीकृत वितीय प्रबंधन प्रणाली के लेखांकन प्रबंधन साफ्टवेयर एवं ई-बिलिंग मॉड्यूल में किमयों के कारण विभाग इन पाइपों का अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग करने में असमर्थ रहा जो आज तक भौतिक रूप से स्टॉक में पड़े थे।

5.2.3.2 पाइप का उपयोग न करना

यह देखा गया था कि ₹ 1.84 करोड़ की राशि के विभिन्न आकार के 6,112.45 मीटर डक्टाइल आयरन पाइप मई 2014 से फरवरी 2018 तक अप्रयुक्त पड़े थे जैसा कि नीचे **तालिका 5.2.2** में दिया गया है:

तालिका 5.2.2: चार मंडलों में उपयोग किए बिना रहे पाइपों की मात्रा और मूल्य

	• •	•
मंडल का नाम	पाइपों की मात्रा (मीटर में)	राशि (₹ लाख में)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तोशाम	589.55	26.79
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संख्या 2, सिरसा	500.00	36.43
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अंबाला कैंट	3708.90	93.45
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संख्या 1, कैथल	1,314.00	27.27
कुल	6,112.45	183.94

स्टोर बिन कार्ड के विश्लेषण से पता चला कि ये पाइप विभिन्न जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के लिए खरीदे गए थे। ये पाइप अधिशेष थे किंतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लेखांकन प्रबंधन सॉफ्टवेयर और ई-बिलिंग मॉड्यूल में किमयों के कारण अन्य निर्माण कार्यों/मंडलों में हस्तांतरित नहीं किए जा सके और ₹ 1.84 करोड़ की निधियां अवरुद्ध रही।

5.2.3.3 बंद कार्यों के लिए पाइप बुक रहे

यह देखा गया था कि मार्च 2011 तथा जनवरी 2021 के मध्य अलग-अलग अविधयों के बाद से ₹ 2.68 करोड़ की लागत के विभिन्न आकार के 28,465.50 मीटर डक्टाइल आयरन पाइप पांच मंडलों में पड़े हुए थे, इस तथ्य के बावजूद कि जिन कार्यों के लिए इन पाइपों को बुक किया गया था, उन्हें पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था। तथापि, पाइपों को अन्य कार्यों में हस्तांतरित नहीं किया जा सका। विवरण नीचे तालिका 5.2.3 में दिया गया है:

तालिका 5.2.3: बंद कार्यों के लिए ब्क रहे पाईपों की मात्रा एवं मूल्य

豖.	मंडल का नाम	अप्रयुक्त	अप्रयुक्त	बंद कार्यों	जनवरी 2022 से	
सं.		डक्टाइल	पाइपों	की संख्या	अप्रयुक्त पड़े पाइप	
		आयरन पाइप	की लागत	जिनसे पाइप	से	तक
		मीटर में	(₹ लाख में)	संबंधित है		
1	तोशाम	4,615.00	47.66	11	मार्च 2013	अगस्त 2018
2	सोनीपत संख्या 2	20,431.50	185.44	21	मार्च 2011	अगस्त 2016
3	कैथल संख्या 1	856.00	12.67	1	मई 2018	-
4	नारायणगढ़	1,233.00	11.75	1	फरवरी 2020	जनवरी 2021
5	यमुनानगर संख्या 2	1,330.00	10.09	2	सितंबर 2016	-
कुल		28,465.50	267.61			

5.2.3.4 पाइपों की अन्पलब्धता के कारण कार्य आरंभ होने में विलंब

एक ओर जहां पूर्ण किए गए कार्यों, अधिशेष स्टॉक आदि के लिए बुक किए गए मंडलों के पास अधिशेष स्टोर पड़ा हुआ था, कुछ कार्य पाइप न मिलने के कारण समय पर प्रारंभ नहीं किए जा सके। यह देखा गया था कि मंडल संख्या 2, सोनीपत के स्टोर में डक्टाइल आयरन पाइप की अनुपलब्धता के कारण दो कार्यों में 12 माह से 30 माह के मध्य की देरी थी, जैसा कि नीचे तालिका 5.2.4 में वर्णित है:

तालिका 5.2.4: पाइपों की अनुपलब्धता के कारण विलंबित कार्यों के विवरण

कार्य का नाम	कार्य आरंभ करने की प्रारंभिक तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि	पाइपों की प्राप्ति की तिथि	बुक किए गए पाइपों का मूल्य ₹ लाख में	कार्य आरंभ करने में विलंब
गन्नौर टाउन में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रदान करना - 900 मिलीमीटर आंतरिक व्यास डक्टाइल आयरन पाइपलाइन राइजिंग मेन का 726 मीटर बिछाया जाना और 25 हौदियों का निर्माण	29 जनवरी 2016 और 28 जुलाई 2016 तक पूर्ण किया जाना है	जुलाई 2018	131.19 ³	30 माह
राई निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में शेष वितरण पाइपलाइन प्रदान करना	21 मई 2018 और 20 नवंबर 2018 तक पूर्ण किया जाना है	मार्च और मई 2019	112.89	12 माह

स्टॉक उचंत के अंतर्गत रिज़र्व स्टॉक में पाइपों की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। अनुबंध अविध के दौरान पाइप उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता के कारण निविदाएं पुन:आमंत्रित कर अक्तूबर 2020 में दूसरे ठेकेदार को स्टॉर्म वाटर ड्रेन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया।

इस प्रकार, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की ई-बिलिंग प्रणाली में स्टॉक उचंत से संबंधित लेखांकन वर्गीकरण के लिए प्रावधान की कमी और स्टॉक के लेन-देन के लिए वैकल्पिक लेखांकन प्रक्रिया तैयार न करने से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में डक्टाइल आयरन पाइपों की उपलब्धता और उपयोग में भारी असंतुलन था क्योंकि जिन कार्यों को प्रारंभ नहीं किया गया

.

[े] किया गया कुल व्यय ₹ 4.59 करोड़ (रेलवे की अनुमति पर ₹ 3.28 करोड़ और पाइप की खरीद पर ₹ 1.31 करोड)।

था, उनके विरुद्ध पाइप अप्रयुक्त पड़े थे तथा कार्य के वास्तविक प्रारंभ से पूर्व ही निर्माण कार्यों के लिए पाइप बुक किए गए थे। जबकि कुछ मामलों में कार्य आबंटन के बाद भी पाइप उपलब्ध नहीं कराया गया था। बंद कार्यों में भारी मात्रा में पाइप अप्रयुक्त पड़े रहे।

प्रमुख अभियंता ने बताया (फरवरी 2022) कि विभाग द्वारा अगले वितीय वर्ष में डक्टाइल आयरन पाइपों की खरीद के लिए राज्य और केंद्रीय शीर्ष के लिए उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 300 करोड़ का प्रावधान करने और स्टॉक उचंत शीर्ष के अंतर्गत बजट का उपयोग करने के लिए तदनुसार लेखांकन प्रबंधन प्रणाली मॉइयूल को संशोधित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

5.2.4 ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली

विभाग ने वस्तुसूची की वास्तविक समय स्थिति के लिए इन-हाउस ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की (सितंबर 2008)। इसकी मुख्य विशेषताएं आपूर्ति आदेश देने से लेकर सामग्री की प्राप्ति तक लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए और उसके उपरांत इसे फील्ड कार्यालयों को जारी करने तथा उसके बाद फील्ड कार्यालयों द्वारा व्यक्तिगत कार्य के लिए जारी करने के लिए मंच प्रदान करना है। यह स्टॉक की प्राप्ति और जारी करने, वस्तुसूची रख-रखाव, वस्तुसूची की लागत, स्क्रैप और अप्रचलित वस्तुओं के विवरण पर विभिन्न रिपोर्ट भी तैयार करती है।

इसी प्रकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लेखांकन संबंधी कार्यों के लिए लेखांकन प्रबंधन प्रणाली को भी आंतरिक रूप से विकसित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं कैश बुक का ऑनलाइन रखरखाव, मंडलों के मासिक लेखाओं की तैयारी, कार्य बिल तैयार और पारित करना, साख-पत्र की मांग और इसका उपयोग आदि हैं। वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली और लेखांकन प्रबंधन प्रणाली दोनों एक-दूसरे के साथ एकीकृत हैं। जैसे और जब सामग्री जारी की जाती है और गेट पास सृजित होता है, वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली पर बुक किया गया व्यय संबंधित कार्य पर लेखांकन प्रबंधन प्रणाली में हस्तांतरित हो जाता है और लेन-देन के लेखांकन के लिए लोक निर्माण लेखा फॉर्म में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा, ई-बिलिंग में मंडलीय गठन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में भुगतान विवरण तैयार करना और रोकड़ बही में लेन-देन शामिल करना सिम्मिलित है।

ई-बिलिंग और लेखांकन प्रबंधन प्रणाली निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया से अपर्याप्त हैं क्योंकि सिस्टम डिजाइन की सीमा के कारण स्टॉक उचंत के माध्यम से लेन-देन सक्षम नहीं हैं। ऑनलाइन वस्त्सूची प्रबंधन प्रणाली के संबंध में देखी गई अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

5.2.4.1 ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली के प्रयोक्ता मैनुअल को अद्यतन न करना

प्रयोक्ता मैनुअल एक कार्य आधारित दस्तावेज है जो सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के कार्यों की प्रक्रिया, उपयोग तथा पदानुक्रम की व्याख्या करता है और निष्पादन को बाधित किए बिना वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे अद्यतित रखना अपेक्षित है। प्रबंधन और क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता पर, वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली में इसकी शुरुआत से कुछ संशोधन किए गए हैं (सितंबर 2008), किंतु जनवरी 2013 के बाद इसके प्रयोक्ता मैनुअल को अद्यतन नहीं किया गया था।

5.2.4.2 आय्-वार वस्त्सूची रिपोर्ट का प्रावधान न करना

नौ मंडलों में यह देखा गया कि वस्तुस्ची प्रबंधन प्रणाली में सामग्री की आयु-वार रिपोर्ट तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं था। अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 के दौरान सृजित रिपोर्ट के आधार पर, पिछले पांच से 17 वर्षों की अविध के दौरान ₹ 5.21 करोड़ (निर्गम दर के अनुसार) मूल्य की 302 मदों को जारी नहीं किया गया था। इसके कारण कम उपयोग और अनुपयोगी मदों का वस्तुस्ची में वर्गीकरण नहीं हुआ और वस्तुस्ची की आयु की निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। लंबी अविध से वस्तुस्ची का उपयोग न करने से न केवल वस्तुस्ची के अप्रचलित होने का बिल्क इसके बेकार होने का भी जोखिम हुआ।

5.2.4.3 ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली की तुलना में मैनुअल बिन कार्ड की मात्रा में भिन्नता

मैनुअल तथा ऑनलाइन वस्तुसूची के मिलान के दौरान, यह देखा गया था कि ₹ 3.30 लाख मूल्य के स्टॉक वाले 54⁴ बिन कार्ड, ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड नहीं किए गए थे। इस प्रकार, बिन कार्ड में दर्शाई गई मात्रा और ऑनलाइन वस्तुसूची में समान मद की संगत मात्रा में अंतर था।

प्रमुख अभियंता ने बताया (फरवरी 2022) कि वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल के प्रयोक्ता मैनुअल को अद्यतन किया जा रहा है, उपलब्ध स्टॉक की आयु-वार वस्तुसूची की रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह भी बताया गया कि वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली पर सभी बिन कार्ड अपलोड करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली और स्टॉक की वास्तविक उपलब्धता के मध्य मात्रा का मिलान किया जा सके।

5.2.5 स्टॉक प्रबंधन में अन्य अनियमितताएं

5.2.5.1 भौतिक सत्यापन की अनुचित विधि और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार न करना

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब वितीय नियम के पैरा 15.16 के अनुसार, विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत वर्ष में कम से कम एक बार सभी स्टोर का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और इस शर्त के अधीन कि बड़े और महत्वपूर्ण स्टोर के मामले में जहां तक संभव हो, सत्यापन उत्तरदायी सरकारी कर्मचारी, जो स्टोर के प्रभारी विरष्ठ कार्यकारी अधिकारी से स्वतंत्र हो, को सौंपे जाने चाहिए। इसके अलावा, जैसा भी मामला हो, जहां ऐसा सत्यापन किया गया है, इसके परिणामों के साथ स्टोर के सत्यापन का प्रमाण-पत्र सूची, वस्तुसूची अथवा लेखे में दर्ज किया जाना चाहिए। पंजाब वितीय नियम के पैरा 15.17 के अनुसार, भौतिक सत्यापन करने में, देखी गई सभी विसंगतियों की उचित जांच की जानी चाहिए तथा तुरंत ध्यान में लाई जानी चाहिए, तािक स्टोर लेखे स्टोर की सही स्थिति दर्शा सकें; तथा कमी और क्षिति के साथ-साथ अप्रयुक्त स्टोरों की सूचना तुरंत सक्षम प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। इसके अलावा पंजाब वितीय नियम का पैरा 15.18 निर्धारित करता है कि बेकार होने वाले स्टोर के

-

सोहना में छ:, तोशाम में नौ और अंबाला कैंट में 39.

मामले में निरीक्षण अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी नौ मंडलों में भौतिक सत्यापन का संचालन ठीक से नहीं किया गया था। प्रत्येक बिन कार्ड पर एक ही मंडल के उप-मंडलीय अभियंता स्तर के अधिकारी के अदिनांकित आद्याक्षर के साथ केवल वाक्यांश 'भौतिक रूप से जांचा गया' पाया गया था जो कि उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन में है। भौतिक सत्यापन की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थी। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में, हानि, कमी, अधिशेष और अप्रयुक्त वस्तुओं की मात्रा और मूल्य का पता नहीं लगाया जा सका। आगे, यह भी देखा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर और पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड जैसी खराब होने वाली वस्तुओं का भौतिक सत्यापन अर्ध-वार्षिक की बजाय वार्षिक आधार पर किया गया था।

5.2.5.2 स्टॉक उचंत में पड़ी स्टॉक मदों का उपयोग न करना

यह देखा गया था कि नीचे दी गई **तालिका 5.2.5** में उल्लिखित ₹ 50.72 लाख (जनवरी 2022) की तीन मदों को या तो आवश्यकता के बिना या आवश्यकता से अधिक खरीदा गया, जिससे निधियों का अवरोधन हुआ।

तालिका ५.२.५: स्टाक उचत म पड़ा वस्तुआ का विवरण					
मंडल का नाम	मात्रा शेष	अंतिम लेन-देन की तिथि	शेष मात्रा की लागत		
	(नवंबर 2019)		(₹ लाख में)		
प्राकृतिक जल पंप/स्वच्छ जल केंद्रापसारी पंप/मोटर्स					
सोहना	16	अप्रैल 2006	5.91		
तोशाम	7	अगस्त 2003 से फरवरी 2011	1.17		
सिरसा संख्या 2	06	दिसंबर 2004	0.15		
सोनीपत संख्या 2	29	जून 2000 से जुलाई 2011	8.68		
कैथल संख्या 1	31	अप्रैल 2005 से अक्तूबर 2009	6.23		
नारायणगढ़	19	फरवरी 2008 से अप्रैल 2010	6.45		
कुरुक्षेत्र	8	मार्च 2005	1.95		
कुल (क)	116		30.54		
लो कार्बन गेल्वेनाइज्ड	स्क्रीन पाइप				
सोहना	62	अगस्त 2012 से जनवरी 2014	2.92		
कुल (ख)	62		2.92		
सम्मिश्र प्रेशर पाइप					
तोशाम	5,156	अगस्त 2008	3.87		
सोनीपत संख्या 2	5,920	जुलाई 2011	4.44		
अंबाला कैंट	4,007	अप्रैल 2010	2.97		
नारायणगढ़	8,083	जून 2016	5.98		
कुल (ग)	23,166		17.26		
कुल योग (क+ख+ग) 50.72					

तालिका 5.2.5: स्टॉक उचंत में पड़ी वस्तुओं का विवरण

उपर्युक्त मदों को स्टॉक उचंत में बुक किया गया था और लंबे समय से जारी नहीं किया गया था, स्टोर में इनकी मौजूदगी की जानकारी होने के बावजूद हर वर्ष विभागीय भौतिक सत्यापन किया जा रहा था।

5.2.5.3 बेकार स्टॉक वस्तुओं के निपटान में विलंब - ₹ 60.78 लाख

यह देखा गया था कि स्टोर में भारी मात्रा में एल्युमीनियम: 58,468 किलोग्राम, कच्चा लोहा:

6,953 किलोग्राम तथा लोहाः 2,278 किलोग्राम कबाइ और अधिशेष के रूप में पड़ा था। कॉडेम्नेशन बोर्ड ने स्टोर का निरीक्षण किया (अगस्त 2016) तथा वस्तुओं को किफायती मरम्मत से परे पाया और उन्हें कबाइ/अधिशेष घोषित किया तथा उनका आरक्षित मूल्य ₹ 3.78 लाख के मूल खरीद मूल्य के मुकाबले मौजूदा बाजार दर पर ₹ 60.78 लाख निर्धारित किया (अगस्त 2016)। तदनुसार, निविदा आमंत्रित की गई तथा अगस्त 2018 में खोली गई। एकल बोली प्राप्त हुई और फर्म ने ₹ 6.47 लाख का मूल्य उद्धृत किया जो बहुत कम था (आरिक्षित मूल्य का 10.65 प्रतिशत)। कम प्रतिक्रिया के कारण, निविदा को पुनःआमंत्रित करने का निर्णय लिया गया किंतु बाद में विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। उपर्युक्त वर्णित मदें अभी भी स्टोर में पड़ी है (नवंबर 2019)।

इस प्रकार, विभाग के उदासीन रवैये के कारण, ये स्क्रैप मदें न केवल स्टोर के महत्वपूर्ण स्थान को घेर रही हैं, बल्कि ₹ 60.78 लाख की निधि को भी अवरुदध कर रही हैं।

5.2.5.4 वस्त्सूची को कम दर्शाना

स्टोर से कार्य/ठेकेदार को जारी सामग्री के उपयोग की निगरानी के लिए साइट पर सामग्री रजिस्टर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कार्य हेतु जारी और साइट पर रखी गई अप्रयुक्त सामग्री को कार्य पूरा होने/समाप्त होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र स्टोर में वापस करना अपेक्षित है।

साइट पर सामग्री रजिस्टर में देखा गया था कि मई 2016 में नूंह स्टोर से 500 एचडीपीई पानी की टंकियों को सोहना मंडल में हस्तांतिरत किया गया था। इनमें से 160 पानी की टंकियों को नूंह स्टोर को वापस किया गया, 35 पानी की टंकियों को सोहना स्टोर में जमा किया गया, 34 पानी की टंकियों का उपयोग कर लिया गया था तथा शेष 271 पानी की टंकियां जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, सोहना के स्टोर में पड़ी थी, संबंधित किनष्ठ अभियंता के साइट पर सामग्री रजिस्टर में अभी भी थी (नवंबर 2019)। इसके परिणामस्वरूप स्टोर में वस्तुसूची की विशेष मद की अतिरिक्त मात्रा को कम बताया गया।

5.2.5.5 एस्बेस्टस सीमेंट पाइपों की अन्चित उपयोग योजना

यह देखा गया था कि विभाग के विभिन्न स्टोरों में ₹ 1.43 करोड़ की राशि के विभिन्न आयामों के 66,888.50 मीटर एस्बेस्टस सीमेंट पाइप अप्रयुक्त पड़े थे। स्टोर बिन कार्डों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इन पाइपों को 2014 से पहले खरीदा गया था किंतु जनवरी 2022 तक उपयोग नहीं किए गए थे। इस प्रकार, एस्बेस्टस सीमेंट पाइपों की अनुचित उपयोग योजना के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई।

5.2.5.6 निष्कर्ष

स्टोरों के रख-रखाव में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं क्योंकि स्टोरों का भौतिक सत्यापन कोडल प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था, अप्रयुक्त वस्तुसूची लंबे समय से स्टोरों में पड़ी थी तथा अप्रयुक्त/स्क्रैप मदों की वास्तविक मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सका था। आगे, पुरानी और बेकार वस्तुओं का निपटान नहीं किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (29 अप्रैल 2022), अपर मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार करते समय विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में लेखांकन प्रबंधन प्रणाली और अन्य एप्लिकेशनों में सुधार करके मामले की जांच करने और मामले का समाधान करने का निर्देश दिया था। अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि विभाग के पास आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र होना चाहिए।

5.2.6 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- सार्वजिनक वितीय प्रबंधन प्रणाली की जानकारी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लेखांकन प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ या गैर-नकद लेनदेन के लिए वाउचर स्तर के कम्प्यूटरीकरण के साथ एकीकृत करना, जो केंद्र प्रायोजित/केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में अप्रयुक्त पाइपों और अन्य सामग्री के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए ई-बिलिंग/एकीकृत वितीय प्रबंधन प्रणाली में कैप्चर नहीं किए जाते हैं, जिन्हें सार्वजिनक वितीय प्रबंधन प्रणाली में ट्यय के रूप में दर्शाना अपेक्षित है।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशनों का विकास और क्रियान्वयन तािक ई-बिलिंग को स्टॉक उचंत शीर्ष के परिचालन के साथ एकीकृत किया जा सके;
- स्टॉक उचंत शीर्ष के अंतर्गत आवश्यकता आधारित बजटीय आबंटन प्रदान करना;
- मैन्अल और ऑनलाइन बिन कार्ड का मिलान करना;
- वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली में आयु-वार वस्तुसूची रिपोर्ट का प्रावधान करना;
- भौतिक सत्यापन की कुशल और प्रभावी पद्धित का विकास करना और उसके लिए
 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार करना; तथा
- पुरानी/बेकार/स्क्रैप/अधिशेष मदों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली विकसित करना।

5.3 ठेकेदार को न किए गए कार्य हेतु अनियमित एवं अधिक भुगतान

कार्यों की मदों को वास्तविक आधार पर दर्ज न करने और गलत ढंग से प्रमाणित करने के कारण, अनियमित अधिक भुगतान के कारण एजेंसी से ₹ 2.53 करोड़ की राशि वस्लनीय थी।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता (कोड) के पैराग्राफ 18.8.1 में बताया गया है कि कनिष्ठ अभियंता अतिशीघ्र माप की पूरी रिकॉर्डिंग/जांच करेगा। बल्कि, प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए वह ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने से पहले भी कार्य कर सकता है किंतु अपने विषठ अधिकारी को माप पुस्तिका प्रस्तुत करने में 10 दिनों से अधिक समय नहीं लेगा। आगे, लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 6.6.7 में बताया गया है कि उप-मंडलीय अभियंता प्रत्येक कार्य के आधार की पूरी तरह से जांच करेंगे और देखेंगे कि यह सही है। उप-मंडलीय अभियंता कनिष्ठ

अभियंता के दिन-प्रतिदिन के कार्य के साथ निरंतर और निकट संपर्क में रहेगा और यह देखेगा कि माप नियत समय पर लिया जाता है और जांच की जाती है।

नहर से मुख्य जल निर्माण कार्य तक डक्टाइल आयरन उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य, भंडारण एवं अवसादन टैंक का जीर्णोद्धार, बाउंड्री वॉल का पुनर्निर्माण, छतरगढ़ पट्टी रोड स्थित मुख्य जल कार्य में संरचनाओं की मरम्मत का कार्य और मिनी सचिवालय जल कार्य, जिला सिरसा का नवीनीकरण कार्य एक एजेंसी को ₹ 8.51 करोड़ की अनुबंध राशि पर आबंटित किया गया था (नवंबर 2019)। कार्य प्रारंभ करने की तिथि 10 दिसंबर 2019 थी और कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा 18 माह थी।

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 2, सिरसा के कार्यालय के नवंबर 2021 माह के मासिक लेखाओं की संवीक्षा के दौरान (दिसंबर 2021) यह पाया गया था कि ₹ 2.38 करोड़ का अंतरण प्रविष्टि आदेश (26 नवंबर 2021) अधिक भुगतान के कारण ठेकेदार के विरूद्ध विविध लोक निर्माण अग्रिम की राशि डेबिट कर तथा उपर्युक्त कार्य में (-) नामे समायोजित कर मासिक खाते में संलग्न किया गया था।

आगे यह देखा गया था कि ठेकेदार को चौथे सीसी एवं रिनंग बिल तक (अगस्त 2021) ₹ 6.86 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस बीच, उप-मंडल अभियंता (एसडीई) के स्थानांतरण पर, संबंधित कार्य के किनष्ठ अभियंता ने 17 मदों के संबंध में अधिक माप के कारण सितंबर 2020 से अगस्त 2021 की अविध के लिए माप पुस्तिका में की गई गलत प्रविष्टियों के बारे में नए उप-मंडल अभियंता को सूचित किया (अक्तूबर 2021)। कार्यकारी अभियंता ने तब एजेंसी द्वारा किए गए वास्तिवक कार्य की पुनर्गणना करने का आदेश दिया और उसके बाद ₹ 4.48 करोड़ का संशोधित 5वां रिनंग बिल पास किया। इस प्रकार पांचवें रिनंग बिल तक एजेंसी को ₹ 2.38 करोड़ की अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह इंगित करता है कि संबंधित अधिकारियों (अर्थात् उप-मंडल अभियंता/किनष्ठ अभियंता) ने माप लेते समय कार्य की मदों को गलत ढंग से प्रमाणित किया तथा कार्य के लिए ₹ 6.86 करोड़ के भुगतान को अनुमोदित किया, जो कि अनियमित था।

इस प्रकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं द्वारा हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप न केवल किए गए कार्यों का गलत प्रमाणीकरण हुआ बल्कि वास्तव में निष्पादित न किए गए कार्यों के लिए ₹ 2.38 करोड़ का अनियमित भुगतान भी हुआ। इसलिए, ब्याज की हानि (सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर) के साथ ठेकेदार से ₹ 2.53 करोड़ की राशि वसूल की जानी थी। आगे, माप पुस्तिका में अधिक अभिलेख प्रविष्टियों के अभिलेखन में अनियमितता के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (29 अप्रैल 2022), विभाग ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को

_

^{ें ₹ 2.53} करोड़ = अधिक भुगतान: ₹ 2.38 करोड़ और उस पर ब्याज की हानि ₹ 0.15 करोड़ (राज्य की उधार दर: 6.50 प्रतिशत)।

चार्जशीट कर दिया गया है और विभागीय स्तर पर निर्देश जारी कर मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को नींव/बेड लेवल रखते समय मुख्य पंपिंग स्टेशन और एसएस टैंक के कार्य की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

आगे, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ने सूचित किया (9 मई 2022) कि दिसंबर 2021 एवं फरवरी 2022 के माह के दौरान अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से ठेकेदार से ₹ 62.03 लाख की राशि की वसूली की गई है।

सिफारिश: विभाग को संबंधित एजेंसी के प्रति विविध लोक निर्माण अग्रिमों की राशि को डेबिट करने के स्थान पर संबंधित कार्य में (-) डेबिट प्रविष्टि कर लेखांकन पद्धित में परिवर्तन करने पर विचार करना चाहिए।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

5.4 अध्रे छोड़े गए कार्यों पर निष्फल व्यय तथा एजेंसी से वस्लनीय राशि

दो वर्ष की अविध के बाद अनुबंध को निरस्त करने के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के उत्तरदायी अधिकारियों के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुबंध की समाप्ति के बाद नई निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई न करने के कारण कार्यों पर ₹ 179.25 लाख का व्यय निष्फल हो गया तथा ₹ 12.37 लाख के परिसमापक हानि की वसूली तथा ₹ 40.53 लाख के शेष कार्य की 20 प्रतिशत पेनल्टी अभी भी लंबित है।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 16.37.1 में बताया गया है कि अधिक समय लेने के कारण परियोजना की उच्च लागत, संविदात्मक दावों, सुविधा के उपयोग में देरी तथा राजस्व की संभावित हानि होने की संभावना है। इसके अलावा, अनुबंध डेटा की क्लॉज 60.1 के अनुसार, यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के मौलिक उल्लंघन के कारण अनुबंध समाप्त किया जाता है तो कार्य पूरा न करने पर अतिरिक्त पेनल्टी, समाप्त न किए गए कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत परिसमापक हानि के अतिरिक्त होगी।

अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), गुरुग्राम के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (जुलाई 2021 से अक्तूबर 2021) यह देखा गया था कि अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने बहुउद्देशीय हॉल, कैंटीन ब्लॉक, साइिकल स्टैंड और उप-स्टेशन के निर्माण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नूंह (कार्य-ए) और उजीना (कार्य-बी) में क्रमशः ₹ 432.71 लाख और ₹ 435.61 लाख की प्रशासिनक स्वीकृति प्रदान की थी (जनवरी 2015)। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा इन संरचनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत प्राक्कलन कार्य-ए और कार्य-बी के लिए क्रमशः जून 2015 में ₹ 167.50 लाख और मई 2015 में ₹ 167.78 लाख के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया था। अधीक्षण अभियंता, रेवाड़ी परिमण्डल ने उपर्युक्त दोनों कार्यों को अक्तूबर 2015 एवं अगस्त 2015 में क्रमशः ₹ 188.14 लाख एवं ₹ 193.76 लाख में हिरयाणा स्टेट कॉपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन 1, पंचकूला (लेबरफेड) को 12 माह की समय-सीमा के साथ आबंटित किया और

दोनों कार्य दिसंबर 2015 में प्रारंभ किए गए थै।

मंडल स्तर पर बार-बार अनुरोध करने के बावजूद एजेंसी दोनों कार्यों को पूरा करने में विफल रही। नवंबर 2016 में, मंडलीय कार्यालय ने कार्य-ए के लिए परिसमापक हानि के रूप में ₹ 18.81 लाख की 10 प्रतिशत पेनल्टी लगाई। इसी प्रकार कार्य-बी के लिए ₹ 19.38 लाख परिसमापक हानि (करार अनुबंध का 10 प्रतिशत) के रूप में भी उद्गृहीत किए गए थे। इसके बाद भी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने में विफल रही। अधीक्षण अभियंता, रेवाड़ी ने मई 2018 में दोनों कार्यों के अनुबंध को समाप्त कर दिया। पिछले बिल (क्रमशः तीसरे और चौथे बिल) के अनुसार, कार्य-ए तथा कार्य-बी को ₹ 188.14 लाख (37 प्रतिशत) और ₹ 193.76 लाख (56 प्रतिशत) के तद्नुरूपी अनुबंध के विरुद्ध क्रमशः ₹ 69.69 लाख और ₹ 109.56 लाख तक निष्पादित किया गया था।

एजेंसी ने जून 2017 में ठेकेदार की कुछ पारिवारिक परिस्थितियों तथा अपरिहार्य स्थितियों के कारण दोनों कार्य बंद कर दिए। ₹ 38.19 लाख के लगाई गई परिसमापक हानि के विरुद्ध ₹ 25.838 लाख की राशि का परिसमापक हानि प्रभार वसूल किया गया है। विभाग ₹ 9.69 लाख (कार्य बी) की बैंक गारंटी को भुना नहीं सका क्योंकि बैंक ने यह कहकर बैंक गारंटी (सावधि जमा रसीद के रूप में) को भुनाने से मना कर दिया (अक्तूबर 2018) कि उनके बैंक द्वारा जारी सावधि जमा रसीद विभाग के नाम पर नहीं है।

ठेकेदार द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के कारण शेष कार्य के 20 प्रतिशत पेनल्टी (₹ 40.53° लाख) के साथ-साथ ₹ 12.36¹० लाख के शेष परिसमापक हानि की वस्ती ठेकेदार से की जानी शेष है। तथापि, एजेंसी के अनुरोध (अक्तूबर 2018) और अधीक्षण अभियंता, गुरुग्राम परिमंडल की सिफारिशों पर, प्रमुख अभियंता (भवन) ने दोनों कार्यों के अनुबंध को जून 2020 में रद्द कर दिया अर्थात् दो वर्ष की अविध के बाद और इस आधार पर 31 दिसंबर 2020 तक कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तार दिया कि शेष मदों की मात्रा बहुत कम है, किसी भी एजेंसी के निविदा में उपस्थित होने की उम्मीद नहीं है और निविदा के विरूद्ध प्राप्त दरें बहुत अधिक होंगी। कार्यकारी अभियंता, नूंह ने एजेंसी को शेष कार्य आरंभ करने से पहले दोनों कार्यों के लिए अविध के विस्तार हेतु कार्य-ए के लिए ₹ 9.41 लाख तथा कार्य-बी के लिए ₹ 9.69 लाख की नई बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया, किंतु एजेंसी द्वारा नई बैंक गारंटी जमा नहीं की गई थी और ₹ 179.25 लाख {₹ 69.69 लाख (कार्य-ए) और ₹ 109.56 लाख (कार्य-बी)} खर्च करने के बाद भी दोनों कार्य मई 2018 से बंद पड़े थे।

दिनांक 27 सितंबर 2018 के वाउचर संख्या 58 के अंतर्गत भुगतान किया गया।

⁷ दिनांक 11 अक्तूबर 2018 के वाउचर संख्या 61 के अंतर्गत भ्गतान किया गया।

कार्य ए: परिसमापक हानि: ₹ 4.66 लाख और बैंक गारंटी: ₹ 9.41 लाख और कार्य बी: परिसमापक हानि:
 ₹ 11.76 लाख

⁹ **कार्य ए:** ₹ 23.69 लाख और **कार्य बी:** ₹ 16.84 लाख।

¹⁰ **कार्य ए:** ₹ 4.74 लाख और **कार्य बी**: ₹ 7.62 लाख।

निरस्तीकरण अनियमित था और इससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि ₹ 381.90 लाख की अनुबंध लागत के विरूद्ध ₹ 179.25 लाख व्यय करने के बाद भी दोनों कार्य मई 2018 से बंद पड़े हैं। इसके अलावा, ₹ 12.36 लाख परिसमापक हानि के रूप में और ₹ 40.53 लाख संविदा अनुबंध की समाप्ति के लिए एजेंसी से वसूलनीय है।

इस प्रकार दोनों कार्य अनुबंध लागत ₹ 381.90 लाख के विरूद्ध ₹ 179.25 लाख व्यय करने के बाद भी मई 2018 से परित्यक्त पड़े हैं। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.36 लाख परिसमापक हानि तथा ₹ 40.53 लाख करार अनुबंध की समाप्ति के लिए एजेंसी से वसूली योग्य बना रहेगा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (11 मई 2022), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि अब साइट पर कार्य आरंभ कर दिया गया है और नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा। विभाग के नाम साविध जमा रसीद प्राप्त न होने पर आपित के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को भविष्य में विभाग के नाम पर बैंक गारंटी प्राप्त करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

इस प्रकार, मई 2018 में समाप्ति के बाद नई निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई न करने के साथ-साथ अनुबंध की समाप्ति से दो वर्ष की अविध के बाद प्रमुख अभियंता द्वारा संविदा अनुबंध की समाप्ति को अविवेकपूर्ण ढंग से रद्द करने के कारण ₹ 179.25 लाख का निष्फल व्यय हुआ, इसके अलावा छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक बुनियादी ढांचे का लाभ नहीं मिला।

5.5 अयोग्य एजेंसी को कार्य का आबंटन तथा बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि एवं पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु संविदा के मूल्य के कम निर्धारण के कारण ₹ 2.15 करोड़ की वस्ली न होना

विभाग ने बोली की शर्तों का उल्लंघन किया, अयोग्य बोलीदाताओं को कार्य सौंपा और किसी भी समय एजेंसी द्वारा निकाले गए पत्थर के मूल्य को ₹ दो करोड़ तक सीमित करने के प्रमुख अभियंता के विशिष्ट आदेशों की अवहेलना की। बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि तथा पेनल्टी की गणना उचित नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ मूल्य के बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि तथा पेनल्टी के संबंध में अनुचित लाभ दिया गया।

लोक निर्माण विभाग संहिता के पैराग्राफ 6.4.1 में प्रावधान है कि अधीक्षण अभियंता निर्देशन एवं नियंत्रण अधिकारी है। वह अपने परिमंडल के अंदर विभाग के अधिकारियों के कार्यीभार में लोक निर्माण कार्यों के कुशल प्रशासन और सामान्य पेशेवर नियंत्रण के लिए प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता के प्रति उत्तरदायी है। वह तकनीकी एवं व्यावसायिक मामलों के संबंध में तथा परियोजनाओं की उपयुक्तता या डिजाइन की तर्कसंगतता के संबंध में मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता को इनप्ट प्रदान करता है।

आगे, हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन तथा अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 के नियम 32 (1) में प्रावधान है कि जहां किसी भवन अथवा विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में कोई खनिज पाया जाता है और इस तरह की परियोजना के निष्पादन की प्रक्रिया में उसे निकाला जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार उत्खनन और उपभोग या निपटान की गई मात्रा के लिए सरकार को लागू रायल्टी और अन्य प्रभारों के भुगतान पर ऐसे खिनज को या तो अपनी खपत के लिए उपयोग करने या परियोजना क्षेत्र के बाहर इसके निपटान के लिए अनुमित दी जा सकती है।

कार्यालय कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क मंडल, नूंह के अभिलेखों की जुलाई 2021 से अक्तूबर 2021 के दौरान संवीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने फरवरी 2016 में ग्राम नोटकी से तिजारा के मध्य 4.35 किलोमीटर लिंक रोड के निर्माण के लिए ₹ 19.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की क्योंकि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए कोई लिंक रोड नहीं था। इस परियोजना की निविदा में मुख्य लागत घटक सड़क का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और पहाड़ी की खुदाई से प्राप्त पत्थर धातु के क्रेडिट का प्रावधान थे।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, सड़क के निर्माण की लागत ₹ 13.40 करोड़ परिकलित की गई थी तथा खोदे गए पत्थर/पहाड़ी चट्टानों (3,55,851 घनमीटर पत्थर) की 70 प्रतिशत मात्रा के लिए वसूलनीय राशि ₹ 8.90¹¹ करोड़ (₹ 250 प्रति घनमीटर की दर से) का अनुमान लगाया गया थी। निविदा प्रक्रिया में, मैसर्ज एसकेआर कंपनी, हिसार ने कार्य के लिए ₹ 250 प्रति घनमीटर 3,55,851 घनमीटर पत्थर अर्थात कुल उत्खिनित पहाड़ी चट्टान के 70 प्रतिशत हेतु विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में अनुमानित दर के विरूद्ध ₹ 410 प्रति घनमीटर की दर से - ₹ 4.48 करोड़ की दर को उद्धृत किया।

कार्यकारी अभियंता ने उल्लेख किया (फरवरी 2018) कि एजेंसी द्वारा उद्धृत दरें बेहद कम हैं और इस बात की संभावना थी कि अनुबंधित एजेंसी या तो घटिया सामग्री का उपयोग करके अनुचित विनिर्देशों के साथ कार्य को निष्पादित करने का प्रयास करेगी या पहाड़ी भाग की चट्टान की कटाई निष्पादित करने के बाद कार्य को बीच में छोड़ सकती है। तद्नुसार, निविदा मामला को अनुमोदित करते समय (मार्च 2018) प्रमुख अभियंता ने निर्देश दिया था कि अधीक्षण अभियंता/कार्यकारी अभियंता/फील्ड अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदार द्वारा ले जाए गए पत्थर पर नजर रखने के लिए तंत्र बनाएं तथा किसी भी समय ले जाए गए पत्थर का मूल्य ₹ दो करोड़ की अतिरिक्त बैंक गारंटी राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। अंत में, कार्य मैसर्ज एसकेआर कंपनी, हिसार को ₹ 10.11 करोड़ में 12 माह की समय-सीमा और ₹ 14.59 करोड़ की वसूलनीय राशि के साथ प्रदान किया गया (मार्च 2018)। एजेंसी ने ₹ 22.53 लाख की निष्पादन प्रतिभृति के साथ ₹ दो करोड़ की असंतुलित बोली प्रतिभृति जमा की।

निविदाकरण प्रक्रिया की जांच के दौरान यह अवलोकित किया गया था कि बोलीदाताओं के निर्देश की क्लॉज 4.5.3 (ए) की शर्तों के अनुसार, वार्षिक टर्नओवर ₹ 5.36 करोड़¹² होना अपेक्षित था। तथापि, एजेंसी का वार्षिक टर्नओवर ₹ 4.88 करोड़ था (जो अपेक्षित टर्नओवर से

¹² अपेक्षित टर्नओवर - अन्बंध के मूल्य का 40 प्रतिशत (₹ 13.40 करोड़ x 40 प्रतिशत = ₹ 5.36 करोड़)।

¹¹ ₹ 8.90 करोड़ = ₹ 250 प्रति घनमीटर (पत्थर हेतु प्रति घनमीटर के लिए दर) x 3,55,851 घनमीटर पत्थर (पत्थर की मात्रा)।

₹ 0.48 करोड़ कम था) जिसके कारण एजेंसी अयोग्य हो जाती। इस प्रकार, विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार वित्तीय क्षमता के गलत मूल्यांकन के कारण अयोग्य एजेंसी को कार्य का आबंटन हुआ।

एजेंसी निर्धारित लक्ष्य समय पर हासिल नहीं कर सकी और 30 मई 2021 तक समय विस्तार के लिए अनुरोध किया (फरवरी 2019)। प्रमुख अभियंता ने अप्रैल 2020 तक का समय विस्तार दिया (मार्च 2019) किंतु एजेंसी विस्तारित अविध में भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकी और अप्रैल 2020 के बाद एजेंसी ने कार्य को छोड़ दिया।

₹ 10.11 करोड़ की राशि के सड़क निर्माण कार्य में से एजेंसी ने सड़क निर्माण के लिए ₹ 2.61 करोड़ के कार्य को निष्पादित किया था तथा पत्थर/पहाड़ी चट्टान ले जाने के लिए एजेंसी से ₹ 4.45 करोड़ की राशि वसूलनीय थी। इस प्रकार एजेंसी द्वारा ₹ 7.50 करोड़ का कार्य छोड़ दिया गया था तथा ठेका अनुबंध की क्लॉज 60.1 के अंतर्गत शेष कार्य (अर्थात् ₹ 1.50 करोड़) के 20 प्रतिशत की दर से पेनल्टी उद्गृहीत की जानी और ठेकेदार से वसूल की जानी अपेक्षित थी। एजेंसी ने वसूली के विरूद्ध ₹ 20 लाख जमा किए थे (जुलाई 2020)। संविदा अनुबंध की क्लॉज 59.2 (जी) के अंतर्गत प्रमुख अभियंता के अनुमोदन (जनवरी 2021) से कार्यकारी अभियंता द्वारा फरवरी 2021 में अनुबंध समाप्त कर दिया गया था, जिसमें बताया गया है कि ठेकेदार ने काम को पूरा करने में काफी दिनों की देरी की है, जिसके लिए प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के रूप में परिसमापक हानि की अधिकतम राशि का भुगतान किया जाए। अनुबंध रद्द करने के बाद, विभाग द्वारा ₹ दो करोड़ की शर्तरहित बैंक गारंटी का नकदीकरण कराया गया (जून 2021)। विभाग ने न तो निष्पादन प्रतिभूति का नकदीकरण कराया और न ही ₹ 22.53 लाख की निष्पादन प्रतिभृति की अविध बढ़ाई।

सड़क निर्माण का कार्य ₹ 10.11 करोड़ के व्यय हेतु एजेंसी को दिया गया था। अनुबंध समाप्त करने से पहले, ठेकेदार ने ₹ 4.45 करोड़ के पत्थर की खुदाई की और ₹ 2.61 करोड़ की राशि के सड़क के निर्माण का कार्य निष्पादित किया। इस प्रकार, एजेंसी को निर्माण की लागत को समायोजित करने के बाद ₹ 1.84 करोड़ का भुगतान करना होगा। सड़क निर्माण हेतु ₹ 10.11 करोड़ की अनुबंध राशि को ध्यान में रखते हुए परिसमापक हानि के कारण कुल वसूलनीय राशि ₹ 1.01 करोड़ और शेष कार्य के लिए पेनल्टी ₹ 1.50 करोड़ है। एजेंसी से ₹ 2.20 करोड़ (₹ 2 करोड़ + ₹ 20 लाख) की वसूली की गई थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के निर्धारण में एजेंसी से ₹ 2.15¹³ करोड़ की वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2021) कार्यकारी अभियंता ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि संविदात्मक एजेंसी ने अनुबंध की समाप्ति से पहले ₹ 2.61 करोड़ की राशि का कार्य निष्पादित किया है और पत्थर की खुदाई के लिए एजेंसी से ₹ 4.45 करोड़ की वसूली देय थी। पत्थर के उत्खनन एवं किए गए कार्य के मूल्य को समायोजित करने के बाद, एजेंसी

^{₹ 2.15} करोड़ = ₹ 1.84 करोड़ + ₹ 1.01 करोड़ + ₹ 1.50 करोड़ - ₹ 2.20 करोड़।
₹ 1.84 करोड़ = (₹ 4.45 करोड़ - ₹ 2.61 करोड़)।

से ₹ 1.84 करोड़ की निवल राशि देय थी। सक्षम प्राधिकारी ने अनुबंध समाप्त कर दिया (फरवरी 2021)। मंडल कार्यालय ने शेष कार्य के लिए ₹ 0.48 करोड़ की परिसमापक हानि एवं ₹ 0.53 करोड़ की पेनल्टी लगाई। एजेंसी से ₹ 2.20 करोड़ (₹ 2 करोड़ + ₹ 20 लाख) की वसूली की गई थी। कार्यकारी अभियंता ने एजेंसी से ₹ 61.15 लाख का शेष भुगतान जमा करने का अनुरोध किया (दिसंबर 2021)। ₹ 2.15 करोड़ की वसूलनीय राशि के विरूद्ध ₹ 61.15 लाख की निर्धारित की गई जो कि ₹ 1.53¹⁴ करोड़ तक कम निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा का मत है कि पेनल्टी की गणना करते समय मंडलीय अधिकारी अनुबंध राशि को ₹ 4.48 करोड़ माना किंतु सड़क के निर्माण का कार्य ₹ 10.11 करोड़ का था। इसके कारण मंडलीय अधिकारी ने ₹ 2.15 करोड़ के बदले वसूलनीय राशि ₹ 61.15 लाख ही दर्शाई है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सड़क के निर्माण का अनुबंध ₹ 10.11 करोड़ था किंतु मंडलीय अधिकारी ने (-) ₹ 4.48 करोड़ के संविदा मूल्य पर परिसमापक हानि की गणना की है तथा संविदा मूल्य से पत्थर की खुदाई को समायोजित करने के बाद अनुबंध रद्द कर दिया।

इस प्रकार, संविदा अनुबंध की निरस्तगी के कारण परिसमापक हानि की पेनल्टी और शेष कार्य के लिए पेनल्टी की गणना उपयुक्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप एजेंसी को ₹ 2.15 करोड़ की राशि का अनुचित लाभ हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (11 मई 2022), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि इस तरह की निविदा विभाग में पहली थी। विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में उपयुक्त परिवर्तनों हेत् ग्रहण की गई जानकारी पर विचार किया जाएगा।

5.6 संविदा समाप्त न होने से ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ

अविवेकपूर्ण समय विस्तार के कारण सोनीपत में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण में असामान्य विलंब तथा परिसमापक हानि की पेनल्टी और ब्याज की हानि के साथ शेष कार्य की पेनल्टी के रूप में संविदा को निरस्त न किए जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 16.16.1 में प्रावधान है कि अनुबंध में मूल रूप से निर्धारित समय में अनुबंध के पूरा होने में देरी नियोक्ता, अथवा ठेकेदार, अथवा तृतीय पक्ष या अप्रत्याशित घटना के कारण हो सकती है। देरी का परिणाम (क) समय विस्तार के रूप में हो सकता है, जो प्रतिपूरक (वृद्धि) या गैर-प्रतिपूरक हो सकता है, या (ख) परिसमापक हानि को लागू करने के साथ समय का विस्तार, या (ग) अनुबंध के निर्धारण/समाप्ति के रूप में हो सकता है।

अनुबंध की क्लॉज 60.1 में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार द्वारा संविदा के मौलिक उल्लंघन के कारण संविदा रद्द की जाती है, तो प्रभारी अभियंता एजेंसी द्वारा किए गए कार्य के मूल्य हेत्

⁴ (उद्ग्राहय- उद्गृहीत) = (₹ 1.01 करोड़ + ₹ 1.50 करोड़) - (₹ 0.45 करोड़ + ₹ 0.53 करोड़) = ₹ 1.53 करोड़।

किसी भी अग्रिम भुगतान, वसूलियों या देय करों को घटाकर प्रमाण-पत्र जारी करेगा। संविदा की शर्त 49.3 में बताया गया है कि यदि ठेकेदार निविदा में निर्धारित समय का पालन करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन निर्दिष्ट दर पर परिसमापक हानि का भुगतान करेगा। इसके अलावा, यदि ठेकेदार द्वारा संविदा के मौलिक उल्लंघन के कारण संविदा रद्द की जाती है, तो परिसमापक हानि के अतिरिक्त कार्य पूरा न करने पर अतिरिक्त पेनल्टी कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत होगी। परिसमापक हानि पेनल्टी के रूप में नहीं बल्कि सरकार को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में लगाई जाती है और इसे स्वविवेक द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है। इसमें क्लॉज 49.2 के अनुसार, स्वतः छूट प्राप्त हो जाती है, जिसमें बताया गया है कि यदि ठेकेदार समय पर अगला निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो लगाई गई परिसमापक हानि स्वतः माफ हो जाएगी और भुगतान ठेकेदार को देय अगले बिल में बिना किसी ब्याज के जारी किया जाएगा।

मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), चंडीगढ़ के कार्यालय में लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2021) यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत की स्थापना के लिए ₹ 119 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिया (मई 2013), जिसमें 16 विभिन्न संरचनाएं शामिल हैं। मैसर्ज एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली (जनवरी 2014) को 24 माह के भीतर अर्थात् फरवरी 2016 कि तक कार्य पूरा करने के लिए ₹ 92.46 करोड़ की राशि में कार्य आबंटित किया गया था। विभाग ने केवल शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉकों के लिए स्पष्ट साइट उपलब्ध नहीं कराई थी, लेकिन अन्य साइटों जैसे लड़कों और लड़कियों के छात्रावास, डिस्पेंसरी और शॉपिंग सेंटर, केंटीन ब्लॉक, प्रोफेसर हाउस, चारदीवारी और सामने के गेट आदि कार्य के आरंभ में ठेकेदार को उपलब्ध कराए गए थे। मार्च 2017 में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉकों के निर्माण हेतु स्थल भी उपलब्ध कराए गए थे। ठेकेदार के दिवालियेपन एवं वितीय संकट, अपेक्षित ले-आउट योजना जारी करने में विलंब, एजेंसी को सौंपे गए विलंबित स्थल, ड्राइंग, विनिर्देश, सामग्री, संशोधन आदि जारी करने में देरी जैसे कारणों के आधार पर प्रमुख अभियंता ने 1 फरवरी 2019 तक कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तार को अनुमोदन दिया (फरवरी 2018)।

तथापि, एजेंसी ने वही कारण बताते हुए, जो एजेंसी द्वारा पहले दिए गए थे, 30 सितंबर 2019 तक और समय विस्तार की मांग की (फरवरी 2019)। समय विस्तार के लिए अनुरोध प्रमुख अभियंता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था (मार्च 2019)।

प्रमुख अभियंता द्वारा समय विस्तार देने से मना करने पर, अधीक्षण अभियंता को संविदा की शर्तों की क्लॉज 59.2 का उपयोग करके संविदा को समाप्त करना था तथा अनुबंध के संविदा डेटा की क्लॉज 37 के साथ पठित संविदा की शर्त की क्लॉज 49 के अनुसार परिसमापक हानि

15

⁽i) बॉयज हॉस्टल (ii) गर्ल्स हॉस्टल (iii) डिस्पेंसरी और शॉपिंग एरिया (iv) चारदीवारी और फ्रंट गेट

⁽v) कुलपति का निवास (vi) लाइब्रेरी ब्लॉक (vii) रजिस्ट्रार ब्लॉक (viii) प्रोफेसरों के आवास

⁽ix) सहायक/सह-प्रोफेसरों के लिए आवास (x) गेस्ट हाउस (xi) स्टाफ क्वार्टर (xii) शैक्षणिक ब्लॉक (xiii) प्रशासनिक ब्लॉक (xiv) कैंटीन (xv) भूमिगत पानी की टंकी और (xvi) अग्निशमन कार्य।

¹⁶ कार्य 4 फरवरी 2014 को श्रू किया गया था।

और पेनल्टी उद्गृहीत करनी अपेक्षित थी।

ठेकेदार ने लंबित बिलों के भुगतान जारी करने के अनुरोध के साथ दिसंबर 2019 तक समय का विस्तार के लिए पुनःअनुरोध किया (मई 2019)। प्रमुख अभियंता, छात्रावास ब्लॉक का हिस्सा निर्धारित लक्ष्य¹⁷ अर्थात् जून और जुलाई 2019 को पूरा होने तथा ठेकेदार द्वारा देय परिसमापक हानि के बराबर बैंक गारंटी जमा करने पर समय विस्तार प्रदान करने हेत् सहमत हुए।

बैंक गारंटी जमा न करने तथा कार्य की प्रगित की अन्य शर्तों के कारण निविदा आबंटन सिमिति ने अनुबंध की क्लॉज 59.2 के अंतर्गत अनुबंध को रद्द करने का निर्णय लिया (जून 2019) और तदनुसार, ठेकेदार को अनुबंध समाप्त करने का नोटिस जारी किया गया था (20 जून 2019)। निरस्तीकरण का नोटिस मिलने पर, ठेकेदार ने निरस्तीकरण के नोटिस को वापस लेने और लंबित भुगतानों को जारी करने, 31 मार्च 2020 तक समय विस्तार प्रदान करने, परिसमापक हानि का उद्गृहण माफ करने और वृद्धि प्रदान करने का अनुरोध किया (जुलाई 2019)।

कार्य के हित में विभाग ने बकाया कार्य के रिनंग बिलों से 10 प्रतिशत राशि रोककर सभी लंबित भुगतानों को जारी करने का निर्णय लिया (अगस्त 2019) और समय विस्तार प्रदानगी से संबंधित मुद्दे को तीन माह के बाद समीक्षा के लिए लंबित रखा गया था। कार्य की समीक्षा के साथ-साथ समय विस्तार और परिसमापक हानि के उद्ग्रहण के संबंध में निर्णय तीन माह अर्थात् नवंबर 2019 के बाद किया जाना था जिसे पूरा होते नहीं देखा गया था।

30 जून 2019 तक एजेंसी ने ₹ 60.70 करोड़ की राशि का कार्य पूरा कर लिया था। इसलिए, अनुबंध की समाप्ति के मामले में ₹ 15.60¹⁸ करोड़ (₹ 9.25 करोड़ पर परिसमापक हानि सिहेत) की राशि ठेकेदार से वसूल की जानी थी।

ठेकेदार ने लंबित भुगतानों को जारी करने का अनुरोध किया (जनवरी 2020) और अनुबंध की क्लॉज 24 के अंतर्गत विवाद निवारण प्रणाली लागू की, जिसमें बताया गया है कि ₹ 10 करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबंध से संबंधित विवाद के लिए एजेंसी पहले संबंधित अधीक्षण अभियंता से अपील कर सकती है।

कार्य पूरा करने के लिए जून 2020 (फरवरी 2020) और अगस्त 2020 (जुलाई 2020) के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके विपरीत, ठेकेदार ने 31 मार्च 2021 तक समय विस्तार के लिए अनुरोध किया (जुलाई 2020)। विश्वविद्यालय के अधिकारियों, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के अधिकारियों और एजेंसी के मध्य कई बैठकें हुई (सितंबर 2020, दिसंबर 2020, फरवरी 2021 और जून 2021), जिनमें एजेंसी ने आश्वासन दिया कि कार्य 30 जुलाई 2021 तक पूरा हो जाएगा, भले ही एजेंसी ने अपने स्वयं के आश्वासनों का उल्लंघन जारी रखा। कुलपति के आवास और विवादित भूमि की चारदीवारी के ढांचे को खत्म करने को छोड़कर एजेंसी द्वारा कार्य पूरा किया गया था (31 जुलाई 2021), तथापि, प्रमुख अभियंता ने जुलाई

17

⁷ जून 2019 तक पहली और दूसरी मंजिल और जुलाई 2019 तक तीसरी मंजिल को पूरा करना।

¹⁸ ₹ 15.60 करोड़ = ₹ 9.25 करोड़ (परिसमापक हानि) + ₹ 6.35 करोड़ (₹ 31.76 करोड़ के बचे हुए कार्य के लिए पेनल्टी)।

2021 तक समय विस्तार की अनुमति दी (अक्तूबर 2021)।

विभाग ने नवंबर 2021 में रिनंग बिलों से ₹ 3.14 करोड़¹⁹ की रोकी गई परिसमापक हानि की राशि को वापस कर दिया जिसे अनुबंध के प्रावधानों से बाहर और किसी पूरक अनुबंध द्वारा समर्थित न होने के कारण अनियमित माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ठेकेदार के लगभग 30 माह के विलंब को माफ करने के कारण ₹ 9.25 करोड़ की परिसमापन हानि का उद्ग्रहण नहीं हुआ, 25 माह के लिए अवरुद्ध पूंजी (₹ 60.70 करोड़) की ब्याज लागत (₹ 9.76²⁰ करोड़) की हानि हुई, जो कि हरियाणा सरकार की लागत पर ठेकेदार को अनुचित लाभ था। इसके अलावा, अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 के दौरान किराए के परिसर में संचालन के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा भ्गतान की गई ₹ 1.10 करोड़ की राशि का भी नुकसान हुआ है।

इस प्रकार, अनुबंध को समाप्त न करने और पिरसमापक हानि तथा पेनल्टी का उद्ग्रहण न करने, ब्याज हानि और भुगतान किए गए किराए के कारण सरकार को ₹ 26.46²¹ करोड़ की हानि हुई। अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के साथ दिनांक 11 मई 2022 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें यह सूचित किया गया था कि आरंभ में साइट विवाद के कारण कार्य रुका हुआ था और आगे संतोष व्यक्त किया कि पूर्णता की निर्धारित तिथि के बाद ठेकेदार को कोई समय विस्तार नहीं दिया गया जो कि ठेकेदारों पर भी एक वित्तीय बोझ है। विभाग का तर्क तर्कसंगत नहीं था क्योंकि साइट की अनुपलब्धता तक की अविध को परिसमापक हानि के उद्ग्रहण के उद्देश्य से बाहर रखा गया है और उद्गृहीत/उद्ग्राहय (बिना किसी प्रलेखीकरण के) परिसमापक हानि के गैर-लेखांकित समायोजन के माध्यम से संभावित हानियों का समायोजन न तो पारदर्शी है और न ही आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशाली होने का आश्वासन है। इस तरह के अनिधिकृत उपयोग और विवेक की स्वीकृति (कार्य/सरकार के हित में तर्कपूर्ण रूप से की गई) विभाग की कार्यप्रणाली में आंतरिक नियंत्रण से समझौता करती है और दुरुपयोग का जोखिम उठाती है।

¹⁹ एजेंसी से 35वें बिल से 52वें बिल (सितंबर 2019 से जुलाई 2021) तक एकत्र किया गया।

पहले 24 माह: {₹ 60.70 करोड़ $*(1.0741)^2$ } = ₹ 70.03 करोड़, चक्रवृद्धि ब्याज = ₹ 70.03 करोड़ - ₹ 60.70 करोड़ = ₹ 9.33 करोड़ और 25वें माह के लिए ब्याज = {₹ 70.03 करोड़ - (₹ 70.03*1.0062)} = ₹ 0.43 करोड़।

कुल ब्याज = ₹ 9.33 करोड़ + ₹ 0.43 करोड़ = ₹ 9.76 करोड़।

²¹

^{₹ 26.46} करोड़ = बचे हुए कार्य के लिए पेनल्टी: ₹ 6.35 करोड़ + परिसमापक हानि: ₹ 9.25 करोड़ + ₹ 60.70 करोड़ की अवरुद्ध पूंजी की ब्याज लागत: ₹ 9.76 करोड़ + भुगतान किया गया किराया: ₹ 1.10 करोड़।

लोक निर्माण विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

5.7 निविदा आबंटन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताएं

निविदा आबंटन समिति ने गैर-पारदर्शी ढंग से कार्य किया और बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता से समझौता करने वाले योग्य बोलीदाताओं को शामिल नहीं किया, विभिन्न निविदाओं में विभिन्न मानकों का इस्तेमाल किया, मानक बोली दस्तावेज में निहित मौजूदा निर्देशों और प्रावधानों के साथ असंगत निर्णय लिया।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैराग्राफ 14.8.2 के अनुपालन में निविदा की दो लिफाफा²² प्रणाली का पालन करता है। सक्षम प्राधिकारी तकनीकी बोलियों के आधार पर उत्तरदायी योग्य बोलियों को अनुमोदन प्रदान करता है। तत्पश्चात, योग्य बोलीदाताओं की वितीय बोलियां खोली जाती हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है। निविदा आबंटन समिति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रमुख अभियंता तथा इसके सदस्यों के रूप में सभी मुख्य अभियंता एवं मुख्य लेखा अधिकारी शामिल होते हैं, ₹ पांच करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए निविदाएं स्वीकार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं। निविदाएं विभाग में अपनाए गए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं। लेखापरीक्षा ने प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यालय में यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 11 निविदा मामलों (परिशिष्ट 5.1) की संवीक्षा (अक्तूबर 2020²³ के बाद जून 2021 और जुलाई 2021 में आगे की संवीक्षा) की कि:

- निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों के अनुरूप है।
- विभिन्न निविदाओं में निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया सुसंगत है।
- 11 निविदा मामलों में कुल 35 बोलियां प्राप्त हुई थीं। परिणामों का सारांश निम्नान्सार है:

5.7.1 प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षर की आवश्यकता की अनदेखी

(i) मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 1 की क्लॉज 4.5 बोलीदाता की उपलब्ध बोली क्षमता के निर्धारण से संबंधित है। इसकी गणना बोलीदाता की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को कुल बोली क्षमता से घटाकर की जाती है, जिसकी गणना बोलीदाता द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर की जाती है। यह क्लॉज प्रावधान करती है कि मौजूदा प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों के मूल्य के साथ-साथ सूचीबद्ध प्रत्येक शेष कार्य के लिए पूरा होने की निर्धारित अवधि को प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जो कार्यकारी अभियंता या समकक्ष के पद से नीचे का न हो।

²² लिफाफा 1-तकनीकी बोली है जिसमें योग्यता जैसे कि उसी प्रकार के कार्यों में अनुभव, कार्मिकों एवं उपकरणों के संबंध में क्षमता, वित्तीय स्थिति, बयाना राशि, आदि के विषय में जानकारी होती है तथा लिफाफा 2-वित्तीय बोली है।

²³ वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान।

क्लॉज की प्रासंगिकता यह जांच करना है कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ठेकेदार के पास पर्याप्त बोली क्षमता है अथवा नहीं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठेकेदार द्वारा दर्शाई गई मौजूदा प्रतिबद्धताओं/चल रहे कार्यों की मात्रा प्रामाणिक है और बोलीदाताओं दवारा तथ्यात्मक रूप से गलत दस्तावेजों से बचाव के लिए है।

यह देखा गया था कि 11 निविदा मामलों में 35 बोलियों में से 31 में ठेकेदार की मौजूदा प्रतिबद्धताओं तथा चल रहे कार्य विवरणी प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं थी। दो बोलियों में, बोलीदाता द्वारा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। अन्य दो बोलियों में, बोलीदाता द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए थे (ये दोनों बोलियां परिशिष्ट 5.1 की क्रम संख्या 10 में दिए गए कार्य से संबंधित हैं)। यह आवश्यक दस्तावेज है जिसके द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि ठेकेदार के पास कार्य को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित तकनीकी और वितीय स्थिरता है। निविदा आबंटन समिति ने इन सभी 31 बोलीदाताओं को उत्तरदायी पाया और उन बोलीदाताओं को दस कार्य आबंटित किए जिन्होंने मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 1 की क्लॉज 4.5 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

(ii) मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 2 के अंतर्गत क्लॉज 1.3 (ए) में प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा संलग्न किए जाने वाले सभी प्रमाण-पत्र नियोक्ता/अभियंता से निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। निर्धारित प्रारूप में सौंपे गए कार्यों यथा परियोजना का नाम; पूरे पते के साथ नियोक्ता/इंजीनियर का नाम; आरंभ होने की तिथि सहित कार्य का विवरण, किए गए कार्य की प्रतिशतता, पूरा होने की निर्धारित तिथि, राशि आदि के विभिन्न विवरणों का प्रावधान है। इस जानकारी का उपयोग सेक्शन 1 की क्लॉज 4.5 के अंतर्गत बोली क्षमता की गणना के लिए किया जाता है।

चूंकि विभाग, प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा का पालन नहीं करता है इसलिए इसमें बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए विसंगतिपूर्ण डेटा का जोखिम होता है जैसा कि निम्नलिखित मामलों में बताया गया है:

- परिशिष्ट 1 की क्रम संख्या 7 एवं 8 में दिए गए कार्यों में बोलीदाता मैसर्ज दयानंद ठेकेदार ने दोनों निविदाओं में चल रहे कार्यों के मूल्य का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किया। क्रम संख्या 7 पर कार्य के मामले में, 21 दिसंबर 2018 को चल रहे तीन कार्यों का शेष मूल्य ₹ 300 लाख, ₹ 20 लाख एवं ₹ 10 लाख दिया गया था। जबिक क्रम संख्या 8 पर कार्य के मामले में, 7 फरवरी 2019 को उन्हीं तीन चल रहे कार्यों का शेष मूल्य ₹ 400 लाख, ₹ 50 लाख और ₹ 25 लाख प्रस्तुत किया गया था।
 - यह आकलन किया जाता है कि चल रहे कार्यों का मूल्य दिसंबर 2018 और फरवरी 2019 के मध्य घट जाना चाहिए था। इसलिए, कथन गलत था। तथापि, दोनों कार्य मैसर्ज दयानन्द कांट्रेक्टर को कार्य प्रदान किए गए थे।
- एक अन्य उदाहरण में बोलीदाता मैसर्ज बिशन प्रकाश एंड कंपनी (क्रम संख्या 11)

ने अपनी बोली ऑनलाइन प्रस्तुत की। बाद में, यह बात सामने आई कि उन्होंने ₹ 10.69 करोड़ की राशि के चल रहे कार्य को शामिल नहीं किया। इस प्रकार के लोप या चूक के लिए कोई प्रणालीगत प्रति-जांच तंत्र मौजूद नहीं है। यह मामला केवल इस तथ्य के कारण प्रकाश में आया क्योंकि उक्त चल रहा कार्य उसी मंडल में हुआ था। योग्यता आवश्यकताओं के प्रमाण में भ्रामक या झूठे फॉर्म, संलग्नक प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैराग्राफ 14.10.1 के प्रावधानों के अंतर्गत बोलीदाता को गैर-उत्तरदायी घोषित करने के बजाय, उसे उत्तरदायी घोषित किया गया।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कार्यकारी अभियंता या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर न किए जाने के कारण, बोलीदाता चल रहे कार्य के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत कर सकता है।

इस प्रकार 11 निविदाओं में 31 बोलियों को अनुक्रियाशील घोषित करना मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों के साथ असंगत था। मूल्यांकन की गई 11 निविदाओं अनुक्रियाशील इन 31 बोलियों को स्वीकार करने के संभावित प्रभाव के कारण ₹ 177.94²⁴ करोड़ के वितीय प्रभाव वाले 10 कार्यों (क्रम संख्या 10 पर एक को छोड़कर) को प्रदान किया गया। इसने कार्यों के निष्पादन के लिए संसाधनों के साथ बोलीदाताओं को सुनिश्चित करने के सरकारी हितों को संरक्षित करने के विरुद्ध निविदा प्रक्रिया को भंग कर दिया।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया (मई 2022) कि "उपचारात्मक उपाय के रूप में, इस मुद्दे को विभाग द्वारा विभिन्न मंचों पर चर्चा/विचार-विमर्श के दौरान उठाया गया है और अब सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों के सामान्य बोली दस्तावेज सामने आए हैं और प्रभारी अभियंता, जो कार्यकारी अभियंता के पद से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी मौजूदा प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर करना हटा दिया गया है। यह जानकारी अब ठेकेदार द्वारा सेक्शन 2 की क्लॉज 1.33 के अंतर्गत दी जानी है।" सामान्य बोली दस्तावेज में उपर्युक्त क्लॉज की चूक स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सरकार के हितों की रक्षा नहीं करती है क्योंकि बोलीदाताओं की 'उपलब्ध बोली क्षमता का आकलन करने के लिए यह क्लॉज सीधे सूचना की विश्वसनीयता से जुड़ी है। आगे, विसंगतिपूर्ण डेटा के उदाहरणों का वर्णन ऊपर अनुच्छेदों में पहले ही किया जा चुका है।

5.7.2 मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रभारी अभियंता के हस्ताक्षर आवश्यक बनाना

मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 4.2(ii)(ए)(सी) वितीय टर्नओवर, निष्पादित समान कार्यों की मात्रा और हाल के वर्षों में निष्पादित कार्य की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की मात्रा के संबंध में आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है। क्लॉज का उद्देश्य कार्य हेतु ठेकेदार के अनुभव तथा निष्पादन क्षमताओं की जांच करना है।

¹¹ निविदाओं का कुल बोली मूल्य (₹ 192.06 करोड़) - क्रमांक 10 पर निविदा का बोली मूल्य (₹ 14.12 करोड़) = ₹ 177.94 करोड़।

मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज के अनुसार निष्पादित मात्रा के दस्तावेजों को प्रभारी अभियंता से हस्ताक्षरित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, विभाग ने इस व्यवहार का पालन किया था कि ठेकेदार के पूर्ण कार्यों का विवरण प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। 35 बोलियों वाले 11 निविदा मामलों की जांच में, यह देखा गया था कि 35 बोलीदाताओं में से 32 ने क्लॉज 4.2(ii) की अपेक्षाओं के विरुद्ध निष्पादित मात्रा के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इसमें 31 को कार्यपालक अभियंता (क्रम संख्या 1 से संबंधित बोली में मैसर्ज ओरिएंटल सेरामिक्स एंड रेफ्रेक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और उत्तरदायी माना गया और एक कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं था और गैर-उत्तरदायी माना गया था। इस संबंध में तीन बोलीदाताओं ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। इस प्रकार, विभाग बोलीदाताओं को गैर-उत्तरदायी बनाने के लिए एक कारक के रूप में प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर पर विचार कर रहा है।

इस बोली को गैर-उत्तरदायी मानने में निविदा आबंटन समिति की कार्रवाई मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 4.2 (ii) के प्रावधान के साथ असंगत थी तथा व्यापक भागीदारी के उद्देश्य के विरूद्ध निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया और कीमत के उच्च निर्धारण का जोखिम उठाया। योग्य बोलीदाता को गैर-उत्तरदायी बनाने का संभावित प्रभाव ₹ 13.67 करोड़ (क्रम संख्या 1) होने का आकलन किया गया है।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया (मई 2022) कि "नियोक्ता को वेबसाइट पर बोली (तकनीकी बोली) के भाग-। को अस्वीकार करने के कारणों सिहत बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम को दर्शाना होगा। इसके बाद, नियोक्ता योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलने से पहले सात दिनों तक प्रतीक्षा करेगा ताकि अयोग्य बोलीदाताओं को, यदि वे चाहें तो, कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी उपाय का लाभ उठाने का अवसर दे सकें", के रूप में इस तरह के मामलों के विरुद्ध उपचारी उपायों को सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों के सीबीडी के सेक्शन 1 की क्लॉज 23.7 में शामिल किया गया है।

उपचारी कार्रवाई लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मुद्दे से संबंधित नहीं है बल्कि बोलीदाताओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने से संबंधित है। इसमें शामिल अधिकारियों की कार्रवाई को न तो कमी के रूप में निर्धारित किया जाता है और न ही यह तय किया जाता है कि कोई कमी नहीं थी।

उपर्युक्त, विभाग में निविदा मूल्यांकन तंत्र में व्यापक विसंगतियों को दर्शाता है।

5.7.3 निविदा मामलों के मध्य निविदा मूल्यांकन में विभेद

(i) ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने की तिथि के बाद दस्तावेजों की स्वीकृति

मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 1 की क्लॉज 19.3 में प्रावधान है कि बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित नहीं किया जा सकता है। आगे क्लॉज 17.3 में प्रावधान है कि ठेकेदार/एजेंसी द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए, इंजीनियर द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए, या आवश्यकतान्सार, बोली दस्तावेजों में कोई परिवर्तन

या परिवर्धन नहीं होगा और ऐसे सुधारों पर बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों दवारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

क्लॉज का उद्देश्य सभी के लिए निविदा प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना और इसे यथासंभव पारदर्शी बनाना है। बोली में उल्लिखित समय-सीमा के बाद किसी भी दस्तावेज को बोली में शामिल करने की अन्मति नहीं दी जाएगी।

यह देखा गया था कि क्रम संख्या 11 में कार्य के सबंध में एक बोलीदाता मैसर्ज बिशन प्रकाश एंड कंपनी ने मानक बोली दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, चल रहे कार्यों के विवरण जो अभियंता के प्रति-हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किए गए हैं (जैसा कि पहले उप-पैरा 2.8.1 (ii) में उल्लिखित है) गलत पाए गए थे। आयोजित बैठक (जून 2021) में निविदा आबंटन समिति ने ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की तिथि के बाद एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अद्यतन विवरण (प्रतिनिधित्व के माध्यम से) पर विचार किया। तदनुसार, निविदा आबंटन समिति द्वारा अपने स्वयं के दिशानिर्देशों के बावजूद, कि ऑनलाइन बोली जमा करने की तिथि के बाद एजेंसी/ठेकेदार के किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा, एजेंसी को गैर-उत्तरदायी के बजाय उत्तरदायी घोषित किया गया था जिसने निविदा प्रक्रिया को भंग कर दिया।

11 मामलों की जांच में 2 मामलों में निविदा ऑनलाइन जमा करने की तिथि के पश्चात ठेकेदार द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। एक मामले में (क्रम संख्या 1) दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया गया है और ठेकेदार को गैर-उत्तरदायी ठहराया गया है। जबिक अन्य मामले में (क्रम संख्या 11) निविदा आबंटन समिति ने ठेकेदार के दस्तावेज पर विचार किया और उसके बाद उसे उत्तरदायी ठहराया।

एक बोलीदाता को उत्तरदायी बनाने का संभावित प्रभाव ₹ 28.01 करोड़ आंका गया है। कार्यान्वयन के स्तर पर वास्तविक प्रभाव के संदर्भ में संभावित प्रभाव का आकलन इस लेखापरीक्षा कार्य में शामिल नहीं किया गया है।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया (मई 2022) कि इस संबंध में उपचारी उपाय के रूप में प्रमुख अभियंता के कार्यालय द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब सभी विभागों/अर्ध-सरकारी विभागों के सामान्य बोली दस्तावेज सामने आए हैं जिनमें विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में ही नोट का उल्लेख इस प्रकार है:

बोली केवल ऑनलाइन होगी तथा हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किए गए बोलीदाता के मामले में बयाना राशि के अलावा किसी भी दस्तावेज को किसी भी भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे, सेक्शन-1 की क्लॉज 23.6 (ii) के अनुसार, तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा और बोलीदाता से उसकी तकनीकी बोली में कोई संशोधन नहीं मांगा जाएगा। बाद में बोलीदाता द्वारा अपनी तकनीकी बोली के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तथापि, पहले से ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

(ii) बैंक गारंटी/बयाना राशि जमा की वैधता निर्धारित अविध से कम होने के साथ बोली की स्वीकृति

मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 15 में प्रावधान है कि ठेकेदार/एजेंसी को निर्दिष्ट राशि के लिए बयाना राशि जमा करने हेतु तथा क्लॉज 13 में निर्दिष्ट बोली की वैधता अविध के बाद 45 दिनों के लिए वैध होना अपेक्षित है। ऐसी बयाना राशि जमा के रूप में गैर-प्रतिभूतित निविदा को अभियंता दवारा गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार किया जाना अपेक्षित है।

मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 13 में वैधता की निर्धारित अविध 90 दिन है, बयाना राशि जमा करने की अपेक्षित वैधता 135 दिन है। इस क्लॉज का उद्देश्य निविदा प्रदान किए जाने के बाद बोलीदाता को प्रक्रिया से हटने के जोखिम के विरुद्ध सरकार के हितों को संरक्षित करना है।

11 मामलों की जांच में, तीन मामलों (क्रम संख्या 2, 5 एवं 7) में बयाना राशि जमा/बैंक गारंटी बोली दस्तावेज के अनुसार वैध नहीं थी तथा क्रम संख्या 5 और 7 के कार्यों के लिए दो बोलीदाताओं के संबंध में यह 45²⁵ और 53²⁶ दिनों से कम पाई गई तथा फिर भी उन्हें उत्तरदायी माना गया। एक उदाहरण (क्रम संख्या 2) में दो ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज में निर्धारित समय तक बयाना राशि जमा/बैंक गारंटी जमा नहीं करने के कारण गैर-उत्तरदायी ठहराया गया है।

दो²⁷ निविदाओं (इन दो एजेंसियों को निविदा प्रदान की गई थी) के मामले में बोलियों का उत्तरदायी पाया जाना मानक बोली दस्तावेज में निहित प्रावधानों के साथ असंगत था। दो बोलीदाताओं को उत्तरदायी घोषित करने का संभावित प्रभाव ₹ 36.47 करोड़ आंका गया है। कार्यान्वयन के स्तर पर वास्तविक प्रभाव के संदर्भ में संभावित प्रभाव का आकलन इस लेखापरीक्षा कार्य में शामिल नहीं किया गया है।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया (मई 2022) कि विभिन्न कारकों के आधार पर इसे मामला-दर-मामला आधार पर निपटाया जाता है। ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं जहां इसने राज्य के राजकोष का पक्ष लिया। लेखापरीक्षा का विचार है कि निविदा प्रक्रिया पारदर्शी प्रणाली है, जहां सभी बोलीदाताओं के साथ योग्यता के आधार पर पारदर्शी ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त मामलों में कम समय-सीमा के लिए बैंक गारंटी/बयाना राशि जमा को स्वीकार करने के माध्यम से एजेंसी का पक्ष लिया गया है जबिक अन्य मामलों में इसे अस्वीकार कर दिया गया है। इससे एक ही पहलू पर बोली को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का विवेक होता है, जिसे न तो अनुमेय और न ही वांछनीय माना जाता है।

उपर्युक्त, अभ्युक्ति विभाग में निविदा मूल्यांकन तंत्र में व्यापक विसंगतियों को दर्शाता है।

अपेक्षित तिथि=15 नवंबर 2018 + 135 = 30 मार्च 2019; वैधता की वास्तविक तिथि=13 फरवरी 2019.

²⁶ अपेक्षित तिथि=14 फरवरी 2019 + 135 = 29 जून 2019; वैधता की वास्तविक तिथि= 7 मई 2019.

⁽i) टिब्बा दाना शेर कंपनी एल. एंड सी. सोसाइटी लिमिटेड (क्रमांक 5) ₹ 11.47 करोड़ (ii) मैसर्ज दया नंद कांट्रैक्टर (क्रमांक 7) ₹ 25 करोड़।

5.7.4 अद्यतित मानक बोली दस्तावेज

लेखापरीक्षा करने के बाद, हरियाणा सरकार ने 20 मई, 2021 को ₹ एक करोड़ और उससे अधिक लागत वाले कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज को अद्यतन किया।

- (i) पुराने मानक बोली दस्तावेज की सेक्शन 1 के अंतर्गत क्लॉज 4.2 (ii) को सेक्शन ए की क्लॉज 4.5 ए के रूप में परिवर्तित किया गया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियोक्ता से अर्हता जानकारी के साथ एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से कार्य के नाम, संविदा मूल्य, बिलिंग राशि, कार्य प्रारंभ होने की तिथि, ठेकेदार का संतोषजनक निष्पादन और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी का उल्लेख होगा। इसलिए पिछले पांच वर्षों में निष्पादित कार्यों और विशेष मदों को संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।
- (ii) आगे, पुराने मानक बोली दस्तावेज की क्लॉज 4.5 को सेक्शन ए की क्लॉज 4.6 के रूप में परिवर्तित किया गया है। मानक बोली दस्तावेज के अद्यतित संस्करण में प्रभारी अभियंता से मौजूदा प्रतिबद्धताओं को प्रतिहस्ताक्षरित करने की आवश्यकता को छोड़ दिया गया है।

यह देखा गया है कि इस अद्यतीत मानक बोली दस्तावेज के माध्यम से हरियाणा सरकार ने मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों को संशोधित किया है ताकि इसे अपनाई जा रही प्रथा के अनुरूप बनाया जा सके और मौजूदा प्रतिबद्धताओं के संबंध में बोलीदाता द्वारा गलत बयानी का जोखिम उठाया जा सके। तथापि, बोलीदाताओं द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए नियोक्ता से प्रमाण-पत्र बनाना एक स्धार के रूप में मूल्यांकन किया जाता है।

विभाग के साथ दिनांक 25 मई 2022 को एग्जिट मीटिंग आयोजित की गई जिसमें विभाग ने पहले से प्रस्तुत उत्तर (अप्रैल/मई 2022) को दोहराते हुए बताया कि मानक बोली दस्तावेज के सेक्शन 1 की क्लॉज 4.5 के संबंध में आवश्यक संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं। ठेकेदारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। चल रहे कार्यों के अलग-अलग मूल्य का मुख्य कारण यह है कि उस अविध के दौरान कार्यों को संशोधित/बढ़ाया गया था। आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं है। विभाग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है और कोई वितीय हानि नहीं है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि बोली क्षमता की गणना अभी भी निविदा मूल्यांकन का हिस्सा है। प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता का न होना सरकार के हित में नहीं है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि तथ्यों के गलत विवरण के किसी भी जोखिम को रोका जा सके। लेखापरीक्षा का विचार है कि बोली की अस्वीकृति/स्वीकृति एक समान होनी चाहिए न कि स्व-निर्धारित विवेक के आधार पर बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए, जिसका मूल्यांकन लेखापरीक्षा में सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, स्थिरता और मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं के सिद्धांतों के विरुद्ध किया गया है।

सिफारिश: राज्य सरकार ऊपर दर्शाए गए विचलन के लिए निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच करने पर विचार करे।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

5.8 निर्धारित मानदण्डों/प्रक्रियाओं का पालन न करने के परिणामस्वरूप विकास कार्यों के कारण ठेकेदारों को अनियमित भ्गतान

प्राक्कलनों के अनुमोदन के बिना निर्धारित ई-निविदा प्रक्रिया की उपेक्षा करके ठेकेदार को कार्यों का आबंटन, ठेकेदार के नाम में मामूली बदलाव से आबंटन की पुनरावृत्ति, लेकिन एक ही टिन नंबर और व्यवसाय का स्थान होने से नगर निगम फरीदाबाद को ₹ 23.80 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इन भुगतानों के विरुद्ध कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उसी ठेकेदार को ₹ 183.83 करोड़ की राशि उचित दस्तावेज के बिना वितरित की गई थी जो कमजोर आंतरिक और वितीय नियंत्रण को दर्शाता है।

संहिता के पैराग्राफ 10.1.3 में प्रावधान है कि अनुमान इच्छित उद्देश्य के लिए लागत प्रभावी प्रस्ताव होगा और यथासंभव सटीक होगा। आगे, संहिता के पैराग्राफ 9.5.1 के अनुसार, प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किया जाना चाहिए। यह संस्वीकृति तकनीकी संस्वीकृति के रूप में जानी जाएगी और वास्तविक निष्पादन से पहले होनी चाहिए। संहिता के पैराग्राफ 9.5.5 में प्रावधान है कि विस्तृत अनुमान में उपभोग की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों की मात्रा और लागत की इकाई दरों का उल्लेख होना चाहिए। संहिता के पैराग्राफ 9.3.8 में यह भी प्रावधान है कि उच्च प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को, इस तथ्य से नहीं टाला जा सकता है कि परियोजना में प्रत्येक विशेष कार्य की लागत अनुमोदन प्रदान करने वाले निचले प्राधिकारी की शक्तियों के अधीन है।

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा ने दिसंबर 2014 से प्रभावी आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत सभी सिविल निर्माण कार्यों, भंडारों की खरीद या श्रमिकों की नियुक्ति के लिए ई-निविदा प्रणाली को लागू करने के राज्य सरकार के निर्णय के बारे में सभी नगरपालिकाओं को सूचित किया (नवंबर 2014)। आदेशों को दोहराया गया और यह निर्देश दिया गया (अप्रैल 2015) कि समान प्रकृति के कार्य के प्राक्कलनों का विभाजन न किया जाए, अन्यथा सरकार के निदेशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव किया जाएगा। हिरयाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश संख्या 19/24/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा निर्धारित किया कि कार्यों की लागत को उपविभाजित करके हेरफेर नहीं किया जाना चाहिए तािक उनकी पिच नगरपालिकाओं की सक्षमता के भीतर बनी रहे और लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का हमेशा अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

आगे, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया (जून 2016) कि राज्य में भंडारों/वस्तुओं/कार्यों/सेवाओं की खरीद के संबंध में ई-निविदा का न्यूनतम प्रारंभिक मूल्य प्रत्येक मामले (आदेश के विभाजन के बिना) में ₹ एक लाख होगा।

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अविध के लिए नगर आयुक्त, फरीदाबाद (एमसीएफ) की

20 मई 2019 से 19 जुलाई 2019 तक की गई लेखापरीक्षा के दौरान यह मूल्यांकन किया गया था कि श्री सतबीर सिंह ठेकेदार और उनकी एजेंसियों को ₹ 7.85 करोड़²⁸ की लागत के 164 विकास कार्यों का भुगतान एजेंसी के नाम में मामूली बदलाव के साथ किया गया था, लेकिन प्रत्येक बिल पर मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर के प्रावधान के अंतर्गत एक ही करदाता पहचान संख्या (टिन) थी। ठेकेदार को निष्पादित मदों में समानता वाले विकास कार्यों, जैसे (i) नालियों की मरम्मत (ii) स्टोन मेटल सप्लाई (iii) इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक में सीमेंट कंक्रीट का कार्य, के लिए समान टिन संख्या (06822828315) और प्रत्येक मामले में ₹ पांच लाख से कम राशि वाले बिलों के माध्यम से समान मात्रा और समान राशि में भुगतान किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

豖.	ठेकेदार का नाम और पता	विकास कार्यों	राशि
सं.		की संख्या	(₹ लाख में)
1	मैसर्ज सतबीर सिंह, ठेकेदार, नंबर 545 प्रवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद,	46	220.20
	नंबर 545 पर्वतीय कॉलोनी, फरीदाबाद		
2	मैसर्ज सतबीरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 545 प्रवतिया कॉलोनी,	28	134.09
	फरीदाबाद		
3	मैसर्ज सातवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 545 प्रवतिया कॉलोनी,	34	163.00
	फरीदाबाद		
4	मैसर्ज सातवी प्रीकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, 545 प्रवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद	28	134.09
5	मैसर्ज सातवी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, 545 प्रवतिया कॉलोनी, फरीदाबाद	28	134.09
	कुल	164	785.47

आगे यह देखा गया था कि इन विकास कार्यों को श्री सतबीर सिंह ठेकेदार और चार एजेंसियों के नामों में थोड़ा सा परिवर्तन करके उनसे प्राप्त कोटेशन के विरुद्ध निष्पादित किया गया था जैसा कि उपर्य्क्त तालिका में दर्शाया गया है। 18 मामलों में कोटेशन पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे जबकि पांच मामलों में कोटेशन प्राप्त करने की तारीख नहीं थी। आगे, यह भी देखा गया था कि इन कार्यों के लिए कोई विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किया गया था और तकनीकी संस्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी। केवल विवरण दिए गए हैं जैसे कि विभिन्न सैक्टरों में विभिन्न वार्डों में विभिन्न स्थानों पर नालियों की मरम्मत, सीमेंट कंक्रीट कार्य, इंटरलॉकिंग टाइलें उपलब्ध कराना और बिछाना आदि और इन कार्यों के निष्पादन को माप प्स्तकों में दर्ज किया गया बताया गया था जिन्हें लेखापरीक्षा को प्रस्त्त नहीं किया गया था। तद्न्सार लेखापरीक्षा में यह मूल्यांकन किया गया है कि लोक निर्माण विभाग के कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में कार्यों को विभाजित करके बाजार प्रतिस्पर्धा को त्यागकर कार्य के मनमाने आबंटन के माध्यम से ई-निविदा की पारदर्शिता से समझौता किया गया है। चूंकि कार्य समान प्रकृति के थे जो सभी मंडलों द्वारा दो से तीन माह के अंतराल के भीतर निष्पादित किए गए थे, प्रत्येक कार्य का विस्तृत अन्मान तैयार किया जा सकता था (समान प्रकृति के कार्यों को एक ही कार्य के रूप में निष्पादित करने के लिए समान मात्रा में विचार करके) और कार्य ई-निविदा तंत्र द्वारा आबंटित किए जा सकते थे। विभाग का तर्क कि कार्य हरियाणा की

.

वाउचर संख्या 532 से 672 दिनांक 9 अप्रैल 2018 (आरटीजीएस/चेक संख्या 062899) और 829 से 852 दिनांक 19 जुलाई 2018 (आरटीजीएस/चेक संख्या 063907) के माध्यम से भुगतान किया गया।

दरों की अनुसूची पर निष्पादित किया गया है, मान्य नहीं है क्योंकि लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ हुड़ा (अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा अनुसूचित दरों से कम सहित असंख्य कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार, कार्य की कोटेशन-आधारित दरों की स्वीकृति, जिसमें ₹ 7.85 करोड़ की बड़ी राशि शामिल है, ने ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभान्वित किया है।

इसी प्रकार, प्रत्येक बिल को ₹ पांच लाख से कम रखते हुए एक ही ठेकेदार को वाउचर संख्या 896 से 957 दिनांक 11 अगस्त 2017 (आरटीजीएस/चेक संख्या 056452) के माध्यम से 96 कार्यों के लिए ₹ 459.87 लाख तथा वाउचर संख्या 55 से 154 दिनांक 31 मार्च 2017 (आरटीजीएस/चेक संख्या 024610) के माध्यम से 100 कार्यों के लिए ₹ 447.90 लाख का भुगतान किया गया जो कोटेशन के आधार पर और किसी विस्तृत अनुमान के अनुमोदन/समर्थन के बिना आबंटित किए गए थे।

₹ 1,693.24 लाख (360²⁹ कार्यों/बिलों के लिए) के मौद्रिक मूल्य के साथ उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को वर्ष 2018-19 के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से नगर निगम, फरीदाबाद को अगस्त 2019 में जारी किया गया था। इसने मौलिक दस्तावेजों जैसे विधिवत अनुमोदित अनुमानों, गुणवत्ता रिपोर्टों, माप पुस्तकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण तंत्र के उल्लंघन पर प्रकाश डाला। उपर्युक्त के अलावा, एजेंसी के नाम में मामूली बदलाव से एक ही ठेकेदार को भुगतान के संबंध में लेखांकन चूक को भी प्रकट किया गया था। इसके अतिरिक्त, 'ई-निविदा के बिना कार्यों का निष्पादन' शीर्षक से ₹ 14.77 करोड़ के 320 कार्यों को शामिल करने वाले अनुच्छेद 4.3.4.8 को वर्ष 2017-19 के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में पहले ही शामिल किया जा चूका है।

उक्त मामला नगर निगम, फरीदाबाद में विभिन्न वार्डों के पार्षदों के संज्ञान में भी आया जब 28 मई 2020 को नगर निगम, फरीदाबाद की लेखा शाखा द्वारा पार्षदों को इन कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। पार्षदों ने आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद से शिकायत की कि 28 मई 2020 के पत्र में जिन 388 कार्यों का उल्लेख किया गया था, वे वास्तव में उनके वार्डों में निष्पादित नहीं किए गए थे। आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने कार्यालय आदेश संख्या 241 दिनांक 9 जुलाई 2020 और संख्या 3190 दिनांक 13 अगस्त 2020 के अंतर्गत एक समिति गठित की जिसमें संयुक्त आयुक्त (नगर निगम, फरीदाबाद), मुख्य अभियंता (नगर निगम, फरीदाबाद), जोन कराधान अधिकारी (मुख्यालय), उप-महापौर और वार्ड 26 के पार्षद शामिल थे। समिति ने मार्च 2021 में निष्कर्ष निकाला कि ठेकेदार और संबंधित कनिष्ठ अभियंता 388 कार्यों की सूची में से एक भी कार्य दिखाने में विफल रहे। समिति ने नियमित कनिष्ठ अभियंता के निलंबन के साथ-साथ एक अन्य कनिष्ठ अभियंता, जिसे आउटसोर्सिंग पर रखा गया था, की सेवाओं को बर्खास्त करने और दोनों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही का पंजीकरण करने की भी सिफारिश की। सिमिति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि नगर निगम,

²⁹ 360 कार्य: ₹ 1,693.24 लाख = 164 कार्य: ₹ 785.47 लाख + 96 कार्य: ₹ 459.87 लाख + 100 कार्य: ₹ 447.90 लाख।

फरीदाबाद को इन 388 कार्यों के भुगतान के कारण ₹ 23.80 करोड़ का नुकसान हुआ था और तत्कालीन मुख्य अभियंता सहित सभी अधिकारियों के विरूद्ध एक विशेष एजेंसी से विस्तृत जांच की सिफारिश की थी।

इस मुद्दे का फिर से विश्लेषण किया गया और अप्रैल 2019 से मार्च 2021 की अविध के लिए आयोजित लेखापरीक्षा के दौरान (मार्च से अक्तूबर 2021) नगर निगम, फरीदाबाद की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया। यह अवलोकित किया गया था कि मई/जुलाई 2020 में जांच सिमिति के गठन के बाद भी इस ठेकेदार को इसी तरह से निष्पादित किए गए कार्यों के लिए ₹ 7.70 करोड़ की राशि वितिरत की गई थी। इसके अलावा, इस भुगतान की प्रविष्टियां भी माह की रोकड़-बही में दर्ज नहीं की गई थीं तथा इस अविध के लिए बैंक मिलान नहीं किया गया था और इसके कारण दर्ज नहीं की गई प्रविष्टि को अभिलेख में नहीं लाया जा सका था। लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे पर कवरेज के विस्तार से पता चला कि इस ठेकेदार को अप्रैल 2015 से जून 2020 तक ₹ 183.83 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस भुगतान में से ₹ 104.30 करोड़ के भुगतान के 375 वाउचर नगर निगम, फरीदाबाद की लेखा शाखा में उपलब्ध थे जबिक ₹ 79.53 करोड़ के भुगतान के 213 वाउचर नगर निगम, फरीदाबाद के लेखा किमियों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। बीच की अविध में 20 अगस्त 2020 को लेखा परिसर में आग लगने की घटना भी हुई थी लेकिन आग की घटना के कारण नष्ट हुए अभिलेखों का कोई आकलन नगर निगम, फरीदाबाद दवारा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, विकास कार्यों के निष्पादन के भुगतान से निपटने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद में कमजोर आंतिरक नियंत्रण तंत्र था और अगस्त 2019 में ₹ 16.93 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी होने के बाद भी प्राधिकारियों ने प्रभावी उपाय नहीं किए। निर्धारित निविदा प्रक्रिया के बजाय कोटेशन के आधार पर ठेकेदार को कार्य आबंटित किए गए थे। प्रक्रिया को दोहराया गया और ठेकेदार के नाम में मामूली बदलाव से कई गुना गुणा किया गया, लेकिन टिन नंबर और व्यवसाय का स्थान समान था। हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता द्वारा तैयार किए जाने वाले अपेक्षित कुछ महत्वपूर्ण मौलिक दस्तावेज तैयार नहीं किए जा रहे थे और प्राक्कलन के अनुमोदन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। ठेकेदार के विरूद्ध जांच शुरू करने के बाद भी ₹ 7.70 करोड़ का भुगतान किया गया। बैंक मिलान जैसी लेखांकन जांचों के अभाव में, संदिग्ध भुगतानों के आंकड़े में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, कार्यों के निष्पादन से निपटने में नगर निगम, फरीदाबाद के उदासीन दृष्टिकोण को इसके वितीय हित के लिए काफी हद तक हानिकारक माना जाता है क्योंकि उसी ठेकेदार को ₹ 183.83 करोड़ की राशि वितरित की गई थी जिससे कमजोर वितीय और आंतरिक नियंत्रण तंत्र का संकेत मिलता है।

सिफारिश: सरकार जिम्मेदारी तय करने और ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए मामले की गहन जांच शुरू करने पर विचार करे। मामला प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (4 मई 2022)। उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग

5.9 साईट को अंतिम रूप देने में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण ₹ 3.39 करोड़ की अधिक लागत तथा ₹ 48.89 लाख का निष्फल व्यय

राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल की स्थापना में तीन वर्ष का विलंब होने के कारण राज्य की सामान्य जनता एवं विद्यार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करने के अलावा राजकोष पर ₹ 3.88 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से इसे लागू करने के लिए 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रारंभ किया।

स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अंबाला जिले में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव को शुरू करने के लिए आयुष हरियाणा, पंचकुला निदेशालय को निर्देश दिया (फरवरी 2018)। ग्राम मंगलई में 11 एकड़ भूमि ₹ एक प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 33 वर्ष के पट्टे पर सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान हेतु गठित समिति द्वारा सिफारिश की गई थी जिसे मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया था (जून 2018)।

तद्नुसार, विकास एवं पंचायत विभाग, हिरयाणा ने ग्राम मंगलई में कॉलेज के निर्माण हेतु ₹ एक प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 33 वर्ष के पट्टे पर आयुष विभाग के निदेशालय के नाम भूमि को स्वीकृत (अक्तूबर 2018) एवं हस्तांतरित (नवंबर 2018) किया।

ग्राम मंगलई में नए सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल की स्थापना के लिए ₹ 46.89 करोड़ के अनुमानित लागत प्राक्कलन को हिरयाणा सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था (फरवरी 2019)। सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल के निर्माण का कार्य ठेकेदार³⁰ को कार्य शुरू होने की तारीख से 36 माह की निर्धारित समय-सीमा के साथ ₹ 35.93 करोड़ में आबंटित किया गया था (मार्च 2019)। ठेकेदार को स्टील की खरीद के लिए ₹ 2.99 करोड़³¹ का प्रतिभूतित अग्रिम जारी किया गया था। आगे, सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल के भवन के संरचनात्मक डिजाइन की तैयारी के लिए मैसर्ज कॉन्टिनेंटल फाउंडेशन एजेंसी को ₹ 15.83 लाख की राशि का भुगतान किया गया था (सितंबर 2019)। ठेकेदार ने मंगलई कार्य-स्थल पर ₹ 25 लाख के कार्य का निष्पादन किया परन्तु कोई भुगतान नहीं किया गया था।

महानिदेशक, आयुष विभाग हरियाणा, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2021) से पता चला कि जब मंगलई साईट पर निर्माण कार्य चल रहा था तो हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को स्वास्थ्य मंत्री के मौखिक निर्देश पर जुलाई 2019 में साईट परिवर्तन के कारण कार्य रोकने के लिए कहा गया था क्योंकि साईट का निर्धारण शहर से दूर होने के कारण

30

मैसर्ज गर्ग एंड कंपनी।

³¹ ₹ 0.75 करोड़: जुलाई 2019 जमा ₹ 2.24 करोड़: मई 2019.

किया गया था। इसके बाद, नई समिति ने नग्गल में साइट की सिफारिश की (दिसंबर 2019) जो कॉलेज के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई (मई 2020)। अंत में, उपायुक्त, अंबाला द्वारा सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल के निर्माण के लिए गांव चांदपुरा में लगभग आठ एकड़ भूमि की सिफारिश की गई थी। नगर परिषद, अंबाला ने दिसंबर 2020 में आयुष विभाग को सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल स्थापित करने के लिए नगर निगम की भूमि का कब्जा इस शर्त के साथ सौंपा कि दिसंबर 2020 में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग को उक्त भूमि की बिक्री से प्राप्त आय के मद में ₹ 3.39 करोड़ नगर निगम, अंबाला के पास जमा कराने होंगे। नई साईट पर कार्य उसी ठेकेदार द्वारा फरवरी 2021 में शुरू किया गया। विभाग ने उक्त भूमि की बिक्री आय के मद में नगर निगम, अंबाला को ₹ 3.39 करोड़ की राशि का भ्गतान किया (मार्च 2021)।

यह आगे देखा गया था कि प्राक्कलन को संशोधित करके ₹ 55.85 करोड़ किया गया (मई 2021) जो कि अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा प्रशासनिक रूप से जुलाई 2021 में अनुमोदित किया गया था। कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल संख्या, अंबाला कैंट ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि साईट परिवर्तन के बाद उसी ठेकेदार ने नई साईट अर्थात् चांदपुरा पर कार्य निष्पादित करना शुरू किया और ठेकेदार को ₹ 12.55 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। तथापि, दिसंबर 2021 तक केवल दस प्रतिशत प्रगति ही प्राप्त की जा सकी थी। यह अवलोकित किया गया था कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने 9वें रनिंग बिल के अंतर्गत पुरानी साईट से नई साईट तक स्टील की ढुलाई के लिए ठेकेदार को ₹ 8.06 लाख का भुगतान किया। अभिलेखों की संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि मंगलई राष्ट्रीय राजमार्ग-73 पर स्थित था तथा चांदपुरा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-73 से चार किलोमीटर दूर है, की तुलना में जनता के लिए अधिक सुलभ था।

इस प्रकार, अनुचित योजना, साईट परिवर्तित करने के लिए व्यक्तिपरक निर्णय तथा उचित प्रक्रिया का पालन न करने के लिए आंतिरक नियंत्रण की विफलता के परिणामस्वरूप कार्य के निष्पादन में देरी हुई जिसके कारण समय बढ़ा और परिणामस्वरूप लागत भी बढ़ गई। मंगलई स्थल पर किए गए कार्य तथा ₹ 48.89 लाख³² के अन्य व्यय निष्फल साबित हुए, विभाग को नई साईट के लिए ₹ 3.39 करोड़ मूल्य की भूमि की अतिरिक्त लागत भी वहन करनी पड़ी जो कि मंगलई में विभाग को निःशुल्क उपलब्ध थी। आगे, सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज तथा अस्पताल को स्थापित करने में तीन वर्ष की देरी के साथ समय की अधिकता के परिणामस्वरूप सामान्य जनता और राज्य के छात्रों को इच्छित लाभ से वंचित करने के अलावा, राज्य के खजाने पर ₹ 3.88 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि ग्राम चांदपुरा में साईट का चयन जनहित में किया गया था (मई 2022)। दिसंबर 2019 में स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव से प्राप्त नोट के अनुसार साईट को परिवर्तित कर दिया गया था। इस नोट में यह बताया गया था कि मंगलई

_

³² मंगलई में निष्पादित कार्य की लागत - ₹ 25 लाख, संरचनात्मक डिजाइन का भुगतान - ₹ 15.83 लाख और पुरानी साइट से नई साइट पर शिफ्ट करने का कैरिज प्रभार - ₹ 8.06 लाख (कुल = ₹ 48.89 लाख)।

में साईट रोगियों के लिए सुलभ और सुविधाजनक नहीं थी, इसलिए नग्गल की साईट का चयन किया जा सकता है। विभाग का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि ग्राम मंगलई में स्थल का चयन तीन गांवों की भूमि के उचित सर्वेक्षण के बाद किया गया था और कॉलेज के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया था। इसके अतिरिक्त, मंगलई में साईट की भूमि आयुष विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी, जबकि बाद की साईट (चांदपुरा) के लिए विभाग को ₹ 3.39 करोड़ की राशि नगर समिति को देनी थी।

सिफारिश: राज्य सरकार राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु साईट को अंतिम रूप देने में आंतरिक नियंत्रण लागू करने में विफलता के लिए जिम्मेदारी तय करने पर विचार करे।

उच्च शिक्षा विभाग

5.10 पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय में अनियमितताओं के कारण ₹ 92.58 लाख का परिहार्य व्यय

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 149 राजकीय कॉलेजों के लिए कम छूट दर पर ₹ चार करोड़ की पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय में अनियमितता के परिणामस्वरूप ₹ 79.96 लाख का परिहार्य व्यय एवं क्रय गतिविधि में लापरवाही के कारण ₹ 12.62 लाख की अतिरिक्त हानि हई।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हिरयाणा सरकार को, हिरयाणा राज्य में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय सिमिति के दवारा ₹ एक करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद को अंतिम रूप देने की शिक्त प्रदान की गई है (अगस्त 2016)। राज्यों में पुस्तकों तथा प्राप्तकर्ता पुस्तकालयों के चयन के लिए दिशा-निर्देश राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता द्वारा निर्धारित किए गए हैं, साथ ही प्रतियों की संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के मध्य छूट की दर³³ निर्धारित की गई है। इसे उच्च शिक्षा विभाग, हिरयाणा सरकार द्वारा अपनाया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक, उच्च शिक्षा, हिरयाणा (अप्रैल 2019) को 'राजकीय कॉलेजों में पुस्तकालय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण' योजना के अंतर्गत ₹ चार करोड़ की राशि आबंटित की गई थी। निदेशक उच्च शिक्षा ने राज्य में 149 राजकीय कॉलेजों में स्थित सभी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की केंद्रीकृत खरीद हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय कॉलेज, पंचकुला की अध्यक्षता में पांच सदस्यों³⁴ की राज्य स्तरीय क्रय समिति का गठन किया (अप्रैल 2019)।

 ⁽i) 1-10 प्रतियां = 10 प्रतिशत; (ii) 11-25 प्रतियां = 15 प्रतिशत; (iii) 26-100 प्रतियां = 20 प्रतिशत;
 (iv) 101-200 प्रतियां = 25 प्रतिशत; (v) 201-500 प्रतियां = 30 प्रतिशत और (vi) 501 से अधिक प्रतियां = 35 प्रतिशत।

⁽i) प्रिंसिपल, राजकीय कॉलेज, पंचकुला, (ii) उप-निदेशक, (iii) प्रिंसिपल, राजकीय महिला कॉलेज, सांपला, (iv) उप-निदेशक समन्वय (स्थानीय) और (v) उप-निदेशक कॉलेज-। (स्थानीय)।

समिति ने आठ प्रकाशकों³⁵ से अलग-अलग मात्रा में (अगस्त 2019) 149 कॉलेजों के लिए 252 प्रतक शीर्षकों का चयन किया। हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने इन प्रकाशकों से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत छूट के साथ प्रत्तकों की खरीद को इस औचित्य पर मंजूरी दी कि बिलिंग कॉलेज-वार की गई थी और खरीदी जा रही प्स्तकों की प्रतियों की संख्या प्रत्येक कॉलेज के लिए एक से चार प्रतियों तक थी। चयनित प्स्तकों की आपूर्ति के लिए प्रकाशकों को क्रय आदेश (10 सितंबर 2019) इस शर्त पर जारी किए गए थे कि प्रकाशकों को भ्गतान करने से पहले संबंधित कॉलेजों से स्पूर्दगी प्राप्ति निदेशक उच्च शिक्षा को प्रस्त्त करनी होगी। तथापि, निदेशक उच्च शिक्षा ने राजकीय कॉलेजों के सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किए (24 सितंबर 2019) कि सभी राजकीय कॉलेज की प्स्तकों के लिए केंद्रीकृत खरीद की गई तथा राजकीय कॉलेज को प्स्तकों की आपूर्ति इस शर्त के साथ की गई कि ट्रांसपोर्टर को मृहर लगी प्राप्ति जारी की जाए और ई-मेल द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा को पुस्तकें प्राप्त करने के संबंध में सूचना भेजी जाए। यह भी अवलोकित किया गया कि प्राप्त पुस्तकों की स्थिति प्रदान करते समय कॉलेजों दवारा उल्लिखित प्रकाशकों के बजाय प्स्तकों को निदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय से प्रेषित किया गया था। विभाग ने प्रकाशकों को ₹ 399.98 लाख की पूरी राशि का भ्गतान किया (अक्तूबर 2019)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जुलाई 2021) कि विभाग ने ₹ चार करोड़ मूल्य की प्स्तकों की खरीद के संबंध में उदयोग एवं वाणिज्य विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया क्योंकि ₹ एक करोड़ से अधिक मूल्य की खरीद को अंतिम रूप देने की शक्ति उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति के पास निहित थी। आगे यह अवलोकित किया गया कि राज्य स्तरीय क्रय समिति ने प्रकाशकों के मध्य व्यापक प्रचार के लिए बिना किसी अधिसूचना/विज्ञापन के प्स्तकों का चयन किया। यहां तक कि राज्य स्तरीय क्रय समिति ने प्रकाशकों के चयन के साथ-साथ प्स्तकों के आधार का विवरण देते हुए कार्यवृत्त तैयार नहीं किया। विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणाली निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी नहीं थी। इसलिए, प्रकाशकों के साथ-साथ पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया मनमानी थी और इसमें वस्त्निष्ठता, निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव था।

आगे यह अवलोकित किया गया कि चूंकि यह 149 कॉलेजों के लिए केंद्रीकृत खरीद थी और सभी कॉलेजों की ओर से समेकित भुगतान निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रकाशकों को किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग चयनित पुस्तकों की 63,772³⁶ प्रतियों के थोक आदेश पर 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के मध्य छूट प्राप्त करने का पात्र था। 10 प्रतिशत की दर से कम छूट प्राप्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 79.96 लाख का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट 5.2)।

-

³⁵ (i) ओंकार बुक्स, (ii) बसंत पब्लिकेशन, (iii) एकांत पब्लिकेशन, (iv) इंटरनेशनल पब्लिशिंग कॉपीरेशन,

⁽v) विद्यानिधि, (vi) जीवन प्रकाशन, (vii) पूज्य प्रकाशन और (viii) ग्रीन बुक्स।

³⁶ 25 प्रतिशत छूट के लिए पात्र पुस्तकें: 22,201, 30 प्रतिशत छूट के लिए पात्र पुस्तकें: 21,903 और 35 प्रतिशत छूट के लिए पात्र पुस्तकें: 19,668.

अभिलेखों की संवीक्षा से आगे पता चला कि पुस्तकों के मूल मुद्रित मूल्य पर प्रस्तावित मूल्य सूची में अतिरिक्त मूल्य उद्धृत करने के कारण तीन प्रकाशकों को ₹ 10.44 लाख का अनुचित भुगतान किया गया था, जिसे पुस्तकों के चयन के दौरान राज्य स्तरीय क्रय समिति द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, 149 कॉलेजों में से 48 कॉलेजों ने सूचित किया (अक्तूबर 2019 से फरवरी 2020) कि पुस्तकों की सूची में उल्लिखित प्रेषित पुस्तकों से ₹ 2.18 लाख मूल्य की पुस्तकें गायब पाई गईं और विभाग द्वारा प्रकाशकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। अक्तूबर 2019 में भुगतान करने से पहले दिए गए क्रय आदेश के अनुसार पुस्तकों की प्राप्ति को सत्यापित करने के लिए विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.62 लाख की अतिरिक्त हानि हुई (परिशिष्ट 5.3)। आगे, निदेशक उच्च शिक्षा ने सभी 149 कॉलेजों से पुस्तकों का सत्यापन किए बिना कॉलेजों द्वारा उचित स्थिति में पुस्तकों की प्राप्ति के संबंध में अदिनांकित प्रमाण-पत्र जारी किया।

इस प्रकार, पुस्तकों के उच्च मूल्य की खरीद में सरकारी निर्देशों का पालन करने में विभाग की विफलता और खरीद गतिविधि में समग्र लापरवाही के परिणामस्वरूप ₹ 92.58 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस (मई 2022) के दौरान विभाग ने बताया कि मिलान, प्रकाशकों से वसूली और विभागीय किमेंयों के संबंध में उत्तरदायित्व तय करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग ने आगे बताया कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता के दिशा-निर्देशों का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है। इस मामले की जांच करने का भी आश्वासन दिया गया था कि क्या ₹ एक करोड़ से अधिक की पुस्तकों की खरीद उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति के दायरे में आएगी क्योंकि इनमें कॉपीराइट शामिल है और खरीदी गई पुस्तकें संबंधित प्रकाशकों की संपत्ति होने की संभावना है।

लेखापरीक्षा का मत है कि मिलान की प्रक्रिया खरीद के समय की जानी चाहिए थी। विभाग ने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन दिशानिर्देशों का पालन किया किंतु खरीद के समय प्रकाशकों से छूट के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा।

सिफारिशें: राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी खरीद के निर्देशों का पालन न करने और भुगतान करने से पहले प्रत्येक कॉलेज से सुपुर्दगी रसीद प्राप्त न करने के संबंध में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार करे। विभाग गुम हुई और अधिक प्रभारित पुस्तकों के सभी समान मामलों की जांच कर सुधारात्मक कार्रवाई करे।

-

⁽¹⁾ एकांत प्रकाशन, (2) विद्यानिधि और (3) बसंत प्रकाशन।

खेल एवं य्वा कार्यक्रम विभाग

5.11 अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान - ₹ 41.30 करोड़

खिलाड़ियों को नकद पुरस्कारों के वितरण के संबंध में हरियाणा खेल एवं शारीरिक फिटनेस नीति के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप नीति का उल्लंघन हुआ तथा विभाग द्वारा अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान किया गया।

हरियाणा सरकार, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने मान्यता प्राप्त खेल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के लिए मानदंड निर्धारित किए (अगस्त 1993)। नियमों के अनुसार, विभिन्न मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा आयोजित नौ³⁸ चिहिनत प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। हरियाणा खेल नीति को वर्ष 2001 में चिहिनत नौ³⁹ नई प्रतियोगिताओं की शुरुआत के साथ संशोधित किया गया था, जिसे वर्ष 2009 में पुनःसंशोधित किया गया था। हरियाणा खेल नीति को वर्ष 2001 में नौ नई पहचान की गई प्रतियोगिताओं की शुरुआत के साथ संशोधित किया गया था जिसे वर्ष 2009 में और संशोधित किया गया था। हरियाणा खेल और शारीरिक स्वास्थ्य नीति 2015 के अनुच्छेद 26 ने युवा वर्ग के अंतर्गत नकद पुरस्कार प्रोत्साहनों में संशोधन के साथ तीन⁴⁰ नई प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। उपर्युक्त सभी नीतियों में जुनियर और सब-जुनियर श्रेणी की प्रतियोगिताओं को शामिल नहीं किया गया था।

आगे, हरियाणा सरकार, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए युवा और कैडेट श्रेणियों के टूर्नामेंटों को शामिल करते हुए जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों को नकद पुरस्कार देने के लिए अप्रैल 2017 से लागू नकद पुरस्कार योजना को अधिसूचित किया (सितंबर 2019), जो हरियाणा सरकार की पूर्व खेल नीतियों का हिस्सा नहीं थे।

विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि संबंधित जिले के संबंधित खिलाड़ियों से समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम के अधिकारी और फिर निदेशालय स्तर की समिति द्वारा इन आवेदनों की जांच के बाद, पात्र खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें भेजी जाती हैं।

³⁸ (i) ओलंपिक खेल, (ii) विश्व चैंपियनशिप/कप, (iii) राष्ट्रमंडल खेल/कप/चैंपियनशिप, (iv) एशियाई खेल, (v) एशियाई चैंपियनशिप/कप, (vi) राष्ट्रीय स्कूल खेल/चैंपियनशिप, (vii) अखिल भारतीय महिला खेल/उत्सव/ग्रामीण खेल टूर्नामेंट/प्रतियोगिताएं (viii) अखिल भारतीय सिविल सेवा टूर्नामेंट और (ix) अखिल भारतीय अंतरराज्यीय बोर्ड/विभाग/टूर्नामेंट।

⁽i) नेशनल चैंपियनिशप, (ii) नेशनल/साउथ एशियन गेम्स (एसएएफ), (iii) ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स/चैंपियनिशप, (iv) इंटरनेशनल वेटरन एथलेटिक्स चैंपियनिशप (आयु समूह 45-50 वर्ष), (v) नेशनल वेटरन एथलेटिक्स चैंपियनिशप (आयु समूह 45-50 वर्ष), (vi) मानिसक/शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलािझयों के लिए विशेष ओलंपिक (अंतर्राष्ट्रीय), (vii) मानिसक/शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलािझयों के लिए विशेष मैराथन, (viii) मानिसक/शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलािझयों के लिए एशियाई/राष्ट्रमंडल खेल और (ix) मानिसक/शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलािझयों के लिए विशेष ओलंपिक (राष्ट्रीय)।

^{40 (}i) युवा ओलंपिक खेल, (ii) युवा एशियाई खेल, और (iii) युवा राष्ट्रमंडल खेल।

निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हिरयाणा और 22 जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग में से आठ⁴¹ जिला स्तरीय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021) में पता चला कि विभाग ने 4,256 व्यक्तियों को 2004-05 से 2015-16 की अविध के दौरान जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से (संपूर्ण राज्य में) ₹ 41.30 करोड़ की राशि के नकद पुरस्कारों का भुगतान किया, जिसमें मान्यता प्राप्त खेल निकायों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं के लिए युवा और कैडेट श्रेणियां भी शामिल थीं जैसा कि तालिका 5.11.1 में विवरण दिए गए हैं। ये श्रेणियां (जूनियर और सब-जूनियर) सितंबर 2019 में जारी अधिसूचना से पहले किसी भी नकद पुरस्कार योजना के लिए पात्र नहीं थीं, जो उन्हें 2016-17 से पात्र बनाती हैं।

तालिका 5.11.1: अयोग्य खिलाड़ियों को 2004-16 की अविध के लिए दिए गए नकद प्रस्कारों के विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	जूनियर	खिलाड़ी	सब-जूनिय	र खिलाड़ी	युवा वि	खेलाड़ी	कैडेट वि	बेलाड़ी	क	ल
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2004-05 社 2015-16	2,467	23.15	1,494	14.17	187	2.19	108	1.79	4,256	41.30
कुल	2,467	23.15	1,494	14.17	187	2.19	108	1.79	4,256	41.30

लेखापरीक्षा ने जूनियर तथा सब-जूनियर श्रेणियों के अंतर्गत 4,256 मामलों (2004-05 से 2015-16) में से 480⁴² मामलों की संवीक्षा की, जिन्हें आठ चयनित जिला स्तरीय कार्यालयों दवारा अयोग्य खिलाड़ियों के दावों के अभिलेखों की जांच हेत् प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ चयनित जिला खेल और युवा मामले कार्यालय में से, जिला खेल और युवा मामले कार्यालय, कुरुक्षेत्र और झज्जर ने (अगस्त 2021 और दिसंबर 2021) 269 अयोग्य व्यक्तियों से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था, जिन्हें विभाग ने फरवरी 2016 में कार्यालय भवन में बाढ़ और आग की घटना याचिका पर 2004-05 से 2015-16 के दौरान नकद पुरस्कार का भुगतान किया था। आगे, यह पाया गया कि शेष 211 मामलों में से, शेष छः चयनित जिलों में लेखापरीक्षा को केवल 90 आवेदन प्रपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किए गए थे कि बाढ़ के पानी, दीमक और छत के रिसाव के कारण अभिलेख नष्ट हो गए थे।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए 90 आवेदन प्रपत्रों में से, 22 मामलों को दो⁴³ जिला खेल और युवा मामले कार्यालय द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था और तीन⁴⁴ जिला खेल और युवा मामले कार्यालय से संबंधित 15 मामलों में स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आवेदन-पत्र प्रमाणित नहीं किए गए थे। आगे, यह अवलोकित किया गया कि नौ⁴⁵ मामलों में, स्कूल के संबंधित प्रधानाचार्य ने दावेदार की फोटो को सत्यापित नहीं किया और एक मामले में दावेदार के हस्ताक्षर गायब

44 भिवानीः 1, कैथलः 3 और जींदः 11.

84

^{41 (}i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) झज्जर, (iv) जींद, (v) कैथल, (vi) कुरुक्षेत्र, (vii) सोनीपत, और (viii) रोहतक।

^{42 480} मामले = (i) भिवानी: 33, (ii) हिसार: 36, (iii) झज्जर: 32, (iv) जींद: 48, (v) कैथल: 22, (vi) कुरुक्षेत्र: 237, (vii) सोनीपत: 36, और (viii) रोहतक: 36.

⁴³ जींद: 19 और रोहतक: 3.

⁴⁵ भिवानीः 2, कैथलः 1, जींदः 3, रोहतकः 2 और सोनीपतः 1.

थे (जिला खेल और युवा मामले कार्यालय, जींद)। अतः लेखापरीक्षा में दावों की प्रामाणिकता का निर्धारण नहीं किया जा सका।

जिला खेल और युवा मामले कार्यालयों ने खेल और फिटनेस नीति में अधिसूचित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत दावेदार की देयता की पुष्टि किए बिना खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की और उन्हें अग्रेषित किया। आगे, निदेशालय स्तर पर गठित समिति ने नकद पुरस्कारों के वितरण के लिए अयोग्य खिलाड़ी की योग्यता तथा पात्रता को प्रमाणित किया। निदेशालय स्तर, हरियाणा सरकार की सिफारिशों के आधार पर, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने 2004-05 से 2015-16 की अविध के दौरान अयोग्य खिलाड़ियों को संवितरण के लिए नकद पुरस्कार स्वीकृत किए।

इसलिए, वर्ष 2016-17 से पहले हरियाणा खेल और शारीरिक फिटनेस नीतियों के अनुसार जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों के लिए नकद पुरस्कार देय नहीं थे। विभाग ने उस अविध के दौरान अयोग्य व्यक्तियों को ₹ 41.30 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

उत्तर में, अपर मुख्य सचिव, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2022) और बताया कि विभाग ने 2004-05 की अविध के लिए विभिन्न खेल नीतियों में उल्लिखित संबंधित प्रतियोगिताओं के लिए जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों के टूर्नामेंट के लिए नकद पुरस्कार का भुगतान किया। 2015-16 तक हालांकि इन नीतियों में जूनियर और सब-जूनियर टूर्नामेंट का उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि, यह स्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि नीति मौन थी कि जूनियर और सब-जूनियर टूर्नामेंट के लिए नकद पुरस्कार नहीं दिया जाना था। इस तथ्य/विसंगति को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने 15 जून 2018 को जूनियर/सब-जूनियर/युवा वर्ग के एथलीटों को नकद पुरस्कार देने की नीति बनाने का आदेश दिया। आगे, यह भी बताया गया था कि प्रपत्रों को प्रमाणित करने में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में टिप्पणियों का उत्तर मामले की जांच करने के बाद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2022)।

सिफारिश: राज्य सरकार को राजकीय खेल नीति के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान किया गया।

तकनीकी शिक्षा विभाग

5.12 कैरियर उन्नति योजना के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अस्वीकार्य भुगतान - ₹ 14.75 करोड़

विपथित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली को अपनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के उल्लंघन में कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नित के परिणामस्वरूप ₹ 14.75 करोड़ के वेतन एवं भत्तों का अस्वीकार्य भ्गतान हुआ।

हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग ने ज्लाई 1998 से सरकारी वित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन के लिए कैरियर उन्नति योजना शुरू की (जनवरी 2004)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और अन्य सेवा शर्तों पर विनियमन (जून 2010), कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। समय-समय पर (जून 2013 और ज्लाई 2016 के मध्य) विश्वविद्यालय अन्दान आयोग के नियमों में संशोधन किया गया। इन विनियमों का अन्च्छेद 6.0.2 (जून 2013 में संशोधित) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए पारदर्शी रूप से पालन किए जाने के लिए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली, स्कोरिंग सिस्टम प्रोफार्मा को शामिल करने और साथ ही निर्धारित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का प्रावधान करता है। विनियमों ने विश्वविद्यालयों को संबंधित संस्थान (संस्थानों) के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के मामले में न्यूनतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक आवश्यकता को बदले बिना वेटेज को समायोजित करने की अनुमति दी। कैरियर उन्नति योजना प्रोन्नति में शैक्षणिक निष्पादन संकेतक के लिए प्रस्तावित अंक को तीन 46 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। शैक्षिक क्षेत्रों में पिछले निष्पादन के आधार पर शिक्षकों की योग्यता और साख का आकलन करने के लिए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंड निर्धारित किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह मूल्यांकन किया गया था कि गतिविधियों को विस्तृत रूप दिया जाना था तथा श्रेणी के अंदर शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों के लिए वेटेज के समायोजन की अनुमित दी गई थी अर्थात् श्रेणी के अंदर शैक्षणिक निष्पादन संकेतक के अधिकतम तथा न्यूनतम अंक को बदला नहीं जा सकता था और नए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों को जोड़ा नहीं जा सकता था और मौजूदा शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों को नए मानदंडों से बदला नहीं जा सका था।

यह परिकल्पित था कि इन निर्धारित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों से योग्य उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और योगदान के आधार पर बढ़ावा देकर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

86

-

¹⁶ श्रेणी-I: शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन संबंधी गतिविधियां: श्रेणी-II: सह-पाठ्यक्रम, विस्तार और व्यावसायिक विकास संबंधी गतिविधियां: श्रेणी-III: अनुसंधान और शैक्षणिक योगदान।

हरियाणा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग ने जून 2010 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों को अपनाने का निर्णय लिया (जुलाई 2011) और कैरियर उन्नित योजना विनियमों पर आदेश जारी किए जो अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे। इन विनियमों के पैरा 9.3 में प्रावधान है कि शिक्षक कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नित के लिए नियत तारीख से तीन माह पहले आवेदन करे। कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन समिति की बैठकें आयोजित करने में देरी से बचने के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज को आवेदन की तारीख से छः माह के अंदर चयन की प्रक्रिया को पूरा करना था। आगे, इन विनियमों के अनुच्छेद 9.4 में बताया गया है कि शैक्षणिक निष्पादन संकेतक स्कोरिंग सिस्टम के अंतर्गत न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को केवल एक वर्ष⁴⁷ की न्यूनतम अविध के बाद ही पुनर्मूल्यांकन करना होगा। हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी उच्च शिक्षा विभाग के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों को अपनाने का निर्णय लिया (फरवरी और मार्च 2012)।

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, सोनीपत (जुलाई-अगस्त 2021) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार (सितंबर-अक्तूबर 2021) के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नित के लिए एक प्रोफार्मा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया (जुलाई 2012)। कार्यकारी परिषद ने अपनी 17वीं बैठक में कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नित के लिए तैयार किए गए प्रोफार्मा को मंजूरी दी (सितंबर 2012) लेकिन सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय (दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) ने इस मामले को पुनः तकनीकी शिक्षा विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेजा (फरवरी 2015) लेकिन सरकार द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया (अप्रैल 2015) जिसने इसके बजाय निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि प्रोफार्मा को संशोधित करके प्रदान किया गया कैरियर उन्नित योजना लाभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का उल्लंघन था और इस प्रकार इसे वापस लिया जाना चाहिए और चूक के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए। आगे, सरकार ने राज्य के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों को संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों को लागू करने के निर्देश दिए (अप्रैल 2015)।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2015 में शैक्षणिक निष्पादन संकेतक प्रोफार्मा पर आपित किए जाने के बाद, कार्यकारी परिषद ने अपनी 25 वीं कार्यकारी परिषद बैठक (मार्च

_

⁷ इसका अर्थ यह है कि यदि शिक्षक को निर्धारित तिथि के विरुद्ध अयोग्य के रूप में मूल्यांकन किया गया था, यदि उसका आवेदन निर्धारित तिथि से एक वर्ष पूरा होने से पहले प्राप्त होता है, तो उसके मामले पर पिछली निर्धारित तिथि से एक वर्ष के बाद ही विचार किया जाएगा जब वह अयोग्य पाया गया। यह भी निर्धारित किया जाता है कि यदि वह उस तिथि से एक वर्ष के बाद देय तिथि के विरुद्ध आवेदन करता है तो वह उस तिथि के लिए पात्र होगा।

2016) में शैक्षणिक निष्पादन संकेतक के अंक के मूल्यांकन के लिए अधिसूचित मानदंडों को अपनाने का निर्णय लिया जो 2 मार्च 2016 से लागू होंगे। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है। आगे यह देखा गया था कि कुलपित, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इनपुट लेने के बाद नया प्रोफार्मा तैयार किया, जिसका उपयोग कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नित के लिए किया गया था और फिर से सरकार से नए तैयार किए गए प्रोफार्मा को मंजूरी देने का अनुरोध किया था (नवंबर 2015 और फरवरी 2016)। तथापि, सरकार द्वारा इस पर सहमित प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर नहीं की गई थी।

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय की गठित समिति द्वारा तैयार किए गए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रोफार्मा को मंजूरी दी (मार्च 2012)।

यह अवलोकित किया गया था कि निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग ने कैरियर उन्नति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं पर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ अपनी चिंता साझा की (17 मार्च 2022) जिसमें विभाग ने बताया कि ग्रु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विश्वविदयालय, हिसार ने अपनी कार्यकारी परिषद की 71वीं बैठक (दिसंबर 2015) में विश्वविद्यालय अन्दान आयोग के जून 2013 के संशोधित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर विचार किया। उसके बाद विश्वविद्यालय ने श्रेणी-।।। में अतिरिक्त गतिविधियों को हटाकर प्रोफार्मा को सही किया लेकिन श्रेणी-। और श्रेणी-॥ को अपरिवर्तित रखा। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने संशोधित प्रोफार्मा के अनुमोदन के लिए सरकार से संपर्क नहीं किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दोनों विश्वविद्यालयों ने निर्धारित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंड अंक के अंतर्गत वेटेज को समायोजित करने के बजाय उस श्रेणी के लिए परिभाषित अधिकतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक को परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। में विश्वविद्यालय अन्दान आयोग के दिशानिर्देशों में निर्धारित अधिकतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक में विपथन हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में वर्णित है। आगे, दोनों विश्वविद्यालयों ने श्रेणी-।।। के अंतर्गत विश्वविद्यालय अन्दान आयोग के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मापदंडों की त्लना में अतिरिक्त अंक भी दिए। इन विश्वविद्यालयों द्वारा श्रेणी-।।। में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों में निर्धारित के अलावा नए शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मापदंडों को अपनाया गया था और मौजूदा शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मापदंडों को भी श्रेणी-III (परिशिष्ट 5.4) में संशोधित किया गया था।

श्रेणी-। एवं श्रेणी-॥ में अधिकतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक में विपथन और श्रेणी-॥ में नए और संशोधित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक मानदंडों को अपनाने से फैकल्टी सदस्यों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित निष्पादन मानदंडों में कमी आई है। इस कमी का मूल्यांकन उस उम्मीदवार के जोखिम को वहन करने के लिए किया जाता है जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किए बिना कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नित पाने के लिए सक्षम होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक प्राप्त करने में विफल रहा होगा। शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता के उचित मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने में प्रोत्साहन के रूप में कैरियर उन्नित योजना का उपयोग करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और तकनीकी शिक्षा विभाग के उद्देश्यों का मूल्यांकन दर्शाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा जानबूझकर समझौता किया गया है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति मामलों के लिए स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित करने में देरी हुई थी। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया श्रू करने में विश्वविद्यालयों की ओर से देरी के कारण पदोन्नति के 7848 मामलों को दो माह से 37 माह के मध्य, छः माह के निर्धारित समय से अधिक देरी से कार्रवाई की गई। तीन मामलों में, विलंब 32 से 37 माह के मध्य था। दीनबंध छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चार वर्ष के अंतराल के साथ 2013 के बाद वर्ष 2017 में स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। दीनबंध छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में समिति ने एक वर्ष की न्यूनतम अनिवार्य अविध के बाद अयोग्य उम्मीदवारों की पात्रता का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया था। चार मामलों में, कम शैक्षणिक निष्पादन संकेतक अंक के कारण वर्ष 2013 में आयोजित स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठक में अयोग्यता के बाद, विश्वविद्यालय ने केवल वर्ष 2017 में पात्रता शर्तों पर प्नर्विचार किया और चार वर्षों की मध्य अविध में पात्रता का प्नर्मूल्यांकन नहीं किया, इस प्रकार पात्र उम्मीदवारों को समय पर इस योजना के अंतर्गत इच्छित लाभ से वंचित किया गया। इसके अतिरिक्त एक मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि पदोन्नति के लिए पात्रता वर्ष 2009 से थी, तथापि, वर्ष 2013 में विपथित प्रोफार्मा के आधार पर अयोग्यता के कारण, इस उम्मीदवार का वर्ष 2017 में प्नर्मूल्यांकन किया गया था जिससे परस्पर वरिष्ठता में प्रभाव पड़ा।

इसके आगे, सितंबर 2009 से जून 2020 की अविध के मध्य, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 234 फैकल्टी सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अनियमित रूप से संशोधित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रोफार्मा के आधार पर कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नत किया गया था, जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कैरियर उन्नित योजना की भूमिका के उद्देश्यों से समझौता हुआ और साथ ही सितंबर 2009 से दिसंबर 2021 की अविध के दौरान ₹ 14.75 करोड़ के वेतन एवं भर्तों का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

_

⁴⁸ उन मामलों की संख्या जिनमें विलंब एक से छ: महीने तक था: 40, उन मामलों की संख्या जिनमें विलंब छ: से 15 महीने तक था: 14 और उन मामलों की संख्या जिनमें विलंब 15 महीने से 37 महीने तक था: 24.

महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नित के लिए नए तैयार किए गए प्रोफार्मा के अनुमोदन के लिए दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अनुरोध के संबंध में सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग ने सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों से उनके अप्रैल 2015 के आदेश के अनुपालन की मांग के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग (अप्रैल 2022) के अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि कैरियर उन्नति योजना लाओं को वापस लेने के संबंध में सरकारी निर्देशों (अप्रैल 2015) के उत्तर में, 16 फैकल्टी सदस्यों ने 2015 की सिविल रिट याचिका संख्या 11921 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में उन निर्देश को च्नौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश (मई 2015) में स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं को प्रत्यावर्तित किया जाना है तो उसे स्नवाई की अगली तारीख तक स्थगित रखा जा सकता है। मामला अभी भी विचाराधीन है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 234 फैकल्टी सदस्यों में से 117⁴⁹ संकाय सदस्यों को अप्रैल 2015 में सरकारी आदेशों के बाद लाभ प्रदान किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा (मई 2022) में प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, 2015 के सिविल रिट याचिका संख्या 11921 में मई 2015 में स्नवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की गई थी। न्यायालय ने विशेष रूप से अप्रैल 2016 तक अंतरिम राहत को बढ़ा दिया और आगे अगस्त 2016 तक बढ़ा दिया, किंत् उसके बाद न्यायालय ने अपने सभी अन्वर्ती आदेशों में अप्रैल 2022 अर्थात् स्नवाई की अंतिम तिथि तक विशिष्ट अंतरिम राहत प्रदान नहीं की गई। कानूनी राय ने एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एआईआर 2018 एससी 2039 के मामले में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर भी प्रकाश डाला तथा माना कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कोई भी अंतरिम राहत ऐसे आदेश की तारीख से छः माह की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएगी या जब तक असाधारण मामलों में मौखिक आदेश से रोक नहीं दी जाती है। इस प्रकार 16 संकाय सदस्यों के संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग की संस्थाओं के कारण अनियमित ठहराए गए लाभों को वापस लेने पर कोई रोक नहीं है।

रजिस्ट्रार, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के साथ बैठक के दौरान (जून 2022), रजिस्ट्रार, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार ने बताया कि शैक्षणिक निष्पादन संकेतक प्रोफार्मा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्रेणी-। एवं श्रेणी-॥ प्रोफार्मा के अंतर्गत गतिविधियों के विभाजन की अनुमित दी गई थी। तथापि, उस गतिविधि के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अंक से अधिक गतिविधियों को दिए गए अंकों के संबंध में अवलोकन पर समीक्षा के लिए विचार किया जाएगा और यदि अपेक्षित हो, तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफार्मा की जांच की जाएगी। श्रेणी-॥ प्रोफार्मा के अंतर्गत दिए गए

^{49 117} संकाय सदस्य = दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 23 सदस्य + ग्रु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 94 सदस्य।

अतिरिक्त मानदंडों और अतिरिक्त अंकों को शामिल करने पर भी चर्चा की गई और रजिस्ट्रार ने आवश्यकता पड़ने पर स्धार के लिए इनकी जांच कराने का आश्वासन दिया।

रजिस्ट्रार, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि श्रेणी । एवं ॥ में, आनुपातिक अंक उप-गतिविधियों में प्राप्त अंकों के अनुपात के रूप में विश्वविद्यालय में गतिविधि स्तर या पैरामीटर स्तर पर सभी उप-गतिविधियों के अधिकतम अंकों के अनुपात के रूप में प्राप्त किए जा रहे हैं और अब से इसका पालन किया जाएगा। श्रेणी ॥ में, अब से यूसीजी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम स्कोर का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करने के पश्चात भविष्य के प्रयोजन के लिए प्रपत्र में संशोधन एवं सुधार किया और तकनीकी शिक्षा विभाग को तथ्य प्रस्तुत किए तथा आगे लेखापरीक्षा के हष्टांत पर विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022 में कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत शिक्षकों की पदोन्नित की उपयुक्तता की कड़ाई से जांच करने के लिए एक सिमिति गठित की और कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत सभी पदोन्नितयां सही पाई गई। लेखापरीक्षा का मत है कि इस प्रोफार्मा का अनुमोदन अभी भी सरकार के पास लंबित है। आगे, श्रेणी ।, ॥ एवं ॥ के अंतर्गत आनुपातिक रूप से अंकों को घटाने का निर्धारण उत्तर के आधार पर लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

सिफारिश: पात्रता के लिए सरकार के निर्णय के अनुसार उपयुक्तता हेतु सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकार को संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर भी विचार करना चाहिए, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और सरकारी निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत फैकल्टी सदस्यों की अनियमित पदोन्नति को समर्थन प्रदान किया।

वित्त विभाग

5.13 पंशनरों/पारिवारिक पंशनरों के भुगतान में अनियमितताएं

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के कारण राज्य की संचित निधि में से ₹ 9.56 करोड़ का अधिक/अनियमित भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ खजाना एवं लेखा विभाग की ओर से कमियों को दर्शाता है।

हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 (एचसीएस पेंशन नियम) "पेंशन" को भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन उसके द्वारा प्रदान की गई अर्हक सेवा के बदले सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी को किए गए आवर्ती अथवा गैर-आवर्ती भुगतान के रूप में परिभाषित करता है। पेंशन का मूल्यांकन, स्वीकृति, प्राधिकृत करने तथा संवितरण की पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन सेवा प्रदाता अर्थात् पेंशन संस्वीकृति प्राधिकरण (पीएसए), पेंशन प्राधिकरण प्राधिकारी (पीएए) और पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीडीए) शामिल हैं। एक बार पेंशन संस्वीकृति प्राधिकरण से पेंशन के कागजात प्राप्त हो जाने के बाद, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा अर्थात् पेंशन प्राधिकरण प्राधिकारी को अपेक्षित जांच लागू करने तथा पेंशन की राशि का आकलन करने और अन्यों के साथ खजाना अधिकारी (जो पेंशन संवितरण प्राधिकारी है) जिनके अधिकार क्षेत्र

में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाना है, को पेंशन भुगतान आदेश या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश जारी करना अपेक्षित होता है।

संबंधित पेंशनर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत तथा हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन के संवितरण हेतु चुने गए किसी भी एजेंसी बैंक द्वारा पेंशन प्राप्त करने का चयन कर सकते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक सम्मिलित है तथा हरियाणा राज्य सरकार के बड़ी संख्या में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर भारतीय स्टेट बैंक के साथ परिचालनगत खातों के रूप में जुड़े हुए हैं।

सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पेंशन पर राहत सिहत मासिक पेंशन की राशि का भुगतान केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र द्वारा भुगतान करने वाली शाखा में पहले से खोले गए पेंशनर के बैंक खाते में जमा करके किया जाता है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र पेंशन की गणना तथा महंगाई राहत (डीआर), चिकित्सा भता, पेंशन में संशोधन और पेंशन के बकाया की गणना आदि में परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।

भारतीय स्टेट बैंक का पंचकुला में एक ऐसा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र है, जो भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं से पेंशन लेने वाले हरियाणा सरकार के पेंशनरों के पेंशन भुगतान के बड़े हिस्से को संभालता है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र, भारतीय स्टेट बैंक, पंचकुला की लेखापरीक्षा की गई (जून 2021 से सितंबर 2021)। लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित टिप्पणियां देखी गईं:

क. बोर्डों/निगमों तथा अन्य राज्यों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का अनियमित भगतान

(i) केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र, पंचकुला की आंतरिक व्यवस्था के अनुसार, पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और राज्य सरकार/केंद्र सरकार/बोर्ड/केंद्र या राज्य सरकार के निगमों के प्रत्येक पेंशनर को अलग ग्रुप-आईडी आबंटित किए जाते हैं। इसके अलावा, ग्रुप-आईडी के अंतर्गत उप-श्रेणी उन बोर्डों/निगमों को निर्दिष्ट करती है जिनसे वह श्रेणी संबंधित है।

36 मामलों में यह पाया गया कि हरियाणा राज्य के बोर्डीं/निगमों तथा केंद्र सरकार के विभागों से सेवानिवृत हुए पेंशनरों की श्रेणियों (ग्रुप-आईडी) को गलत तरीके से हरियाणा सरकार से सेवानिवृत पेंशनरों के रूप में दर्शाया गया था।

चूंकि ये पेंशनर हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, इसलिए वे हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के मानदंड के अंतर्गत नहीं आते थे और इस प्रकार, हरियाणा की संचित निधि से उनका पेंशन आहरण अनियमित था। इस प्रकार, हरियाणा सरकार से सेवानिवृत पेंशनरों के रूप में इन पेंशनरों के गलत वर्गीकरण के कारण अगस्त 1983 से अप्रैल 2021 की अविध के दौरान पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में ₹ 5.70 करोड़ का अनियमित भ्गतान हुआ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र (भारतीय स्टेट बैंक) ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी 36 पेंशन खातों की श्रेणियों में सुधार किया गया है और इसमें शामिल राशि का संबंधित निगम/बोर्डी से दावा किया गया है और उनकी फोकल प्वाइंट शाखाओं के माध्यम से संबंधित खजानों में जमा किया गया है।

(ii) साथ ही, 12 मामलों में, यह अवलोकित किया गया कि हिरयाणा राज्य सरकार के अलावा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पेंशनरों को हिरयाणा सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की श्रेणी के अंतर्गत गलत तरीके से दर्शाया गया था। इस प्रकार, इन 12 पेंशनरों को हिरयाणा सरकार से सेवानिवृत पेंशनरों के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण अगस्त 1981 से अगस्त 2021 की अविध के दौरान राज्य की संचित निधि से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में ₹ 2.36 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र (भारतीय स्टेट बैंक) ने सूचित किया (मई 2022) कि 10 पेंशन खातों की श्रेणियों में सुधार किया गया है और संशोधित स्क्रॉल संबंधित फोकल प्वाइंट शाखाओं के संबंधित खजानों में जमा करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

- ख. पारिवारिक पंशनरों को निर्धारित अविध के बाद बढ़ी हुई पारिवारिक पंशन का भुगतान बढ़ी हुई पारिवारिक पंशन परिवार के पात्र सदस्य (सदस्यों) को देय है:
- (क) मृतक या लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य को पेंशन के लिए अंतिम परिलब्धियों के पचास प्रतिशत के बराबर दस वर्ष तक, जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है या लापता हो जाता है; अथवा
- (ख) सात वर्ष तक या मृतक पेंशनर की पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, यदि वह जीवित होता, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के समय देय पेंशन के बराबर हो; अथवा
- (ग) सात वर्ष तक या लापता पेंशनर के पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, लापता होने के समय देय पेंशन के बराबर;

यह पाया गया कि 18 मामलों में बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित अविध से अधिक वितरित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नवंबर 2010 से अगस्त 2021 की अविध के दौरान पारिवारिक पेंशनरों को ₹ 84.14 लाख का अधिक भ्गतान हुआ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र (भारतीय स्टेट बैंक) ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी मामलों में मूल पेंशन में सुधार किया गया है। ₹ 14.05 लाख की राशि की वसूली की गई है और शेष राशि की एकमुश्त वसूली के लिए पेंशनरों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। इसी बीच, पेंशन खातों में प्रति माह पेंशन राशि की एक तिहाई राशि की वसूली श्रू कर दी गई है।

ग. पेंशनरों के पात्र पुत्र/पुत्री को निर्धारित आयु से अधिक पारिवारिक पेंशन का भुगतान

10 मामलों में यह पाया गया कि पात्र पुत्र/पुत्री को उनकी 25 वर्ष की निर्धारित आयु से अधिक

पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2009 से जुलाई 2021 की अविध के दौरान पेंशनरों के पात्र प्त्र/प्त्री को ₹ 66.47 लाख का अधिक भ्गतान ह्आ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र (भारतीय स्टेट बैंक) ने सूचित किया (मई 2022) कि सभी 10 मामलों में पेंशन पहले ही बंद हो चुकी है। आगे, ₹ 0.25 लाख की राशि की वसूली की गई है और शेष राशि की वसूली के लिए पेंशनरों और संबंधित पेंशन भुगतान करने वाली शाखा के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

वित विभाग के साथ एक्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई (जून 2022) जहां केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

वित विभाग ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केंद्र के कामकाज और निगरानी के संबंध में रोडमैप तैयार करने और बैंकों के साथ करार सिहत आंतिरक नियंत्रण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। यह भी आश्वासन दिया गया कि सभी राज्य पेंशनरों के डेटाबेस के रूप में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पेंशन मामलों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर दो बैंकों (पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक) को जोड़ने के लिए चल रहे प्रयासों में तेजी लाई जाएगी।

हरियाणा की संचित निधि से ₹ 9.56 करोड़ का अधिक/अनियमित भुगतान, जो अगस्त 1981 से अगस्त 2021 तक जारी है, एजेंसी बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक तथा खजाना और लेखा विभाग के अंतर्गत कार्यरत खजाना अधिकारियों दोनों की ओर से किमयों को दर्शाता है और संप्रेषित उपचारी उपाय लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए अधिक भुगतान की आंशिक वस्ली को दर्शाते हैं किंतु आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत/सुधार करने के उपायों को नहीं दर्शाते हैं जो संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया के साथ-साथ चयनित और लेखापरीक्षित नमूने में शामिल नहीं किए गए अन्य भुगतानों को शामिल करेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

5.14 भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे तथा दावों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण हानि

भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे के कारण ₹ 1.20 करोड़ की हानि तथा केंद्रीय सहायता के विलंबित दावों के कारण ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार को सहायता) नियम, 2015 को अधिसूचित किया था (अगस्त 2015)। खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार को सहायता) नियम, 2015 के नियम 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसके द्वारा राज्य के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही, हैंडलिंग तथा उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को भुगतान किए गए मार्जिन, हकदार व्यक्तियों और परिवारों के लिए आबंटित खाद्यान्न के वितरण पर होने वाले व्यय को पूरा करने में सहायता करेगी।

आगे, नियम 7(1) के अनुसार केंद्रीय सहायता (सीए) के मानदंड (₹ प्रति क्विंटल में) राज्य के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही तथा हैंडलिंग प्रभारों के लिए ₹ 65 प्रति क्विंटल की दर से, उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को ₹ 70 प्रति क्विंटल की दर से मूल मार्जिन तथा उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को बिक्री के लिए प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस के माध्यम से राज्य सरकार को ₹ 17 प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त मार्जिन और केंद्र सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत होगा।

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग, हरियाणा के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2021), यह अवलोकित किया गया (जुलाई 2021) कि भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक की अविध के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के अंतर्गत राज्य के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही तथा हैंडलिंग प्रभारों के भुगतान के दावों (₹ 35.56⁵⁰ करोड़), उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के मार्जिन आधार पर (₹ 38.30⁵¹ करोड़) और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के अतिरिक्त मार्जिन (₹ 8.20⁵² करोड़) के विरूद्ध ₹ 82.06⁵³ करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की (अप्रैल 2021)।

(i) कम दावा की गई ₹ 1.20 करोड़ की केंद्रीय सहायता

भारत सरकार को प्रस्तुत दावों की संवीक्षा के दौरान, यह अवलोकित गया कि ई-पीडीएस पोर्टल के अनुसार अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान ई-पीओएस मशीन के माध्यम से 64.48 लाख क्विंटल खाद्यान्न वितरित किया गया, जबिक विभाग ने 62.90 लाख क्विंटल खाद्यान्न का दावा प्रस्तुत किया, जो कि वर्ष 2018-19 के लिए 1.58 लाख क्विंटल कम था। अतः विक्रय बिंदुओं/उचित मूल्य की दुकानों के डाटा को अद्यतन न करने के कारण विभाग ने 1.58 लाख क्विंटल खाद्यान्न के लिए ₹ 1.20 करोड़ की कम केंद्रीय सहायता का दावा किया था (परिशिष्ट 5.5)/

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (नवंबर 2021) कि पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण डाटा अद्यतित नहीं किया गया था तथा उस समय पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार दावा प्रस्तुत किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022), विभाग ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए कम मात्रा के संशोधित दावे भारत सरकार को प्रस्तृत किए गए थे जो अभी भी प्रतीक्षित हैं।

(ii) केंद्रीय सहायता के दावों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि

यह अवलोकित किया गया कि विभाग द्वारा 2017-18 से 2019-20 की अविध के लिए ₹ 135.42 करोड़ की केंद्रीय सहायता के दावों को चार से 11 माह की देरी के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण तालिका 5.14.1 में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

⁵⁰ ₹ 35.56 करोड़ = 2017-18: ₹ 17.62 करोड़ + 2018-19: ₹ 17.94 करोड़।

⁵¹ ₹ 38.30 करोड़ = 2017-18: ₹ 18.97 करोड़ + 2018-19: ₹ 19.33 करोड़।

⁵² ₹ 8.20 करोड़ = 2018-19: ₹ 3.91 करोड़ + 2019-20: ₹ 4.29 करोड़।

⁵³ ₹ 82.06 करोड़ = 2017-18: ₹ 36.59 करोड़ + 2018-19: ₹ 41.18 करोड़ + 2019-20: ₹ 4.29 करोड़।

तालिका 5.14.1: विभाग द्वारा प्रस्त्त केंद्रीय सहायता के दावों का विवरण

वर्ष	दावे की राशि (₹ करोड़ में)	माह जिसमें दावा प्रस्तुत किया जा सकता है	माह जिसमें दावा वास्तव में प्रस्तुत किया गया	दावे प्रस्तुत करने में विलंब (माह में)	राज्य उधारियों की ब्याज दर	ब्याज की हानि (₹ करोड़ में)
2017-18	41.34	अप्रैल 2018	अप्रैल 2019	11	8.10	3.07
2018-19	42.45	अप्रैल 2019	सितंबर 2019	4	8.81	1.25
2019-20	5.77	अप्रैल 2020	अगस्त 2020	3	8.31	0.12
	45.86	अप्रैल 2020	फ़रवरी 2021	9	8.31	2.86
कुल	135.42					7.30

नोट: पॉलिसी में अग्रिम दावे का प्रावधान था। तथापि, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद, विभाग को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए अतिशीघ्र दावा करना होगा। इसलिए, विलंब की अविध की गणना एक माह के अंतराल के बाद की गई थी।

₹ 89.56⁵⁴ करोड़ में से ₹ 82.06 करोड़ के दावे 22 अप्रैल 2021 को प्राप्त हुए तथा ₹ 45.86 करोड़ का दावा प्राप्त नहीं हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (नवंबर 2021) कि भारत सरकार ने प्रस्तुत किए गए दावों से कम दावों की स्वीकृति के कारणों को स्पष्ट नहीं किया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (अप्रैल 2022) के दौरान, विभाग ने बताया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए केंद्रीय सहायता के अग्रिम दावे प्रस्तुत किए गए थे, किंतु भारत सरकार ने केंद्रीय सहायता के अग्रिम दावे जारी नहीं किए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पिछले वर्षों के गैर/विलंबित/अन्चित उपयोग प्रमाण-पत्र के कारण अग्रिम दावे जारी नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, केंद्रीय सहायता के कम दावे के कारण, विभाग को केंद्रीय सहायता (2017-18 से 2019-20) के विलंबित दावे के कारण ₹ 1.20 करोड़ की हानि और ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

सिफारिश: विभाग को केंद्रीय सहायता का दावा करने के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले वास्तविक वितरण डेटा के मिलान के लिए उचित तंत्र विकसित करना चाहिए।

वन विभाग

पण ।पणाण

5.15 परिहार्य अतिरिक्त व्यय के साथ राजस्व की हानि

जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निपटान में वन विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ₹ 22.12 करोड़ के राजस्व की हानि हुई और जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी पर ₹ 96.14 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

लाल चंदन की लकड़ी की प्रजाति अत्यधिक स्थानिक है और केवल आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है तथा जंगली जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) में सूचीबद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन)

¹ ₹ 89.56 करोड = ₹ 41.34 करोड + ₹ 42.45 करोड + ₹ 5.77 करोड।

में भी सूचीबद्ध है, इस प्रकार उचित कानूनी खरीद के बिना इसके घरेलू व्यापार और लॉग रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। लाल चंदन की लकड़ी को खराब होने वाली वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है (अप्रैल 2005) और समय बीतने के साथ मूल्यहास के अधीन है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 58 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट धारा 52 डी के अंतर्गत जब्त की गई किसी भी संपित की बिक्री का निर्देश दे सकता है, जो तेजी से प्राकृतिक क्षय के अधीन है और उससे प्राप्त आय का उपयोग उस प्रकार करता है जैसा कि वह ऐसी संपित का निपटान करते समय करता यदि इसे बेचा न गया होता।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निर्देश दिया (अगस्त 2014) कि जब्त की गई लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों को संबंधित राज्य वन विभाग के माध्यम से खुली नीलामी/मुहरबंद निविदा के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीओएफ), हरियाणा, पंचकुला (जून-जुलाई 2021) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 13 मामलों में ₹ 22.12 करोड़ (परिशिष्ट 5.6) मूल्य की 175.68 टन जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी को हरियाणा वन विकास निगम, गुरुग्राम, मंडल वन अधिकारी (डीएफओ) गुरुग्राम, रेवाड़ी और सोनीपत को विशेष पर्यावरण न्यायालय (स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति), फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र द्वारा (सितंबर 2014 और मई 2016 के मध्य) सौंप दिया गया था। आगे, यह पाया गया कि वन विभाग ने 2015-16 से 2021-22 (परिशिष्ट 5.7) की अविध के दौरान लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी और वार्ड भंडारण पर ₹ 96.14 लाख का व्यय किया था।

पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद के निर्देश पर, एचएफडीसी ने एक नीलामी की और 2013 में केवल ₹ 25.47 लाख मूल्य की लाल चंदन की लकड़ी को बेच सका। इसके बाद एचएफडीसी ने न्यायालय से मूल्य वर्धित उत्पादों (वीएपी) के निर्माण की अनुमित देने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। हरियाणा वन विकास निगम, गुरुग्राम ने, स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन सिमित द्वारा आवेदन की स्वीकृति के बाद जब्त की गई 30.49 टन लाल चंदन की लकड़ी से मूल्य वर्धित उत्पादों (वीएपी) का उत्पादन शुरू किया (अप्रैल 2016)। स्थानीय बाजार में मांग की कमी के कारण, हरियाणा वन विकास निगम ने निर्यात (मांग के आधार पर) के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रस्ताव शुरू किया (फरवरी 2017)। वन एवं वन्य जीवन विभाग, हरियाणा सरकार ने मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए इसका उपयोग करने के लिए जुलाई 2017 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी (अप्रैल 2017)।

हरियाणा वन विकास निगम केवल एक टन लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग करने में सक्षम था और उपर्युक्त निर्णय के 14 माह बाद भी शेष स्टॉक (सितंबर 2018) का उपयोग करने में असमर्थता व्यक्त की। आगे, हरियाणा वन विकास निगम की सिफारिशों के आधार पर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा ने जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार, वन

-

⁵ प्रभागीय वन अधिकारी, गुरुग्राम: छ: मामले, 45.730 टन; प्रभागीय वन अधिकारी, गुरुग्राम : चार मामले, 76.894 टन; प्रभागीय वन अधिकारी, रेवाड़ीः एक केस, 46.51 टन और प्रभागीय वन अधिकारी सोनीपतः दो केस, 6.545 टन

विभाग को 60:40 अनुपात में आंध्र प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के मध्य बिक्री आय को साझा करने की पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर हस्तांतरित करने के लिए हरियाणा सरकार से अनुमित मांगी (अक्तूबर 2018)। जनवरी 2019 में हरियाणा सरकार द्वारा अनुमित दी गई तथा प्रस्ताव जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार के पास भेजा गया था। तथापि, वन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया था। आगे, यह पाया गया कि मार्च 2019 में हरियाणा वन विकास निगम के पास पड़ा हुआ ₹ 43.23 लाख⁵⁶ मूल्य का 3.603 टन लाल चंदन की लकड़ी चोरी हो गयी थी। तथापि, बीमा कंपनी ने पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को बंद न करने और जबरन चोरी का कोई सब्त नहीं मिलने पर दावा स्वीकार नहीं किया (मार्च 2020)।

वन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की किसी भी बिक्री से प्राप्त आय को हरियाणा सरकार के साथ साझा करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया (जनवरी 2020)। आगे, हरियाणा सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार की इस शर्त को अस्वीकार कर दिया गया था (अगस्त 2020)।

पांच वर्ष के विलंब के बाद, वन विभाग, हरियाणा सरकार ने जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निपटान के लिए अन्य राज्यों में सांविधिक प्रावधानों और नीलामी दरों की जांच के लिए सिमिति⁵⁷ का गठन किया (मार्च 2021)। सिमिति ने सिफारिश की कि राज्य सरकार को स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन सिमिति से अनुमित लेने की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निपटान के लिए नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए (जून 2021)। तथापि, विभाग का यह विलंबित प्रयास राज्य के राजकोष को राजस्व की हानि की भरपाई नहीं कर सका।

अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी), हरियाणा, पंचकुला ने उत्तर दिया (मई 2022) कि प्रभागीय वन अधिकारी, गुरुग्राम, रेवाड़ी और सोनीपत ने लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी की अनुमित लेने के लिए संबंधित पर्यावरण न्यायालयों के समक्ष आवेदन दायर किया था। गुरुग्राम, रेवाड़ी और सोनीपत मामले में सुनवाई की अगली तारीख क्रमशः 17 मई 2022, 11 जुलाई 2022 और 24 मई 2022 है। जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी के संबंध में निर्णय स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति के निर्देशान्सार लिया जाएगा।

आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चार मामलों में, विभाग ने संबंधित स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति के समक्ष लाल चंदन की लकड़ी के निपटान की अनुमित मांगने के लिए आवेदन दायर नहीं किया था, आठ मामलों में आवेदन 69 और 89 माह के मध्य की देरी से दायर किए गए थे। एक मामले में, स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी की अनुमित दी गई थी (अगस्त 2016) किंतु विभाग ने 68 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लाल चंदन की लकड़ी की नीलामी नहीं की थी।

^{₹ 12} लाख प्रति टन की दर से 3.603 टन (2016 में ग्रेड 'सी' के लिए आंध्र प्रदेश की दरें)

⁵⁷ एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों वाली समिति।

वर्ष 2014 से 2016 तक वन विभाग द्वारा ₹ 21.57⁵⁸ करोड़ के जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के गैर-निपटान के प्रति विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण 2015-16 से 171.08⁵⁹ मीट्रिक टन लाल चंदन लकड़ी का स्टॉक हरियाणा वन विकास निगम और वन विभाग के पास पड़ा हुआ था। विभाग जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निस्तारण हेतु ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी पर ₹ 21.57 करोड़ के राजस्व की अवसूली हुई एवं ₹ 96.14 लाख के परिहार्य ट्यय हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग द्वारा तथ्य एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई (मई 2022)। विभाग ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी), हरियाणा, पंचकुला के उत्तर को दोहराया। आगे, हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यावरण न्यायालयों से अनुमित प्राप्त करने के बाद जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ियों के निपटान के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मामला उठाया जाए। जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी को निपटान के लिए आंध्र प्रदेश के वन विभाग को सौंपा जा सकता है। इन अव्यवस्थित लाल चंदन की लकड़ी के भंडारण पर निगरानी, बीमा और परिवहन आदि पर होने वाले व्यय की मांग उनसे की जा सकती है। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मई 2022)।

सिफारिश: राज्य सरकार लाल चंदन की लकड़ी के समयबद्ध तरीके से निपटान के लिए स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा तत्काल निर्णय/सुनवाई के लिए कदम उठाने पर विचार करे।

गृह विभाग

5.16 अयोग्य होमगाई स्वयंसेवकों पर अनियमित व्यय

नियमों के उल्लंघन में होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 50 से 58 वर्ष तक बढ़ाने के कमांडेंट जनरल के अनुचित निर्णय के परिणामस्वरूप अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों को ₹ 10.30 करोड़ का अनियमित भ्गतान किया गया।

हरियाणा होमगार्ड अधिनियम, 1974 (अधिनियम) की धारा 11 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। आगे, अधिनियम की धारा 11 (3) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों को उनके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा। अधिसूचना (मई 1980) द्वारा हरियाणा होमगार्ड नियम, 1980 (नियम) के नियम 8 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अभ्यर्थी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और उसकी आयु 50 वर्ष से कम हो। बशर्त कि

⁸ ₹ 21.57 करोड़ = जब्त लाल चंदन की लकड़ी की कुल राशि: ₹ 22.12 करोड़ -चोरी और मूल्य वर्धित उत्पाद लाल चंदन की लकड़ी : ₹ 0.55 करोड़।

⁵⁹ 171.0757 मीट्रिक टन = कुल जब्ती 175.6787 मीट्रिक टन - चोरी 3.603 मीट्रिक टन - मूल्य वर्धित उत्पाद (बेचा गया) 1 मीट्रिक टन।

उपयुक्त मामलों में कमांडेंट-जनरल द्वारा उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। आगे, नियम 29(1) में प्रावधान है कि किसी सदस्य को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवामुक्त किया जाएगा या विस्तारित अविध में सेवानिवृत्त किया जा सकता है या उसका नियुक्ति प्राधिकारी, शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर उसे पहले ही सेवामुक्त कर सकता है।

कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स और निदेशक सिविल डिफेंस, हिरयाणा (कमांडेंट) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (अक्तूबर 2021), यह अवलोकित किया गया कि कमांडेंट-जनरल (सीजी) ने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिया (मार्च 2020) कि आयु सीमा विभाग में भर्ती/नामांकित सभी स्वयं सेवकों की सेवानिवृत्ति के लिए 58 वर्ष निर्धारित है। ये नियमों में संशोधन के रूप में जारी नहीं किए गए थे। इस पर राज्य सरकार की स्वीकृति भी नहीं थी। नियमों के नियम 29 (1) के अंतर्गत कमांडेंट-जनरल की शक्तियां/कार्य व्यक्तिगत उपयुक्त मामलों तक सीमित थे और संबंधित व्यक्ति की उपयुक्तता के आकलन के बिना सभी होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति की तारीख बढ़ाने के लिए नहीं थे। इससे विभाग में कार्यरत 612 होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि हुई, जिन्होंने 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली थी (परिशिष्ट 5.8)। विभाग ने ऐसे स्वयंसेवकों को 50 वर्ष की आयु के बाद सेवा से मुक्त नहीं किया। आगे, नियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा गया था। इस प्रकार, होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के लिए कमांडेंट-जनरल के अनियमित निर्णय के परिणामस्वरूप इन अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों (परिशिष्ट 5.8) को अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के मध्य की अविध के लिए ₹ 10.30 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2021), कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स, हिरयाणा ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि हिरयाणा होमगार्ड्स नियम, 1980 में संशोधन के संबंध में मामला अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भेज दिया गया है (दिसंबर 2021)। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भेज गए पत्र में, कमांडेंट-जनरल ने दावा किया था कि राज्य सरकार ने 27 नवंबर 1981 की अधिसूचना के अंतर्गत सदस्य के लिए अधिकतम तीन वर्ष की अविध की शर्त को हटा दिया था। इसलिए, पात्र सदस्य 58 वर्ष की आयु तक होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर सकता है। आगे, एग्जिट कांफ्रेंस (मार्च 2022) में, कमांडेंट-जनरल ने इसे दोहराया और लेखापरीक्षा द्वारा नियम की व्याख्या का विरोध किया। कमांडेंट-जनरल का तर्क बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि नियम 29 (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सदस्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा या शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर पहले सेवामुक्ति दी जा सकती है। नियम 29 (1) के अंतर्गत कमांडेंट-जनरल उपयुक्त मामलों में आयु सीमा में छूट देने के हकदार हैं, लेकिन होम गार्ड के पूरे समूह के लिए कार्यकारी निर्देश जारी करके सेवानिवृत्त की आयु को 50 वर्ष से 58 वर्ष तक बदलने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकार, कमांडेंट-जनरल ने अनधिकृत रूप से होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष तक बढ़ा दी थी जिसके परिणामस्वरूप 612 अयोग्य स्वयंसेवकों को वेतन के रूप में ₹ 10.30 करोड़ का अनियमित भुगतान ह्आ।

हरियाणा प्लिस आवास निगम

5.17 परिहार्य व्यय

कार्य के आबंटन के 21 दिनों की निर्धारित अविध के भीतर निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल रहने वाले एल1 के स्वीकृति-पत्र को रद्द करने में देरी के कारण 120 दिनों की निविदा वैधता अविध समाप्त हो गई। परिणामतः, एल2 को उसकी बोली से बाध्य नहीं किया जा सका जो कि एल1 से थोड़ा अधिक थी और इसके परिणामस्वरूप नई निविदाएं आमंत्रित करने और उच्च दर पर कार्य के आबंटन के कारण ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन (करनाल) में चार महिला बैरक (चार मंजिला) के निर्माण के लिए जून 2018 में ₹ 24.61 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की। निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस (डीएनआईटी) ₹ 21.13 करोड़ के लिए तैयार किया गया था और निविदाएं 24 अगस्त 2018 को प्रबंध निदेशक, हरियाणा पुलिस आवास निगम (एचपीएचसी) द्वारा 14 सितंबर 2018 को निविदा की अंतिम तिथि के साथ मांग की गई थीं। चार पात्र बोलीदाताओं ने निविदा में भाग लिया था। वितीय बोलियां 26 सितंबर 2018 को खोली गईं और यह पाया गया कि मैसर्ज विज कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली द्वारा उद्धृत दरें निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस से 6.20 प्रतिशत कम ₹ 19.82 करोड़ पर सबसे कम थीं। तद्नुसार, मामला 27 सितंबर 2018 को हरियाणा पुलिस आवास निगम की निवेदा अनुमोदन समिति को प्रस्तुत किया गया था। निवेदा अनुमोदन समिति ने 23 अक्तूबर 2018 को एल1 के पक्ष में निवेदा को मंजूरी दी और नियोक्ता अर्थात् अधीक्षण अभियंता (एसई), हरियाणा पुलिस आवास निगम सर्कल, मधुबन को उसे कार्य आबंटित करने के लिए निर्देश दिया। अधीक्षण अभियंता ने 13 नवंबर 2018 को मैसर्ज विज कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को स्वीकृति पत्र जारी किया।

ठेकेदार ₹ 0.99 करोड़ की अपेक्षित पांच प्रतिशत निष्पादन गारंटी जमा करने के लिए कभी नहीं आए, जिसे 4 दिसंबर 2018 (स्वीकृति पत्र जारी होने के 21 दिनों के अंदर) तक जमा किया जाना था। कार्यकारी अभियंता, हरियाणा पुलिस आवास निगम, मधुबन ठेकेदार को कार्य शुरू करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, निष्पादन गारंटी जमा करने के लिए पत्र जारी करते रहे, किंतु ठेकेदार कभी नहीं आए। कार्यकारी अभियंता, हरियाणा पुलिस आवास निगम मधुबन ने 15 मार्च 2019 को कार्य के आबंटन के बाद अर्थात् कार्य आबंटन के 122 दिनों के बाद और निष्पादन गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि से 101 दिनों के बाद कार्य का आबंटन रदद कर दिया। ₹ 0.42 करोड़ की बयाना राशि जब्त कर ली गई और ठेकेदार को एक वर्ष के लिए निविदा से वंचित कर दिया गया था।

स्वीकृति पत्र दिनांक 13 नवंबर 2018 को बोली दस्तावेज की क्लॉज 28.3 के संदर्भ में 5 दिसंबर 2018 (आबंटन की तारीख से 22वें दिन) को रद्द कर दिया जाना चाहिए था। बोली दस्तावेज के क्लॉज 15.1 के अनुसार, बोली की वैधता अविध निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 120 दिन अर्थात 12 जनवरी 2019 तक थी। हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता

की क्लॉज 13.18.1 (एफ) के अनुसार, यदि एल 1 पीछे हटता है तो उसकी बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा एल2, एल3 और इसी तरह, उनके क्रम के अनुसार, पेशकश को एल1 के बराबर लाने के लिए कहा जाना है।

यह पाया गया कि एल1 की बोली ₹ 19.82 करोड़ पर निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस राशि से 6.20 प्रतिशत कम थी, जबिक एल2 बोलीदाता मैसर्ज विजय बिल्डर्स, सिरसा की बोली निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस से 6 प्रतिशत कम तथा ₹ 19.87 करोड़ अर्थात् ₹ पांच लाख एल1 से अधिक थी। तथापि, 5 दिसंबर 2018 को स्वीकृति पत्र को रद्द न करने और एल2 को बातचीत के लिए नहीं बुलाने के कारण, हरियाणा पुलिस आवास निगम ने अवसर खो दिया, क्योंकि बोली की वैधता केवल 12 जनवरी 2019 तक थी।

परिणामस्वरूप, प्रबंध निदेशक, हरियाणा पुलिस आवास निगम ने मई 2019 में पुनःनिविदाएं आमंत्रित कीं और जून 2019 में निविदाएं खोली, जिसमें दो बोलीदाताओं ने भाग लिया और मैसर्ज विजय बिल्डर्स, सिरसा (पहले की निविदा में एल2) को ₹ 20.90 करोड़ (निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस की ₹ 21.13 करोड़ राशि से 1.12 प्रतिशत कम) से सबसे कम पाया गया। इस फर्म को जुलाई 2019 में दो वर्ष की समय-सीमा के साथ कार्य आबंटित किया गया था। एजेंसी ने अक्तूबर 2021 में कार्य पूरा किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरियाणा प्लिस आवास निगम ने 14 सितंबर 2018 को निविदाओं की प्राप्ति के संबंध में संदेहपरक दृष्टिकोण अपनाया क्योंकि 26 सितंबर 2018 को 12 दिनों के बाद वितीय बोलियां खोली गईं, निविदा अन्मोदन समिति ने 23 अक्तूबर 2018 को अर्थात् निविदा प्राप्ति के 40 दिन बाद एल1 के पक्ष में निविदा को मंजूरी दी। कार्यकारी अभियंता, मधुबन ने 13 नवंबर 2018 को अर्थात् निविदा प्राप्ति के 60 दिनों के बाद स्वीकृति पत्र जारी किया। उसके बाद भी जब एल1 ठेकेदार ने 21 दिनों के अंदर निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं की और संविदा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं आया (5 दिसंबर 2018 तक), कार्यकारी अभियंता ने स्वीकृति पत्र को रदद करने के लिए और 101 दिनों तक प्रतीक्षा की। इस प्रकार निविदा प्राप्त होने से लेकर बोलीदाता के स्वीकृति पत्र को रद्द करने तक कुल 182 दिनों का समय लगा। इसके परिणामस्वरूप एल2 बोलीदाता को ब्लाने का अवसर खो गया, जिसकी बोली सिर्फ ₹ पांच लाख से अधिक थी (0.2 प्रतिशत अंतर)। हरियाणा प्लिस आवास निगम को उन निविदाओं को वापस लेना पड़ा जिनमें पहले की निविदा का एल2 ₹ 1.03 करोड़ (₹ 20.90 करोड़ - ₹ 19.87 करोड़) के अंतर के साथ एल 1 बन गया था। यदि हरियाणा प्लिस आवास निगम द्वारा स्वीकृति पत्र को समय पर रद्द कर दिया जाता और एल2 को हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के खंड 13.18.1(एफ) के अंतर्गत बातचीत के लिए ब्लाया जाता, तो कम कीमत पर कार्य के निष्पादन की संभावना थी। बोलीदाता निविदा वैधता अवधि अर्थात् 12 जनवरी 2019 तक उसके द्वारा उद्धृत दरों से बाध्य था।

इस प्रकार, हरियाणा पुलिस आवास निगम द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी के साथ-साथ स्वीकृति-पत्र को रद्द करने में देरी के कारण ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया था, जब ठेकेदार 21 दिनों की निर्धारित अविध के अंदर निष्पादन प्रतिभृति जमा करने में विफल रहा। 29 मार्च 2022 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी और जवाब में विभाग ने अप्रैल 2022 में उत्तर दिया कि विभिन्न लिखित तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद (दिसंबर 2018 और मार्च 2019 के मध्य), एजेंसी ने न तो समझौते पर हस्ताक्षर किए और न ही अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति जमा की। विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर निष्पादन प्रतिभूति जमा की जानी चाहिए।

सिफारिश: राज्य सरकार निविदा प्रकरणों को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए तंत्र बनाने पर विचार करे। बोलीदाता द्वारा निर्धारित अविध में निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहने पर भी स्वीकृति निरस्त करने में विलंब होने पर अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाए।

चंडीगढ़

दिनांक: 07 फरवरी 2023

(नवनीत गुप्ता)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 15 फरवरी 2023

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट 1.1 (संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

एक कलस्टर के भीतर विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत निकायों के साथ क्लस्टरों का विवरण

मंदित्ता शिक्षा एवं महिवा हिवाणा चिकित्सा सेवा निगम सिमिटेड सामाजिक ज्ञाप एवं अनुसंधान विभाग हिवाणा चिक्त्सा सेवा निगम सिमिटेड सामाजिक ज्ञाप एवं अनुसंधान विभाग प्रहियाणा पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमओर वर्ग कल्याण निगम मिलानेट महिला एवं वाल विकास हिवाणा अनुस्थित ज्ञानि विन एवं विकास निगम लिमिटेड का उच्च शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग हिवाणा अनुस्थित ज्ञानि विकास निगम लिमिटेड अप्रकार विभाग हिवाणा सुमि सुमिटेड अप्रकार विभाग हिवाणा सुमि सुमि सेवा निमिटेड अप्रकार विभाग हिवाणा सुमि सुम्प एवं विकास निमम लिमिटेड अप्रकार विभाग हिवाणा सुमि सुमि सेवा निमम अप्रकार विभाग हिवाणा सुमि सुम्प एवं विकास निमम सहकारित विभाग हिवाणा सुमि सुम्प एवं विकास निमम सहकारित विभाग हिवाणा सुमि सुम्प एवं विकास निमम सहकारित विभाग हिवाणा सुम्प विभाग सहकारित विभाग हिवाणा सुम्प विभाग वामानी विभाग हिवाणा सुम्प विभाग निमिटेड वामानी विभाग हिवाणा सुमि सुमान निमिटेड वामानी विभाग हिवाणा सुमाई एवं विभाग निमिटेड	5-1-10-0	विश्वाब	महिनानिक क्षेत्र के स्पक्षम	म्बायम निकाय
स्य एक स्वास्त्र पं परिवार कन्याण विकास किया विकास केवा विकास विकास किया विकास किया विकास	1000			
सिनिक्त्सा शिक्षा परं अभुसुंधान विभाग हिस्याण विभाग सिनिक्स सेवा निगम लिमिटेड सिनिक्त और अर्थ सैनिक अर्थ अधिकारिक वर्गयाण विभाग सिनिक्त कर्ग्याण विभाग प्रावृद्ध हिमिटेड सिनिक्ट कर्ग्याण विभाग प्रावृद्ध हिमिटेड सिनिक्ट कर्ग्याण निगम विभिटेड हिमिटेड कर्ग्याण निगम विभिटेड कर्ग्याण विभाग	1 स्वास्थ्य एव	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग
संकिक और अधि	कल्याण	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	
सामाजिक स्थाय एवं अधिकारिता विभाग इस्याणा पिछड़ा वर्ग एवं आधिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण विभाग इस्याणा पिछड़ा वर्ग एवं आधिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण विभाग प्रकृति विभाग प्रकृत विभाग इस्याणा महिला विकास किमार विमिटेड प्रकृत प्रवा अप्रकृत विभाग इस्याणा महिला विकास किमार विमार विभाग प्रकृत प्रवा अप्रकृत विभाग इस्याणा विभाग इस्याणा प्रज्य विवेय से विमार विमार विभाग प्रकृत प्रवा कार्य कार्य अपर इस्याणा विभाग इस्याणा विभाग विभाग विभाग इस्याणा विभाग विभाग विभाग इस्याणा विभाग विभाग इस्याणा विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग इस्याणा विभाग विभ		सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग		
प्रमुस् िवत आति एवं पिछडे वर्गों का कत्याण विभाग हिरेयाणा पिछड़ा वर्ग एवं आविक स्प से कमजोर वर्ग कत्याण निगम हिरेयाणा महिता विकास निगम निगमेटङ 1. कोशत उच्च शिक्ता विकास हिरेयाणा महिता विकास निगम निगमेटङ हिरेयाणा महिता विकास निगम निगमेटङ एवं रोजगर स्कूत शिक्ता विकास स्कूरियाणा महिता विकास निगम निगमेटङ स्कूरियाणा महिता विकास निगम निगम निगमेटङ एवं रोजगर तक्तनीकी शिक्षा विकाग हिरेयाणा सुन्य विवास पवं अद्योगिक प्रशिक्षण विकाग हिरेयाणा सुन्य विवास स्वामान एवं रोजगर विकास पवं अद्योगिक प्रशिक्षण विकाग हिरेयाणा सुन्य विवास सुन्य विकाग हिरेयाणा कांच उद्योग निगम निगमेटङ एवं तिकास पवं अपि विकास विकाग हिरेयाणा कांच उद्योग निगम निगमेटङ हिरेयाणा कांच विकास निगम निगमेटङ उद्योग सहकारिता विकाग सियाणा कांच विकास निगम निगमेटङ प्रयोग सहकारिता विकाग हिरेयाणा कांच विकास निगम निगमेटङ प्रयोग सहकारिता विकाग सियाणा सुन्य सुन्य वावानी विभाग व्यद्य, नायिक आपूरी और उपभोक्ता मामले हिरेयाणा अंतरिव्दीय वावानी विभाग निमसेटङ वावान विकान विभाग हिरेयाणा लो सियाई एवं नतक्रण सिमान निमसेटङ		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		
प्रक्रिक्त प्रक्रक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्त प्रक्रक्त प्रक्रक्त प्रक्रक्त प्रक्रक्त प्रक्रक्त प्रक्रक्त प्रक्रक्त प्रक्रक्त प्रक्रक्त		अनुस्चित जाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम	
एवं रोजाप क्षित्या परं बाल विकास हरियाणा अनुसूचित जाति विकास जिगम लिमिटेड एवं रोजाप अम विभाग क्षित्या विभाग एवं रोजाप अम विभाग क्षित विकास परं अद्योगिक प्रशिक्षण विभाग लेकित विकास परं अद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा राज्य विनास सेवा लिमिटेड श बद्ध और विभाग हरियाणा राज्य विनास लिमिटेड श बद्ध और कृषि एवं निसाल कल्याण विभाग हरियाणा क्षित विकास जिमम लिमिटेड उद्योग हरियाणा इत्योग निगम लिमिटेड सहकारिता विभाग हरियाणा इत्य मंडारण निगम पहकारिता विभाग हरियाणा इत्य मंडारण निगम सहकारिता विभाग हरियाणा अंतर रिवास विभाग सहकारिता विभाग हरियाणा अंतर रिवास विभाग विभाग सहकार निगम सहकारिता विभाग हरियाणा अंतर रिवास विभाग विभाग हरियाणा अंतर रिवास विभाग निमिटेड		विभाग	प्राइवेट लिमिटेड	
t, कौरा प्रवा वार विकास हिर्याणा महिला विकास निगम लिमिटेड प्रवं रोज पर सम विभाग स्कूल शिक्षा विभाग स्वूल्य में शिक्षा विभाग हिर्याणा की विकास विभाग हिर्याणा विकास विक			हरियाणा अनुस्चित जाति वित एवं विकास निगम लिमिटेड	
पतं कीता अम्र विभाग सक्त शिक्षा विभाग मिक्षा विभाग<		महिला एवं बाल विकास	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	
एवं रोजगार अम विकास प्रमा विकास	2. शिक्षा, कौशल	उच्च शिक्षा विभाग		हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकुला
स्कूत शिक्षा विभाग स्कूत शिक्षा विभाग स्कूत शिक्षा विभाग स्कूत शिक्षा विभाग स्वत्यागिक प्रशिक्षण विभाग स्वत्यागिक प्रशिक्षण विभाग स्वत्यागिक प्रशिक्षण विभाग स्वत्यागिक प्रशिक्षण विभाग स्वत्याण विभाग वागवाली विभाग विभाग स्वत्याण विभाग स्वत्याण विभाग स्वत्याण विभाग स्वत्याण विभाग विभाग विभाग स्वत्याण विभाग विभाग विभाग स्वत्याण विभाग विभाग विभाग स्वत्याण विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग स्वत्याण विभाग विभा	विकास एवं रोजगार	श्रम विभाग		हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड पंचकुला
क्षेशत विकास एवं आँद्योगिक प्रशिक्षण विभाग स्वक्तीकी शिक्षा विभाग स्विक्ती शिक्षा विभाग स्विक्तीकी शिक्षा विभाग स्विक्तीकी शिक्षा विभाग स्विक्री		स्कूल शिक्षा विभाग		
क्ष्म एवं युवा कार्यफ्रम विभाग तक्तीकी शिक्षा विभाग हिरायाणा सा्ज्य विनीय सेवा लिमिटेड तिमिटेड विन विभाग हिरायाणा किष उद्योग निगम लिमिटेड हिरायाणा किष उद्योग निगम लिमिटेड हिरायाणा किष उद्योग निगम लिमिटेड हिरायाणा किष उद्योग निगम हिरायाणा किष विभाग हिरायाणा किष विभाग हिरायाणा किष विभाग हिरायाणा किष विभाग निगम निमिटेड हिरायाणा किष्म किष्म किष्म निमिटेड हिरायाणा किष्म किष्म निमिटेड हिरायाणा किष्म किष्म निमिटेड हिरायाणा किष्म किष्म किष्म निमिटेड हिरायाणा किष्म किष्म किष्म निमिटेड हिरायाणा किष्म किष्म किष्म किष्म किष्म निमिटेड हिरायाणा किष्म किष्म किष्म किष्म किष्म किष्म किष्म		कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग		
क्लाकी शिक्षा विभाग स्वन्नीकी शिक्षा विभाग स्विभाग स्वभाग		खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग		
ण दिकास आवकारी एवं कराधान विभाग हिरेयाणा राज्य वितीय सेवा लिमिटेड ण दिकास यासीण विकास विभाग हिरेयाणा कि उद्योग निगम लिमिटेड उद्योग हिरेयाणा कि उद्योग निगम लिमिटेड हिरेयाणा कि अहिरा निगम लिमिटेड उद्योग हिरेयाणा कि अहिरा निगम लिमिटेड हिरेयाणा कि अहिरा निगम लिमिटेड पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिरेयाणा आज विकास निगम लिमिटेड हिरेयाणा अति विकास निगम लिमिटेड सहकारिता विभाग स्रह्माण स्रह्माणा अंतर्षेष्ट्रीय बागवानी विभाग लिमिटेड पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिरेयाणा अंतर्षेष्ट्रीय बागवानी विभाग लिमिटेड विभाग हिरायाणा अंतर्षेष्ट्रीय बागवानी विभाग लिमिटेड		तकनीकी शिक्षा विभाग		
शाबकारी एवं कराधान विभाग हािरयाणा राज्य वितीय सेवा लिमिटेड ण विकास बात्य और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हििरयाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड उद्योग हििरयाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड हििरयाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड उद्योग हििरयाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड हििरयाणा आसे सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड पशुपालन एवं डेयरी विभाग हििरयाणा राज्य अंडारण निगम हििरयाणा राज्य अंडारण निगम मत्त्य विभाग हििरयाणा अस्तरिष्ट्रीय बागवानी विभाग लिमिटेड हििरयाणा अंतरिष्ट्रीय बागवानी विभाग लिमिटेड संसाधन हिियाणा लघु सिचाई एवं जल संसाधन विभाग हिियाणा लघु सिचाई एवं जल संसाधन विभाग		रोजगार विभाग		
विस विभाग हिरयाणा राज्य विताय सेवा लिमिटेड ग्रामीण विकास विभाग हिरयाणा कि उद्योग निगम लिमिटेड कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हिरयाणा भूम सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिरयाणा राज्य अंडारण निगम सहकारिता विभाग हिरयाणा राज्य अंडारण निगम मत्स्य विभाग वावाय्य, नागरिक आपूर्त और उपभोक्ता मामले वागवानी विभाग हिरयाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विभाग लिमिटेड सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हिरयाणा लघु सिंचाई एवं नलक्त्प निगम लिमिटेड	3. वित	आबकारी एवं कराधान विभाग		
ब्रामीण विकास विभाग हिरियाणा क्रिष उद्योग निगम लिमिटेड हिरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड हिरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहकारिता विभाग मत्स्य विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बागवानी विभाग सियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विभाग लिमिटेड सिरेयाणा लघु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		वित विभाग	हरियाणा राज्य वितीय सेवा लिमिटेड	
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हिरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड हिरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड हिरियाणा बाज विकास निगम लिमिटेड पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहकारिता विभाग मत्स्य विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्त और उपभोक्ता मामले विभाग बागवानी विभाग सियाण अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विभाग लिमिटेड सियाण एवं सियाण लिगम लिगम लिमिटेड	4. ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास विभाग		
पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहकारिता विभाग मत्स्य विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बाग्वानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	5. कृषि, खाद्य और	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहकारिता विभाग मत्स्य विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बागवानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	संबद्ध उद्योग		हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	
पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहकारिता विभाग मत्स्य विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बागवानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग			हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	
पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहकारिता विभाग मन्स्य विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बागवानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग			हरियाणा राज्य भंडारण निगम	
सहकारिता विभाग मत्स्य विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बागवानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		पशुपालन एवं डेयरी विभाग		
सत्स्य विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बागवानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		सहकारिता विभाग		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बागवानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		मत्स्य विभाग		
विभाग बागवानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले		
बागवानी विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		विभाग		
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		बागवानी विभाग	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	
	6 जल संसाधन	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	

	Phone	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
कलस्टर	विभाग	सावजानक क्षत्र के उपक्रम	स्वायत ।नकाय
7. ऊर्जा और विद्युत	नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा		
	बिजली विभाग	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	
		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	
		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	
		सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (अक्रियाशील)	
8. उद्योग एवं	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पंचकुला
व्यापार		लिमिटेड	,
		पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	
		हरियाणा राज्य आवास वित निगम लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा राज्य वितीय सेवा लिमिटेड	
	खान एवं भू-विज्ञान		
9. परिवहन	नागर विमानन		
	परिवहन विभाग	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
10. शहरी विकास	नगर एवं ग्राम आयोजना	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरशन लिमिटेड	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पचकुला (ह.श.वि.प्रा.)
		गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
		गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम
			गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण
	शहरी स्थानीय निकाय	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	
		फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	
		करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	
	सभी के लिए आवास		हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पंचकुला
11 पर्यावरण,	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन		
विज्ञान एवं	वन विभाग	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
प्रौद्योगिकी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
12. लोक निर्माण	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	
		हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
		हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
13. आई.टी. एवं	स्चना एवं प्रौद्योगिकी	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	
संचार		हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स निमिटेड	

	ä		
क्लस्टर	विभाग	सावजानक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत निकाय
14. कानून एवं	गृह	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला
व्यवस्था			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुनानगर
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेवात
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी
			हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
			हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला केंट
15. संस्कृति एवं	पुरातत्व एवं संग्रहालय		
पर्यटन	अभिलेखागार		
	कला एवं संस्कृति		
	पर्यटन	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	
16. सामान्य प्रशासन	चुनाव विभाग के प्रधान सचिव		

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत निकाय
	नागरिक संसाधन सूचना विभाग		
	सामान्य प्रशासन		हरियाणा मानवाधिकार आयोग
	राज्य चुनाव आयोग		
	हरियाणा विधानसभा के सचिव		
	राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग		
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
	राज्यपाल के सचिव		
	सूचना, जनसंपर्क एवं भाषाएं		
	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग		

परिशिष्ट 1.2 (संदर्भः अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 3)

बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों	धन
सं.		की संख्या	मूल्य
1	चोरी, दुर्विनियोग एवं गबन के कारण हानि	329	176.51
2	वसूली योग्य राशि	2,674	9,60,263.62
3	नियमों का पालन न करना	5,820	57,549.76
4	परिहार्य/अनियमित/अधिक व्यय	3,351	20,853.18
5	निष्फल/बेकार व्यय	933	3,349.97
6	योजना के क्रियान्वयन/कार्य के निष्पादन में कमी	1,933	8,754.98
7	निधियों का उपयोग न करना/अवरोध करना	1,339	19,688.22
8	स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करना	2,226	1,898.32
9	साधनों का उपयोग न करने के कारण राजस्व की हानि	1,753	28,380.20
10	विविध	5,294	30,147.41
	कुल	25,652	11,31,062.17

स्रोत: निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर से संकलित सूचना

अर्थात् ₹ 11,31,062.17 करोड़

परिशिष्ट 1.3 (संदर्भः अनुच्छेद 1.7.1; पृष्ठ 4)

31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति और कोपू में चर्चा किए जाने हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 2018-19 और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20 के बकाया अनुच्छेदों का विवरण

लेखापरीक्षा	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा	अन्च्छेद	कुल
प्रतिवेदन		प्रतिवेदन का वर्ष	संख्या	अनुच्छेद
(सार्वजनिक	ऊर्जा और विद्युत	2018-19	2.1, 3.1, 3.2, 3.3,	8
क्षेत्र के			3.4, 3.5, 3.6, 3.7	
उपक्रम	उद्योग एवं वाणिज्य	2018-19	5.1, 5.2, 5.3	3
	लोक निर्माण विभाग	2018-19	5.4, 5.5	2
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	2018-19	5.6, 5.7	2
कुल				15
अनुपालन लेखापरीक्षा	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	2019-20	2.1, 2.2	2
प्रतिवेदन	खेल और युवा मामले विभाग	2019-20	2.3	1
	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2019-20	2.4, 2.5	2
	श्रम विभाग	2019-20	2.6	1
	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2019-20	2.7	1
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2019-20	2.8, 2.9	2
	ऊर्जा और विद्युत	2019-20	3.1,3.2,3.3	3
	उद्योग एवं वाणिज्य	2019-20	3.4,3.5	2
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	2019-20	3.6,3.7,3.8,3.9	4
	स्वास्थ्य और कल्याण	2019-20	3.10	1
कुल				19
कुल योग				34

परिशिष्ट 1.4 (संदर्भः अनुच्छेद 1.7.2; पृष्ठ 5)

उन अनुच्छेदों का विवरण जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2021 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है

豖.	प्रशासनिक विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि
स.	का नाम	का वर्ष	संख्या	(₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
		2013-14	3.1	4,131.00
		2015-16	2.1.7.5	12,644.00
			2.1.9.3	21.41
		2017-18	2.1.6.3	2,222.00
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2013-14	3.7	2,021.00
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
		2014-15	3.6.2	2,446.00
			3.6.3	240.00
		2017-18	3.4	2,404.00
		2018-19	3.5	299.00
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.11	37,386.00
			3.20	84.64
		2015-16	3.18 (क)	41,715.00
			3.18 (ख)	1,077.00
		2017-18	3.17 क	16,086.00
			3.17 ख	1,972.00
			3.18.7 (i)	11,14,413.00
			3.18.7 (ii)	1,955.00
			3.18.10	4,678.00
			3.18.11 (i)	342.00
			3.18.11 (ii)	2,025.00
			3.18.11 (iii)	2,690.00
		2018-19	3.14.3.3	3,189.00
			3.14.3.4	713.00
			3.14.3.7	15,21,661.00
			3.14.3.8	1,314.00
			3.14.3.11	96.00
			3.14.4.3	1,122.00
			3.14.4.5	72.00
			3.15	561.00

豖.	प्रशासनिक विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि
स.	का नाम	का वर्ष	संख्या	(₹ लाख में)
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
	(जिला रेड क्रॉस सोसायटी)			
8.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25
9.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1.9.4	79.95
10.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
			2.2.8.6	10,182.00
			3.20	554.00
11.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
12.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	3.6	125.00
13.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	2018-19	2.1.8.3	11.56
			2.1.8.4 (i)	48.47
			2.1.8.5. (ii)	14.89
14.	स्कूल शिक्षा	2014-15	3.3	251.00
		2017-18	3.16.2.5	12.30
		2018-19	3.3	469.00
15.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2015-16	3.12.4.1	53.00
16.	तकनीकी शिक्षा	2018-19	2.1.8.4 (ii)	1.57
			2.1.8.6	78.91
17.	उच्च शिक्षा विभाग	2016-17	2.1.7.3	118.00
			2.1.8 (ख)	2,631.00
		2018-19	2.1.8.5 (i)	6.36
			2.1.8.10	1.52
			2.1.8.11	2.54
18.	गृह (जेल) विभाग	2016-17	2.2.7.3	112.00
19.	आवास	2018-19	3.9	41.00
20.	स्वास्थ्य विभाग	2017-18	3.6.2.6	543.00
21.	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	2018-19	2.1.8.8	85.86
22.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	2017-18	3.10	145.00
23.	वन	2018-19	3.7.4 (ii)	274.00
24.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का	2018-19	2.1.8.1	1,898.00
	कल्याण		2.1.8.2	965.00
			2.1.8.7	474.00
	कुल			28,57,080.67

परिशिष्ट 1.5 (संदर्भः अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 5)

31 मार्च 2022 तक सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति और कोपू की सिफारिशों के विवरण

豖.	ભો	क लेखा समिति			कोपू	
सं.	लोक लेखा समिति	लोक लेखा समिति	लंबित	लेखापरीक्षा	लंबित	कोपू की
	की रिपोर्ट संख्या	की रिपोर्ट का वर्ष	सिफारिशें	प्रतिवेदन	सिफारिशें	रिपोर्ट का वर्ष
1.	16 ^ਗ	1979-80	1	16 ^{वां}	1	1983-84
2.	22 ^{र्वी}	1984-85	2	19 ^{ਗਂ}	1	1984-85
3.	23 ^{ਥੀਂ}	1985-86	1	23 ^{वां}	3	1986-87
4.	25 ^{ਥੀਂ}	1986-87	1	35 ^{वां}	1	1992-93
5.	26 ^{ਥੀ}	1987-88	1	38 ^{वां}	1	1994-95
6.	32 ^{ਥੀ}	1990-91	1	41 ^{वां}	1	1996-97
7.	34 ^ਗ	1991-92	5	42 ^{वां}	1	1996-97
8.	36 ^ਗ	1992-93	4	43 ^{वां}	3	1997-98
9.	38 ^{वी}	1993-94	4	45 ^{वां}	14	2000-01
10.	40 ^{ਥੀ}	1994-95	4	47 ^{वां}	14	2000-01
11.	42 ^{र्वी}	1995-96	1	48 ^{वां}	10	2000-01
12.	44 ^{र्वी}	1996-97	7	49 ^{वां}	7	2001-02
13.	46 ^ਗ	1997-98	3	50 ^{ਥਾਂ}	4	2002-03
14.	48 ^{र्वी}	1998-99	1	51 ^{ਥਾਂ}	3	2003-04
15.	50 ^{ਥੀਂ}	2000-01	20	52 ^{वां}	7	2005-06
16.	52 ^ਗ	2001-02	7	53 ^{वां}	15	2006-07
17.	54 ^{ਥੀਂ}	2002-03	8	55 ^{वां}	6	2008-09
18.	56 ^ਗ	2003-04	11	56 ^{वां}	3	2009-10
19.	58 ^{fl}	2005-06	19	57 ^{वां}	6	2010-11
20.	60 ^{ਥੀਂ}	2006-07	24	58 ^{वां}	5	2011-12
21.	61 ^ਗ	2007-08	8	59 ^{वां}	10	2012-13
22.	62 ^{ਥੀਂ}	2007-08	16	60 ^{ਥਾਂ}	6	2013-14
23.	63 ^{ਥੀਂ}	2008-09	17	61 ^{वां}	10	2014-15
24.	64 ^{ਥੀਂ}	2009-10	8	62 ^{वां}	13	2015-16
25.	65 ^{ਥੀਂ}	2010-11	13	63 ^{वां}	15	2016-17
26.	67 ^{ਥੀਂ}	2011-12	18	64 ^{वां}	18	2017-18
27.	68 ^{ਥੀਂ}	2012-13	19	65 ^{ਥਾਂ}	7	2018-19
28.	70 ^{ਥੀਂ}	2013-14	21	66 ^{वां}	9	2019-20
29.	71 ^đ	2014-15	11	67 ^{वां}	18	2020-21
30.	72 ^{वीं}	2015-16	43	68 ^{वां}	20	2021-22
31.	73 ^{đi}	2016-17	60	कुल	232	
32.	74 ^đ	2016-17	39			
33.	75 ^{ff}	2017-18	39			
34.	77 ^đ	2017-18	34			
35.	79 ^đ	2018-19	42			
36.	80 ^{ਥੀਂ}	2019-20	34			
37.	81 ^ਗ	2020-21	54			
38.	82 ^ਗ	2021-22	72			
		कुल	673			

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भः अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 9)

मुख्य योजना एवं विकास कार्यालय द्वारा निदेशालय को भेजी गई अनुमोदित जिला योजना का विवरण

क्र.	जिला का	वर्ष के लिए स्वीकृत	देय	मुख्यालय को प्रस्तुत	दिनों में
सं.	नाम	जिला योजना	तिथि	करने की तिथि	देरी
1	अंबाला	2018-19	15 मार्च 2018	27 अगस्त 2018	165
			15 मार्च 2018	01 अक्तूबर 2018	200
			15 मार्च 2018	21 फरवरी 2019	343
		2019-20	15 मार्च 2019	21 अगस्त 2019	159
		2020-21	15 मार्च 2020	19 फरवरी 2021	341
2	फतेहाबाद	2018-19	15 मार्च 2018	03 अगस्त 2018	141
			15 मार्च 2018	24 सितंबर 2018	193
			15 मार्च 2018	11 फरवरी 2019	333
		2019-20	15 मार्च 2019	18 जुलाई 2019	125
		2020-21	15 मार्च 2020	18 जनवरी 2021	309
3	गुरुग्राम	2018-19	15 मार्च 2018	25 जून 2018	102
			15 मार्च 2018	19 नवंबर 2018	249
			15 मार्च 2018	26 फरवरी 2019	348
		2019-20	15 मार्च 2019	26 जुलाई 2019	133
		2020-21	15 मार्च 2020	01 जनवरी 2021	292
4	फरीदाबाद	2018-19	15 मार्च 2018	14 अगस्त 2018	152
			15 मार्च 2018	27 अक्तूबर 2018	226
			15 मार्च 2018	09 मार्च 2019	359
		2019-20	15 मार्च 2019	02 सितंबर 2019	171
		2020-21	15 मार्च 2020	06 अगस्त 2021	509
5	करनाल	2018-19	15 मार्च 2018	08 अगस्त 2018	146
		2018-19	15 मार्च 2018	21 नवंबर 2018	251
		2018-19	15 मार्च 2018	22 मार्च 2019	372
		2019-20	15 मार्च 2019	20 जून 2019	97
		2020-21	15 मार्च 2020	21 जनवरी 2021	312
6	भिवानी	2018-19	15 मार्च 2018	28 मई 2018	74
		2018-19	15 मार्च 2018	28 मई 2018	74
		2018-19	15 मार्च 2018	11 फरवरी 2019	333
		2019-20	15 मार्च 2019	28 फरवरी 2020	350
		2020-21	15 मार्च 2020	04 फरवरी 2021	326
7	चरखी दादरी	2018-19	15 मार्च 2018	07 सितंबर 2018	176
		2018-19	15 मार्च 2018	03 दिसंबर 2018	263
		2018-19	15 मार्च 2018	07 फरवरी 2019	329
		2019-20	15 मार्च 2019	प्रस्तुत नहीं किया	
		2020-21	15 मार्च 2020	प्रस्तुत नहीं किया	

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भः अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 11)

"जिला योजना" स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियों और किए गए व्यय का विवरण (₹ लाख में)

क्र.	जिला का	वर्ष	घटक का	जारी की	व्यय	व्यपगत	व्यपगत निधि
सं.	नाम		नाम	गई निधि		निधि	की प्रतिशतता
1	अंबाला	2018-19	सामान्य घटक	1,869.35	1,012.73	856.62	45.82
			एस.सी.एस.पी. घटक	1,246.24	625.12	621.12	49.84
		2019-20	सामान्य घटक	1,219.26	712.14	507.12	41.59
			एस.सी.एस.पी. घटक	899.45	519.33	380.12	42.26
2	भिवानी	2018-19	सामान्य घटक	1,875.68	1,651.15	224.53	11.97
			एस.सी.एस.पी. घटक	1,250.45	1,025.98	224.47	17.95
		2019-20	सामान्य घटक	1,007.81	746.71	261.10	25.91
			एस.सी.एस.पी. घटक	676.87	454.01	222.86	32.93
3	चरखी दादरी	2018-19	सामान्य घटक	832.13	324.81	507.32	60.97
			एस.सी.एस.पी. घटक	554.75	225.43	329.32	59.36
		2019-20	सामान्य घटक	491.69	80.57	411.12	83.61
			एस.सी.एस.पी. घटक	305.18	29.74	275.44	90.25
4	फरीदाबाद	2018-19	सामान्य घटक	2,998.20	1,178.70	1,819.50	60.69
			एस.सी.एस.पी. घटक	1,998.81	762.72	1,236.09	61.84
		2019-20	सामान्य घटक	1,980.72	1,146.53	834.19	42.12
			एस.सी.एस.पी. घटक	1,307.11	749.78	557.33	42.64
5	फतेहाबाद	2018-19	सामान्य घटक	1,560.64	1,182.98	377.66	24.20
			एस.सी.एस.पी. घटक	1,040.42	797.66	242.76	23.33
		2019-20	सामान्य घटक	838.54	652.37	186.17	22.20
			एस.सी.एस.पी. घटक	563.19	469.21	93.98	16.69
6	गुरूग्राम	2018-19	सामान्य घटक	2,508.97	1,088.91	1,420.06	56.60
			एस.सी.एस.पी. घटक	1,672.65	975.45	697.20	41.68
		2019-20	सामान्य घटक	1,566.16	1,178.18	387.98	24.77
			एस.सी.एस.पी. घटक	982.16	704.61	277.55	28.26
7	करनाल	2018-19	सामान्य घटक	2,493.89	1,895.74	598.15	23.98
			एस.सी.एस.पी. घटक	1,662.60	1,247.89	414.71	24.94
		2019-20	सामान्य घटक	1,339.97	804.44	535.53	39.97
			एस.सी.एस.पी. घटक	902.42	521.02	381.40	42.26
		कुल		37,645.31	22,763.91	14,881.40	

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 12)

जिला योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों का विवरण

l€ l	वर्ष	ब्लॉक/एमसी/कार्यकारी	गांव का नाम/वार्ड	घटक	कार्य का नाम	अनुमोदित राशि	कुल त्यय	टिप्पणियां
भ		द्वस् का गाम	नबर/गला नबर माद			(< 4)	(۲ ها)	
-	2018-19	एमसी अंबाला शहर	वार्ड नंबर 7	सामान्य	रड क्रॉस ऑफिस कोर्ट रोड के हॉल की पूर्णता	5,00,000.00	5,00,000.00	परिशिष्ट-III के अन्च्छेद-1 के अन्सार, सरकारी
N	2018-19	एमसी अंबाला शहर	वार्ड नंबर 7	सामान्य	हॉल ऑफ लिटिगेशन हॉल बार स्म एसीसिएशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पूर्णता	11,00,000.00	10,63,711.00	10,63,711.00 कार्यालय में या सरकारी कार्यालय की भूमि/परिसर तथा केंद्र और राज्य सरकारों, उनके विभागों, सरकारी एजेंसियों/संगठनों और सार्वजीनक क्षेत्र के उपक्रमों में विशेष रूप से हुडा सहित किसी भी प्रकार के कार्य केवल आधिकारिक उद्देश्य के उपयोग के लिए जिला योजना स्कीम के अंतर्गत अनुमित नहीं है। आगे, परिशिष्ट-॥ के अनुच्छेद 2 के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबंधित आधिकारिक और आवासीय अवनों में किसी भी प्रकार के कार्य की अनुमित नहीं है।
					<u> ज</u> ुल	16,00,000.00	15,63,711.00	
फतेहाबाद	बाद							
က	2018-19	भट्टू कलां	थुड्यां	सामान्य	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,16,752.00	दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 4.5 परिशिष्ट-॥ में उल्लिखित कार्यो/सामग्री की सूची प्रदान करता है
4		भूना	ढाणी सांचला	सामान्य	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,16,752.00	4,16,752.00 जो "जिला योजना" स्कीम के अंतर्गत अनुमत हैं जबकि परिशिष्ट-III में उल्लिखित कार्य/सामग्री
വ		भूना	गोरखपुर	सामान्य	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,16,752.00	जिला योजना स्कीम के अंतर्गत अनुमत नहीं हैं। अनुबंध-॥ के बिंदु संख्या (X) के अनुसार किसी भी
9		फतेहाबाद	राजाबाद	सामान्य	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,16,752.00	प्रकार की खेल सामग्री की खरीद वाजेत हैं। जिला योजना दिशानिदेशों के परिशिष्ट-III के बिंदु 4 के
7		फतेहाबाद	बरसीन	सामान्य	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,16,752.00	अनुसार था।मक पूजा स्थला क भातर आर था।मक आस्था/समूह से संबंधित या स्वामित्व वाली भूमि गर चित्रा भोजना किशानिर्द्धकों से अंतर्गत बार्स बार्
∞		फतेहाबाद	बडोपाल	सामान्य	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला) सीएम बडोपाल	4,25,000.00	4,16,752.00	
6		फतेहाबाद	ढाणी बिंजा लांबा	सामान्य	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झ्ला)	4,25,000.00	4,16,752.00	

टिप्पणियां																		
कुल व्यय	(₹ में)	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00
अनुमोदित राशि	(₹ में)	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00
कार्य का नाम		सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)-2 वार्ड नंबर 7	सरकारी प्राथमिक स्कृत में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)वार्ड नंबर 5	जीपीएस टोहाना मंडी में सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी गल्म प्राइमरी स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला) वार्ड नंबर 18
घटक		सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य
गांव का नाम/वार्ड	नंबर/गली नंबर आदि	भोडिया खेड़ा	धरनिया	अहली सदर	एमपी रोही 1	तलवाड़ी	भट्ट् खुर्द	ढाका ढाणी	चंदो कलां	डांगरा	अमनी	अकांवाली	चंदर कलां	मुंडालियां	भूना शहर	जाखल शहर	टोहाना शहर	टोहाना शहर
ब्लॉक/एमसी/कार्यकारी	एजेंसी का नाम	फतेहाबाद	फतेहाबाद	फतेहाबाद	फतेहाबाद	जाखल	नागपुर	नागपुर	रतिया	टोहाना	टोहाना	टोहाना	टोहाना	टोहाना	भूना एमसी	जाखल एमसी	टोहाना एमसी	टोहाना एमसी
अ.	म <u>ं</u>	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

टिप्पणियां																		
कृल ट्यय	्रह में)	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00
अनुमोदित राशि	् (₹ में)	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00
कार्य का नाम		सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी गल्से प्राइमरी स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी गल्से प्राइमरी स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कृल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कृत में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ते सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कृल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कृत में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्सड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)
घटक		एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी
गांव का नाम/वार्ड	नंबर/गली नंबर आदि	खाबरा कलां	भट्ट् मंडी	बनमंधौरी	िटब्बी	बोसवाल	ढाणी माजरा	अयाल्कि	चिंदर	शकरपुरा	चांदपुरा	दाद्पुर	भदोलांवाली	बहबलपुर	मानकपुर	जाखन दादी	लाली	रताथे
ब्लॉक/एमसी/कार्यकारी	एजेंसी का नाम	भट्टू कलां	भट्टू कलां	भट्टू कलां	भूना	फतेहाबाद	फतेहाबाद	फतेहाबाद	फतेहाबाद	जाखल	जाखल	नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर	रतिया	रतिया	टोहाना
वर्ष	,	7	8	6	0		2	က	4	2	9	7	∞	6	0	_	2	3
18	Ħ	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

टिप्पणियां																		
कुल व्यय	(₹ में)	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,16,752.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00	4,15,700.00
अनुमोदित राशि	(₹ में)	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00	4,25,000.00
कार्य का नाम		सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिकस्ड चिल्ड्न मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	जीपीएस नंबर 1 वार्ड नंबर 21 में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला) वार्ड नंबर 23	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला) वार्ड नंबर 17	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला) वार्ड नंबर 9	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)
घटक		एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	एससीएसपी						
गांव का नाम/वार्ड	नंबर/गली नंबर आदि	जमालपुर शेखां (पॉलीवाला खोटा)	फतेहाबाद शहर	फतेहाबाद शहर	रतिया शहर	रतिया शहर	धिंगसर	भूतां खुर्द	सालम खेड़ा	भरपुर	नन्हेड़ी	बोडीवाली	मेहुवाला	ढाणी गोपाल	बुवां	ढाणी तलीवाली	दौलतपुर	चांदपुरा
ब्लॉक/एमसी/कार्यकारी	एजेंसी का नाम	टोहाना	फतेहाबाद एमसी	फतेहाबाद एमसी	रतिया एमसी	रतिया एमसी	भट्टू कलां	भूना	फतेहाबाद	रतिया	टोहाना	भट्टू कलां	भट्टू कलां	भूना	भूना	फतेहाबाद	फतेहाबाद	जाखल
. वर्ष	,.	4	5	9	7	89	9 2019-20	0		2	3	4	10	(0	7	8	0	C
160	Ħ	44	45	46	47	48	49	20	51	52	53	54	22	56	57	28	29	09

l s	a	ब्लॉक/एमसी/कार्यकारी	गांव का नाम/वाई	मटक	कार्य का नाम	अनुमोदित राशि	कुल व्यय	टिप्पणियां
#		एजेंसी का नाम	नंबर/गली नंबर आदि			(₹ में)	(₹ में)	
61		नागपुर	चनकोठी	एससीएसपी	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,15,700.00	
62		रतिया	नागल	एससीएसपी	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,15,700.00	
63		रतिया	बादलगढ़	एससीएसपी	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,15,700.00	
64		रतिया	लधुवास	एससीएसपी	सरकारी प्राथमिक स्कूल में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,15,700.00	
65		टोहाना	समैन	एससीएसपी	जीपीएस बी/बी में आउटडोर फिक्स्ड चिल्डून मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (झूला)	4,25,000.00	4,15,700.00	
99	2018-19	भूना एमसी	भूना शहर	सामान्य	राम लीला ग्राउंड वार्ड नंबर 11 के पास पीर में निर्माण कार्य	1,00,000.00	99,863.00	
67	2018-19	रतिया	अहेरवान	एससीएसपी	पीर दरगाह में शेड	3,00,000.00	2,90,775.00	
					कुल	2,71,75,000.00	2,66,28,130.00	
गुरुग्राम	म							
89	2018-19	एमसी सोहना	वार्ड नंबर 18		ओपन जिम उपलब्ध कराना और लगवाना	9,90,000.00	9,90,000.00	9,90,000.00 परिशिष्ट-॥ के बिंदु संख्या (X) के नोट के अनुसार,
69		एमसी पटौदी	वार्ड नंबर 1		झूला, साइड और स्विंग के अन्य सामान उपलब्ध कराना और लगाना एमसी शिव पार्क हैली मंडी रोड	7,00,000.00	6,40,497.00	किसी भी प्रकार की खेल सामग्री की खरीद निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट-III के बिंदु संख्या 9
70			वार्ड नंबर 10		झूला, साइड और स्विंग के अन्य सामान उपलब्ध कराना और लगाना एमसी मोती डूंगरी के पास शिव पार्क	8,00,000.00	6,40,497.00	एवं 17 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत सभी चल वस्तुओं, किसी भी प्रकार के वाहन, मशीनरी, उपकरण की खरीद की अनुमति नहीं है।
					कुल	24,90,000.00	22,70,994.00	
करनाल	ত							
71	2018-19	असंध	बस्सी	सामान्य	खेड़ा परिसर में चारदीवारी एवं आईपीबी ब्लॉक का निर्माण	3,00,000.00	2,98,369.00	खेड़ा एक धार्मिक पूजा स्थल है जो जिला योजना दिशानिदेशों के अंतर्गत नहीं आता है
72	2018-19	इंदी	तोसांग	सामान्य	वृद्धा आश्रम की पूर्णता	3,34,000.00	3,24,564.00	वृद्धा आश्रम को जिला योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है
73	2018-19	नीलोखेड़ी	संधीर	सामान्य	खेड़ा पट्टी चौपाल का निर्माण	2,50,000.00	1,96,869.00	खेड़ा एक धार्मिक पूजा स्थल है जो जिला योजना दिशानिदेशों के अंतर्गत नहीं आता है
74	2018-19	निसिंग	संभति	सामान्य	ब्रहम कुमारी आश्रम के पास वृद्धाश्रम की पूर्णता	4,00,000.00	3,55,495.00	वृद्धा आश्रम को जिला योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है
					<u>क</u> त	12,84,000.00	11,75,297.00	
भिवानी	乍							
75	2018-19	बी. खेडा	जमालपुर	एससीएसपी	जीजीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	

	唐	∰	गांव का नाम/वार्ड	घटक	कार्य का नाम	अनुमोदित राशि	कुल व्यय भ	टिप्पणियां
		एजसी का नाम	नबर/गली नबर आदि			(₹ म)	(₹ म)	
20.	2018-19	बी. खेड़ा	बलियालि	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	सरकारी शिक्षण संस्थानों में केवल भवन, नए कमरे,
20.	2018-19	बी. खेड़ा	खेड़ी दौलतपुर	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	लिए
20	2018-19	बी. खेड़ा	रतेड़ा	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	वाल और शौचालय आदि का विस्तार। सरकारी
20.	2018-19	बी. खेड़ा	सिप्पर	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	शिक्षण सस्थानों में छात्रों के लिए पाकिंग शैंड आदि
20.	2018-19	बी. खेड़ा	सिवाड़ा	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	के अनुमात है।
20.	2018-19	बी. खेड़ा	नाथ्वास	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	सरकारी शिक्षण संस्थानों में केवल भवन, नए कमरे,
20.	2018-19	बी. खेड़ा	मुंढाल कलां	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	हॉल, मध्याहन भोजन के लिए रसोई/भंडार/बाउंड्री
20.	2018-19	बी. खेड़ा	जटाई	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	वाल और शौचालय आदि का विस्तार। सरकारी
20.	2018-19	बी. खेड़ा	कालुवास	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	शिक्षण सस्थानों में छात्रों के लिए पाकिंग शेंड आदि
20.	2018-19	बी. खेड़ा	मंढाना	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	के अनुमात है।
20.	2018-19	बी. खेड़ा	मिठाल	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	बी. खेड़ा	मुंढाल खुर्द	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	भिवानी	निनान	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	भिवानी	<u> नंदगांव</u>	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	भिवानी	भिवानी नंबर 2	एससीएसपी	जीजीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	बी. खेड़ा	प्रेम नगर	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	भिवानी	सांगा	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	बी. खेड़ा	तालु	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	बी. खेड़ा	तिगड़ाना	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	भिवानी	उमरावत	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	तोशाम	चंडावास	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	सरकारी शिक्षण संस्थानों में केवल भवन, नए कमरे,
20.	2018-19	तोशाम	देवराला	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	हॉल, मध्याहन भोजन के लिए रसोई/भंडार/बाउंड्री
20.	2018-19	तोशाम	कैरू	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	वाल और शौचालय आदि का विस्तार। सरकारी
20.	2018-19	तोशाम	खडियावास	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	शिक्षण सस्थाना म छात्रा क लिए पाक्रम शह आदि
20	2018-19	तोशाम	लेहगां	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	का अनुमात हा
20.	2018-19	लोहारू	लोहारू	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	लोहारू	फातिया भीमा	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	लोहारू	झुपा कलां	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	लोहारू	बिठान	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	लोहारू	हसनपुर	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	लोहारू	गोथड़ा	सामान्य	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
20.	2018-19	लोहारू	झुप्पा खुर्द	सामान्य	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	

l s	विक	ब्लॉक/एमसी/कार्यकारी	गांव का नाम/वार्ड	घटक	कार्य का नाम	अनुमोदित राशि	क्ल व्यय	टिप्पणियां
'		एजेंसी का नाम	नंबर/गली नंबर आदि			(₹ में)	(₹ में)	
108	2018-19	लोहारू	ढाणी ढोला	सामान्य	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
109	2018-19	लोहारू	समसावास	सामान्य	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
110	2018-19	लोहारू	चाहर कलां	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
111	2018-19	लोहारू	मंदोली कलां	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
112	2018-19	भिवानी	पुलिस लाइन पार्क	सामान्य	चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
113	2018-19	लोहारू	दरियापुर	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
114	2018-19	लोहारू	ढाणी भाकड़ा	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
115	2018-19	लोहारू	लिलुस	एससीएसपी	जीजीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
116	2018-19	लोहारू	मोरका	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
117	2018-19	तोशाम	आलमपुर	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
118	2018-19	तोशाम	झूली	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
119	2018-19	तोशाम	खनक	एससीएसपी	जीपीएस (एलईपी) में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
120	2018-19	तोशाम	थिलोर	एससीएसपी	जीपीएस में चिल्ड्रेन मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम (फिक्स्ड)	4,20,000.00	4,19,950.00	
121	2019-20	लोहारू	बिधनोई	एससीएसपी	चारदीवारी और अम्बेडकर चौक का निर्माण	8,00,000.00	7,14,963.00	चौक डी-प्लान के अंतर्गत नहीं आता है
122	2019-20	बी खेड़ा	तिगड़ाना	सामान्य	स्टेडियम के निकट आईपीबी के साथ चौक का निर्माण/ सामान्य चौक	8,00,000.00	10,01,823.00	
123	2019-20	सिवानी	घंगाला	सामान्य	राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने आईबीपी से चौक का निर्माण	6,50,000.00	6,49,924.00	
					कुल	2,15,70,000.00	2,16,84,410.00	
फरीदाबाद	ाबाद							
124	2018-19				सैनी चौपाल मरम्मत, सर्रोरपुर	4,29,000.00	3,88,000.00	
125	2018-19				गथन चौपाल मरम्मत, पन्हेड़ा खुर्द	6,36,000.00	2,78,000.00	
126	2018-19				सैनी चौपाल मरम्मत, वार्ड 29	8,00,000.00	7,80,000.00	
127	2018-19				सेक्टर 8 बायपास रोड के साइड एरिया, बैक साइड की बाउंड्री वॉल की मरम्मत	3,00,000.00	3,00,000.00	
128	2018-19				एससी चौपाल, काबुलपुर बांगड़ की मरम्मत	2,00,000.00	1,52,000.00	
					कुल	23,65,000.00	18,98,000.00	
					कुल योग	5,64,84,000.00	5,52,20,542.00	

परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ: अनुच्छेद 2.9; पृष्ठ 16)

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.9; पृष्ठ 16) अन्य कार्यों के साथ बदले गए कार्यों की सूची

										≥)	(₹ लाख मे)
l s	जिला	वर्ष	कार्यकारी	योजना	ग्राम	मूल	मूल कार्य	बदला गया	बदले गए कार्य की	संशोधित कार्य	बचत
स			एजेंसी			कार्य	की राशि	कार्य	संस्वीकृत राशि	पर व्यय	
-	गुरुग्राम	2019-20	गुरुग्राम (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)	एससीएसपी	नवादा	तालाब का नवीकरण	25.00	संग्रहण टैंक, सेल्टर और स्क्रीन चैंबर	9.65	8.22	1.43
2		2019-20	पटौदी (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)	सामान्य	बोहरा कलां	तालाब का नवीकरण	25.00	फुटपाथ	5.70	3.84	1.86
က								वाटरबॉडी और गेट के चारों ओर पी/एफ चेन लिंक बाइ लगाना	7.07	2.94	4.13
4								आरसीसी ड्रेन पाइप रखना	3.60	1.57	2.03
D.		2019-20	पटौदी (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)	सामान्य	पलसोली	तालाब का नवीकरण	25.00	आरसीसी में स्क्रील चेंबर, सेल्टर टैंक और फाइटीरेड बेड की नींव	5.44	2.68	2.76
9		2019-20	पटौदी (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)	सामान्य				आरसीसी में रूफ स्लेब, वरिकल वॉल और स्क्रीन चैंबर की बीम, सेल्टर टैंक और फाइटोरिड बेड का निर्माण	8.96	4.38	4.58
7		2019-20	पटौदी (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)	एससीएसपी मौजाबाद	मौजाबाद	तालाब का नवीकरण	25.00	आरसीसी में स्क्रीन चैंबर, सेल्टर टैंक और फाइटोरिड बेड का निर्माण	66.6	8.77	1.22
∞								माइल्ड स्टील ग्रिल, फुटपाथ का पी/एफ	5.92	5.09	0.83
6		2019-20	पटौदी (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)	एससीएसपी	बिलासपुर	तालाब का नवीकरण	25.00	आरसीसी में स्क्रीन चेंबर, सेल्टर टैंक और फाइटोरिड बेड की नींव	5.44	4.69	0.75
10								आरसीसी में रफ स्लैब, वरिकल वॉल और स्क्रीन चैंबर की बीम, सेल्टर टैंक और फाइटोरिड बेड का निर्माण	8.96	8.95	0.01
<u></u>								टैंक की वाटर प्रूफिंग, एसटीपी के लिए फिल्टर मीडिया बिछाना	9.62	9.58	0.04
12		2019-20	फारुख नगर (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)	एससीएसपी	इकबालपुर	तालाब का नवीकरण	25.00	आरसीसी में टाइल्स के साथ फुटपाथ का निर्माण	96.6	9.87	60.0

बचत		0.25	0.59	0.15	0.02	00.00	2.71	0.10	3.30	1.39	2.12	1.69	3.23	2.84	0.82
संशोधित कार्य	पर व्यय	9.70	02'0	5.29	8.94	9.62	3.67	96.0	6.49	6.24	3.84	5.94	6.56	2.54	1.49
बदले गए कार्य की	संस्वीकृत राशि	9:95	1.29	5.44	8.96	9.62	6.38	1.06	9.79	7.63	96'5	7.63	9.79	5.38	2.31
बदला गया	कार्य	चेन लिंक फेंसिंग, आरसीसी बैच और लैंडस्केपिंग	आरसीसी कनेक्टिंग पाइप्स और आरसीसी बेंच	आरसीसी में स्क्रीन चैंबर, सेल्टर टैंक और फाइटोरिड बेड की नींव	आरसीसी में रूफ स्लैब, वर्टिकल वॉल और स्क्रीन चेंबर की बीम, सेल्टर टैंक और फाइटोरिड बेड का निर्माण	टैंकों की वाटर पूफिंग, एसटीपी के लिए फिल्टर मीडिया बिछाना	वाटरबॉडी और गेट के चारों ओर पी/एफ चेन लिंक बाड़ लगाना	आरसीसी ड्रेन पाइप रखना	आसीसी में स्क्रीन चैंबर, सेल्टर टैंक और फाइटोरिड बेड का निर्माण	टैंक का वाटर पूफिंग, फिल्टर मीडिया बिछाना और एसटीपी के लिए पाइपलाइन की खाइयों को वापस भरना	माइल्ड स्टील ग्रिल, फुटपाथ का पी/एफ	टॅंक की वाटर पूफिंग, एसटीपी के लिए फिल्टर मीडिया बिछाना	आरसीसी में स्क्रीन चैंबर, सेल्टर टैंक और फाइटोरिड बेड का निर्माण	माइल्ड स्टील ग्रिल, फुटपाथ का पी/एफ	फिरनी से संदीप के घर तक रास्ते का निर्माण
मूल कार्य	की राशि			25.00			25.00	25.00				25.00			2.31
मूल	कार्य			तालाब का नवीकरण			तालाब का नवीकरण	तालाब का नवीकरण				तालाब का नवीकरण			सरमथला में स्कूल के चारदीवारी और गेट का निर्माण
ग्राम				ताज नगर			हरचंदपुर	हरिया हेड़ा				दौला			अलीपुर
योजना				एससीएसपी			सामान्य	एससीएसपी				एससीएसपी			सामान्य
कार्यकारी	एजेंसी			फारुख नगर (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)			सोहना (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)	सोहना (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)				सोहना (कार्यकारी अभियंता-पंचायती राज)			सोहना
वर्ष				2019-20			2019-20	2019-20				2019-20			2019-20
जिला															
l s	д .	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

l s.	जिला	वर्ष	कार्यकारी	योजना	ग्राम	मूंब	मूल कार्य	ৰ নলা স্থা	बदले गए कार्य की	संशोधित कार्य	बचत
·#;			एजेंसी			कार्य	की राशि	कार्य	संस्वीकृत राशि	पर व्यय	
27		2019-20	पदोदी	सामान्य	लोचबका	लोकड़ा कापड़ीवास रोड से होशियार सिंह के घर तक बस बटोदा रोड लोकरी तक रास्ते का निर्माण	4.49	पीडब्ल्य्डी रोड से खजान यादव के घर तक सड़क का निर्माण	4.49	3.61	0.88
28		2019-20	गुरुग्राम	सामान्य	शिकोहपुर	शमशान घाट वजीरपुर के रास्ते का निर्माण	6.27	मशान घाट की चारदीवारी एवं शेड को पूर्ण करना	6.27	4.28	1.99
29 F	फतेहाबाद		नागपुर	सामान्य	मूसा अली	गुरुद्वारा के पास शेड		शमशान घाट के पास शेड	2.00	2.00	0.00
30 4	करनाल	2018-19	नगर निगम करनाल	एससीएसपी	करनाल			अम्बेडकर चौक का सींदर्यीकरण	10.00	8.44	1.56
31			घरौंडा	एससीएसपी	बसतड़ा			सैन चौपाल करनाल को पूर्ण करना	3.00	2.94	90.0
32			कुंजपुरा	एससीएसपी	घीड			अम्बेडकर भवन का निर्माण	3.00	2.90	0.10
33			इंद्री		जनोसरा			बाल्मीकि चौपाल का निर्माण	3.00	2.67	0.33
34			करनाल		मोहिदीपुर			बाल्मीकि चौपाल का जीर्णोद्धार	2.00	2.02	2.98
35			नगर निगम करनाल	सामान्य	करनाल			सामुदायिक केन्द्र, वार्ड नंबर 6 में आईएलपीबी उपलब्ध कराना एवं बिछाना	10.00	9.97	0.03
36			असंध	सामान्य	अछनपुर			आंगनवाड़ी की चारदीवारी का निर्माण	1.50	1.47	0.03
37			असंध	सामान्य	अछनपुर			सामान्य चौपाल का निर्माण	3.00	2.43	0.57
38			घरौंडा	सामान्य	भरतपुर			पीडब्ल्यूडी रोड से तालाब भरतपुर तक गली का निर्माण	2.00	0.72	4.28
39			मुनक	सामान्य	शेखपुरा मुनक			जीएसएसएस में मार्ग का निर्माण	2.00	4.50	0.50
40			घरौंडा	सामान्य	गुडा			स्टेडियम की चारदीवारी का निर्माण	8.00	06.9	1.10
41			कुंजपुरा	सामान्य	जडोली			पाल चौपाल को पूर्ण करना	2.00	4.04	96.0
42			करनाल	सामान्य	रुक्कनपुर			शमशान शेड का निर्माण	2.00	2.00	0.00
43		2019-20	नगर निगम करनाल	सामान्य				सेक्टर-6 वार्ड नंबर -8 में बास्केट बॉल मैदान का निर्माण	3.00	1.56	1.44
44			नगर निगम करनाल					नेशनल हाईवे सेक्टर 6 कॉर्नर वार्ड नंबर 8 पर पार्को का विकास	2.00	1.98	0.02
45			नगर निगम करनाल					शिव कॉलोनी वार्ड नंबर 17 में गली का निर्माण	12.00	4.37	7.63

कार्य

बचत		0.24	0.03	0.03	0.26	3.41	1.42	1.06	3.25	6.53	1.02	0.42	0.79	0	0.11	0
संशोधित कार्य	पर व्यय	66'9	8.43	8.43	2.24	1.59	3.58	1.94	0.75	1.47	1.98	0.35	2.21	4.00	8.39	3.00
बदले गए कार्य की	संस्वीकृत राशि	6.23	8.46	8.46	2.50	5.00	5.00	3.00	4.00	8.00	3.00	0.77	3.00	4.00	8.50	3.00
बदला गया	कार्य	ओंकार से निसिंग दाचेर मुख्य मार्ग तक गली का निर्माण	समाना बहू के पास रेट्रो रिफ्लेक्टिव वेलकम गेट 6 लेन एनएच-1 का निर्माण	कोहांद के पास रेट्रो रिफ्लेक्टिव वेलकम गेट 6 लेन एनएच-1 का निर्माण	एससी चौपाल का निर्माण	एससी चौपाल का निर्माण	जगदीश के घर से सत्यवंत के घर तक आईपीबी गली	आईपीबी रास्ता डगडोली सीम से प्राइमरी स्कूल	शमशान घाट का निर्माण	शमशान घाट हाल का निर्माण	स्टेडियम के रास्ते का निर्माण	जीगिंदर के घर से एक्स डीएसपी के घर तक आईपीबी गली	राजेंदर पुत्र गंगा राम के घर तक आईपीबी गली फिरिनी	पार्क का सौंदर्यीकरण/विकास/निर्माण कार्य	ट्यूबवेल की स्थापना डी3 ब्लॉक	सड़क किनारे क्षेत्र की मरम्मत एवं चारदीवारी
मूल कार्य	की राशि															
मूल	कार्य															
ग्राम					बाढड़ा	बाढडा	दादरी	बाढड़ा	दादरी	बाढड़ा	दादरी	दादरी	दादरी	मकान नंबर 50/11सी	शिव दुर्गा विहार	सैक्टर 8 के पीछे, बाई पास रोइ
योजना					एससी	एससी	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	एससी	सामान्य	एससी	एससीएसपी	एससीएसपी	एससीएसपी
कार्यकारी	एजेंसी	प्रेम खेड़ा	नगर निगम करनाल	नगर निगम करनाल	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज)	एसएसए	एनके	क्सक्सक
वर्ष					2018-19									2019-20		
जिला					चरखी दादरी									फरीदाबाद		
l s	争	75	76	77	78	79	80	28	82	83	84	85	98	87	88	68

I s	जिला	वर्ष	कार्यकारी	योजना	ग्राम	मूंब	मूल कार्य	ৰহুলা গ্ৰ্যা	बदले गए कार्य की	संशोधित कार्य	बचत
神			एजेंसी			कार्य	की साशि	कार्य	संस्वीकृत राशि	पर व्यय	
06			एसएसए	एससीएसपी				इंटरलॉकिंग टाइल कार्य एवं निर्माण कार्य	3.00	3.00	0
					इडस्ट्रियल एरिया, प्लॉट नंबर 36/37 . के पीछे						
91			एचटीसी	एससीएसपी	इंद्रा नगर (एससी)			दो मिनी बोर की स्थापना	8.50	7.94	0.56
92			एचटीसी	एससीएसपी	वाई 35			ट्यूबवेल की स्थापना	8.00	7.70	0.30
93			एचटीसी	एससीएसपी	वाई-35			ट्यूबवेल की स्थापना	7.50	7.27	0.23
94			एचटीसी	एससीएसपी	वाई-38			2 मिनी ट्यूबवेल की स्थापना	7.00	5.63	1.37
92			एनके	एससीएसपी	वाई-37			2 मिनी ट्यूबवेल की स्थापना	7.23	6.03	1.20
96			एचटीसी	एससीएसपी	वाई-21			आरएमसी का पी/एल	08.6	9.53	0.27
6			एचटीसी	एससीएसपी	वार्ड-19			दयाल बाग में आरएमसी का पी/एल	06'6	98'9	3.54
86			एसएसए	एससीएसपी	मकान नंबर 2164/8			पार्क का विकास एवं सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य	3.00	3.00	0.00
66			एसएसए	एससीएसपी	मकान नंबर 2234/8			पार्क का विकास एवं सींदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य	3.00	3.00	0.00
100			एसएसए	एससीएसपी	मकान नंबर 411/11डी दीन बंधु छोट्र राम पार्क			पार्क का विकास एवं सींदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य	3.00	3.00	0.00
101			एसएसए	एससीएसपी	मकान नंबर जे-87/10			शौचालय का निर्माण	2.00	2.00	0.00
102			एसएसए	एससीएसपी	मकान नंबर -1887/08			पार्क और चारदीवारी का विकास और निर्माण	2.00	2.00	00.00
103			क्सक्सक	एससीएसपी	मकान नंबर 1881/08			पार्क और चारदीवारी का विकास और निर्माण	2.00	2.00	0.00
104			क्सक्सक	एससीएसपी	मकान नंबर 2340/8			पार्क और चारदीवारी का विकास और निर्माण	3.00	3.00	0.00
105			क्सक्सक	एससीएसपी	मकान नंबर 59/8			पार्क का निर्माण कार्य एवं विकास	2.00	2.00	0.00
106			एसएसए	एससीएसपी	मकान नंबर 2325/8			पार्क का सौंदर्यीकरण एवं विकास	2.00	1.86	0.14
107			एसएसए	एससीएसपी	सैक्टर-15			1096 के सामने पार्क का विकास	6.50	6.50	0.00
108			एचटीसी	एससीएसपी	वाई-07			आईएलटी धोबी वाली गली	3.10	3.02	0.08
109			एसएसए	एससीएसपी	सैक्टर-15			एपीजे स्कूल के सामने पार्क का विकास	2.00	2.00	0.00
110			एचटीसी	सामान्य	वाई 37			भगत सिंह कॉलोनी में सीवर लाइन	4.50	3.64	0.86
111			एचटीसी	सामान्य	वार्ड-37			गायनी मंदिर के पास आरएमसी रोड का निर्माण	7.50	7.47	0.03
112			एचटीसी	सामान्य	वाई-38			ट्यूबवेल की स्थापना	8.00	7.64	0.36

। संशोधित कार्य पर ज्यय	9.25 0.25	3.41 0.09	3.41 0.09		2.00	2.00	2.00	7.00	5.00	2.000	2.000	2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00	2.00	2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00	2.00 2.00 3.00 3.00	2.00 3.00 1.99	2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
बदले गए कार्य की संस्वीकृत राशि	9.50	3.50	3.50	2.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00 5.00 2.00 3.00	5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3	5.00	5.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2
बदला गया कार्य	पी/एल आरएमसी	गुरुद्वारा के पास आईएलटी	गुरुद्वारा सिंह सभा वाली गली में आईएलटी	नी ट्यूबवेल की स्थापना		नया पैदल पथ	ग्रा पैदल पथ	नया पैदल पथ विकास और पार्क का निर्माण एवं सौँदर्यीकरण	ग पैदल पथ कास और पार्क का निर्माण एवं सींदर्यीकरण म में कुछ सी.टाइल इंटरलॉकिंग टाइलों के	ग पैदल पथ कास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण मि में कुछ सी.टाइल इंटरलॉकिंग टाइलों के छे की और और पैदल पथ की मरम्मत	ग पैदल पथ कास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण मि में कुछ सी.टाइल इंटरलॉकिंग टाइलों के छे की और और पैदल पथ की मरम्मत	नया पैदल पथ विकास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण जिम में कुछ सी.टाइल इंटरलोंकिंग टाइलों के पीछे की ओर और पैदल पथ की मरम्मत पैदल पथ का निर्माण/मरम्मत कार्य	ग पैदल पथ कास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण मि में कुछ सी.टाइल इंटरलॉकिंग टाइलों के छे की ओर और पैदल पथ की मरम्मत हत पथ का निर्माण/मरम्मत कार्य	नया पैदल पथ विकास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण जिम में कुछ सी.टाइल इंटरलोंकिंग टाइलों के पीछे की ओर और पैदल पथ की मरम्मत पैदल पथ का निर्माण/मरम्मत कार्य पार्क का विकास, नया पैदल पथ	गा पैदल पथ कास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण मि में कुछ सी.टाइल इंटरलॉकिंग टाइलों के छे की और और पैदल पथ की मरम्मत रेल पथ का निर्माण/मरम्मत कार्य के का विकास, नया पैदल पथ के के बाहर इंटरलॉकिंग का कार्य	नया पैदल पथ विकास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण जिम में कुछ सी.टाइल इंटरलॉकिंग टाइलों के पीछे की ओर और पैदल पथ की मरम्मत पैदल पथ का निर्माण/मरम्मत कार्य पार्क का विकास, नया पैदल पथ पार्क के बाहर इंटरलॉकिंग का कार्य	ण पैदल पथ कास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण मि में कुछ सी.टाइल इंटरलॉकिंग टाइलों के छे की ओर और पैदल पथ की मरम्जत त्व पथ का निर्माण/मरम्मत कार्य के का विकास, नया पैदल पथ के का बाहर इंटरलॉकिंग का कार्य के का निर्माण	नया पैदल पथ विकास और पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण जिम में कुछ सी.टाइल इंटरलॉकिंग टाइलों के पीछे की ओर और पैदल पथ की मरम्मत पैदल पथ का निर्माण/मरम्मत कार्य पार्क का विकास, नया पैदल पथ पार्क का निर्माण
म्ल कार्य की राशि	मी/प	नोंक्ट	नोंक्ट	मिनी		नया	नया	नया विक्	नया विका		मु विभ्र	न न न न न न न न न न न न न न न न न न न	न न न न न न न न न न न न न न न न न न न	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	नया जिम पिदल पार्क			
मूल कार्य																		
ग्राम	वाई-21	वाई-7	वाई-7	बी.के. अस्पताल		992/15, गीता मंदिर के	992/15, गीता मंदिर के पास	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15,	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेयरी	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेयरी वाला पार्क)	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेयरी वाला पार्क)	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेयरी वाला पार्क) मकान नंबर 329,	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेपरी वाला पार्क) मकान नंबर 329, सैक्टर7ए	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेथरी वाला पार्क) मकान नंबर 329, सेकटर7ए मकान नंबर 472/10	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेयरी वाला पार्क) मकान नंबर 329, सैक्टर/ए मकान नंबर 472/10 मकान नंबर 1379/15	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेयरी वाला पार्क) मकान नंबर 329, सैक्टर7ए मकान नंबर 472/10 मकान नंबर 1379/15	992/15, गीता मंदिर के पास 555/51ए 1574/15, 1580/15, 925/15 (मदर डेयरी वाला पार्क) मकान नंबर 329, सैक्टर7ए मकान नंबर 1379/15 मकान नंबर 2730, सेक्टर 7ए, फरीदाबाद
योजना	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य		सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य सामान्य सामान्य	सामान्य सामान्य	सामान्य सामान्य	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	सामान्य	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	सामान्य
कार्यकारी एजेंसी	एचटीसी	एचटीसी	एचटीसी	एसएसए		क्सवसव	एसएसए	एसएसए	एसएसए एसएसए एसएसए	एसएसए एसएसए एसएसए	एसएसए एसएसए एसएसए	एसएसए एसएसए एसएसए	एसएसए एसएसए एसएसए	एसएसए एसएसए एसएसए एसएसए	एसएसए एसएसए एसएसए एसएसए	एसएसए एसएसए एसएसए एसएसए एसएसए	पसपसप पसपसप पसपसप पसपसप पसपसप पसपसप	एसएसए एसएसए एसएसए एसएसए एसएसए
व																		
जिला																		
대 원	113	114	115	116		117	117	117	118	118	118	1118 1119 120	119 120	1118 1119 120	117 119 120 121	117 118 120 122 123	117 118 120 121 123	117 118 119 120 122 123

परिशिष्ट 3.1 (संदर्भः अनुच्छेद 3.5.1; पृष्ठ 28)

वित्त विभाग के निर्देशानुसार मांगे जाने वाले बजट के विरूद्ध आबंटित बजट का विवरण (₹ करोड़ में)

नगर निगम का नाम	वर्ष	वित्त विभाग के निर्देशानुसार मांगा जाने वाला बजट	वित्त विभाग द्वारा आबंटित बजट	बजटीय आवश्यकता का कम मूल्यांकन
ए	बी	सी	डी	ई= सी-डी
गुरुग्राम	2016-17	1021.46	191.57	829.98
	2017-18	1143.50	769.88	373.62
	2018-19	992.18	310.66	681.52
	2019-20	1472.99	218.79	1254.20
	2020-21	1979.96	923.56	1056.40
रोहतक	2016-17	26.64	18.97	7.65
	2017-18	29.71	24.28	5.43
	2018-19	37.22	26.26	10.96
	2019-20	51.11	19.65	31.46
	2020-21	67.31	68.36	-1.05
यमुनानगर	2016-17	17.49	15.66	1.83
	2017-18	9.93	14.60	- 4.67
	2018-19	14.73	20.94	-6.21
	2019-20	18.11	17.59	0.52
	2020-21	17.56	7.08	10.48

परिशिष्ट 5.1 (संदर्भः अनुच्छेद 5.7; पृष्ठ 67)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा में संवीक्षा किए गए निविदा प्रकरणों का विवरण

I s	निविदा	निविदा	प्राप्त	उन	धारा ४.5 और	5 और	3न	उत्तरदायी पाए	अन्तरदायी पाए	जहां	जहां एर	जहां एसबीडी में	मानदंडों	मानदंडों से	学社
Ді.		की साश	बोलियों	बोलीदाताओं	1.3 (क) के अंतर्गत	ह अंतर्गत	बोलीदाताओं	गए बोलीदाताओं	गए बोलीदाताओं	एसबीडी में	निर्धारित	निर्धारित मानदंडों के	梧	कम बयाना	याना
		(अनुमानित	4 €	की संख्या	उत्तरदायी बोलीदाताओं	ानीदाताओं	की संख्या	की संख्या	की संख्या	निर्धारित	अनुसार र	अनुसार समय-सीमा	अनुसार	राशि/बैंक	<u>ब</u> ्रें के
		लागत)	संख्या	जिन्होंने	की संख्या।	ख्या।	जिन्होंने धारा	जहां कार्यकारी	जहां कार्यकारी	मानदंडों	के बाद	के बाद दस्तावेज	बयाना	गारंटी	4 ਹ
		₹ लाख में		धारा 4.5	विवरण	रण	4.2 (ii) 本	अभियंता द्वारा	अभियंता द्वारा	के अनुसार	जमा कि	जमा किए गए थे	राशि/	की वैधता	धता
				के अंतर्गत	कार्यकारी	कार्यकारी	अंतर्गत	धारा 4.2(ii) के	धारा 4.2(ii) के	समय पर	उत्तरदायी	अनुत्तरदायी	<u>हि</u> ;ह	उत्तरदायी	अनुत्तरदायी
				विवरण	अभियंता	अभियंता	विवरण	लिए विवरण पर	लिए विवरण पर	दस्तावेज	ठहराया	ठहराया	गारंटी	ठहराया	ठहराया
				प्रस्तुत	द्वारा	द्वारा	प्रस्तुत नहीं	हस्ताक्षर किए	हस्ताक्षर किए	जमा किए			₩		
				नहीं	हस्ताक्षरित	हस्ताक्षारित	किया	मूर्य क	गए थे	गर थे			वैधता		
		L	,	किया	नहीं है	the c	d	c	7	c	d	7	,	d	d
- Clar	Clark of 1904 diet 1985 ga	1,300.30	4	>	4	>	>	n	_	n	>	_	4	>	>
(F)	(आरंडा 0-5791 मादर) आर मछाडा ड्रन														
⊢ : ਸ਼	म मिलन वाला मछाडा ालक डून (आरडा														
0-1	0-1380 मीटर) के लिए भूमिगत														
आर	आरसीसी पाइपलाइन का निर्माण														
2. मेन	मेन ड्रेन नंबर-2 पर आरडी 157330	597.52	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	က	0	2
(सम्	(समालखा भपोली पक्का रोड) पर														
की.3	वी आर. ब्रिज का युनर्निर्माण														
3. उजी	उजीना डायवर्जन ड्रेन (य्डीडी) के केएम	616.57	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0
12.	12.280 पर वी.आर ब्रिज का प्रतिस्थापन														
4. भिव	भिवानी सब-ब्रांच आरडी 107200 पर शुरू	1,906.00	2	-	-	0	-	-	0	2	0	0	2	0	0
आर	आरडी 107200 से 189600 तक भिवानी														
डिस्	डिस्ट्रीब्यूटरी की रीमॉडलिंग														
5. चौध	चौधरी माइनर का 0 से 67520 तक	1,146.50	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
पुनर	पुनर्सुधार														
 ग्राम 	ग्राम दयाल नगर, शाहाबाद में पहुंच	00.006	4	0	4	0	-	က	0	4	0	0	4	0	0
साह	सहित मारकंडा नदी पर एचएल ब्रिज का														
निम	निर्माण														
7. पक्र	पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण/रीमॉडलिंग	2,500.00	4	0	4	0	0	4	0	4	0	0	3	1	0
सह	सहित डब्ल्यूजेसी मुख्य शाखा के आरडी														
396	96000-126415 तक पहुंच में कंक्रीट														
साइ	साइड लाइनिंग प्रदान करना														

I S	निविदा	निविदा	प्राप्त	उन	धारा 4.5 और	5 और	उन	उत्तरदायी पाए	अनुतरदायी पाए	जहां	जहां ए	जहां एसबीडी में	मानदंडों	मानदंडों से	存信
Ħ.		की राशि	बोलियों	बोलीदाताओं	1.3 (क) के अंतर्गत	न अंतर्गत	बोलीदाताओं	गए बोलीदाताओं	गए बोलीदाताओं	एसबीडी में	निर्धारित	निर्धारित मानदंडों के	뫈	कम बयाना	याना
		(अनुमानित	47	की संख्या	उत्तरदायी बोलीदाताओं	लिदाताओं	की संख्या	की संख्या	की संख्या	निर्धारित	अनुसार	अनुसार समय-सीमा	अनुसार	राशि/बैंक	ब्र <u>ह</u> ें स्व
		लागत)	संख्या	जिन्होंने	की संख्या।		जिन्होंने धारा	जहां कार्यकारी	जहां कार्यकारी	मानदंडों	के बाद	के बाद दस्तावेज	बयाना	गारंटी	하
		₹ लाख में		धारा 4.5	विवरण	Ę.	4.2 (ii) 本	अभियंता द्वारा	अभियंता द्वारा	के अनुसार	जमा कि	जमा किए गए थे	राशि/	की वैधता	धता
				के अंतर्गत	कार्यकारी	कार्यकारी	अंतर्गत	धारा 4.2(ii) के	धारा 4.2(ii) के	समय पर	उत्तरदायी	अनुतरदायी	, हि	उत्तरदायी ः	अनुत्तरदायी
				विवरण	अभियंता	अभियंता	विवरण	लिए विवरण पर	लिए विवरण पर	दस्तावेज	ठहराया	ठहराया	गारंटी	ठहराया	ठहराया
				प्रस्तुत	द्वारा	द्वारा	प्रस्तुत नहीं	हस्ताक्षर किए	हस्ताक्षर किए	जमा किए			46		
				नहीं	हस्ताक्षारित	Þ	किया	गए थ	गर थे	गर् थ			वैधता		
				किया	नहीं है	жc									
∞	पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण/	4,500.00	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0
	रीमॉडलिंग सहित डब्ल्यूजेसी मुख्य शाखा														
	के आरडी 2000-15000 और 30000-														
	58000 तक पहुंच में कंक्रीट साइड														
	लाइनिंग प्रदान करना														
6	दादरी के आरडी 42700 पर शुरू आरडी	1,460.00	4	0	4	0	0	4	0	4	0	0	4	0	0
	0 से 67120 तक दादरी डिस्ट्रोब्यूटरी की														
	रीमॉडलिंग														
10.	10. नारनौल जिला मोहिंदरगढ़ में प्राकृतिक	1,412.19	3	1	0	2	1	2	0	3	0	0	3	0	0
	जल संतुलन जलाशय आदि के निर्माण														
	सहित 600 मिमी डीआई पाइपलाइन														
	उपलब्ध कराने और बिछाने के लिए														
	प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब के														
	लिए प्राकृतिक जल की व्यवस्था														
1.	11. आरडी 76170 से 172376 तक नए	2,800.70	3	0	3	0	0	3	0	2	1	0	3	0	0
	शिवानी फीडर की रीमॉडलिंग														
	<u> </u>	19,206.04	35	2	31	2	3	31	1	33	1	1	31	2	2

परिशिष्ट 5.2 (संदर्भ: अनुच्छेद 5.10; पृष्ठ 81)

स्वीकार्य से कम छ्ट प्राप्त करने के कारण हानि

					£			(र लाख में)
대 원	प्रकाशक का नाम	35 प्रतिशत छ्ट के	30 प्रतिशत छ्ट के	25 प्रतिशत छ्ट के	35 प्रतिशत, कटौती के	35 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के ब्रेकेट से देय छूट कटौती के बाद छूट का लाभ उठाया अर्थात् 10 प्रतिशत	ट में देय छूट) प्रतिशत	कुल योग
		अंतर्गत आने वाली पुस्तकें	अंतर्गत आने वाली पुस्तकें	अंतर्गत आने वाली पुस्तकें	35 प्रतिशत के अंतर्गत देय राशि (कॉलम 2 का 35 प्रतिशत - कॉलम 2 का 10 प्रतिशत)	30 प्रतिशत के अंतर्गत देय राशि (कॉलम 3 का 30 प्रतिशत - कॉलम 3 का 10 प्रतिशत)	25 प्रतिशत के अंतर्गत देय राशि (कॉलम 4 का 25 प्रतिशत - कॉलम 4 का 10 प्रतिशत)	
	1	2	3	4	5	9	7	8 = (5+6+7)
-	ग्रीन बुक्स	13.95	12.22	35.37	3.49	2.44	5.31	11.24
2.	ओमकार बुक्स	5.36	19.28	27.04	1.34	3.86	4.05	9.25
3.	बसंत प्रकाशन	7.12	12.40	30.04	1.78	2.48	4.51	8.77
4.	एकांत प्रकाशन	36.18	3.11	18.33	9.05	0.62	2.75	12.42
5.	इंटरनेशनल पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन	4.77	1.04	41.67	1.19	0.21	6.25	7.65
6.	विद्यानिधि	11.89	20.63	23.10	2.97	4.13	3.47	10.56
7.	पूज्य प्रकाशन	4.77	22.39	35.40	1.19	4.48	5.31	10.98
8.	जेवंत प्रकाशन	00'0	6.76	51.60	0.00	1.35	7.74	60.6
	<u>क</u>	84.04	97.83	262.55	21.01	19.57	39.39	79.96

परिशिष्ट 5.3 (संदर्भः अनुच्छेद 5.10; पृष्ठ 82)

पुस्तकों के गुम होने और अधिक प्रभारित पुस्तकों के कारण अधिक भुगतान दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	पुस्तक का मूल्य (₹ में)	बिल का मूल्य (₹ में)	मात्रा	पुस्तक के मूल्य के अनुसार राशि (₹ में)	बिल के मूल्य के अनुसार राशि (₹ में)
1	उपेद्रक अश्क रचनावली	850	1,000	8	6,800	8,000
2	रंग दस्तावेज़ (खण्ड I एवं II)	2,500	4,000	1	2,500	4,000
3	हंस के विमर्श (खण्ड । एवं ॥)	1,500	3,000	1	1,500	3,000
	कुल				10,800	15,000
	149 सेटों (ए) का कुल मूल्य				16,09,200	22,35,000
	149 सेटों का निवल मूल्य क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से छूट के बाद				12,06,900	20,11,500
	अंतर					8,04,600
4	कबीर ग्रंथावली	150	495	4	600	1,980
	149 सेटों (बी) का कुल मूल्य				89,400	2,95,020
	149 सेटों का निवल मूल्य क्रमशः 35 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से छूट के बाद				58,110	2,65,518
	अंतर					2,07,408
5	होमियोपैथी-चिकित्सा विशिष्ट ओधियान	230	300	2	460	600
	149 सेटों (सी) का कुल मूल्य				68,540	89,400
	149 सेटों का निवल मूल्य क्रमशः 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से छूट के बाद				47,978	80,460
अंतर						32,482
छूट से पहले अधिक प्रभारित पुस्तकों का बिल मूल्य (ए+बी+सी)					26,19,420	
अधिक प्रभारित पुस्तकों के कारण अधिक भुगतान					10,44,490	
गुम हुई पुस्तकों का मूल्य					2,17,791	
गुम हुई पुस्तकों/अधिक प्रभारित पुस्तकों के कारण अधिक भुगतान					12,62,281	

अर्थात् ₹ 12.62 लाख

परिशिष्ट 5.4 (संदर्भः अनुच्छेद 5.12; पृष्ठ 88)

क. श्रेणी-। एवं श्रेणी-॥ के अंतर्गत अंकों का विवरण

श्रेणी	विश्वविद्यालय	दोनों विश्वविद्यालय	उप-गतिविधियों के योग के अनुसार अं	
	अनुदान आयोग	के अनुसार गतिविधि	दीनबंधु छोटू राम	गुरु जम्भेश्वर
	के अनुसार अंक	स्तर पर अंक	विज्ञान एवं	विज्ञान
	अधिकतम (न्यूनतम)	अधिकतम (न्यूनतम)	प्रौद्योगिकी	एवं प्रौद्योगिकी
			विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
श्रेणी-।	अधिकतम 125=	अधिकतम 125=	160=50+10+20+	205=50+10+25+
	50+10+20+20+25	50+10+20+20+25	30+50	70+50
	न्यूनतम: 75	न्यूनतम: 75		
श्रेणी-।।	अधिकतम 50=20+15+15	अधिकतम 50=20+15+15	120*=45+41+34	170*=55+45+70
	न्यूनतम: 15	न्यूनतम: 15		

^{*} नोट: दोनों विश्वविद्यालयों ने उप-गतिविधियों में प्रत्येक मद के लिए अंकों को विभाजित किया।

ख. श्रेणी-॥ के अंतर्गत अंकों का विवरण

श्रेणी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	विश्वविद्यालयों की उप-गतिविधियों		टिप्पणियां
	के दिशानिर्देशों	के योग के अनुसार अंक दीनबंधु छोटू राम गुरु जम्भेश्व		
	के अनुसार	विज्ञान एवं	विज्ञान एवं	
	अधिकतम अंक	प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी		
		विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय		
श्रेणी-।।।	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	दोनों विश्वविद्यालयों ने श्रेणी-।।।
	415.50=35+123+	635.50=35+133+	495=35+133+	में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
	167+20+70.50	180+31+256.50	215+31+81	के दिशानिर्देशों में निर्धारित के
				अलावा नए शैक्षणिक निष्पादन
				संकेतक मानदंड शामिल किए।

परिशिष्ट 5.5 (संदर्भः अनुच्छेद 5.14 (i); पृष्ठ 95)

ई-पीडीएस पोर्टल के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय सहायता दावों का कम दावा और वितरण का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

				(किलोग्राम में)
माह	गेहूं		फोर्टिफाइड आटा	बाजरा
अप्रैल-18	50912626.50		848601	598142.22
मई-18	516	96980.10	856355	104525.369
जून-18	50516049.90		856229	39244.189
जुलाई-18	507	93066.40	860848	27084.9
अगस्त-18	510	33505.90	862686.8	0
सितंबर-18	518	68874.80	867560	0
अक्तूबर-18	527	93680.70	867390	0
नवंबर-18	220	36651.20	337011	28460080.6
दिसंबर-18	225	30188.50	351157	31204355.7
जनवरी-19	223	47060.50	362075	31132404.3
फरवरी-19	483	13081.70	6686379.1	6059275.7
मार्च-19	490	75081.20	7293683.6	2231606.2
किलोग्राम में	523916847		21049975.5	99856719.2
क्विंटल में	5239168.47		210499.755	998567.192
पोर्टल के अनुसार वितरि	रेत मात्रा			6448235.42
के लिए दावा प्रस्तुत वि	त्या गया			6289760.14
कम दावा मात्रा (लाख ी	क्वंटल में)	1.58		158475.281
दावों के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा				50 प्रतिशत
परिवहन हैंडलिंग			65	5150446.5
एफपीएस डीलर मार्जिन			70	5546635
अतिरिक्त मार्जिन			17	1347040
कम दावा				12044122

परिशिष्ट 5.6 (संदर्भः अनुच्छेद 5.15; पृष्ठ 97)

जब्त लाल चंदन की लकड़ी के कुल मूल्य का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.	ग्रेड	भार (टन)	दर	राशि	टिप्पणियां
सं.			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
1	ए	02.24186	30	67.26	उपलब्ध अभिलेखों के
2	बी	7.1319	20	142.64	अनुसार, फरवरी 2017 तक
3	सी	22.01436	12	264.17	एचएफडीसी द्वारा 31.8349
4	सी (नॉन-ग्रेडिड)	0.44678	12	5.36	
		(चिप्स, टुकड़े, आदि)			
5	सी (नॉन-ग्रेडिड)	144.4011	12	1,732.81	शेष 144.4311 टन लकड़ी का मूल्यांकन नॉन-ग्रेडिड होने के कारण ग्रेड सी के रूप में किया गया है।
6	कुल योग	176.236	-	-	
7	घटा	0.5573	-	-	ग्रेडिंग के दौरान गैर-लाल चंदन की लकड़ी के रूप में पाया गया
8	निवल योग	175.6787		2,212.24	

नोट: ग्रेड ए: ₹ 30 लाख; ग्रेड बी: ₹ 20 लाख; और ग्रेड सी: ₹ 12 लाख (बिक्री की आय की दरें आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा निर्धारित अनुसार ली गई हैं।)

परिशिष्ट 5.7

(संदर्भः अनुच्छेद 5.15; पृष्ठ 97)

जब्त लाल चंदन की लकड़ी के गोदाम के किराए और निगरानी पर किए गए व्यय का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

इकाई का नाम	व्यय की प्रकृति	व्यय की अवधि/तिथि	राशि (₹ में)
एचएफडीसी, गुरूग्राम/रेवाड़ी	लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन	30 सितंबर 2015 से 31 मार्च 2022	11,63,971
	एचएफडीसी गुरुग्राम द्वारा लाल चंदन की लकड़ी की ग्रेडिंग पर किया गया व्यय	11 अਖ਼ੈਕ 2016	2,29,000
डीएफओ, गुरूग्राम	गोदाम को किराए पर लेना	31 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2022	13,40,000
डीएफओ, रेवाड़ी	गोदाम और सीसीटीवी को किराए पर लेना	01 मई 2016 से 31 मार्च 2022	5,72,180
डीएफओ, रेवाड़ी	निगरानी के लिए तैनात ग्रुप "डी" को वेतन	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2022	63,08,913
कुल			96,14,064

परिशिष्ट 5.8 (संदर्भः अनुच्छेद 5.16; पृष्ठ 100)

अयोग्य होमगाई स्वयंसेवकों, जिन्हें अनियमित रूप से वेतन दिया गया था, की संख्या दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	जिला का नाम	50 वर्ष से अधिक आयु के होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या	कुल वेतन भुगतान (₹ में)
1	हिसार	19	25,06,338
2	यमुना नगर	40	56,02,335
3	फतेहाबाद	15	26,90,813
4	पंचकुला	31	55,45,828
5	सिरसा	20	36,39,636
6	कुरूक्षेत्र	34	55,34,719
7	गुरूग्राम	24	37,50,656
8	जींद	21	29,59,528
9	रोहतक	25	31,24,203
10	कैथल	08	15,03,788
11	नारनौल	16	9,19,040
12	करनाल	30	53,24,936
13	पानीपत	61	1,17,21,424
14	झज्जर	17	33,35,710
15	सोनीपत	41	70,43,994
16	भिवानी	23	42,13,924
17	रेवाड़ी	31	50,23,876
18	पलवल	65	1,24,44,432
19	अंबाला	49	88,83,732
20	न्ंह	08	15,98,168
21	फरीदाबाद	34	55,91,300
	कुल	612	10,29,58,380

अर्थात्: ₹ 10.30 करोड़

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक www.cag.gov.in